खण्ड-443, अंक-8
मंगलवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(3 सितम्बर, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
— पर्यटन विभाग की नियम-311 के अन्तर्गत सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1
— कुं० रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा के जीवन को खतरा विषयक सूचना पर चर्चा की मांग	1—2
— प्रश्नोत्तर	2—48
— कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-42 का सुसंगत उत्तर न आने पर व्यवस्था का प्रश्न	49
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	49
— आगरा में स्ट्रीट लाइट विद्युत व्यवस्था के नियमित संचालन हेतु धन आवंटित किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49—50
— जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत महेबा नानकार में गाटा सं० 176 में कृषि पट्टे के आवंटियों के विरुद्ध कुछ दबंगों द्वारा फर्जी तरीके से खतौनी में नाम दर्ज कराये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
— जनपद गाजीपुर के ग्राम पटखनिया में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
— जनपद बांदा के ग्राम छिरहुटा में कन्या प्रा० पा० हेतु सुरक्षित सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
— जिला सहकारी बैंक आगरा द्वारा निर्मित दुकानों को टेक ओवर कर बकाया किराया वसूलने एवं मा० उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
— जनपद बदायूँ के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को विभाग को स्थानान्तरित करने एवं स्टाफ की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51—52
— अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के सी० टी० ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
— औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	52

विषय	पृष्ठ-संख्या
— सदन की लाबी में धूम्रपान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	52—54
— विधान सभा सत्र के दौरान नीतिगत घोषणाएं सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	54—59
— स्वीकृत अनुदानों में अधिक व्यय धनराशि के विनियमन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	60—63
— औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	63
— उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 81वाँ प्रतिवेदन [प्रस्तुत किया गया]	63
— उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 82 वाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	63
— लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता सिविल के पदों को कार्मिक अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप के क्रम में कार्यभार ग्रहण कराये जाने विषयक श्री रत्नेश कुमार तिवारी, निवासी जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	63
— जनपद पीलीभीत में ग्राम अमरिया से उदयपुर तक की सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री इरशाद मियां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	63
— जनपद फिरोजाबाद में नई आबादी अजमेरी गेट की गलियों में सड़क एवं नालियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हादी जावेद आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	64
— जनपद जालौन में जोल्हूपुर हमीरपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष परवार आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	64
— उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश सं० 44(1) के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय के तारांकित प्रश्न सं० 1 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में खाद्य तथा रसद मंत्री का शोधन वक्तव्य	64—65
— उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	66
— कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	66
— विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	66
— कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	66—95
— विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचनाएं	95—100
— उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 (पारित)	101—108

विषय	पृष्ठ-संख्या
— उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए तीन भागों में विभाजित कर हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	109—114
— वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान सं० 54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान सं० 55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान सं० 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	114—162
— वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान सं० 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	163—170
— कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	170
— नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	171—174
— प्रदेश में बढ़ते अपराधों के कारण कानून व्यवस्था की खराब स्थिति विषयक श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	174—175
— इलाहाबाद के जाजमऊ क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	175
— जनपद आगरा की मलिन बस्तियों में सीवर लाइन एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	176—177
— जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र व तहसील करनैलगंज के ग्राम बहुवन भदार मांझा में घाघरा नदी के भीषण कटान से उत्पन्न स्थिति पर श्री योगेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य।	177
— जनपद चन्दौली में स्थापित राजकीय महाविद्यालय धानापुर (चन्दौली) में कतिपय विषयों में अध्यापकों की कमी को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	177—178
— जनपद सिद्धार्थ नगर में इटवा तहसील के एस०डी०एम० द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच विषयक श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	178—179
— प्रदेश की भोजपुरी भाषा को भाषा का दर्जा दिये जाने के संबंध में श्री शारदा नन्द अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	179

विषय	पृष्ठ-संख्या
— प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नियमों की अनदेखी कर विद्यालयों में छात्रों की संख्या से अधिक शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्ध गोपाल साहू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन।	179
— जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुराज प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	179
— जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत नगपुरा कोटवारी आदि सड़कों के लेपन एवं पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	179—180
— जनपद सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के थानाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारियों तथा भू-माफियाओं के साथ मिलकर जालसाजी करके भूमि पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	180
— कर्मचारी कल्याण निगम कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने के संबंध में श्री राम विशनु आजाद आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	180—181
— जनपद फैजाबाद के सरस्वतीपुरम में सामूहिक नरसंहार से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सेन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	181—182
— जनपद रायबरेली को पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत रखे जाने के सम्बन्ध में श्री मर्यादेश्वर शरण सिंह आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	182
— गाजीपुर सदर में नगरपालिका परिषद गाजीपुर के अन्तर्गत पेयजल की समस्या को देखते हुए पम्पों की स्थापना के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर कुशवाहा द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	182—183
— जनपद आगरा के थाना एतमाद्दौला के अन्तर्गत हनुमान नगर व सुशील नगर के बीच यमुना ब्रिज स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पैदल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	183
— जनपद उन्नाव में हिलौली करदहा व चन्दा खेड़ा मार्ग का निर्माण न कराये जाने एवं फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	183

विषय	पृष्ठ-संख्या
— जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली कुन्डा स्थित सुभाष नगर में श्री राजेश्वर पाण्डेय की हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने व पुलिस दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183—184
— जनपद खीरी के ग्राम गोविन्द नगर व खजुरिया से ग्राम सम्पूर्णा नगर तक शारदा नदी की कटाव से हुई भीषण तबाही के सम्बन्ध में श्री आर० एस० कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	184
— जनपद बाराबंकी के बदो सराय चौराहे पर दलित महिला एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	184
— जनपद जौनपुर में तहसील मड़ियाहू के ग्राम फत्तूपुर का बन्दोबस्ती नक्शा गायब होने के सम्बन्ध में श्री पारस नाथ यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	
— जनपद गोण्डा, बलरामपुर के एफ० सी० आई० सम्पूर्ण रोजगार योजना का गेहूँ एक गल्ला व्यापारी को बेच दिये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम शुक्ला द्वारा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	184—185
— जनपद झांसी के मऊरानीपुर में जल विहार मेला में विद्युत व्यवस्था सही किये जाने के समबन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	186
— जनपद आगरा के थाना अछनेरा में मृतक राकेश पुत्र बच्चू सिंह के परिवार वालों को उत्पीड़ित करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	187—188
— नत्थियां.....	189—191

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीरनगर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुवंर	कुशीनगर/पडरौना
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात	रमेश कुमार शर्मा, श्री	झांसी
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर	राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर	राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर भदोही	राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
		लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
भरतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर	वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
मदन भैया, श्री	बागपत	सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार कुं०	मुरादाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

पर्यटन विभाग की नियम—311 के अर्न्तगत सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग।

श्री राम गोविन्द चौधरी –

मान्यवर, मैंने नियम 311 में दिया है मान्यवर, आज पर्यटन विभाग की अकर्मण्यता के कारण, उसके द्वारा ठीक रिपोर्ट न देने के कारण जापान ने 10 अरब 26 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र को दे दिया है।

श्री अध्यक्ष–

वह सूचना आ गयी है यथासमय उस सूचना को ले लूँगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह प्रदेश का ज्वलन्त मुद्दा है यह प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होता और माननीय नेता सदन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस सदन में इस बात की घोषणा की थी कि जापान से 10 अरब 26 करोड़ रुपया मिले हैं।

श्री अध्यक्ष–

किसी उपयुक्त समय पर उस सूचना को ले लेंगे।

कुँवर रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा के जीवन को खतरा विषयक सूचना पर चर्चा की मांग

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पूरे बुन्देलखण्ड, इलाहाबाद और आसपास के जिलों में ददुआ का आतंक और आतंक नहीं उससे आगे बढ़कर जो स्थिति है 40-40 लोग रायफल लेकर सीधे निकल रहे हैं हत्याएँ हो रही हैं और हत्या की सीमा वहाँ तक आ गयी है कि कुँवर रेवतीरमण जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कुँवर साहब की सूचना आई है उस सूचना को ले लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सरकार की ओर से उसको पूरी तौर से संरक्षण प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष–

यथासमय उसको ले लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कुँवर साहब के जीवन का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसको ले लें।

नेता, विरोधी दल–(श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमेशा जब सदस्यों के जीवन का मामला आया है तो आपने मदद की है और अभी कल ही सदन में गिरफ्तारी के मामले को लेकर जो एक सहयोग किया है वह खुद में एक मिसाल है। रेवती रमण जी कितने पुराने हैं, कितने अहम हैं और समाज के लिए कितने जरूरी हैं इसका बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनका सारा जीवन अपराध से भरा हुआ है। राजनीतिक दल और ऐसा राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसके विधायक और सांसद किसी डकैत के, हत्यारे के

साथ हैं यह कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कह रहा है, मेरे पास तमाम चिट्ठियां हैं तमाम कमिश्नर मे जिलाधिकारी ने तमाम पुलिस के अपसरान ने सरकार को लिखी हैं और यह कहा है कि फलां पार्टी के फलां एम० पी०/एम० एल० ए० उनको संरक्षण दे रहें हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में यह सूचना आ गयी हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, अभी नहीं पहले भी इस ग्रुप ने कुंवर साहब की हत्या के षड्यंत्र कई बार किये हैं। सरकार से सुरक्षा मिली है, हम अलग से सुरक्षा की मांग नहीं कर रहें हैं लेकिन आपके माध्यम से जरूर चाहेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर अंकुश होना चाहिए। क्या कारण है कि दो लाख रुपये इनाम घोषित व्यक्ति को जो पुलिस के अधिकारी गिरफ्तार करना चाहते हों उनको स्थानान्तरित कर दिया जाये। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना ले ली जायेगी मैंने आपसे पहले ही बता दिया है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में नदियों के जल प्रदूषण के नियंत्रण व उसके रोकथाम की योजना

श्री जगदम्बिका पाल–

*1—क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की किन–किन नदियों में जल प्रदूषण खतरे की सीमा को पार कर गया है? क्या यह सत्य है कि इन नदियों में भारी प्रदूषण के कारण उनका पानी मानव प्रयोग के योग्य नहीं रह गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री–(श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के अनुसार गंगा नदी में कानपुर डाउन स्ट्रीम, गोमती नदी में लखनऊ डाउन स्ट्रीम, सई नदी में रायबरेली डाउन स्ट्रीम, हिण्डन नदी में कुलसेरा, गाजियाबाद, गंगा नदी वाराणसी डाउन स्ट्रीम, यमुना नदी आगरा अपस्ट्रीम तथा यमुना नदी में आगरा डाउनस्ट्रीम स्थलों पर नदियों के जल में बायो केमिकल आक्सीजन डिमांड की मात्रा निर्धारित मानक 03 मिग्रा०प्रति ली० से अधिक पायी गयी है।

जी नहीं। जिन शहरों में नदियों से पीने हेतु जलापूर्ति की जाती है उस पानी को शुद्धिकृत करने के पश्चात् आपूर्ति की जाती है।

नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू मल-जल/औद्योगिक उत्प्रवाह के कारण होता है।

घरेलू मल-जल से हो रहे प्रदूषण को कम करने हेतु गंगा, यमुना तथा गोमती नदी के किनारे बसे हुए 23 शहरो में 25 ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बन चुके हैं तथा दो बन रहे हैं एवं 20 प्रस्तावित है, जिससे नदियों के प्रदूषण में कमी आयेगी।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न नदियों में निस्तारित किये जाने वाला प्रमुख प्रदूषणकारी 388 उद्योगों को चिन्हित किया गया है तथा इनमें से 228 उद्योगों में शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कराया गया है तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति कर रहे हैं। 79 उद्योगों में भी शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कर लिया है, परन्तु मानकों की पूर्ति न करने के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वह अपने शुद्धिकरण संयंत्र को सुचारू रूप से चलाते हुए मानकों की पूर्ति करें। 81 उद्योग बन्द चल रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार के लिए नीतिगत विषयक प्रश्न है और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि प्रदेश के सर्वाधिक आम जनमानस की पेयजल की व्यवस्था नदियों के जल से ही होती है। इसीलिए हमने चिन्ता व्यक्त की थी कि प्रदेश की नदियों में जल प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। उस दिशा में गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान शुरू किये गये थे लेकिन उसके जो सार्थक परिणाम आने चाहिए थे वह नहीं आये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक जो कुछ नदियों का उल्लेख किया है उसमें गंगा एक्शन प्लान में कितना पैसा खर्च किया? क्या-क्या कार्य किये गये? उसके बाद गंगा एक्शन प्लान में क्या स्थिति है? नदियों में जो जल प्रदूषण होता है उसमें आयोडीन की भी कमी हो रही है। किन-किन नदियों में आयोडीन की कमी है? गोमती नदी में भी आयोडीन की कमी से मछलियाँ मरने लगी हैं। हम जानना चाहते हैं कि जल प्रदूषण जो है उसका मानक क्या है? केवल आपने लिख दिया है कि जल में बायो केमिकल आक्सीजन डिमांड अधिक पाया गया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पानी में जितनी बी०ओ०डी० होगी। पानी का जो मानक है बी०ओ०डी० का वह 3 मि०ग्रा० प्रति लीटर है। अगर इससे अधिक होगी तो पानी को हम प्रदूषित कहेंगे अगर इससे कम है तो हम इसे शुद्ध कह सकते हैं। जो डी० ओ है, जो पानी में कम से कम घुलनशील आक्सीजन है, इसे प्रति लीटर में कम से कम 4 मि०ग्रा० होना चाहिए, तभी वह शुद्ध कहलायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने एक बात का उत्तर दिया कि अगर नदियों में जो बायो केमिकल आक्सीजन डिमांड है वह 3 मिग्रा० से अधिक है तो पानी प्रदूषित है। इन्होंने स्वयं कह दिया है कि यह सभी नदियां जल प्रदूषित हैं तो इसके प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान में जब प्रदूषण स्वीकार कर लिया है तो उसको दूर करने के क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी

मान्यवर, यह जो माननीय सदस्य ने पूछा है तो इसमें मान्यवर, 23-25 स्थानों पर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा रखे हैं और 20 स्थानों पर प्रस्तावित हैं। कुछ जगह काम शुरू हो गया है और कुछ जगहों पर शुरू होने वाला है।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गंगा एक्शन प्लान लागू होने के पहले कितने एम०एल०डी० गंदा पानी गंगा में जा रहा था और गंगा एक्शन प्लान फेज—1 लागू होने के बाद कितने एम०एल०डी० गंदा पानी गंगा में अब जा रहा है? यह भी जानना चाहूँगा कि यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने के लिये जो एक्शन प्लान बना है, उसमें इलाहाबाद

जिले को भी लिया गया है, अथवा नहीं। माननीय मंत्री जी ने जो ट्रीटमेंट प्लान्ट की जो बात बताई है, उसके संबंध में कहना चाहूँगा कि ज्यादातर ट्रीटमेंट प्लान्ट खराब रहते हैं, चलते नहीं हैं, इन तीन बातों का जवाब दे दें?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

मान्यवर, जो भी ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे हैं, उन्हें समय-समय पर चेक किया जाता है, उनकी मानीटरिंग होती है, अगर किन्हीं कारणवश वह खराब हो जाते हैं तो उन्हें बनवाया जाता है। जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि गंगा नदी में संभवतः कहाँ-कहाँ क्या स्थिति है...

श्री कुँवर रेवती रमण सिंह

मैनें स्पष्ट पूछा है कि गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट फेज लागू होने के बाद कितना एम०एल०डी० गंदा पानी गंगा में जा रहा है और लागू होने के पहले कितना गंदा पानी नदी में जा रहा था?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं इसका मानक पहले ही बता चुका हूँ। अगर बी०ओ०डी० की मात्रा...

श्री अध्यक्ष

वह नहीं पूछ रहे हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, गंदगी का मानक तो बताना ही पड़ेगा। कानपुर में अपस्ट्रीम में यह डी०ओ० है 7 मिलीग्राम प्रति ली०, कानपुर डाउनस्ट्रीम में यह है 4.9 मिली ग्राम प्रति ली०। इसी प्रकार इलाहाबाद में अपस्ट्रीम में 7.5 मिली० ग्राम प्रति ली० और इलाहाबाद डाउनस्ट्रीम में 7.3 मिली ग्राम प्रति ली० इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बी०ओ०डी० की मात्रा 3 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिये। जहाँ 3 से अधिक है, वह उत्तर अपने आप मिल गया।

श्री कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी के पास सूचना नहीं है तो सदन में कह दें। लेकिन यह जो जवाब दे रहे हैं वह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट फेज लागू होने के पहले कितना गंदा पानी नदी में जाता था और लागू होने के बाद आज कितना पानी जा रहा है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, लागू होने के पहले 1320 एम०एल०डी० जा रहा था, अब 750 की व्यवस्था कर दी गयी है, इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है, शेष में काम चल रहा है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ में गोमती नदी, जो पीने योग्य पानी का मुख्य स्रोत है, वह प्रदूषित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जहाँ-जहाँ से गोमती नदी में सीवर और औद्योगिक कचड़ा गिर रहा है, वहाँ पर सीवेज प्लान्ट और आक्सीडेशन प्लान्ट लगाया जाय, किन्तु 8 महीने बीतने के बाद भी प्लान्ट नहीं लगाया गया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बहुत चिन्ता व्यक्त की और उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए डाँटा तो मेरा सवाल है कि इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में गोमती को प्रदूषण मुक्त करने के लिये आक्सीडेशन प्लाण्ट और जगह-जगह पर सीवर प्लाण्ट लगाने की व्यवस्था क्यों नहीं की।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, लखनऊ में तीन जगह आक्सीडेशन प्लाण्ट लगाने की व्यवस्था थी जिसमें एक जगह लगाया जा रहा है और दो जगह लगाया जाना बाकी है जो प्रस्तावित है।

श्री कौशल किशोर–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि नदियों में जो प्रदूषण है वह सबसे ज्यादा गन्दे नालों से पानी आने से कीचड़ आने से, और औद्योगिक कचड़ा जाने से होता है। क्या सरकार ने उसके लिये भी कोई योजना बनाई है कि नदियों में कोई भी गन्दा पानी और सीवर का पानी न जाने पाए ? इसके रोकथाम के लिये कोई योजना बनाई है और अगर इस पर कोई विचार हो रहा हो तो कृपया बता दें?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, गन्दे नाले और सीवर आदि से जो भी गन्दा पानी या कचड़ा आता है उसके लिये प्लाण्ट लगाये जाते है, और जब 3% (तीन प्रतिशत) से ज्यादा नीचे न आने पाये जब यह निश्चित हो जाता है तो यह माना जाता है कि वह सही ढंग से काम कर रहे हैं।

श्री राकेश सचान–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो जवाब दिया है कि कानपुर गंगा एक्शन प्लान की बात थी और कानपुर सबसे बड़ा नगर है और 50 लाख की आबादी है.....

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न करिये क्योंकि समय कम है।

श्री राकेश सचान–

और कानपुर में चमड़ा के सबसे बड़े उद्योग और कारखाने लगे हैं और उनका पूरा पानी गंगा में जाता है मंत्री जी ने कहा कि 25 ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट बनाये गये हैं मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कानपुर में गंगा के जल को शुद्ध करने के लिये कितने प्लाण्ट बनाये गये हैं और जल की आपूर्ति के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, कानपुर में हमने तीन ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाये हैं, जो कि चल रहे हैं। माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है कि कानपुर बड़ा शहर है, जब यह प्लाण्ट काम करना बन्द कर देते हैं तो उनका निरीक्षण करवाया जाता है उसके बाद उनको फिर से शुरू कर दिया जाता है। यह भी सही है कि प्रदूषण अपस्ट्रीम में कम होता है और डाउन स्ट्रीम में ज्यादा होता है। वैसे भी 4-5 किमी० के बाद नदियों का पानी अपने आप शुद्ध होने लगता है और 50 कि० मी० लगभग पहुँचते-पहुँचते वह लगभग शुद्ध हो जाता है।

नेता, विरोधी दल (मोहम्मद आजम खाँ)–

आज प्रदेश प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी भी है। कानपुर की फैक्ट्रियों का पानी तो बिल्कुल जहर है इसके अलावा जितने भी हमारे यहां इन्डस्ट्रीज हैं, तो एक तो यह कि इन फैक्ट्रियों ने प्लाण्ट तो लगा लिये हैं लेकिन उन प्लाण्टों का इस्तेमाल नहीं करते वह इसलिये क्योंकि इन प्लाण्टों को चलाने में खर्चा ज्यादा आता है। मिसाल के तौर पर जो प्लाण्ट लगे थे रुद्रपुर पेपर मिल जो उत्तरांचल में चली गई उसका पूरा डिस्चार्ज हमारे यहां आ रहा है। उस पानी को जानवर तक पी लेते हैं तो वह बीमार हो जाते हैं। उस पानी को खेती में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो

कितनी फैक्ट्री ऐसी हैं जिनमें यह प्लाण्ट नहीं लगे हैं? लेटेस्ट जांच कब कराई है। मेरी निश्चित सूचना है और मैं जो कह रहा हूँ वह सही कह रहा हूँ कि ज्यादातर प्लांट इसीलिये बंद हैं कि उसको चलाने में काफी खर्च आता है। आपने कभी जांच कराई है। लेटेस्ट सूचना क्या है। आप कितने दिन के अन्दर अपने इंस्पेक्टर से जांच कराते हैं। कि प्लाण्ट चल रहे हैं। क्या छापा मारकर अचानक कहीं जांच की गई है? सच्चाई यह है कि इन प्लाण्ट का सही उपयोग नहीं हो रहा है। कानपुर ट्रेनरी के बारे में आखिरी जांच कब कराई गई? उसके पूर्व कब जांच कराई गई? ट्रेनरीज के अलावा जो पेपर मिल हैं, डिस्टलरी हैं इनसे पानी बहुत खराब होता है बिल्कुल जहर निकलता है। इनमें आपने कब-कब जांच कराई है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

एक-एक की सूचना देना मुश्किल है। एक बात जो नेता प्रतिपक्ष ने कही है कि आखिरी जांच कब कराई गई। तो यह जांच अगस्त के महीने में हुई है उन्नाव में इंडो एग्रो एक प्लाण्ट लगा है उसमें अगस्त के आखिरी सप्ताह में जांच हुई। तारीख मुझे याद नहीं अगर नेता प्रतिपक्ष कहेंगे तो उनको बाद में बता देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

यह प्रदूषण चेक करने का सिस्टम क्या है? एक महीने बाद दो महीने बाद तीन माह बाद कब जांच कराते हैं? आकस्मिक जांच कराते हैं? आप उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी फैक्ट्री को इंगित कर लीजिये हमारी जो डिस्टलरीज हैं, पेपर मिल हैं उनके बारे में उत्तर में जवाब दिया है। आप 20 फैक्ट्री के बारे में, 10 फैक्ट्री के बारे में पाँच फैक्ट्री के बारे में बता दें कि फलां तारीख को वहां जांच कराई गई। एक महीने पहले दो महीने पहले तीन महीने पहले अचानक जांच कब कराई इसके बारे में बता दें?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

अमूमन हम तीन महीने में जांच कराते हैं। सरप्राइज चेकिंग भी करते हैं। जैसा कि इंडो एग्रो के बारे में बताया। ट्रेनरीज में भी पिछले महीने जाकर चेक किया है। इसी के सापेक्ष 10 ट्रेनरीज को नोटिस दी गई है। धारा 33ए के तहत नोटिस दी गई। इसके बाद उन ट्रेनरीज को बन्द करने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा हमारे अधिकारी सरप्राइज विजिट करते हैं। बीच-बीच में मैं भी निदेश देता रहता हूँ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। यह जो प्रदूषण का महत्वपूर्ण सवाल आया है श्रीमन् उसमें मंत्री जी की तरफ से ट्रीटमेन्ट प्लांट की बात बताई गई है। ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल बेअसर हैं जिसका नतीजा है कि चाहे आप गंगा का जल ले लें चाहे राजधानी से गुजरती हुई गोमती नदी का जल लें गोमती का पानी इतना गंदा हो गया है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ट्रीटमेंट प्लांट का कहाँ असर है। यह पूरी तरह से बेअसर है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ?

जैसे कि मूल प्रश्न में पूछा भी गया है कि क्या सरकार कोई ठोस उपाय करेगी जब यह सब बेअसर है। हम लोगों की, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलायेगी और 15 दिन के अन्दर जितने भी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगे हुए हैं, उनकी जांच करायेगी? और क्या कोई मुख्य योजना इस प्रदूषण को रोकने के लिये चलायेगी।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जो बताया गया है कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बेअसर हैं, हम उनको दिखवा लेंगे। सबकी जाँच तीन महीने में होती है। जो बेअसर हैं, उनको दिखवा लेंगे और असरदार बनायेंगे।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, आप भी अवगत हैं कि इलाहाबाद में गंगा नदी में संगम में भी कितना प्रदूषित पानी है। विशेषकर अल्लाहपुर में पम्प के द्वारा प्रदूषित पानी गंगा में प्रवाहित होता है। मान्यवर, संगम में प्रतिदिन हजारों लोग स्नान करते हैं, कुम्भ, महाकुम्भ या महामेला में ही लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर स्नान करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि संगम क्षेत्र का पानी शुद्ध रहे, इसके लिये क्या कोई व्यवस्था सोचेंगे। क्या भारत सरकार की प्रदूषण दूर करने के लिये ट्रीटमेंन्ट के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है? वह कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, इलाहाबाद में 4 जगह पर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है। हम शीघ्र ही प्लान्ट लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं, अभी लगा नहीं है।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गंगा एक्शन प्लान से 1320 एम०एल०डी० प्रदूषित पानी गंगा में प्रवाहित हो रहा था और फर्स्ट फेज का ट्रीटमेंन्ट लगने के बाद यह 750 एम० एल०डी० पानी प्रवाहित हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह आंकड़े सही हैं? एक बार पुनरीक्षित करा लें। मेरी जानकारी में आज भी लाखों एम०एल०डी० प्रदूषित पानी गंगा में बह रहा है। दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह एम०एल०डी० का फुल फार्म क्या है, बतायेंगे तो मेरा ज्ञान वर्धन हो जायेगा। मान्यवर, गोमती राजधानी के बीच में बहती है। इसका भी पानी प्रदूषित है और यहाँ पर भी गोमती एक्शन प्लान बनाया गया और ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया लेकिन आज भी इसका जल प्रदूषित है और वह पेयजल के रूप में पूरे महानगर में प्रयोग किया जा रहा है। पूरे महानगर के स्वास्थ्य की चिन्ता को दृष्टिगत रखते हुए कोई योजना बनायेंगे जिससे कि गोमती के जल को प्रदूषण मुक्त कर दिया जायेगा, और उसकी समय सीमा बतायेंगे?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैंने तो बता दिया है कि कहाँ क्या पोजीशन है। कहाँ हम क्या करने जा रहे हैं और कहाँ क्या प्रस्ताव है। जहाँ तक आपने गंगा नदी के बारे में पूछा है, आप चाहेंगे तो पूरे यू०पी० में हम कहाँ क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी दे देगें। जहाँ पर लग चुके हैं, वह बता दिया है। आपका यदि कोई प्रस्ताव और सुझाव होने लायक होगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि गंगा एक्शन प्लान से पहले कितना प्रदूषित जल प्रवाहित होता था और फर्स्ट फेज ट्रीटमेन्ट का लगने के बाद कितना प्रवाहित हो रहा है। दूसरा था कि गोमती को कब तक प्रदूषण मुक्त करा दिया जायेगा। मान्यवर, प्रश्न बड़े स्पष्ट हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आ रही हो। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। एक बात और पूछी थी कि हम जानना चाहते हैं कि एम०एल०डी० का फुल फार्म क्या है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। बाजपेयी जी ने प्रश्न पूछा है आप कुछ बतायेंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मैंने उत्तर दे दिया है इन्होंने फुल फार्म पूछी है तो यह मिलियन लीटर पर डे होता है।

डा० अशोक बाजपेयी–

गंगा एक्शन प्लान का जो पहला फेज है उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

यह विस्तृत प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मैंने बताया 1320 एम०एल०डी० था।

श्री अध्यक्ष–

जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होते हैं उसमें ज्यादा विस्तृत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जिसकी फुल फार्म ही "मिलियन लीटर पर डे" है उसको आपने सैकड़ों में बताया है। जिसका नाम ही शुरू मिलियन लीटर पर डे से होता है आपने सात सौ कुछ बताया तो क्या सात सौं कुछ मिलियन हो गया यह बता दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

1320 एम०एल०डी० था उसमें से 750 शुद्ध किया जा चुका है यह मैं पहले भी बता चुका हूँ।

(व्यवधान)

डा० अशोक बाजपेयी–

प्रश्न का उत्तर नहीं आ पा रहा है माननीय अध्यक्ष जी संरक्षण देने की कृपा करें। हमारे यहां बैठने का औचित्य क्या है जब प्रश्न का उत्तर न आये। इससे तो बेहतर है कि हम सदन का परित्याग करके चले जाएं। मैंने दो प्रश्न पूछे हैं। दूसरे प्रश्न का जबाव नहीं आया इससे तो यह उचित होगा कि इसको आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें या चर्चा स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जो सूची दी है इस प्रदेश की, मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी घाघरा नदी है उसके किनारे कोई महानगर नहीं बसा है ग्रामों की संख्या अधिक है इन्होंने कहा है कि शुद्ध जल पीने को देते हैं। मेरी जानकारी है उसको सही मानते हुए कि घाघरा नदी का जल प्रदूषित हो गया है उसके किनारे बसने वाले मजदूर गन्दा पानी पीते हैं, नदी के पानी से ही उन्हें काम चलाना पड़ता है जिससे वह रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या घाघरा को प्रदूषण मुक्त करने की कोई योजना है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

घाघरा नदी में पिछले दिनों जून के महीने में उसकी चेकिंग कराई गई वह ठीक है।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, गोमती नदी एक बड़ी नदी है और इसे आदि गंगा भी कहते हैं। यह बड़े-बड़े शहरों से होकर गुजरती है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर में प्रदूषित जल नदी के किनारे रहने वाले लोग पी रहे हैं। एक्शन प्लान गोमती का चल रहा है और ट्रीटमेंट प्लान भी लगाने की व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जनपद जौनपुर में गोमती एक्शन प्लान शुरू किया गया था और प्रदूषित जल जो नालों के द्वारा, जो मध्य से नदी बहती है, आता रहा है उसके लिए कोई कार्यवाही की बात की गयी थी। लेकिन विगत तीन वर्षों से काम नहीं हो पा रहा है तो क्या गोमती एक्शन प्लान के माध्यम से जो कार्य होने थे वह कब तक पूरे करा देंगे और प्रदूषित जल को शुद्ध करा देंगे?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जौनपुर के बारे में पूछा है। मैं इसे दिखवा लूँगा। अगर नहीं हो रहा है तो करवा दूँगा।

श्री अजीम भाई–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आगरा में यमुना नहर में प्रदूषण अपनी सीमा से आगे निकल गया है उसकी वजह से कुछ दिनों पहले लाखों मछलियाँ मर गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दो आदेश दिये थे। मान्यवर एक तो जो दूध की डेरी वाले लोग हैं वह अपनी भैंसों को यमुना में नहलाते हैं और वह उसमें अपना मल मूत्र त्यागती हैं उससे प्रदूषण होता है और दूसरा जो शहरों का गंदा नाले का पानी आता है वह यमुना में जा रहा है उसके कारण प्रदूषण है। तो मेरे दो सवाल है एक तो जो डेरी वाले लोग हैं उनकी भैंसों को दूसरी जगह नहलाने की व्यवस्था करायें और दूसरा जो शहर का गन्दा नाले का पानी नहरों में जा रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, गन्दे पानी के लिए बता दिया है कि ट्रीटमेंट प्लान प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि जो आगरे में यमुना नहर की बात कही गयी है उसमें प्रदूषित पानी आता है तो यह सही है कि प्रदूषित पानी आता है लेकिन यह आगरा शहर और उत्तर प्रदेश से कम आता है यह दिल्ली के जो उद्योग लगे हैं, हरियाणा में जो उद्योग लगे हैं उससे आता है। इस सम्बन्ध में हमारे अधिकारियों और दिल्ली के अधिकारियों के बीच में केन्द्र सरकार के अधिकारियों सेन्ट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के बीच में बैठकर एक मीटिंग हुई है। इसमें हम शीघ्र ही कोई फैसला लेने जा रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, निर्धारित मानक तीन मिलीग्राम प्रति लीटर है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। उस आंकड़े से अधिक जहां-जहां पाया गया उसमें वाराणसी की गंगा नदी है और यह सत्य है कि जो गंगा नदी का पानी है वह प्रदूषित हो चुका है और उसी पानी को जल संस्थान लिफ्ट कराकर सप्लाई कर रहा है और वहाँ प्रदूषित पानी पीने के कारण मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज वही प्रदूषित पानी पीने के कारण वाराणसी में लोगों को शारीरिक बीमारियाँ हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो गंगा एक्शन प्लान का सेकेण्ड फेस का कार्य है यह किन कारणों से रुका हुआ है? और यह कब प्रारम्भ किया जाएगा? और यह सेकेण्ड फेस का कार्य कब तक पूरा होगा?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह जो सेकेण्ड फेस का कार्य है वह यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। यह निश्चित होना है कि हम किस तारीख से प्रारम्भ कर रहे हैं उसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि कितने समय के अंदर हम इसे पूरा कर लेंगे।

श्री राधेश्याम जायसवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सीतापुर में जो सरान नदी है उसमें पेपर मिल के कारण पूरा पानी प्रदूषित हो रहा है। जानवर मर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इसकी जांच करा लें और प्रदूषण को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठायें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं पूरा प्रयास करूंगा।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर, मण्डल, देवीपाटन मण्डल, वाराणसी मण्डल के बारे में कि यहां का पानी प्रदूषित हो चुका है। इसके संबंध में भारत सरकार की भी रिपोर्ट है और उसमें कहा गया है कि इन मण्डलों का पानी दूषित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी के पास ऐसी कोई योजना है जिससे इस दूषित पानी के स्थान पर शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था हो और इस दूषित पानी को प्रदूषण मुक्त करने की क्या योजना है। क्या इसके बारे में शासन के पास कोई योजना है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं पहले बता चुका हूं कि हम हर तीन महीने में उसको चेक करते हैं। माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है तो मैं इसे पुनः दिखवा लूंगा।

जनपद बांदा में विगत तीन वर्षों से बिना पड़ताल के किसानों से बिना खेत सींचे सिंचाई शुल्क की वसूली का प्रकरण

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

*1 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में विगत तीन वर्षो से बिना पड़ताल के किसानों से बिना खेत सींचे सिंचाई शुल्क लिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार ने प्रदेश में सिंचाई पड़ताल की कोई व्यवस्था की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह–)

1-7-99 से 29-9-2001 के मध्य सिंचाई जमाबन्दी बनाने का कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी की देख-रेख में कराया गया था। यह जमाबन्दियाँ पूर्व में बनायी गयी जमाबन्दियों तथा भूमि लेखा नियमावली के नियम संख्या-60 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र प०क०-3 (खसरे) की प्रविष्टियों के आधार पर बनायी जानी थी।

इस समय प्रदेश में सिंचाई पड़ताल व्यवस्था है। आई०एम०ओ० के पैरा 323 के अनुसार खरीफ एवं रबी में सिंचित क्षेत्र की पड़ताल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा करने का प्राविधान है। जिसके अनुसार पड़ताल कर सिंचाई शुल्क निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मेरा सवाल था कि बांदा में बिना पड़ताल के किसानों से बिना खेत सींचे सिंचाई शुल्क लिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में नियम-कानून बता दिये हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि विगत तीन वर्षों में कितनी सिंचाई हुई और कितने में नही हुयी इसमें कितने अधिकारी तैनात थे? और उनके पदनाम क्या थे?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो तरह से प्रश्न पूछे हैं एक तो यह है कि जो बिना खेत सींचे सिंचाई शुल्क लिया जा रहा है और दूसरा कौन-कौन से अधिकारी पूरे जिले में हैं? मान्यवर 1-7-99 से 29-9-01 के बीच में जिलेवार से लेकर या उसके बाद में जो अधिकारी तैनात थे इसके बारे में पूरी सूंचना की जरूरत है और जिन लोगों से बिना सिंचाई के सिंचाई शुल्क लिया गया है उनको राहत दी जाएगी।

मान्यवर, तो 1-7-99 से 29-9-2001 के बीच हम सभी जानते हैं कि एक प्रयोग के रूप में वह व्यवस्था की गयी थी जो पूरी तरह से संतोषजनक सिद्ध नहीं हुई। इसलिए जो सींचपाल के बहुउद्देश्यीय कर्मचारी बनाये गये थे वह वापस कर लिये गये हैं। और 19-9-2001 से जिलाधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गयी थी जो समाप्त कर दी गयी थी वह समाप्त कर दी गयी है अब सिंचाई विभाग ही उस तारीख के बाद से पड़ताल करेंगे। माननीय सदस्य किन्हीं गाँव विशेष, किसान विशेष के बारे में उस पीरियड का दे दें तो जाँच हो जाय। यह किसान का मामला है हम हर तरह से उन्हें सुरक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आप पूरा विवरण दे दें हम जो विवरण देगें उसको विश्वसनीय मानकर किसान को राहत मिलनी चाहिए, उसकी जाँच एक महीने के अन्दर कराकर राहत से भी अवगत करा देंगे।

(इस समय 11 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी) पीठासीन हुए।)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, पूरे जनपद बांदा में बिजली की कमी से ट्यूबवेल खराब होने की वजह से सिंचाई नहीं हो रही है और दूसरी ओर बराबर सींच चढ़ रही है। तो पूरे जनपद में यह समस्या है तो वहाँ की समस्या को देखते हुए आप उनकी सींच माफ करा देंगे? कितने ट्यूबवेल वहाँ बन्द हैं कितनी बिजली नहीं रही और पानी नहीं पहुंचा यह देखेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जाँच कराने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन अवधि लम्बी है। पूरे जिले के नलकूपों के संचालन की स्थिति से आप अवगत होना चाहते हैं वह भी करा देंगे। लेकिन मान्यवर, आप सभी जानते हैं कि कोई नलकूप चला होगा चार किसानों को पानी मिला होगा और पाचवें छठें किसान पर सींच दर्ज हो गयी। तो जो अधिकारियों की रिपोर्ट होगी वह उस पीड़ित व्यक्ति को राहत नहीं दे पायेंगे इसलिए मैंने कहा कि जो सही अर्थ में पीड़ित है उसे सही ढंग से राहत मिल सके तो उसमें आप भी सहयोग करें हम भी सहयोग करें ताकि उस गरीब आदमी को राहत मिल सके। पूरे जिले की रिपोर्ट चाहेंगे तो उसमें समय लगेगा हम उपलब्ध करा देंगे।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, यह केवल बांदा से ही नहीं पूरे प्रदेश से जुड़ा सवाल है। मान्यवर, सरकार ने भी कहा कि 1999 और 2001 के बीच में जो सिंचाई की जमाबन्दी की वसूली के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था, जिलाधिकारी ने अपने एस०डी०एम० और एस०डी०एम० ने लेखपाल को कहा। मान्यवर, घाटमपुर में कई ऐसे कृषक हैं, जहाँ नहर नहीं है माइनर नहीं है न नलकूप हैं, लेखपालों

ने खसरा खतौनी देखकरके पड़ताल कर दी और उनकी रिकवरी तहसील में आ गयी यह पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है चूँकि एक साल जिलाधिकारी ने इसकी पड़ताल कराई है और यह घर बैठे पूरी पड़ताल कर उन्होंने भेज दिया है तो सारे लोगों की आरसी कटी हुई तहसील में पड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो यह विसंगतियां हुई हैं जिलाधिकारी की देखरेख में मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि अब हमने पुनः सिंचाई विभाग को दे दिया है तो सिंचाई विभाग के कर्मचारी पड़ताल करेंगे तो जो पूर्व में गलत सिंचाई पड़ताल हुई है, लेखपालों के द्वारा और उसकी आरसी तहसीलों में पहुँच गयी है। मैंने तो कई जगह कह दिया है कि मत जमा करिये जब वहाँ पानी जाने का साधन ही नहीं है तो उन कृषकों से जो वसूल किया है तो क्या उसकी जाँच कराकर सरकार माफ कर देगी? मान्यवर, जब किसान ने पानी नहीं लिया तो सिंचाई शुल्क किस बात की दें तो क्या इसकी जाँच कराकर माफी दिलायेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न के उत्तर में यह कह दिया था कि जिन जिन गांवों में जिन जिन किसानों को शिकायत हो तो वह दे दे वे उसकी जाँच करा लेंगे। अन्त में उन्होंने यह भी कह दिया कि अवधि लम्बी लगेगी इसलिये यह उचित होगा कि आप उस पर्टीकुलर गाँव, किसान का नाम कुछ तो दे दें जिसके नाते आसानी से जाँच हो जाये।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, प्रश्न तो बांदा जनपद से संबंधित था मैंने इतना ही कहा कि जो उपयोग किया था वह पूरी तरह से संतोषजनक सफल नहीं हुआ है लेकिन माननीय सदस्य ने कह दिया कि वहाँ पूरी सिंचाई ही नहीं हुई इसका मतलब तो यह है कि जितने समय तक जिलाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गयी थी उस समय तक न नहरें चलीं, न लिफ्ट नहरें चली, न नलकूप चले तब तक तो पूरे प्रदेश में सिंचाई नहीं हुई और उस दृष्टि से सिंचाई गलत थी। यह स्वीकार करने योग्य नहीं। लगातार नहरें भी पूरी क्षमता से चली हैं जहाँ पर बिजली मिली है उतनी देर पम्प नहरें भी चली हैं मै पूरे सदन में कह रहा हूँ कि जिसके-जिसके क्षेत्र में जिस किसान को इससे शिकायत है विशेष रूप से जिसके विरुद्ध आर०सी० कटी है सिंचाई शुल्क के लिए कटी है मैं निश्चित रूप से उसकी प्राथमिकता से जांच करा लूंगा और अगर गलत सिद्ध हुआ तो निश्चित रूप से उसको राहत दिलायेंगे यह शासन की नीति है और जहां तक यह कहा कि कहीं सिंचाई नहीं हुई तो यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सवाल देखने की कृपा करें जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में विगत तीन वर्षों से बिना पड़ताल के किसानों से बिना खेत सींचे सिंचाई शुल्क लिया जा रहा है? यदि हां तो सरकार ने प्रदेश में सिंचाई पड़ताल की कोई व्यवस्था की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? तो मान्यवर, यह प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है और सिंचाई मंत्री जी एक विद्वान मंत्री हैं और विगत कई वर्षों से मंत्री हैं। और व्यावहारिक भी हैं। इस साल जितना बड़ा संकट बिजली के कारण या नहरों में पानी न आने के कारण, सूखे के कारण हुआ है और कभी पानी एक साथ छोड़ देने के कारण हुआ है। माननीय मंत्री जी कहीं-कहीं आपकी नहरें कमजोर हैं, टूट गयी हैं.तो बगैर सिंचाई के जो खेतों में पानी चला गया। जो बीच में व्यवस्था किया था जिलाधिकारियों के माध्यम से और हमारे जो ट्यूबवेल के आपरेटर्स थे उनको बहुउद्देशीय कर्मी बना करके विकास खण्डों में अटैच कर दिया गया था। जो बिजली नहीं आई नहर में पानी नहीं गया लेकिन जो व्यवस्था में लोग लगाये गये थे उन लोगों ने पुराने रिकार्ड को देख करके और उन किसानों की सिंचाई दर्ज करके वसूली करने के लिए आर०सी० कटवा दी है। मैं विनम्रता से अनुरोध करते हुए जानना चाहता हूं कि जो किसान अगर इस तरीके से गलत सिंचाई में फंस गये हैं वसूली हो गयी है, उसके लिए स्थानीय स्तर पर कोई व्यवस्था करायेंगे जिससे इन किसानों को राहत मिल सके? क्योंकि किसान दौड़ते-दौड़ते परेशान हो जाते हैं। नहर में सूखा रहने के कारण उनकी सिंचाई दर्ज करके आर०सी० काटी गयी है उसकी जांच कराकर क्या उसे माफ करने का काम करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है, इसलिए इसका जवाब जरूर दूंगा। 01-07-1999 से 22-09-2001 तक अर्थात् जब सींचपाल और नलकूप चालक के बीच नयी व्यवस्था लागू करके बहुउद्देशीय कर्मी बना दिये गये थे। उस पीरियड में यह काम जिलाधिकारियों के माध्यम से लेखपालों द्वारा किया जाना चाहिए था। उस पीरियड की स्थिति एक साल पुरानी हो चुकी है और यह भी जांच स्थानीय स्तर पर ही उन्हीं लेखपाल, एस०डी०एम० और जिलाधिकारियों को करनी थी वहां भी शिकायतें सुनी गयी। जिन लोगों की नहीं सुनी गयी उनको कहा जा सकता है कि इनकी भी सुन लें। अब 19-09-2001 के बाद जो सिंचाई विभाग की पूर्व व्यवस्था थी वह व्यवस्था पुनः लागू कर दी गयी है और पूरी जांच पड़ताल करने से लेकर सिंचाई सुविधा देने तथा शुल्क निर्धारण तक का काम सिंचाई विभाग कर रहा है। एक बात माननीय सदस्य ने कहा कि जिन किसानों के खेतों में पानी नहीं गया और उन्हें सिंचाई शुल्क देनी पड़ रही है, उनके ऊपर शुल्क निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था से पूर्व ही इस शासन के मेरे ही मंत्रित्वकाल में एक आदेश दिया गया था कि किसानों के हित के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जहां किसान और विभाग के बीच विवाद हो कि पानी मिला है कि नहीं मिला, वहां पर निर्णय किसान के पक्ष में किया जाये। यह स्पष्ट निर्देश है और वह आज भी लागू है। इसलिए मैं पूरे सदन से कहना चाहूंगा कि किसान बंधुओं के हित में उनको राहत देने के लिए जो टेल क्षेत्र के किसान होंगे, हो सकता है बिजली न मिलने के कारण उन तक पानी न पहुंच पाया हो। नहरें टूट जाने के कारण या पानी की मांग अधिक होने के कारण कुछ टेल क्षेत्रों के किसानों के खेतों में पानी पहुंचने का विवाद है। किसान कह रहा है कि पानी नही मिला और अधिकारी कह रहे है, कि मिला तो ऐसे केसेज में समयबद्ध जांच कराकर उन किसानों को राहत दिलाने की कार्यवाही हम करेंगे।

श्री राम विशुन आजाद–

*2– [आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में धार्मिक नगरी वाराणसी सहित अन्य धार्मिक नगरों में भी शराब की दुकानों पर प्रतिबन्ध की मांग

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

*3– क्या आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में धार्मिक नगरी वाराणसी सहित अन्य नगरों में शराब की दुकान खोलने एवं बेचने पर जनहित में प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हां, तो वे कौन-कौन नगर हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार वाराणसी नगर में शराब की दुकानों को प्रतिबन्धित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां। प्रदेश के वाराणसी नगर में केवल बाबा विश्वनाथ मंदिर के एक किलोमीटर की परिधि में शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबन्ध है।

प्रदेश के निम्न नगरों में मद्य निषेध निम्नानुसार लागू है :–

(1) वाराणसी नगर में बाबा विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा नगर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के एक किलोमीटर की परिधि में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबन्ध 1 अप्रैल, 1998 से लगाया गया है।

(2) इलाहाबाद में संगम के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि में।

(3) चित्रकूट जनपद में चित्रकूट धाम के 1.6 किलोमीटर की परिधि में।

(4) फैजाबाद में अयोध्या नगरपालिका क्षेत्र में।

(5) सहारनपुर में देवबन्द।

(6) बाराबंकी में देवा शरीफ के 1.6 किलोमीटर की परिधि में।

जी नहीं। वाराणसी नगर में उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में शराब दुकानों को प्रतिबंधित करने का सम्प्रति कोई विचार नहीं है।

वाराणसी प्रदेश का एक बड़ा नगर एवं प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है। वाराणसी में देश, विदेश से भारी संख्या में पर्यटक वर्षभर आते रहते हैं। इस नगर में तीन, चार व पांच सितारा होटल भी स्थित हैं।

वाराणसी नगर क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिये जाने से जहां भारी आबकारी राजस्व की क्षति होगी, वहीं नगर की जनता अवैध स्रोतों से मदिरा प्राप्त कर उपभोग करेगी, जिससे किसी भी समय भयंकर विषाक्त काण्ड जैसी घटनायें घट सकती हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी शराब की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिये जाने से कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। अतः राजस्व एवं जनहित में वाराणसी नगर में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, एक अच्छी और आदर्श स्थिति यह होती है कि यदि राजस्व की तुलना में सरकार शराबबन्दी को तरजीह दे। लेकिन मुझे खेद है कि ऐसा अभी संभव नहीं हो पाया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जनहित में वाराणसी नगर में ऐसा करना संभव नहीं है। मान्यवर, शराब सिर्फ परिवारों के लिये नही बल्कि सामाजिक अभिशाप भी है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि वाराणसी प्रदेश का एक बड़ा नगर एवं प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है और वहां तीन, चार और पांच सितारा होटल भी हैं। मैं उनको यह जानकारी देना चाहता हूं कि वाराणसी या काशी सितारा होटलों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि वह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। माँ गंगा वहां बहती हैं, बाबा विश्वनाथ का मन्दिर है और कई विश्वविद्यालय हैं। इस तरह से इन कारणों से काशी की पहचान है और वह धार्मिक नगरी है और सारे विश्व से लोग तीर्थ करने वहाँ आते हैं। अच्छा होता, काशी में पूर्णरूप से शराबबन्दी लागू कर दी जाती, लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जनहित और राजस्व हित को देखते हुए यह संभव नहीं है। जो उन्होंने सूची दी है, उसमें कई शहरों में उन्होंने कि०मी० में परिधि तय की है। वाराणसी में एक कि०मी० बताया है, चित्रकूट जनपद में 1.6 कि०मी०, फैजाबाद में पूरी अयोध्या में, बाराबंकी में 1.6 कि०मी० की परिधि में, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं और जानकारी भी चाहता हूं कि वाराणसी की इन वैशिष्ट्य को देखते हुए और जनता की मांग को देखते हुए, यदि माननीय मंत्री जी शराबबन्दी लागू नहीं कर पा रहे हैं, तब तक क्या इसकी परिधि को बढ़ाने पर विचार कर लेंगे? माननीय मंत्री जी ने चिन्ता की है कि वहां 3-4 सितारा होटल हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा विश्वनाथ मन्दिर और इसकी 5 कि०मी० की दूरी के बाद ही यह होटल स्थित हैं तो सम्प्रति 1 कि०मी० की परिधि को बढ़ाकर 2 कि०मी० निषिद्ध क्षेत्र कर देते हैं तो भी इन होटलों पर कोई इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिये काशी के वैशिष्ट्य को देखते हुए, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी को देखते हुए एक कि०मी० की परिधि को 2 कि०मी० करने पर विचार करेंगे, क्या यह आश्वासन देंगे?

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है कि राजस्व को ध्यान में रखकर किया गया है। पूरा उत्तर मैंने माननीय सदस्य के सामने पढ़ा है, लिख के भी दिया है, उसमें राजस्व एक उसका भाग है। मैंने यह भी कहा है कि अगर पूरी तरह से बन्दी कर दी जाएगी तो अवैध शराब का धन्धा बढ़ जायेगा, बड़े पैमाने पर अवैध शराब प्रयोग की जाएगी वहां अपराधियों का एक अड्डा बन जाएगा और राजस्व की हानि भी होगी। माननीय सदस्य ने 2 कि०मी० की बात की है तो मैं इसे दिखवा लूँगा और अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो विचार किया जाएगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, निषिद्ध एरिया जो एक कि०मी० है उसकी परिधि को बढ़ाने का विचार ही नहीं बल्कि इसके लिए शासनादेश को निर्गत करने का काम करें। मान्यवर ऐसा देखने में आता है कि इस निषिद्ध एरिया में भी, विभाग की मिलीभगत के कारण अनेक लाइसेन्स जारी कर देते हैं जिसकी वजह से एक कि०मी० निषिद्ध क्षेत्र की जनता आन्दोलित हो रही है, धरना देना पड़ रहा है, लाठीचार्ज होता है, तब जाकर के प्रशासन यह मानता है कि यह एक कि०मी० की परिधि के अन्दर है, इसलिए इसको बैन किया जाता है। प्रशासन की मिलीभगत से इस बीच लाइसेन्सधारी जाकर के कोर्ट से स्थगनादेश ले आता है और वह आराम से दुकान खोल करके बिक्री कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक कि०मी० जो स्थिति है इसके अतिरिक्त और कौन से मानक हैं, जिनको लाइसेन्स देने से पहले शासन द्वारा विचार करना चाहिए? वह कौन से विचारणीय बिन्दु हैं?

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, दुकान देने से पहले ही उनसे एक तरह से बाण्ड भरवा लिया जाता है कि एक कि०मी० या जितनी भी दूरी निर्धारित की गई है, उसके अन्तर्गत आप दुकान नहीं खोलेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि यह मिलीभगत से होता है तो अगर ऐसा कोई प्रकरण इनकी जानकारी में है तो वह लिख करके हमें दे दें तो मैं उसे देख लूँगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, एक कि०मी० के निषिद्ध क्षेत्र में दुकानें तो खोल ही रहे हैं, दूसरी बात इस एक कि०मी० के अलावा कहीं भी शराब की दुकान खोलने के पहले सामाजिक हित में, जन हित में जैसे स्कूल, कालेज, विद्यालय, ऐसे कौन से विचारणीय बिन्दु हैं जिनको प्रशासन ध्यान में रखकर लाइसेन्स देने का काम करती है, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री अधिष्ठाता–

वैसे इस सम्बन्ध में पहले से ही शासनादेश है, लेकिन फिर भी आप बता दें कि कौन-कौन सी चीजों को देख कर के लाइसेन्स दिया जाता है, यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, यह जो व्यवस्था है, जो भी धार्मिक स्थल हैं, स्कूल हैं, मदरसे हैं, यह सिर्फ वाराणसी में ही नहीं जहां कहीं भी हैं उसके निकट कोई भी मदिरा की दुकान नहीं खोली जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अधिष्ठाता जी, जो मानक मंत्री जी ने बताये हैं ये मानक आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं और सभी को मालूम है। आपने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि कहीं कोई खास शिकायत है तो विधायक जी लिखकर दे दें इसके लिए आपको शुक्रिया। लेकिन अगर किसी चीज के मानक हैं तो किसी विधायक से आप उम्मीद करें कि किसी खास शिकायत पर बल दे दें, यह कोई मजबूत सरकार का काम नहीं है। मानक है और रोज शिकायतें भी आती हैं। शराब की दुकानें, स्कूलों के करीब, धार्मिक स्थलों के करीब, ऐसी जगहों पर हैं जो मानकों में नहीं आते। अब मुझसे भी मंत्री जी कहें कि मैं लिखकर दे दूं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप जैसा बड़ा नेता न हो जिसकी अप्रोच विधायक तक नहीं है, तो वह विधायक जी को कहां ढूँढ़ता फिरेगा? जब एक मानक है तो जिलाधिकारी से कहिये उसका पालन होना चाहिए। आम आदमी जब जिलाधिकारी से कहता है तो वह मदद नहीं करते, एप्लीकेशन लेकर रख लेते हैं, जांच के आदेश हो जाते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि विधायक जी लिखकर दे दीजिए। 15 साल हो गये हमारे रामपुर में एक शराब की दुकान नहीं हटी। पचास जिलाधिकारी चले गये। लेकिन वह दुकान नहीं हटी। शराब की दुकान करने वालों की ताकत क्या आपको मालूम नहीं

होती है उसकी ताकत मुख्यमंत्री कार्यालय तक होती है तो कैसे शराब की दुकान हट जायेगा? यह आश्वासन होना चाहिए कि विधायक के सिफारिश की जरूरत नहीं, मंत्री जी के अहसान की जरूरत नही, यह घोषणा होनी चाहिए कि जो मानक है उसके हिसाब से सख्ती से पालन किया जायेगा और दुकान बन्द की जायेगी।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जानकारी दी है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पता नहीं बड़ा नेता कौन है, उसका पैमाना मुझे नहीं मालूम। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि 15 साल में कौन-कौन से मुख्यमंत्री शामिल हैं, यह बताना उचित नहीं होगा अगर 15 साल की बात है तो जो-जो रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हम नहीं कर सके इसलिए यहाँ बैठे हैं यह जो सत्ता में बैठे हैं, यह कहकर बात को टाल नहीं सकते कि पिछले 15 साल तक नहीं कर सके। अगर हम कर सके होते तो वहाँ होते, मैं मानता हूं कि नहीं कर सका इसलिए यहाँ बैठे हुये हैं। यह कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते, यह कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि 15 सालों में कौन-कौन मुख्यमंत्री रहा?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि जिन मानकों को सूचित किया गया है और यह बताया गया कि किन-किन स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए। उसी को एक बार और स्पष्ट करके सभी जिलों को शासनादेश भेज दिया जाये। उसके बाद अगर आप उसमें अन्तर पाते हैं तो स्वभाविक है कि आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, आज ही निर्देश दे दूंगा।

श्री राम इकबाल सिंह

मान्यवर, कल हमारे क्षेत्र में जनता ने सड़क जाम किया था....

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मैं माफी चाहूँगा, मेरा जवाब नहीं आया है। विपक्ष पर कटाक्ष करके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। हम नहीं कर सके, हम भोग रहे हैं, आप सत्ता में हैं इसलिए आपको जबाव देना होगा। रामपुर जिले में एक गर्ल्स डिग्री कालेज है और पास ही में दो गर्ल्स कालेज और हैं। गर्ल्स कालेज के दरवाजे से 100 मीटर के फासले पर दो शराब की दुकानें हैं लेकिन वह आज तक नहीं हटे। आप 15 साल का ब्यौरा लेंगे, आप सत्ता में बैठे हुये हैं, आपको इसका जबाव देना पड़ेगा। यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बावरिया गिरोह और कच्छा बनियान गिरोह था मारकर चला गया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जो भी दुकानें आवंटित की जाती हैं वह मानक के आधार पर की जाती हैं। आपकी पीठ से जो निर्देश हुआ है वह सर माथे पर लेकिन हमने जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को पहले से निर्देश दे रखे हैं। आज पुनः निर्देश जारी कर दूँगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह गम्भीर मामला है, मैं आपको बताता चलू, जब हम सत्ता में थे तो वह दुकानें हटवा दी गयी थी लेकिन जब सत्ता में दूसरे लोग आये तो उसको प्रेस्टीज इशू बना लिया गया और फिर उन्हीं स्थानों पर दुकानें खुलवा दी गयी। जबकि वहाँ पर एक गर्ल्स डिग्री कालेज,

दो और गर्ल्स कालेज हैं, 50-50 गज की दूरी पर और भी स्कूल हैं। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि आपके शासनकाल में हुआ है और आपने कराया है। आप सत्ता में हैं इसलिए आश्वासन मिलना चाहिए कि जो दुकानें इतनी करीब हैं और मानकों के खिलाफ हैं, वह दुकानें हटेंगी। मान्यवर, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ 100-200 मीटर के फासले पर एक दो नहीं चार पाँच कालेज हैं, वहाँ पर जिद करके और व्यक्तिगत रूप से हमें अपमानित करने के लिए दुकानें खुलवायी गयी हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, हमने अपमानित करने के लिए कोई काम नहीं किया। जो भी दुकानें हैं मानक के अनुरूप स्थलों का सत्यापन कराया जा रहा है।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी मंत्री जी के लिखित उत्तर में बाराबंकी के देवा मेला का जिक्र आया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देवा मेला के लिए 1.6 कि०मी० परिधि का मानक बनाया गया। क्या आपको महादेवा व हेत्मापुर के विषय में जानकारी है, वहाँ पर प्रदेश भर से श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें हैं क्या इसको ध्यान में रखकर कि वहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं कोई मानक बनाया जायेगा। जो मानक है उसके अन्तर्गत अगर नहीं है तो क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

श्री राम इकबाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंदिर, स्कूल या धार्मिक स्थल के जो मानक तय हुये हैं इसका पालन होना चाहिए। कल हमारे विधान सभा क्षेत्र के चिलकहर में जनता ने रास्ता जाम किया था कि मंदिर से 15 गज की दूरी पर जो शराब की दुकान है वह दुकान हटा ली जाये क्योंकि दुकान इतनी पास में है कि मंदिर के चबूतरे पर बैठकर लोग शराब पीते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी उस दुकान को हटवा देंगे और अगर हटवा देगें तो कितने दिन में ? जिन अधिकारियों ने वह दुकान करवायी है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

माननीय सदस्य लिखकर दे दें, मैं इस पर कार्यवाही करूँगा।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मानक निर्धारित है दूकानों के आवंटन के लिए। मा० नेता प्रतिपक्ष ने अपने रामपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि दो-दो दुकानें इतने दिनों से चल रही हैं, आपकी पीठ से निर्देश हुआ, मंत्री जी ने कहा कि आज ही आदेश जारी कर दूंगा। मा० नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया। क्या रामपुर की इन दोनों दुकानों को जो मानक है, उनके विरुद्ध खुली हैं उनको निरस्त करने के बारे में विचार करेंगे?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मैंने पहले कहा है कि उसको दिखवा लेते हैं। जो भी बातें सदन में जिन माननीय सदस्यों ने रखी हैं जिन–जिन जगहों की रखी हैं मैं उसको दिखवा लेता हूँ। मानक के अनुरूप अगर नहीं हैं तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

सहारनपुर जनपद में मुख्य चौराहे घंटाघर में भगवान राम की प्रतिमा के सामने एक शराब की दुकान है मैं आग्रह करूंगा कि उसको हटवाने का कष्ट करें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मैंने पूरे उत्तर प्रदेश की बात कही है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। पुनः आज निर्देश जारी कर दिया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु घोषित समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रदेश में गेहूँ की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किये जाने हेतु उपाय

* 4-श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु घोषित समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रदेश में गेहूँ की खरीद का क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो वह लक्ष्य क्या है? निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गेंहूँ खरीद के लिए सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बाबूराम एम० काम०) –

जी, हां।

गेहूं खरीद वर्ष 2002-2003 में रुपया 620/- प्रति कुन्तल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रदेश में 25.00 लाख मी० टन गेहूँ क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रबी खरीद वर्ष 2002-2003 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय करने हेतु शासनादेश संख्या पी–525/29- खाद्य–5-2002-5(34)/2002, दिनांक 04 अप्रैल, 2002 जारी किया गया है। जिसमें लक्ष्य के अनुसार गेहूँ खरीद के लिए विस्तृत उपायों का उल्लेख किया गया है।

उक्त शासनादेश की 05 प्रतियां + मा० सदस्य के अवलोकनार्थ सदन के पटल पर रख दी गयी है।

प्रश्न नहीं उटता।

परिवहन निगम में संविदा पर कार्यरत चालकों एवं परिचालकों को नियमित करने के सम्बन्ध में जानकारी

* 5—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में परिवहन निगम में संविदा पर कार्यरत चालकों एवं परिचालकों को नियमित करने पर क्या सरकार विचार कर रही? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

संविदा पर चल रहे चालकों/परिचालकों का प्रयोग केवल संचालन की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है। संविदा पर कार्यरत व्यक्ति को नियमित किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

+ लगी नहीं गई है।

नोट :– नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में सूखे की स्थिति में खरीफ की फसल की बुआई हेतु नहरों को संचालित कराये जाने की मांग

* 6—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में इस वर्ष सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार खरीफ की फसल की बुआई के लिये नहरों को पूर्ण क्षमता से संचालित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां, नदियों तथा जलाशयों में पानी की उपलब्धता व मांग के अनुसार नहरों को यथा सम्भव पूर्ण क्षमता से संचालित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई ब्लाक सुरसा के ग्राम मंझिला के प्राथमिक विद्यालय में हैण्ड पम्प की व्यवस्था कराये जाने की मांग

* 7—श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि माह जून, 2002 में हरदोई जनपद के ग्राम मंझिला, ब्लाक सुरसा में एक बालिका की मृत्यु स्कूल में पीने का पानी न होने के कारण हो गई? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए प्रदेश के सभी प्राइमरी व जू० हा० स्कूलों में हैण्ड पम्प लगवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय ग्राम मंझिला की छात्रा की मृत्यु माह 4/5 जुलाई, 2002 को किसी बीमारी के कारण हुई।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में हैण्डपम्प की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में विकास खण्ड रामपुर मथुरा महमूदाबाद में बन्द विद्यालयों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

* 8—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में विकास खण्ड रामपुर मथुरा, महमूदाबाद, पहला के अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने प्राइमरी एवं जू०हा० स्कूल बन्द हैं तथा उनके बन्द होने का कारण क्या है? क्या सरकार उक्त बन्द पड़े स्कूलों को समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत पुनः चालू करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा के 04 प्राथमिक एवं 02 पूर्व माध्यमिक तथा विकास क्षेत्र पहला के मात्र 02 प्राथमिक विद्यालय बन्द थे। विकास क्षेत्र महमूदाबाद का कोई भी विद्यालय बन्द नहीं है। जनपद में शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल बन्द थे।

जी हां। उक्त सभी बन्द विद्यालयों के संचालन हेतु शिक्षकों की व्यवस्था करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ की व्यवस्था

*9—श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा मित्रों की भांति उक्त विद्यालयों में भी कोई व्यवस्था करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश के सहायता प्राप्त 4435 माध्यमिक विद्यालयों के कुल 99,826 पदों में संस्था प्रधान के 1072 प्रवक्ता के 1557 एवं सहायक अध्यापक के 6191 कुल 8820 पद रिक्त हैं।

वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रु० 5000/- प्रतिमाह के निश्चित मानदेय पर एक शिक्षा सत्र में 10 माह के लिए विषय विशेषज्ञ की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत महाविद्यालयों के शिक्षकों के नवीन वेतनमान/विनियमितीकरण का प्रकरण

*10—श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कार्यरत महाविद्यालयों के शिक्षकों के नवीन वेतनमान निर्धारित किए जाने तथा उनका विनियतीकरण किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 12-4-2002 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जी हां।

जी नहीं।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-4-2002 के विरूद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० योजित की गई है।

जनपद जालौन के नगर जालौन में संचालित जालौन बालिका इण्टर कालेज में छात्राओं के प्रवेश के नाम पर दान/चन्दा लिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की कार्य योजना

*11—श्री माता प्रसाद पाण्डेय –

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के नगर जालौन में संचालित जालौन बालिका इन्टर कालेज में विगत कई वर्षों से छात्राओं से प्रवेश के नाम पर भारी दान/चन्दा लेने की शिकायतों की जांच सही पाए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन स्थान उरई द्वारा प्रेषित जांच आख्या पत्रांक 2991-92 दिनांक 20-09-2001 एवं पत्रावली पत्रांक 27 दिनांक 1-4-02 को संयुक्त शिक्षा निदेशक, मण्डल झांसी को प्राप्त हुयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार प्रदेश में माध्यमिक/उ० माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के नाम पर लिये जा रहे दान/चन्दे पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रबंधतंत्र जालौन बालिका इंटर कालेज, जालौन को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 डी (2) के अन्तर्गत दिये जाने वाली नोटिस का परीक्षण किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7 ग, व घ में निम्नवत् व्यवस्था है :—

7-ग—संस्था में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभावित करने पर रोक—किसी संस्था के प्रबंधाधिकरण से संबंधित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसी संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये किसी आदेश में विर्निदिष्ट दर पर फीस के सिवाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

7-घ—धारा 7-ख अथवा 7-ग का उल्लंघन करने के लिए शास्ति धारा (ख) अथवा 7 (ग) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माने से भी जो एक हजार रुपये से कम न होगा दण्डित किया जा सकेगा, और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसायटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसायटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझ कर और स्वेच्छा से ऐसा उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दण्डित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा समाप्त करने का प्रकरण

*12—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार व्यावसायिक शिक्षा समाप्त करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद रायबरेली की नन्दगंज सिरोही चीनी मिल को चलाये जाने का उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

1—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली की नन्दगंज सिरोही चीनी मिल को चलाये जाने पर सरकार विचार कर रही है। यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० की सहायक कम्पनी नन्दगंज सिरोही शुगर कम्पनी लि० के अधीन जनपद रायबरेली में संचालित की जा रही चीनी मिल को बन्द नहीं किया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1992-93 में संचित हानि, उसकी चुकता अंशपूंजी से अधिक होने के कारण कम्पनी को बी०आई०एफ०आर० में संदर्भित किया गया था। बी०आई०एफ०आर० द्वारा दिनांक 18-3-1996 से इसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित किया गया है।

दिनांक 31-5-2002 को सम्पन्न हुई इस कम्पनी के केस की सुनवाई में इसे बी०आई० एफ०आर० द्वारा वाइन्ड-अप करने की संस्तुति मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद अलीगढ़ में निचली गंगा नहर, नरोरा खण्ड की नहर में बस गिर जाने से बारातियों की मृत्यु का प्रकरण

2—श्री विवेक बंसल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निचली गंगा नहर, नरोरा खण्ड, अलीगढ़ में दिनांक 29-5-02 को नहर में बस गिर जाने के फलस्वरूप कुछ बरातियों की मृत्यु हो जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-7-02 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

विभागीय आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को बन्द कराये जाने का प्रकरण

3—श्री संजय गर्ग तथा श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान समय में जनपद सहारनपुर में कितने स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्या अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को सरकार बन्द करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्तमान समय में जनपद सहारनपुर में 92 स्थानों पर देशी शराब की दुकानें, 46 स्थानों पर विदेशी मदिरा की दुकानें एवं 30 स्थानों पर बियर की दुकानें स्वीकृत हैं।

जनपद सहारनपुर में कहीं भी अवैध रूप से शराब की दुकानें नहीं चल रही हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के घंटाघर चौराहे पर स्थित राम मंदिर की प्रतिमा के सामने से शराब का ठेका हटाये जाने का प्रकरण

4—श्री संजय गर्ग तथा श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धार्मिक स्थलों, विद्यालय के परिसर की सीमाओं एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब के ठेके दिये जाने पर प्रतिबन्ध हैं? यदि हां, तो क्या जनपद सहारनपुर के घंटाघर चौराहे पर स्थित राम मंदिर की प्रतिमा के सामने शराब का ठेका चल रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त शराब के ठेके को उक्त स्थान से हटायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

शराब के केवल नये ठेकों को धार्मिक स्थलों, विद्यालय की परिसर की सीमाओं एवं सार्वजनिक स्थानों पर दिये जाने पर आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के प्रस्तर-328 (4) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध है।

जनपद सहारनपुर के घण्टाघर चौराहे पर स्थित शराब का ठेका लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है।

आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के प्रस्तर-328 (4) में धार्मिक स्थल व स्कूल, कालेज आदि के समीप नई दुकान खोलने पर निषेध है। प्रश्नगत दुकान 20 वर्षों से अधिक समय से वर्तमान परिसर में चल रही है। अतः उक्त दुकान को हटाया जाना राजस्व हित में उचित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पर यात्री शुल्क के रूप में बकाया धनराशि

5—श्री धनन्जय सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम पर यात्री शुल्क के रूप में विगत तीन वर्षों से कुल कितना रुपया बकाया है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पर यात्री शुल्क (अतिरिक्त कर) वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-2002 में कुल रुपया 189.15 करोड़ बकाया है।

परिवहन विभाग का यात्री शुल्क, माल परिवहन शुल्क पथकर और अन्य करों के सरकारी/ निजी फर्मों/ संगठनों/उपक्रमों पर बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही

6—श्री धनन्जय सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग का यात्री शुल्क, माल परिवहन शुल्क, पथकर और अन्य करों के रूप में सरकारी या निजी फर्मों/संगठनों/उपक्रमों पर कुल कितनी धनराशि बकाया है? सरकार ऐसे बकायों की वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जुलाई, 2002 तक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर यात्रीकर/अतिरिक्त कर रु० 414.32 करोड़ बकाया है। पथकर समाप्त हो चुका है। निजी क्षेत्र की वाहनों पर मार्गकर रु० 4.86 करोड़, मालकर रु० 5.31 करोड़ एवं यात्रीकर/अतिरिक्त कर रु० 9.35 करोड़ कुल रु० 19.52 करोड़ बकाया है।

परिवहन निगम की बकाया वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के वाहनों पर बकाये की वसूली हेतु मुख्यालय, जोन, सम्भाग स्तर पर समीक्षा करके बकाया धनराशि के मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं तथा जिलाधिकारी को भू-राजस्व की तरह बकाया वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। इसके अलावा मार्ग पर चेकिंग करके भी वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण कोष/सिक्रेट फण्ड या अन्य मदों से पत्रकारों/प्रेस क्लबों एवं पत्रकार संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध किये जाने का प्रकरण

7—श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण कोष/सिक्रेट फण्ड या अन्य मदों से पत्रकारों/प्रेस क्लबों एवं पत्रकार संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी है? यदि हां, तो कितनी?

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर, दिलदार नगर, के राजकीय बालिका इण्टर कालेज में एल०टी० ग्रेड व सी०टी० ग्रेड की अध्यापिकाओं की रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

8—श्री राम किशुन—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, दिलदार नगर, जनपद गाजीपुर में कितने प्रवक्ता एल०टी० ग्रेड व सी०टी० ग्रेड की अध्यापिकाओं के पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं? क्या यह भी सही है कि अध्यापिकाओं की कमी के कारण अध्यापन कार्य नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

05 प्रवक्ता एवं 5 एल०टी० वेतनक्रम की अध्यापिकाओं के पद रिक्त हैं। सी०टी० ग्रेड मृत संवर्ग है।

01 प्रवक्ता एवं 05 एल०टी० वेतनक्रम की अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

जी नहीं।

उपलब्ध अध्यापिकाओं से ही अध्यापन कार्य कराया जा रहा है।

चयनित अभ्यर्थी आयोग से उपलब्ध होने पर प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी, एल०टी० वेतनक्रम के पदों को भरने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सह आसवानीयुक्त उद्योगों द्वारा अल्कोहल का उठान/उद्योगों को सह आसवानी उद्योगों का दर्जा देने का औचित्य

9—डा० अशोक बाजपेयी—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सह आसवानी युक्त उद्योगों द्वारा विगत दो वर्षों में कितना अल्कोहल का उठान किया गया? क्या देय राजस्व के हिसाब से उद्योगों द्वारा पैसा जमा किया गया? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो नियमानुसार फीस न जमाकर रहे उद्योगों को शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शीरे का आरक्षण किस उद्देश्य से किया गया? क्या यह भी बतायेंगे कि उद्योगों को सह आसवानी उद्योगों का दर्जा देने का औचित्य क्या है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

सह आसवनीयुक्त उद्योगों द्वारा विगत 2 वर्षों में 31, 32, 44, 794.70 बल्क लीटर अल्कोहल का उठान किया गया है।

हां।

सह आसवानीयुक्त उद्योगों से विगत 2 वर्षों में रु० 9, 07, 68, 566.50 राजस्व प्राप्त हुआ है।

सह आसवानीयुक्त उद्योगों के लिये शीरे का आरक्षण नहीं किया जा रहा है।

रासायनिक उद्योग एवं आसवानी एक ही स्वामित्व के अधीन होने के कारण ही सह आसवानीयुक्त उद्योगों का दर्जा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2000 से 2002 तक कोरियर एजेंसियों को सूचना विभाग द्वारा डाक दर के भुगतान की जाँच सम्बन्धी कार्यवाही

10—श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना निदेशालय, उ०प्र० में कुल कितनी कोरियर एजेंसियां पंजीकृत हैं तथा उनकी अलग-अलग सेक्शनों की दरें क्या हैं? क्या यह सही है कि एक कोरियर एजेंसी निरीक्षा शाखा से सात रुपये प्रति नग तथा निकासी शाखा से पैंतालिस रुपये प्रति नग भुगतान ले रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 2000-2001, 2001-2002 में किन-किन कोरियर एजेंसियों को सूचना विभाग द्वारा डाक ले जाने के लिए किस-किस दर पर कुल कितने - कितने रुपयों का भुगतान हुआ? क्या सरकार उक्त की जांच करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

सूचना निदेशालय में वर्तमान में दो कोरियर एजेंसी पंजीकृत है। प्रथम कोरियर एजेंसी श्रीमंत पी०सी०एफ० कोरियर की दरें निम्नवत है:–

क–प्रत्येक लिफाफा

(1 कि०ग्रा० भार तक) रुपया 12—प्रति लिफाफा

ख–प्रत्येक लिफाफा

(2 से 3 कि०ग्रा० भार तक) रुपया 25—प्रति लिफाफा

ग–3 कि०ग्रा० वजन से अधिक लिफाफा पी०सी०एफ० कोरियर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

निरीक्षा शाखा के कार्य हेतु अनुबन्धित द्वितीय कोरियर एजेंसी श्रीमंत इंटरनल कोरियर की दरें निम्नवत् है:–

क–प्रत्येक लिफाफा

(1 कि०ग्रा० तक) रुपया 7— प्रति लिफाफा

ख–प्रत्येक लिफाफा–

(1 कि०ग्रा० अतिरिक्त भार बढ़ने पर) प्रत्येक अतिरिक्त कि०ग्रा० के लिए रुपया 7/= अतिरिक्त भुगतान अर्थात् 2 कि०ग्रा० के लिफाफे के लिए रुपया 14/— की दर होगी।

चूंकि निरीक्षा शाखा में सामान्य रूप से भेजे जाने वाले लिफाफे एवं बंडल का वजन 1 से 1.5 कि०ग्रा० के आस-पास का होता है। अतः अधिक भार वाले बंडल की दर निरीक्षा शाखा से उक्त दरें स्वीकार करते समय निर्णित नहीं की गयी।

माह सितम्बर, 2001 में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासन की नीतियों के प्रचार-प्रसार के लिए समस्त सामग्री अविलम्ब ग्राम प्रधानों तक पहुंचायी जाय। इसके अतिरिक्त तत्कालीन मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम प्रधानों को सम्बन्धित पत्र एवं पंचायती राज विभाग द्वारा लिए गये निर्णयों को ग्राम प्रधानों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। उक्त समस्त सामग्री का कुल भार जनपदवार 25 कि०ग्रा० से 80 कि०ग्रा० तक का था एवं जिसकी कोई दर तय नहीं थी। अतः अधिक भार वाले बंडलों को जनपदों तक कोरियर के माध्यम से भेजने के लिए दरें निकासी शाखा ने टेण्डर के माध्यम से प्राप्त की, जिसमें न्यूनतम दर रुपया 45/- कि०ग्रा० आई और उसी को अंतिम किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के समस्त जिलों में बंडल (प्रचार साहित्य) भेजने हेतु नियमानुसार न्यूनतम दर पर कार्य कराया गया। अतः जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस वर्ष के लिए पुनः दरों के निर्धारण हेतु टेण्डर आमंत्रित किया गया है।

प्रथम कोरियर एजेंसी श्रीमंत पी०सी०एफ० कोरियर को रुपये—76,766.00 तथा वित्तीय वर्ष 2000–2001 में पंजीकृत श्रीमंत पेसिफीक कोरियर को रुपये—52,071.00 का भुगतान किया गया।

द्वितीय कोरियर एजेंसी श्रीमंत इण्टरनल कोरियर एजेंसी को निम्नानुसार भुगतान किया गया।

2000–2001	रुपया 1,46,637.00
2001–2002	रुपया 21,35,610.00

चूंकि दरों का निर्धारण नियमानुसार न्यूनतम दरों पर किया गया है अतः जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

उप निदेशक शिक्षा कार्यालय बरेली में अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण का प्रकरण

11—श्री वीरेन्द प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक शिक्षा कार्यालय बरेली में कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे नियुक्त हैं जिन्हें दस वर्ष से अधिक हो गया है? क्या सरकार उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

मात्र एक वरिष्ठ सहायक, श्री मेराज अली।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मेराज अली की सेवा-निवृत्ति में मात्र 1 वर्ष 6 माह अवशेष रहने के कारण।

प्रश्नकर्त्ता का राजकीय पालीटेक्निक गाजियाबाद में कार्यरत संयुक्त निदेशक पश्चिम क्षेत्र प्राविधिक शिक्षा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा को प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

12—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-7-2002 राजकीय पालीटेक्निक गाजियाबाद में कार्यरत संयुक्त निदेशक पश्चिम क्षेत्र प्राविधिक शिक्षा द्वारा की जा रही अनियमितताओं सम्बन्धी प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

(क) अभिलेखों के अनुसार मा० सदस्य का पत्र दिनांक 2-7-2002 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है, किन्तु इस अधिकारी के विरुद्ध अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायती–पत्रों की जाँच हेतु निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को निर्देशित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम पैलानी डेरा (जसपुरा) में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष में कराये जाने विषयक जानकारी

13—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम पैलानी डेरा (जसपुरा) में प्राथमिक विद्यालय के भवन की छत तथा दीवारें टूट गयी हैं? यदि हां, तो क्या भवन निर्माण का कार्य इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

ग्राम पैलानी डेरा (जसपुरा) में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर है जिसकी छत एवं दीवारें टूट गई हैं। इस प्राथमिक विद्यालय के पनर्निर्माण का प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में प्रमुख नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने के सम्बन्ध में जानकारी

14—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में कौन सी प्रमुख नहरें हैं तथा इन नहरों का सिंचित क्षेत्रफल कितना है? क्या इन नहरों का पानी टेल तक पहुंच रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त नहरों की टेल तक पानी पहुंचायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधानसभा क्षेत्र सरैनी जनपद-रायबरेली में मुख्य नहरें पुरवा शाखा, खजूरगांव राजबहा तथा भगवन्त नगर राजबहा के टेल भाग हैं।

उक्त नहरों का सिंचित क्षेत्रफल 1163 है० खरीफ तथा 1683 है० रबी में है।

जी नहीं।

प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, बिशुनपुरा स्वावलम्बी इण्टर कालेज के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद को विधायक व सांसद अवधियों का अवैतनिक अवकाश पर मुक्त किये जाने का निर्देश सम्बन्धी मामला

15—श्री मानपाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वावलम्बी इण्टर कालेज, बिशुनपुरा, जनपद गोरखपुर के सेवानिवृत्त (जून, 2000 ई०) सहायक शिक्षक एवं पूर्व विधायक व सांसद फिरंगी प्रसाद विशारद ने शासनादेश संख्या ए–1/5002/XV–1949/1965 शिक्षा (क) विभाग लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 1965 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश शिक्षा (7) अनुभाग सं० मा०–5859/15-7-2(13)–79, लखनऊ दिनांक 30 मई, 1980 के आधार पर, नियमों व शासनादेशों की जानकारी के अभाव में श्री विशारद के विधायक व सांसद अवधियों को अवैतनिक अवकाश पर मुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल गोरखपुर का पत्रांक मा०–1/10024–28/200C-02 दिनांक 8-11-2001 सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ० प्र० शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

शासन द्वारा कतिपय सूचना शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से मांगी गयी है जिस हेतु निदेशालय द्वारा संस्था प्रबंधाधिकरण को निर्देश दिये गये है।

प्रदेश के बी० एड० प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

16—श्री कमाल यूसुफ मलिक,

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी तथा

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 18-6-2002 को शासन के पत्रांक सं०–1775/सत्तर–6 के द्वारा प्रदेश के बी० एड० प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों के 36 माह के वेतन भुगतान के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त वेतन का भुगतान करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ। सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 18-6-2002 द्वारा उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों जो सहायता प्राप्त अशासकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्य कर रहे थे, परन्तु विधिवत् चयनित एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं थे, उनके वेतन भुगतान के सम्बन्ध में यह आदेश दिये गये हैं कि उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों जो मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वेतन प्राप्त कर रहे थे, के वेतन का भुगतान कर दिया जाय। शेष के संबंध में चयन समिति गठित कर चयनित होने पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कार्यवाही की जा रही है।

जनपद एटा की तहसील पटियाली में गंगा नदी में ठोकर बनाये जाने सम्बन्धी जानकारी

17—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा की तहसील पटियाली में गंगा नदी के किनारे ग्राम के गढ़ी सहवाजपुर, उलाईखेड़ा, अजीतनगर, वतनपुरा, कुलीजपुर में कटान को रोकने हेतु वर्ष 2000 में प्रोजेक्ट बनाया गया था? जिसमें 46 लाख 28 हजार रुपये सिंचाई विभाग फर्रुखाबाद को अवमुक्त हुए थे? क्या उक्त प्रोजेक्ट के अनुसार जिन ग्रामों में ठोकर बनायी जानी थी उसमें ठोकरे न बनाकर दूसरे ग्रामों में बनायी गयी? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रु० 46.28 लाख के विरुद्ध वर्ष 2001–2002 में रु० 25.00 लाख एवं वर्ष 2002-2003 में रु० 5.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षकों के बी०टी०सी० प्रशिक्षण का परीक्षाफल घोषित किये जाने की मांग

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

18— क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या-742/15-(13)-94, दिनांक 6 सितम्बर, 1994 के तहत वर्ष 1996 में पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने बी०टी०सी० प्रशिक्षण व परीक्षा दी थी, जिसका परीक्षाफल घोषित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि रिट पीटिशन नं० 12972 के निर्णय दिनांक 16-9-98 में परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु न्यायालय ने आदेश दिये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार न्यायालय के आदेशों के अनुसार उक्त परीक्षाफल घोषित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

सुश्री मायावती—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रदेश के पत्राचार बी०टी०सी० में सम्मिलित अर्ह अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है।

जनपद जालौन के नगर जालौन में संचालित सहायता प्राप्त जालौन बालिका इण्टर कालेज के छात्राओं से प्रवेश के नाम पर दान/ चन्दा के प्रकरण सम्बन्धी मामला

19—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के नगर जालौन में संचालित सहायता प्राप्त जालौन बालिका इण्टर कालेज में विगत गई वर्षों से छात्राओं से प्रवेश के नाम पर दान/चन्दा लेने की शिकायतों की जांच आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक उरई जालौन द्वारा प्रेषित जांच आख्या पत्रांक 2991-92 दिनांक 20-9-2001 एवं पत्रावली पत्रांक 27 दिनांक 1-4-02 संयुक्त शिक्षा निदेशक मण्डल, झांसी को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 डी (2) के अन्तर्गत दिये जाने वाली नोटिस का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पदों पर आरक्षण नियमों का पुनः विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

20—श्री प्रमोद कुमार—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के लिए प्रवक्ता के 72 पद, उप प्राचार्य के 43 पद और आचार्य के 12 पदों हेतु विज्ञापन संख्या—01/2001 दिनांक 26-12-2001 प्रकाशित किया गया है? क्या इन विज्ञापनों में सरकार द्वारा घोषित आरक्षण नीतियों का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या आरक्षण नियमों के अनुसार पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। किन्तु विज्ञापन में आचार्य पद के लिए 14 पद विज्ञापित किये गये हैं न कि 12 पद।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

क्योंकि विश्दविद्यालय द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 26-12-2001 को उनके द्वारा विज्ञापित पदों में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

आई०ई०टी० लखनऊ के निदेशक, शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, रीवां मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आहरित किये जाने की जानकारी

21—श्री कोविद कुमार—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई०ई०टी० लखनऊ के निदेशक शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, रीवां मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आई०ई०टी०, लखनऊ से वेतन एवं मध्य प्रदेश से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? क्या निदेशक महोदय ने अपने पेंशन आहरित किये जाने की जानकारी उ०प्र० शासन को दी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। निदेशक, आई०ई०टी०, लखनऊ के अनुसार उन्होंने शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, रीवा, मध्य प्रदेश से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर वर्ष 1998 तक ही मध्य प्रदेश से पेंशन एवं आई०ई०टी०, लखनऊ से वेतन प्राप्त किया है। जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई शहर में जिन्दपीर चौराहा, रेलवेगंज, के लिए आवंटित बियर की दुकान को हटाये जाने की मांग

22—डा० वकार अहमद शाह—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि शहर हरदोई में श्रीमती अनारा सिंह द्वारा श्री राम सिंह को जिन्दपीर चौराहे रेलवेगंज, हरदोई के लिए बीयर की दुकान आवंटित की गयी है? क्या उक्त दुकान जेल रोड, पुलिस परेड ग्राउण्ड के सामने चलायी जा रही है जिसके बगल में आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल भी चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकान को वहां से हटाने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

शहर हरदोई में जिन्दपीर चौराहा, रेलवेगंज, के लिये कोई बियर की दुकान आवंटित नहीं है। श्रीमती अनारा सिंह को "जेल रोड पुलिस लाइन के सामने" बियर दुकान आवंटित की गई है।

श्रीमती अनारा सिंह को उक्त बियर की दुकान नियमानुसार विज्ञापित स्थल "जेल रोड पुलिस लाइन के सामने" नाम से आवंटित की गई है, जो अनुकूल परिसर में स्थित है। आदर्श विद्या माण्टेसरी स्कूल दुकान से पर्याप्त दूरी पर है और इससे किसी प्रकार की व्यवधान की स्थिति नहीं है। बियर दुकान से बन्द बोतलों में बियर की बिक्री की जाती है। दुकान पर बियर नहीं पिलाई जाती है। दुकान पुलिस लाइन के सामने स्थित होने के कारण किसी प्रकार की अशांति की सम्भावना नहीं है। अतः इसे हटाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

दुकान नियमानुकूल उपयुक्त परिसर में स्वीकृत स्थल पर चल रही है, इसलिये हटाने का औचित्य नहीं है।

जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा में सिंचाई हेतु नहरी जल उपलब्ध कराये जाने की मांग।

23—श्री श्याम सिंह अहेरिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गाठोली, जतीपुरा, मलसराय, सकरवा, देवसेरसराल, बाटी, जुल्देंही-माइजर एवम् मथुरा स्क्रेप में विगत 15 वर्षों से सिंचाई हेतु नहरी जल उपलब्ध कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त गावों में आगरा नहर (अपर खण्ड) से जल उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ग्राम मन्डोरा, जतीपुर, मलसराय, देवसेरस पलसौ माईनर के टेल भाग पर स्थित है। गांव सकरवा, कोसी राजवाहे के टेल भाग पर स्थित है। ग्राम राल राजवाहा सहार के कमाण्ड में तथा ग्राम वाटी, राजवाहा शेरगढ़ के कमाण्ड में पड़ता है। उपरोक्त समस्त राजवाहों व जुन्हेदी माइनर में रबी एवं खरीफ की फसल में पिछले 15 वर्षों में सिंचाई कार्यों हेतु जल उपलब्ध कराया जाता रहा है, परन्तु उक्त ग्रामों के नहरों के टेल भाग में स्थित होने के कारण वहां पर पानी की कमी सदैव बनी रहती है।

स्केप का निर्माण इसलिये किया जाता है कि डाउन स्ट्रीम में पानी की मांग न होने एवं मुख्य नहर के कटने पर पानी स्केप के माध्यम से निकाला जाना सम्भव हो सकें। किसी भी स्केप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

चूंकि समस्त गांव नहरों के टेल भाग में स्थित हैं। अतः पानी की कमी बनी रहती है।

प्रश्नगत राजवाहों में जल की उपलब्धता वर्तमान 2100 क्यूसेक से बढ़ाकर 4000 क्यूसेक किये जाने की परियोजना विचाराधीन है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् एवं टिहरी बांध के निर्माण के फलस्वरुप अतिरिक्त जल उपलब्ध होने पर नहरों पर जल उपलब्धता श्रेयस्कर होगी।

उपरोक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात्

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में लोअर खण्ड आगरा नहर में राजवाहों में टेल तक जल उपलब्ध कराने की मांग

24–श्री श्याम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में लोअर खण्ड आगरा नहर मथुरा से अड़ीम राजवाह, गोवर्धन राजवाह, फीडर राजवाह, फान्डर माइनर मथुरा राजवाह, बरारी राजवाह में पानी न आने से सिंचाई का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है? क्या शासन इन राजवहों में नहरी जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनायी जायेगी? यदि हाँ, तो उक्त राजवाहों में टेल तक जल उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। प्रत्येक फसल में फोंडर माइनर के अतिरिक्त उल्लिखित प्रत्येक रजवाहों में खरीफ व रबी दोनों फसलों में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है एवं रोस्टर में अंकित लम्बाई तक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य योजना की स्वीकृति तथा उसके कार्यान्वयन के उपरान्त टेल तक जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ सिंचाई विभाग के नरोरा खण्ड निचली गंगा नहर में बैराज पर क्लोजर कार्य एवं नहरों के रख-रखाव तथा अन्य कार्यों के ठेकेदारों के भुगतान की मांग।

25–श्री कौशल किशोर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के नरोरा खण्ड निचली गंगा नहर, अलीगढ़ के अधीन वित्तीय वर्ष 2001 में बैराज पर क्लोजर कार्य तथा नहरों के रख-रखाव निर्माण व किये गये अन्य कार्यों का क्या सभी ठेकेदारों के भुगतान कर दिये गये हैं? यदि नहीं तो ऐसे किन-किन ठेकेदारों के किन-किन अनुबन्धों के अन्तर्गत अभी तक भुगतान नहीं किये गये हैं? उनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।?

विवरण निम्नानुसार है।

क्र० सं०	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध सं०	धनराशि (लाख रु० में)
1—	मै० डी० पी० गुप्ता	09/ईई/2001–2002	2.47
2—	–तदैव–	11/ईई/2001–2002	2.27
3—	मै० राजेश इण्टरप्राइजेजे	12/ईई/2001–2002	2.38
4—	मै० डी० पी० गुप्ता	22/एई/2001–2002	0.36
5—	मै० महिमा इण्टरप्राइजेज	26एई/2001–2002	1.36
6—	श्री ओम प्रकाश	40/एई/2001–2002	0.83
7—	श्री ओमवीर सिंह	41/एई/2001–2002	1.93
8—	श्री ओम प्रकाश	42/एई/2001–2002	0.49
9—	श्री विजयपाल शर्मा	44/एई/2001–2002	0.27
10—	श्री राज कुमार	46/एई/2001–2002	0.98
11—	श्री विजयपाल शर्मा	48/एई/2001–2002	0.90
12—	मै० राजेश इन्टरप्राइजेज	75/एई/2001–2002	0.31
13—	श्री चन्द्रदेव	76/एई/2001–2002	1.51
14—	श्री प्रशान्त कुमार	78/एई/2001–2002	1.73
15—	श्री ओम प्रकाश	80/एई/2001–2002	1.73
16—	श्री राम स्वरूप	81/एई/2001–2002	1.73
17—	श्री ओम प्रकाश	82/एई/2001–2002	1.70
			योग– 22.34

धनराशि की उपलब्धता के अनुसार।

जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग में किये गये क्लोजर कार्य तथा नहरों पर रख-रखाव एवं निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

26—श्री कौशल किशोर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में करोरा खण्ड निचली गंगा नहर, अलीगढ़ तथा मध्य गंगा नहर खण्ड–12 व खण्ड—19 अलीगढ़ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001 में किये गये क्लोजर कार्य तथा नहरों पर रख-रखाव एवं निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री शंकर प्रसाद जायसवाल, सांसद के पत्र दिनांक 16–5–2002 तथा दिनांक 24-4-2002 तथा श्रीमती शीला गौतम, सांसद का पत्र दिनांक 17–4–2002 मुख्य सचिव को प्राप्त हुए हैं? यदि हां तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) जांच अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में गुण/दोष के आधार पर यथोचित निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड की नहरों को पक्का किये जाने की योजना का कार्यान्वयन

27—श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड की नहरों को पक्का किये जाने की योजना वर्ष 1993 में स्वीकृत हुई थी तथा उस पर अनुमानित व्यय 7.48 करोड़ आंकलित किया गया था? यदि हां, तो क्या उसका कार्यान्वयन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त योजना कब तक पूर्ण कर दी जायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। वर्ष 1993 में बुन्देलखण्ड की नहरों को पक्का करने की योजना रु० 2144.23 लाख की स्वीकृत हुई थी तथा इस पर मार्च, 2002 तक रु० 184.2 लाख व्यय हुआ है।

इस परियोजना के अनुसार बुन्देलखण्ड की 79.45 कि०मी० नहरों की लाइनिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसके विरुद्ध 32.10 कि०मी० की लाइनिंग हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना दशम पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

जनपद बाराबंकी में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत श्री शिव कुमार श्रीवास्तव के सेवानिवृत्ति के उपरान्त समस्त देयों के भुगतान की कार्यवाही

28—श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रशदी मियां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड, बाराबंकी में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत श्री शिव कुमार श्रीवास्तव अपने अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31-3-2001 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। यदि हां, तो क्या उनके समस्त देयों पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निर्वाह निधि आदि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भुगतान कब तक दिया जाएगा? क्या अब तक भुगतान न करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

श्री शिव कुमार श्रीवास्तव को पेंशन राशिकरण व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है तथा भविष्य निर्वाह निधि की 90% धनराशि रु० 81,000.00 का भुगतान माह दिसम्बर, 2001 मे कर दिया गया है।

वर्ष 1982 में जब श्री शिवकुमार श्रीवास्तव, नलकूप, खण्ड फतेहपुर में कार्यरत थे, तब श्री श्रीवास्तव अपनी सेवापुस्तिका, जो तीन भागों में थी, के भाग 1 व 2 जो अपूर्ण थे, को पूरा करने हेतु स्वयं प्राप्त कर लिया था जिसे अनेकों बार निर्देशित किये जाने पर भी अभी तक वापस नहीं किया और न ही अपनी विभिन्न जनपदों के विभिन्न पदों पर तैनाती का विवरण ही उपलब्ध कराया। इस कारण सम्पूर्ण सेवा विवरण के अभाव में श्री शिव कुमार श्रीवास्तव को पेंशन राशिकरण व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सका।

श्री शिव कुमार श्रीवास्तव के द्वारा अपनी सेवापुस्तिका विभाग को वापस कर दिये जाने के बाद ही पेंशन, राशिकरण व ग्रेच्युटी के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि भुगतान न होने के लिए स्वयं श्री शि॰ कुमार श्रीवास्तव ही उत्तरदायी हैं।

लखनऊ के चौक स्थित हिरन पार्क में हरिश्चन्द्र एण्ड कम्पनी के कारखाने के प्रदूषण से बीमारियां फैलने तथा कारखाना बन्द किये जाने का न्यायालय के विचाराधीन मामला

29—श्री बंशीधर राज—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के चौक स्थित हिरन पार्क में श्री आर०के० जैन के खाली सिनेमा हाल में हरिश्चन्द्र एण्ड कम्पनी के नाम से कोई कारखाना चल रहा है? यदि हां,° तो क्या उसके शोर तथा धुएँ के कारण वहाँ की घनी आबादी में प्रदूषण फैलने से बीमारियाँ फैल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारखाना को जनहित में बन्द करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

बीमारियां फैलने के संबंध में विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मानकों की पूर्ति न करने के कारण उद्योग के विरुद्ध बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 31 "ए" के अन्तर्गत पत्र सं०-जी 2374, दिनांक 17-2-2000 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया था। परन्तु उद्योग द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय लखनऊ से दिनांक 29-2-2000 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो अभी भी लागू है। इसके कारण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश वर्तमान में क्रियान्वित नहीं हो पाया है।

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ से अंतिम आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही तदनुसार बन्दी आदेश का क्रियान्वयन संभव है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहाँपुर ग्राम सभा शिकारपुर जैतीपुर के ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित रूप से व्यय किये गये धन की वसूली का कथित प्रकरण

30—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 7-8-2000 जो ग्राम प्रधान, ग्राम सभा शिकारपुर जैतीपुर के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जिलाधिकारी, ने पत्रांक 175 दि० 9-8-2000 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

उक्त प्रकरण पर पूर्व में ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तकनीकी टीम गठित की गयी थी जिसमें निर्माणकर्ता अध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद/ग्राम प्रधान दोषी पाये गये। तकनीकी टीम द्वारा दरवाजे स्तर तक निर्मित भवन को ध्वस्त कराने की अनुशंसा की गई थी, के क्रम में निर्पाणकर्ता अध्यापक से अनियमित रूप से व्यय किये गये धन की वसूली हेतु आदेश दिये गये। निर्माणकर्ता अध्यापक से अब तक रु० 30,000.00 की वसूली उसके वेतन से की जा चुकी है। शेष धनराशि मासिक किस्तों में काटी जा रही है।

अध्यापक द्वारा जनपदीय न्यायालय में ध्वस्तीकरण के विरुद्ध वाद संख्या 371/2000 दायर किया गया है जिसमें अध्यापक को स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और वाद का प्रतिवाद किया जा रहा है। ग्राम प्रधान से रिकवरी करने हेतु उप जिलाधिकारी, तिलहर शाहजहाँपुर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर के पत्र सं०-बेसिक/6400-02/00-01 दिनांक 6-11-2000 एवं पत्र सं०-बे/ 7221//00-01 दिनांक 6-12-2000 द्वारा लिखा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के लोहिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहवाँ के संस्थागत छात्र राजेश कुमार आर्य के सनद पत्र गलत होने का कथित प्रकरण।

31—श्री मानपाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोहिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहवाँ, देवरिया के संस्थागत छात्र राजेश कुमार आर्य, अनुक्रमांक 131077, वर्ष 1999 का नाम गलत होकर अंक पत्र व सनद आयी है जिसमें आर्य नाम की स्पेलिंग गलत है? यदि हां, तो इस संदर्भ में संस्था के प्रधानाचार्य व श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद गोरखपुर ने माह जुलाई, 2001 से अब तक कितने पत्र क्षेत्रीय सचिव, मा० शि० प० वाराणसी की प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में निवासी जैन समुदाय के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने की मांग

32—श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० में निवास करने वाले जैन समुदाय के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है। यदि हां, तो उक्त समुदाय को कब तक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

केन्द्र सरकार द्वारा जिन समुदायों को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है, उन्हीं की राज्य सरकार द्वारा भी अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किये जाने पर ही राज्य सरकार द्वारा भी इन्हें अल्पसंख्यक अधिसूचित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के स्वामी भगवानदास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मन्दिर जाहिदपुर में लिपिक पद पर नियुक्त श्रीमती मालती देवी के निलम्बन का कथित प्रकरण

33—श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के स्वामी भगवानदास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मंदिर जाहिदपुर में लिपिक पद पर नियुक्त श्रीमती मालती देवी की 28 जून, 1999 को प्रबन्धक द्वारा निलम्बित किया गया था और वेतन जुलाई, 98 से नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा श्रीमती मालती देवी एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात दिनांक 4-10-2001 को श्रीमती मालती देवी को दोषी न ठहराते हुए प्रबन्धक को पत्र संख्या प्र०लि०/5501-505/2001-2002 दिनांक 04-10-2002 को कोई आदेश दिया था? यदि हां, तो वह आदेश क्या है? उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी हाँ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रबंधक को यह आदेश दिया गया कि उपस्थित अवधि का वेतन का भुगतान श्रीमती मालती देवी को दिया जाय एवं अनुपस्थित अवधि के दौरान श्रीमती मालती देवी के द्वारा आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जाय तथा श्रीमती मालती देवी के विरुद्ध अब तक की गयी कार्यवाही को अमान्य करते हुए प्रबंधक को आदेशित किया गया है कि श्रीमती मालती देवी को अपने स्तर से तुरन्त कार्यभार ग्रहण कराएं एवं अन्य अवशेषों, देयकों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

जी नहीं।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 29-11-01 द्वारा स्थगन होने के कारण।

जनपद हरदोई के विकास क्षेत्र बेंहदर स्थित स्वामी भगवान दास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मंदिर जाहिदपुर में श्री दयाशंकर सिंह, प्रधानाध्यापक के सेवानिवृत्त के अवशेष वेतन/अवशेष देयों के भुगतान का प्रकरण

34—श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास क्षेत्र, बेंहदर स्थित स्वामी भगवान दास ब्रह्मचारी काली दीन सिंह विद्या मंदिर, जाहिदपुर से श्री दयाशंकर सिंह, प्रधानाध्यापक के पद से जून, 2001 से सेवानिवृत्त हुए थे? यदि हां, तो क्या उनके जी०पी०एफ०, पेंशन तथा अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों अवशेष देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी नहीं।

विद्यालय अभिलेख का चार्ज अभी नहीं दिया गया है तथा अपने प्रपत्र पूर्ण कर नहीं प्रस्तुत किया गया है।

चार्ज पूर्ण होने एवं श्री सिंह द्वारा पेंशन, जी०पी०एफ० पत्रजात पूर्ण कर प्रस्तुत करने के उपरान्त।

जनपद हरदोई राष्ट्रपिता म्युनिसपल इण्टर कालेज शाहाबाद के शिक्षक/कर्मचारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त लिपिक की पेंशन स्वीकृति के प्रकरण की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

35—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपिता म्युनिसपल इण्टर कालेज, शाहाबाद, जनपद-हरदोई के जो शिक्षक/कर्मचारी वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनका पेंशन निर्धारण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त लिपिक की भी पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है? यदि नहीं तो पेंशन अब तक स्वीकृत न किये जाने के लिए कौन दोषी है? क्या प्रकरण की जाँच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उक्त पेंशन कब तक निर्गत कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में जांच के आदेश अपर शिक्षा निदेशक (मा०) को दे दिये गये हैं।

जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी तथा जांचोपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद लखनऊ में श्री स्वामी दयाल त्रिवेदी सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक, डी०ए०वी० कालेज, के प्रोविडेन्ट फण्ड नगद जमा एवं पेंशन निर्धारण का प्रकरण

36—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री स्वामी दयाल त्रिवेदी, सेवानिवृत्ति सहायक अध्यापक, डी०ए०वी० इण्टर कालेज, लखनऊ का लगभग 6 वर्ष के सेवाकाल का प्राविडेन्ट फण्ड के अंशदान की कटौती न किये जाने के कारण पेंशन निर्धारण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या श्री त्रिवेदी ने दिनांक 16-12-96 की अपने प्रार्थना-पत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ तथा दि० 13-5-97 की प्रबन्धक, डी०ए०वी० कालेज, लखनऊ से उक्त अवधि का प्राविडेन्ट फंड के अंशदान की कटौती किये जाने के लिये अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो क्या श्री त्रिवेदी से उक्त अवधि का प्राविडेन्ट फण्ड नगद जमा कराकर पेंशन निर्धारण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

• यदी नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

श्री त्रिवेदी द्वारा दिनांक 16-12-96 का कोई पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को प्राप्त नहीं कराया गया है। दिनांक 13-5-97 का पत्र विद्यालय की आख्यानुसार प्राप्त कराया गया था।

सी०पी०एफ० के उल्लिखित अवधि के प्रबन्धकीय अंशदान जो सहायता प्राप्त अवधि की सेवाओं का है, शासनादेश में व्यवस्था न होने के कारण प्रबन्धकीय अंशदान जमा कराना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इटावा एवं औरेया जिलों के अन्तर्गत भरथना विधान सभा क्षेत्र की रजबाहों की सफाई कराये जाने का प्रस्ताव

37—श्री विनोद कुमार यादव (भरथना)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा एवं औरेया जिलों के अन्तर्गत भरथना विधान सभा क्षेत्र की अहनइया, पुरहा नदियों तथा गांसी और बासिक रजबाहों की सफाई की गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त रजबाहों की सफाई करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह

जी नहीं। भरथना विधान सभा क्षेत्र में केवल बांसक रजबाहे की कि०मी० 50 से 60 अर्थात 10 कि०मी० लम्बाई में सफाई कराई गयी है।

नदियों में सफाई कराये जाने की कोई नीति नहीं है। बांसक रजबाहे में माह अप्रैल/मई 2001 में 10 कि०मी० लम्बाई में सफाई करायी गयी थी। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत राजबाहे की सिल्ट सफाई कराये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के आर०टी०ओ० कार्यालय में लिपिक के पद पर अधिक समय तक कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

38—श्री आनन्द सेन

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर०टी०ओ० कार्यालय फैजाबाद में कुल कितने कर्मचारी 'लिपिक' पद पर पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी

आर०टी०ओ० कार्यालय, फैजाबाद में कुल 03 (तीन) कर्मचारी लिपिक पद पर पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

शासन द्वारा प्रख्यापित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति में कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। सामान्यतः उक्त कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया अधिशासी अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड में दोषी श्री उत्पल डे व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की मांग

39—श्री बादशाह सिंह

विधान सभा प्रथम सत्र, 2001 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री दीपलाल भारती, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोषी अधिशाषी अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड–5 देवरिया श्री उत्पल कुमार डे

व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच आख्या प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह

जी हाँ।

जांच आख्या के आधार पर प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त श्री उत्पल कुमार डे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को आंशिक रूप से दोषी पाते हुए चेतावनी, श्री एम०एस० दीपक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को सिद्ध आरोपों के लिए परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया था और श्री नैन सिंह सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता सर्वश्री सी०बी० सिंह व आई०डी० राम को प्रकरण में दोषी न पाये जाने पर दोष मुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के चीनी निगम की इकाई शाहगंज के आधुनिकीकरण अथवा क्षमता विस्तार किये जाने की योजना की मांग

40—श्री राम नरेश यादव

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी निगम की इकाई शाहगंज, जनपद जौनपुर के आधुनिकीकरण अथवा क्षमता विस्तार किए जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह

जी नहीं।

शाहगंज चीनी मिल बहुत ही पुरानी एवं कम पेराई क्षमता की है। इस मिल का तकनीकी एवं वित्तीय परिणाम अत्यन्त असंतोषजनक रहा है तथा मिल को चलाये जाने से प्रतिवर्ष भारी घाटा हो रहा है। अतः मिल के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है।

जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी की बाढ़ व कटाव से लोगों को बचाने हेतु कार्य योजना तैयार किये जाने की मांग

41—श्री राम नरेश यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में घाघरा नदी की बाढ़ व कटाव से वहां के लोगों को बचाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि हां, तो कार्य योजना क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह

जी हां। जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी की बाढ़ व कटाव से बचाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा 4 अदद परियोजनाएँ महुला गढ़वाल बांध के कि०मी० 0.00 से 22.00 तक फ्लड प्रूफिंग योजना, महुला गढ़वाल बांध के कि०मी० 22.00 से 42.00 तक की फ्लड प्रूफिंग योजना, जनपद आजमगढ़ में गांगेंपुर मठिया रिंग बांध की सुरक्षा परियोजना तथा महुला गढ़वाल बांध के कि०मी० 19.56 से कि०मी० 19.84 तक कटाव निरोधक योजना तैयार की गयी है। इन योजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु पदानुसार अध्यापकों की व्यवस्था

42—श्री राम नरेश यादव तथा

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्राथमिक विद्यालय व कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्यापन हेतु केवल एक अध्यापक कार्यरत है? उक्त समस्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु स्वीकृत पदानुसार अध्यापकों की व्यवस्था सरकार द्वारा कब तक करा दी जायेगी।

सुश्री मायावती

जनपदों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

सूचना प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बलरामपुर पचपेड़वा एवं गैसड़ी तहसील तुलसीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ करने की मांग

43—डा० शिव प्रताप यादव

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पचपड़ेवा एवं गैसड़ी तहसील तुलसीपुर जनपद बलरामपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ कब तक कर दी जायेगी?

सुश्री मायावती

जी हाँ।

बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर।

जनपद बलरामपुर में राजकीय हाई स्कूल गैसड़ी में निर्धारित संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

44–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय हाईस्कूल गैसड़ी जनपद–बलरामपुर में निर्धारित संख्या से कम अध्यापक नियुक्त हैं तथा एक अध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बलरामपुर से सम्बद्ध कर दिया गया है? जिससे अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल में निर्धारित संख्या में अध्यापक की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। कुल 12 सृजित पदों के विरुद्ध 6 अध्यापक कार्यरत हैं।

कोई भी अध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बलरामपुर से सम्बद्ध नहीं है।

जी हां।

यथा सम्भव रिक्त पदों को स्थानातरण से भरने के निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं।

जनपद रायबरेली में प्राथमिक विद्यालयों में मानक के आधार पर अध्यापकों की संख्या पूर्ण किये जाने की मांग

45—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या मानकों के अनुसार पूर्ण है? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण करा दी जायेगी?

सुश्री मायावती—

मानकों के अनुसार शिक्षकों की कमी है।

बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर।

जनपद कुशीनगर के फाजिल नगर विधान सभा क्षेत्र में नहरों की सफाई न कराये जाने का कथित प्रकरण

46—श्री जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के फाजिल नगर विधान सभा क्षेत्र में नहरों की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुँच पा रहा है? यदि हां, तो सरकार फसलों की सिंचाई हेतु नहरों की सफाई करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं। फाजिल नगर विधान सभा क्षेत्र की 51 नहरों में से 44 नहरों की टेल तक पानी पहुंच रहा है।

सिल्ट सफाई का कार्य वर्षाकाल के पश्चात् कराया जाता है। इन माइनरों पर सिल्ट सफाई का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिक संवर्ग के स्वीकृत पद बिना कार्य के वेतन प्राप्त करने का प्रकरण

47—श्री जगन प्रसाद गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिक संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या यह सत्य है कि उक्त कार्यालय में 15 लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी बिना कार्य के वेतन प्राप्त कर रहे हैं? यदि हां, तो उनका दायित्व क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा में लिपिक संवर्ग के 06 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत 06 लिपिक संवर्गीय पदों के सापेक्ष 06 लिपिक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

बिना कार्य के कोई भी लिपिक संवर्ग का कर्मचारी वेतन नहीं ले रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में प्राथमिक/जू०हा० स्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने एवं विद्यालयों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रकरण

48—श्री जगन प्रसाद गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विगत 5 वर्षों से कितने प्राथमिक/जू०हा० स्कूल को मान्यता प्रदान की गयी है? तथा वर्तमान में कितने प्राथमिक/जू०हा० स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि विगत 2 वर्षों से कुल कितने विद्यालयों को छात्रवृत्ति कितनी-कितनी प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्र-वृत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव

49—श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों की गणना वर्ष 2002-2003 के लिए कर ली गयी है? क्या पात्र छात्रों की वास्तविक संख्या को सुनिश्चित करने के लिए छात्र वृत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया में कोई संशोधन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद—बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम मनीपुर में प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन निर्माण कराये जाने की मांग

50—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम मनीपुर में प्राथमिक विद्यालय भवन न होने के कारण कक्षाएं केवल दो कमरों में चल रही है? यदि हां, तो उक्त प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय मनीपुर में विद्यालय भवन दो कमरों में संचालित है। छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त समस्त सहायक अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिये जाने की मांग

51—श्री छोटे लाल यादव

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त समस्त सहायक अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ०प्र० के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर की गई नियुक्तियों की संख्या की जानकारी

52—श्री छोटे लाल यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में उ०प्र० के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू पद पर नियुक्तियां की गयी थी? यदि हां, तो जनपदवार की गयी नियुक्तियों की संख्या कितनी थी?

सुश्री मायावती—

जी हां।

कुल 4473 पदों पर नियुक्तियाँ की गयी थी जिनका जनपदवार सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृ० 189 पर।)

जनपद बलरामपुर, तुलसीपुर, बौद्ध परिपथ पर ग्राम लोकहवा में बस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायलों को आर्थिक सहायता राशि वितरण किये जाने की मांग

53—डा० शिव प्रताप यादव—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलरामपुर, तुलसीपुर, बौद्ध परिपथ पर ग्राम लोकहवा में मई, 2002 में हुई बस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायलों को आर्थिक सहायता राशि का वितरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक आर्थिक सहायता राशि वितरित करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

प्रश्नगत दुर्घटना में जिलाधिकारी, बलरामपुर की संस्तुति के आधार पर एवं नियमों में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत 05 मृतकों के आश्रितों हेतु पांच-पांच हजार रुपये प्रति आश्रित की दर से कुल रु० 25,000/- की धनराशि आवंटित कर दी गई है और जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे इस धनराशि को आहरित करके मृतक आश्रितों को तत्काल वितरित कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 04 मृतक आश्रितों को 10-10 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। एक मृतक आश्रित जो सरकारी सेवक था, के आश्रित को पात्रता की श्रेणी में आच्छादित न होने के कारण राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं दी गई। उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा भी अन्य 04 मृतक आश्रितों को दो-दो हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। 12 घायलों को मामूली चोट के प्राथमिक उपचार के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक सहायता की पात्रता में नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सड़क व राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों की हेड लाइट को आधा काला किये जाने की मांग

54—श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सड़क व राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों की हेड लाइट तेज होने के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्व में वाहनों की हेड लाइटों को आधा काला करके चलाने के आदेश दिये गये थे, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए थे? क्या सरकार पुनः दोपहिया, चौपहिया वाहनों में लगी हेड लाइट के शीशे आधे काले किये जाने हेतु आदेश जारी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

(क) सम्बन्धित विभागों से सूचनायें प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्न के इस अंश का उत्तर दिया जा सकेगा। सम्बन्धित विभागों से सूचनायें एकत्रित की जा रही है।

(ख) पूर्व में उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1940 के नियम 112(ए) के परन्तुक में व्यवसायिक वाहनों के हेड लाइट के ऊपरी आधे भाग को आच्छादित करने का प्राविधान था, परन्तु ये उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 जो उक्त नियमावली 1940 को अतिक्रमित करते हुये प्रख्यापित की गयी है, में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के प्रकाश में प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर किशनपुर पम्प कैनाल तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता जो अब प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग से सम्बद्ध, द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच का प्रकरण

55—श्री आनन्द सेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-2002 जो किशनपुर पम्प कैनाल, कानपुर पर तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता जो अब प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग से सम्बद्ध है, के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इस घोटाले की सतर्कता विभाग से जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ।

मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 9857/03-3021/न०म०(जॉ०)-02 दिनांक 27 अगस्त, 2002 द्वारा शिकायतों की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, नलकूप मंडल, कानपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए दिनांक 15-9-2002 तक जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। विभागीय जांच के उपरान्त यदि सतर्कता जांच का औचित्य पाया जाता है, तो सतर्कता विभाग से जांच कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के चँदवारा महवारा मार्ग पर रोडवेज बस चलाने की मांग

56—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–बांदा के चँदवारा महवारा मार्ग पर रोडवेज बस चलाने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चँदवारा-महवरा मार्ग पूर्णतः अराष्ट्रीयकृत है। शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस सेवाओं का संचालन/विस्तार नहीं किया जाना है।

जनपद बांदा के इछावर सवादा के बीच यमुना नदी पर पम्पनहर बनवाने हेतु सर्वे कराये जाने विषयक जानकारी

57—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार जनपद बांदा में इछावर सवादा के बीच में यमुना नदी पर पम्प नहर बनवाने हेतु सर्वे करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध के अनुसार गंगा नदी के बेसेन की सहायक नदियों से पानी उठाये जाने पर प्रतिबन्ध है। अतः प्रश्नगत पम्प नहर के निर्माण हेतु सर्वे कराये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद बांदा ग्राम गडरिया मार्ग तथा रामपुर मार्ग पर रोडवेज बसों को चलाने की मांग

58—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा ग्राम गडरिया मार्ग तथा रामपुर मार्ग पर रोडवेज बस चलाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो उन मार्गों पर बसों का चालन कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत स्थान अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित है। शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस सेवा का संचालन/विस्तार नहीं किया जाना है।

जनपद रायबरेली में सरेनी विधान सभा क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

59—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में सरेनी विधान सभा क्षेत्र में किन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है? कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां उर्दू अध्यापकों के पद रिक्त हैं? सरकार इन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति करेगी?

सुश्री मायावती–

जनपद रायबरेली में सरेनी विधान सभा क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में उर्दू अध्यापक नियुक्त नहीं है।

6 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय चिन्हित किये गये हैं जहां उर्दू अध्यापकों की आवश्यकता है। उनमें तैनाती के निर्देश दिये गये हैं।

60—श्री रामनरेश यादव–

[दूसरे गुरुवार के अता प्र० सं०-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में किताबें व कापियों के लिए स्वीकृति धनराशि

61—श्री राम नरेश यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्राइमरी स्कूलों की किताब व कापियों के लिए वर्ष 2002-2003 में आजमगढ़ जनपद के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और कितने विद्यालयों को किताब व कापी दी जा चुकी है? कितने विद्यालयों को दिया जाना शेष है?

सुश्री मायावती–

वर्ष 2002-2003 में जनपद आजमगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु रु० 1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा कुल 1670 स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा चुकी हैं। किसी भी विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया जाना बाकी नहीं है। कापियों के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था नहीं है।

चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर की क्षति ग्रस्त नहरों एवं माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने हेतु धन आवंटन की मांग

62—डा० शिव प्रताप यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर की क्षतिग्रस्त नहरों एवं माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने हेतु इनके मरम्मत एवं रख-रखाव तथा सफाई हेतु सिंचाई विभाग, बलरामपुर के प्राक्कलन मंगाकर क्या सरकार धन की आवंटन करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2001-2002 में अनुरक्षण मद में रुपया 15.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी। इस वर्ष भी न्यूनतम आवश्यकता अनुसार धन आवंटन किया जायेगा।

जनपद रायबरेली की सरेनी विधान सभा क्षेत्र में "ग्रे एरिया" क्षेत्र के लिए विचाराधीन योजना

63—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली की सरेनी विधान सभा क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल "ग्रे एरिया" में है? ऐसे क्षेत्र के लिए कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जनपद रायबरेली की सरेनी विधान सभा क्षेत्र का कोई क्षेत्रफल "ग्रे" एरिया में नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मऊ जनपद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

64—श्री समरपाल सिंह –

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली करते हुए गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) के लाभार्थियों में से 15.33 प्रतिशत अन्त्योदय योजना में चयनित करने की जगह जनपद के विभिन्न गांवों में 30-40 प्रतिशत तक अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभार्थी चयनित किये गये? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम एम०काम०–

जी नहीं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशन में प्रदेश में बी०पी०एल० परिवारों का जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद मऊ के लिये कुल 1,47,460 बी०पी०एल० परिवारों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसका 15.33 प्रतिशत अर्थात 22,605 लाभार्थियों को अन्त्योदय अन्नयोजना के अन्तर्गत चिन्हित कर उन्हें निर्धारित स्केल में खाद्यानों का वितरण प्रति माह प्रति राशनकार्ड

कराया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम में अन्त्योदय अन्नयोजना के अंतर्गत लक्ष्य का निर्धारण पूरे जनपद की अन्त्योदय अन्नयोजना के अंतर्गत निर्धारित परिवारों की संख्या के सापेक्ष्य है। प्रत्येक ग्राम में 15.33 प्रतिशत का आधार चयन हेतु नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

65—श्री राम नरेश यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद जौनपुर में श्री स्वामी मोहनानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय, धर्म नगर, भीलमपुर में कार्यरत सहायक अध्यापक की नियुक्ति को फर्जी पाये जाने पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

66—श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी जौनपुर का पत्र 530/जि०पू०अ०/डीजल–2000 दिनांक 06 जुलाई, 2002 एवं उसके साथ संलग्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर का पत्र दिनांक 06 जुलाई, 1999 जिसके द्वारा श्री स्वामी मोहनानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय, धर्म नगर भीलमपुर, जौनपुर में कार्यरत सहायक अध्यापक की नियुक्ति को फर्जी पाये जाने पर निरस्त किये जाने की सूचना तथा पत्र संख्या-886/जि०पू०अ०/डीजल/2000, दिनांक 24-11-2000 जिसमें फर्जी हलफनामा प्रस्तुत करने के कारण एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने की सूचना दी गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अम्बेडकर नगर के विद्यालय भवन में प्रयोग की गयी घटिया सामग्री की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

67—चौधरी विजेन्द्र सिंह

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 15 जनवरी, 2001 से 15 मई, 2002 तक जूनियर हाई स्कूल अफजलपुर सराडी ब्लाक, अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर में विद्यालय भवन निर्माण मे घटिया सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में वरिष्ठ समाजसेवी ख्वाजा अली कौसर ने जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को शिकायती-पत्र दिया है? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

जांच में श्री सुग्रीव शुक्ला सहायक अध्यापक, भवन प्रभारी को दोषी पाये जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर के आदेश दिनांक 29-6-2002 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का सुसंगत उत्तर न आने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर मेरा व्यवस्था का सवाल है। आज विधान सभी की जो कार्यसूची है उसके पृष्ठ 12 पर प्रश्न संख्या 42 मेरा प्रश्न लगा था। प्रश्न था क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्राथमिक विद्यालय व कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्यापन हेतु केवल एक अध्यापक कार्यरत है? उक्त समस्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु स्वीकृत पदानुसार अध्यापकों की व्यवस्था सरकार द्वारा कब तक करा दी जाएगी।

इसका उत्तर आया है तथ्यों की सूचना एकत्र की जा रही है। और कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। यह 4-8-2002 का प्रश्न है मुख्यमंत्री के पास बेसिक शिक्षा विभाग है। इस तरह से सरकार की तरफ से टाल-मटोल कर उत्तर आता है। इसी कारण सदन में कभी-कभी अव्यवस्था हो जाती है। आप उस पीठ पर बैठे हैं। नियमों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर सुसंगत आने चाहिए। यह घोर लापरवाही है। इस कारण सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। आप सरकार को निर्देश दें कि जो प्रश्न पूछे जाएं उनका सही उत्तर दिया जाना चाहिए। इस तरह से सदन को गुमराह करने का काम न करें। टाल-मटोल करके उत्तर नहीं देना चाहिए। यह सरकार को निर्देश दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही है कि सूचना एकत्र की जा रही है यह उत्तर आया है। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री ने उसका संज्ञान ले लिया है। इसको देखेंगे कि सूचना आपको प्राप्त हो जाए।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं पहली सूचना डा० राम बाबू हरित की, दूसरी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की, तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की, चौथी सूचना श्री ओम प्रकाश की, पांचवी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की, छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, सातवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की है।

श्री जगन प्रसाद गर्ग के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची से श्री प्रभु दयाल की सूचना ली जाती है।

श्री मिथिलेश कुमार, डा० वकार अहमद शाह, श्री सिद्धगोपाल साहू, श्रीमती अम्बेश कुमारी, श्री कालीचरन राजभर, श्री बाबू लाल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री रामजीत राजभर, श्री दिनेश सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री बलराम यादव, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, डा० विनोद तिवारी, श्री राकेश सचान, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री कौशल किशोर एवं श्री दुर्गा प्रसाद यादव की सूचनाएं अस्वीकार की गई।

(सदन की सहमति से स्वीकार की गई सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

आगरा में स्ट्रीट लाइट विद्युत व्यवस्था के नियमित संचालन हेतु धन आवंटित किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

[महोदय, जनपद आगरा पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शहर है, देश विदेश के तमाम पर्यटक यहां ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों को देखने आते हैं। नगर निगम द्वारा तथा आगरा विकास

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राधिकरण द्वारा स्ट्रीट लाइटें न जलने से जहां अन्धकार रहता है, वहीं नगर सुन्दर भी नहीं दिखता है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगरा में विद्युत कटौती भी नहीं हो रही है। अतः वहां सरकार नियमित रूप से स्ट्रीट लाइट विद्युत व्यवस्था नगर निगम द्वारा संचालित होने के लिए धन का आवंटन करे जिससे विद्युत बिन्दु रात्रि में प्रकाशमय रह सके। इसी प्रकार आवास विकास सिकन्दरा योजना में सेक्टर 1 से 16 तक में भी विद्युत बिन्दु काफी कम मात्रा में जलते हैं तथा विद्युत अधिकारी कानपुर मुख्यालय पर बैठते हैं। कार्यालय में कोई जिम्मेदार अधिकारी न होने से क्षेत्रीय जनता प्रकाश बिन्दु हेतु शिकायत भी नहीं कर पाती। आप जनहित में जनपद आगरा को दोनों विभागों के द्वारा समस्या निवारण कराने का कष्ट करें।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत महेवा नानकार में गाटा सं० 176 में कृषि पट्टे के आवंटियों के विरुद्ध कुछ दबंगों द्वारा फर्जी तरीके से खतौनी में नाम दर्ज कराये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद—

[मान्यवर, देवीपाटन मण्डल जनपद गोण्डा के अन्तर्गत वि०स० क्षेत्र मनकापुर ग्राम पंचायत महेवानानकार परगना, तहसील मनकापुर में स्थिति गाटा सं० 176 का रकबा बहुत बड़ा है। इस गाटा सं० में ग्राम सभा के चौसठ लोगों को 30-10-86 व 31-3-86 को कृषि पट्टे का आवंटन किया गया था और उसी पट्टे के आधार पर 1391 फसली, 1396 फसली की खतौनी में पट्टेदारों के नाम अंकित हुए थे परन्तु जब 1397 से 1402 फसली की खतौनी बनने लगी तो राजस्व अधिकारियों एवं लेखपाल की मिलीभगत से कुछ दबंगों द्वारा फर्जी तरीके से बिना किसी आदेश के खतौनी में अपना नाम दर्ज करवा लिये हैं। इसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत महेवानानकार के प्रधान द्वारा 22-5-01 को प्रमुख सचिव राजस्व को जांच करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा टास्क फोर्स से जांच कराने एवं फर्जी कामों के विरुद्ध एफ०आई०आर० करके एक सप्ताह में जांच आख्या मण्डलायुक्त आयुक्त देवीपाटन मण्डल से मांगा। परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त 15-5-01 को अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं मुख्य सचिव उ०प्र० शासन को जांच के सम्बन्ध में प्रधान एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा दिया गया परन्तु कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के ग्राम पटखनिया में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। जनपद गाजीपुर की जमानिया तहसील के अन्तर्गत पटखनिया ग्राम सभा की सार्वजनिक प्रयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि (खलिहान) तथा नवीन परती भूमि पर गाटा संख्या 620 ख, रकबा 25 बिस्वा दबंगों द्वारा बल पूर्वक कब्जा किये जाने से सैकड़ों ग्रामीण नागरिकों को दैनिक क्रिया कलापों में भयंकर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। समाज के निचले तबके के लोगों को जानबूझकर प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं से महरूम किया जा रहा है। इससे इस तबके में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। आवागमन बाधित होने से किसी भी भयावह घटना का होना लगभग सुनिश्चित हो गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सैकड़ों ग्रामीणों के दैनिक उपयोग की प्रश्नगत सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे तत्काल हटाये जाने हेतु सरकार को आदेशित करने के साथ ही सदन में वक्तव्य हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा के ग्राम छिरहुटा में कन्या प्रा० पा० हेतु सुरक्षित सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद बांदा की तहसील बांदा में ग्राम छिरहुटा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि प्राईमरी पाठशाला, कन्या प्रा० पाठशाला, खेल का मैदान गाटा संख्या444,445, 446,452आदि पर गांव के श्यामलाल पुत्र नरपत, मन्सूख उर्फ जगदीश पुत्र श्यामलाल, शिवशरण पुत्र श्यामलाल, रामलाल पुत्र नरपत, बोदला पुत्र नरपत, कलुवा पुत्र रामलाल, राजेन्द्र पुत्र बोदल, आदि द्वारा उपरोक्त भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा 26-3-2002 को 10 अप्रैल, तक अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए लोक हित की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है जिसको हटवाना अति आवश्यक है, तथा दोषी लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए जो अभी तक नहीं की गयी। अतः मैं इस लोक महत्व के विषय की तरफ माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आग्रह करता हूं कि उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की सूचना स्वीकृत करने की कृपा करें।]

जिला सहकारी बैंक आगरा द्वारा निर्मित दुकानों को टेक ओवर कर बकाया किराया वसूलने एवं मा० उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मान्यवर, आगरा सहकारी बैंक आगरा के द्वारा वर्ष 1998 में 71,महात्मा गांधी मार्ग आगरा में 13-14 दुकानों का निर्माण एक निजी बिल्डर से कान्ट्रेक्ट कर के करवाया गया, इन दुकानों को किराये पर दे दिया गया, बाद में बैंक के उच्च अधिकारियों ने एक आदेश पारित करके, इन दुकानों के निर्माण को बैंकिग एक्टिविटी के अन्तर्गत न मानकर इसको अवैध करार दे दिया। समझौते का दूसरा पक्ष देवी कन्सट्रक्शन तथा काबिज किरायेदारों ने मा० उच्च न्यायालय की शरण 1988 में ली जिससे उनको वर्ष 1989 तथा 1990 में उनके पक्ष में अन्तिम निर्णय पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के तहत वर्तमान में किरायेदार दुकानों का काबिज हैं परन्तु उक्त बैंक द्वारा दुकानों का टेक ओवर न किये जाने से किराये की क्षति हो रही है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि तत्काल सहकारिता विभाग जिला सहकारी बैंक आगरा को निर्देशित करें कि उक्त दुकानों को टेक ओवर करके उनसे 12 वर्षों का लगभग 18 लाख रुपया किराया वसूला जाये तथा मा० उच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों को भी लागू किया जाय।]

जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को विभाग को स्थानान्तरित करके एवं स्टाफ की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह यादव–

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सहसवान जनपद बदायूं प्रदेश का अति पिछड़ा क्षेत्र है।यहां पर जनजीवन की कोई सुविधा नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं। सहसवान कस्बा की 50 हजार की आबादी है। यहां शासन द्वारा वर्ष 1999-2000 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण शासन द्वारा कराया गया था। इसमें सम्पूर्ण भवन 30 शैय्या का अस्पताल व 6 डाक्टरों के आवास आदि बनकर वर्ष 2000 में पूर्ण हो चुका है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि दो वर्ष के अवधि में पूर्ण होने के बावजूद भी इस संवेदनहीन सरकार के द्वारा न तो भवन को विभाग को

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

स्थानान्तरित किया गया है और न आज स्टाफ की स्थापना तथा अस्पताल को संयंत्र दिया गया है। क्षेत्र की जनता में इस प्रकरण को लेकर भयंकर आक्रोश है क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र के भवन के निर्माण के बाद भी भवन को विभाग को स्थानान्तरित न करना तथा स्टाफ की आपूर्ति के करने से स्पष्ट है कि यह सरकार पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं करना चाहती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब कार्यवाही कराने के निर्देश शासन को देने की कृपा करें।]

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के सी०टी० ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुदयाल–

[महादेय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान न दिये जाने के तरफ दिलाना चाहता हूं। अशासकीय सहायता प्राप्त मा० वि० के सी०टी० ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है। एक अविलम्बनीय विषय है इस पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि इसी क्षेणी के जू० हा० स्कूलों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है। इस दोहरा मापदण्ड अपना गलत है। अतः इस पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3-9-2002 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिनमें पहली डा० राम बाबू हरित की, दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार व जगदम्बिका पाल की, तीसरी सूचना श्री महबूब अली की चौथी सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की पॉचवी सूचना श्री इकबाल महमूद की छठी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की। निरस्त की गई सूचनाएं मैं बताए देता हूं। श्री राम जीत राजभर, डा० अशोक बाजपेयी व श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुंवर रेवती रमण सिंह, व डा० विनोद तिवारी की सूचनाएं निरस्त की गई।

सदन की लाबी में धूम्रपान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* डा० रामबाबू हरित–

महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। यह सिगरेट के हर पैकेट व विज्ञापन आदि के साथ देना अनिवार्य है। माननीय विधान सभा पीठ द्वारा 31 मई, 2001 को यह निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश विधान सभा परिसर में तम्बाकू, पान मसाला, धूम्रपान तथा तम्बाकू से बने अन्य सभी पदार्थों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। अतः यदि कोई व्यक्ति विधान सभा परिसर में उक्त पदार्थो का प्रयोग करता हुआ पाया जायेगा तो उसे परिसर से बाहर निकाला जा सकेगा और भविष्य में विधान सभा परिसर में उसका प्रवेश निषिद्ध भी किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष के उक्त निर्णय के अनुपालन में विधान सभा की समितियों में भी पान तम्बाकू आदि का प्रयोग भी निषिद्ध किया जाता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना का आदेश पारित कर दिया है और उसके अनुपालन में 2 नवम्बर, 2001 को एक शासनादेश हुआ उसको भी मैं आपके संज्ञान में बताना चाहता हूं, मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों, पुलिस अधीक्षकों, जिलाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, समस्त विद्यालय के कुलपतियों को भेजा। जिसमें दिया गया है कि सार्वजनिक

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थलों, समस्त शैक्षिक संस्थाओं, लाइब्रेरी, न्यायिक भवनों, चिकित्सालयों, औडीटोरियम सार्वजनिक कार्यालयों सार्वजनिक उपक्रमों आदि स्थानों तथा जहाँ जन मानस का आवागमन होता रहता है, उन जगहों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा के अनुसार 500 रुपये का दण्ड लगाया जायेगा और यह धारा 278, 298 के प्राविधानों के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार से मान्यवर, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने जो विश्व तम्बाकू दिवस मनाया जाता है, उसके तहत एक कार्यक्रम लखनऊ में किया था, पटेल जी की प्रतिमा के सामने ताम्बूल की होली जलाई थी। ऐसा लग रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी चाहते हैं कि इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगना चाहिए। मान्यवर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं पैसिव स्मोकिंग या सेकन्ड हैड स्मोकिंग भी मौत का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। जो व्यक्ति धूम्रपान करता है और उसके पास जो व्यक्ति बैठता है उस पर भी उसका असर पड़ता है विशेषज्ञों की जानकारी से पता चला है कि सिगरेट पीने वालों में 8 लोगों की मौत होती है तो एक व्यक्ति बिना सिगरेट पीने वाला भी मौत के मुंह में चला जाता है। एक हवादार कमरे में यदि एक घंटे में 7 सिगरेट पी जाय तो वहाँ की हवा में कार्बन मोनो आक्साइड की मात्रा 90 पी०पी०एम० हो जाती है। उद्योगों में जो कार्बन मोनोआक्साइड की अनुमति दी गई है वह 50 पी०पी०एम० की दी गई है। मान्यवर, यही यदि एक ए०सी० कमरे में हो तो क्या भयानक स्थिति हो सकती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। विश्व में लगभग 35 लाख मौत तम्बाकू के सेवन से होती है। भारत में ही 10 लाख लोग धूम्रपान करने से मौत के शिकार हो रहे हैं। धूम्रपान करने से मुख्य रूप से शारीरिक बीमारियाँ होती हैं। इसमें कई हानिकारक तत्व पाये जाते हैं। टार, निकोटिन, कार्बन मोनोआक्साइड, रेडियम, पोटेशियम, पोलोनियम आदि। निकोटिन, सेन्टर नर्व्स सिस्टम को बिगाड़ता है जिससे लकुवा जैसा रोग हो जाता है। इसी से कैंसर की बीमारी पैदा होती है। कार्बन डाईआक्साइड आक्सीजन को कम करता है जिससे स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से भी देखें, यह जानकारी आई है विशेषज्ञों के द्वारा। एक व्यक्ति यदि वह बीस सिगरेट पीता है तो वह अपनी एक वर्ष में 51 दिन जीवन को कम करता है। उसकी 14 प्रतिशत आयु कम हो जाती है। जो जानकारी है उसके अनुसार आर्थिक दृष्टि से 25 रु० प्रतिदिन की सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपनी 40 वर्ष की उम्र में 3 लाख 65 हजार रु० की सिगरेट पी जाता है अगर इस धन को बैंक में जमा कर दिया जाए तो 40 वर्ष बाद यह धन 58 लाख तक हो जायेगा। इसी तरह से जो लोग जली हुई सिगरेट को छोड़कर चल देते हैं उससे तमाम घटनायें होती हैं। जलती सिगरेट गिरने से पूर्व में 1987 में लन्दन में भूमिगत ट्रेन में भयंकर आग लगने से 31 लोगों की मौत हो गयी थी, बुसेल्स मे 1984 में चेन स्टोर में इनोवेशन में आग लगने से 400 से अधिक लोगों की मौत हुई। इससे 56000 लोग बेघर व 13 हेक्टेयर फसल की बरबादी हो चुकी है। आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ बातें रखी है। तम्बाकू की लत से बचाने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जो इसकी लत के आदि हो गए हैं इनके लिए अलग से धूम्रपान करने के लिए कमरे की व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि ए०सी० कमरों में धूम्रपान करने पर नुकसान न हो। हम सभी विधायक जब जनता के बीच में जाते हैं, मेरा अनुरोध है तो वह भाषण देते होंगे वहां भी इसके बारे में बतायें ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। यह मेरा औचित्य का प्रश्न था।

श्री अधिष्ठाता–

विधान सभा परिसर में धूम्रपान करना निषेध है माननीय सदस्यों से मैं आशा करता हूँ कि इस आदेश का पालन करने का प्रयत्न करेंगे।

* श्री अम्बिका चौधरी—

आपके निर्देशों का अनुपालन होना है औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है और आप आशा करेंगे, आप सीधे-सीधे निर्देशित करें मैं अनुरोध करना चाहता हूँ मेरी प्रार्थना है सीधे निर्देशित करें। जो पहले से जारी निर्देश हैं उनका यदि उल्लघंन हुआ है तो किन परिस्थितियों में हुआ है यह सुनिश्चित करायें इसमें किसी हालत में ढील न दी जाए।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस पीठ से स्वतः अनुशासित एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में सबको मानता हूँ इसलिए सहयोग करने के लिए मैंने अनुरोध किया है मैं आशा करता हूँ जो निर्देश पहले धूम्रपान को इस परिसर में निषेध करने के संबंध में दिए गए हैं उसका पालन हो।

श्री अम्बिका चौधरी–

और जो परिसर में किसी को धूमपान करते हुए देखें इसकी सूचना आपको दें।

एक माननीय सदस्य–

इसके लिए अम्बिका चौधरी जी को जिम्मेदारी दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी—

अगर इलाके का कोतवाल और इलाके का चोर मिल जाए तो इलाके में अपराध रुक जाए।

* श्री प्रमोद कुमार—

बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होती है, चलने दीजिए। बहुत सी चीजें चोरी-छिपे की जाती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इस सदन में माननीय सदस्य से अपील कर देना ही पर्याप्त होगा।

विधान सभा सत्र के दौरान नीतिगत घोषणाएं सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आप तो समझते हैं। पता नहीं कौन कहाँ फँस जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे औचित्य के प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी। यह एक अत्यंत गम्भीर प्रश्न है। आपकी पीठ से कई बार स्पष्ट निर्णय हुए हैं और आपने संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुपालन में सदैव उस पीठ से एक से एक साहसिक निर्णय दिये हैं। उसमें एक निर्णय यह भी रहा है कि सदन की गरिमा की रक्षा के लिए 164(2) का उल्लंघन न किया जाय। यानि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी रहेगा। आपकी पीठ से निर्देश हुआ है कि जब सदन चल रहा हो कोई नीतिगत निर्णय सदन के बाहर न किया जाय और अगर नीतिगत निर्णय की घोषणा की जाती है तो वह आपकी अवमानना होगी, अवहेलना होती है। सदन को विश्वास में लिए बगैर कोई नीतिगत निर्णय सदन के बाहर न किया जाय। मान्यवर, उसी परिप्रेक्ष्य में पिछले सप्ताह कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हम सभी ने सुना और देखा होगा कि स्पोर्ट्स कालेज में पचास प्रतिशत आरक्षण का शासनादेश निर्गत हो गया। मैं समाचार-पत्र का हवाला नहीं दे रहा हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक नीतिगत प्रश्न है। अगर कोई नीतिगत प्रश्न दिया है, पूरे प्रदेश में प्रभाव पड़ना था तो मेरा सुझाव यह है कि 164(2) के अन्तर्गत पहले सदन को विश्वास में लेना चाहिए था। इसकी घोषणा पहले सदन में की जाती। उसके बाद शासनादेश निर्गत होता। दूसरी बात मान्यवर, यह जुगाड़ से चलने वाली सरकार है, अगर सरकार को जिन्दा रखना है तो यह करना पड़ता है। आपस में मान्यवर, रात भर चर्चाएं हुई दूसरे दिन फिर नीतिगत निर्णय लिया और पचास प्रतिशत आरक्षण वापस लेने की घोषणा सदन के बाहर कर दी। मान्यवर, यह सदन के अन्दर होना चाहिए था मगर एक बार फिर आपके पीठ की अवमानना हुई, अवहेलना हुई और इसकी घोषणा सदन के बाहर कर दी। मान्यवर, प्रश्न दो या तीन हैं। क्या इतना बड़ा नीतिगत निर्णय मंत्रिपरिषद् के निर्णय से हुआ? मंत्रिपरिषद् तो छोड़िये आज मंत्री की सहमति से भी निर्णय नहीं हो रहा है। मान्यवर, पूर्व मंत्रीगण कहते हैं कि उनके सामने कोई प्रस्ताव नहीं लाये। मौजूदा सरकार के सामने था तो अगर था तो मंत्री ने इसकी स्वीकृति प्रदान की होगी शासनादेश के पहले। मान्यवर, हम भी मंत्री रहे हैं हमें मालूम है कि ऐसे नीतिगत निर्णय मंत्रिपरिषद् लेता है या मंत्री की सहमति से लिये जाते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस नीतिगत निर्णय पर माननीया मुख्य मंत्री जो खेलकूद मंत्री भी हैं उनकी सहमति या असहमति होगी। अगर सहमति या असहमति है तो क्यों प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया और बदले गये। मान्यवर, क्या बगैर माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास में लिए हुए किसी अधिकारी ने मान्यवर, बगैर मुख्य मंत्री को विश्वास में लिए हुए, उत्तर प्रदेश की नीति बदलते हुए, बगैर मंत्रिपरिषद की सहमति के अगर यह निर्णय लिया गया है तो मेरी नजरों में वह संविधान का दोषी है। उसने अक्षम्य अपराध किया है। सचिव ने अपने स्तर से यह निर्णय लिया है। यह सचिव काफी कुख्यात है। विधान परिषद की कार्यवाही को यहाँ संज्ञान नहीं ले सकते हैं लेकिन उन्होंने विधान परिषद के सदस्यों के खिलाफ न जाने कितने मुकदमे लिखे हैं। मान्यवर, मुझे भी पर्यटन मंत्री रहने का मौका मिला। तब भी निर्णय लिया करते थे। मंत्रिपरिषद को विश्वास में नहीं लिया करते थे। मान्यवर, यह आदतन सदन की अवहेलना करने के आदी हैं। उन्हें निलम्बित किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि संविधान की अवहेलना करने के लिए क्या केवल उन्हें निलम्बित कर देना ही पर्याप्त है या आपका इसमें कोई समझौता है कि अभी निलम्बन कर देते हैं जब सदन समाप्त होगा तो बहाल कर देंगे। अगर यह बात नहीं है तो जिसने संविधान की अवहेलना की है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह सचिव संविधान के दोषी हैं, सदन के दोषी हैं इन्होंने मंत्रिपरिषद की अवहेलना की है इनके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। यह सरकार अगर यह नहीं कर रही है तो इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार भी कहीं न कहीं फँसी है। यह गलती हो गयी है। आप तो वैसे भी आज गलती करते हैं तो उसे दूसरे दिन सुधार लेते हैं। इस गलती को कब सुधारने वाले हैं? इतना तो कर दीजिए कि इन पर 420, 407, 409 का मुकदमा कायम हो जाय। यह कब किया जायेगा यह सदन को बताना चाहिए।

* श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। जो बातें श्री प्रमोद जी ने कहीं मैं यहां पर उनका उल्लेख नहीं करुँगा। मैं तो एक खिलाड़ी रहा हूँ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह कौन सा खेल खेलते थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, मैं दो यूनिवर्सिटीज में खिलाड़ी रहा हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी। मैं हाकी और फुटबाल का खिलाड़ी रहा हूँ।

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि हम हाकी और फुटबाल दोनों खेलते रहे हैं। दो विश्वविद्यालय लखनऊ और गोरखपुर से खेले हैं ईस्ट जोन से खेले हैं अन्तर विश्वविद्यालय से खेले हैं। हम लोगों ने खेल मैदान में कभी आरक्षण की बात नहीं सोची कभी हमारे कप्तान प्रवेज रहे होगें कभी जावेद रहे होंगे आज अच्छी-अच्छी नौकरी में वे लोग हैं। किस जाति के हैं किस बिरादरी के हैं खेल के मैदान में हम यह सब नहीं देखा करते थे और जब जलपान करते थे तो एक दूसरे से छीना हुआ निवाला खा लेते थे कौन हिन्दू है कौन मुस्लिम है कौन गरीब है वह नहीं देखते थे। आज खेल में आरक्षण की बात की गयी मान्यवर, इंग्लैण्ड की जमीन पर हमारे कैफ ने चार चाँद लगा दिये अगर आरक्षण की बात होगी तो शायद कैफ जैसा व्यक्ति नहीं बन सकता था।

मान्यवर, खेल में प्रतिभा के प्रदर्शन के आधार पर ही हम ओलम्पिक और एशियन गेम में मेडेल इकट्ठा कर सकते हैं। मान्यवर, किसी भी स्टेडियम में रोक नहीं हैं कि किस जाति बिरादरी का व्यक्ति वहाँ आता है। लखनऊ का स्टेडियम है हमारे जिले का स्टेडियम है मैं आज भी सुबह वहाँ जाता हूँ। चार सौ पाँच लड़के-लड़कियाँ वहाँ होते हैं वहाँ किसी की जाति-बिरादरी नहीं होती है। मान्यवर, इस निर्णय से पूरा देश और प्रदेश स्तब्ध था। अभी तक आप गाँव में चौपाल में राजनीति कर रहे थे अब आपने खेल के मैदान में राजनीति की बात की। विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाज।

मान्यवर, इसमें कहा गया कि खेल विभाग के सचिव ने यह आदेश जारी किया। मान्यवर, आजादी के बाद शायद यह पहली घटना होगी मान्यवर, नीतिगत निर्णय सरकार और मंत्री परिषद लेती है और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के आधार पर वह निर्णय होते हैं। क्या एक लोक सेवक में इतना बड़ा निर्णय ले लिया। उस निर्णय की यहाँ घोषणा न हो और जी० ओ० सारे प्रदेश में चला जाय। और भारत सरकार के खेल मंत्री उस पर नाराजगी व्यक्त करें। मान्यवर, मैं तमाम खेल संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोशिएशन और यू०पी० स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे पास तमाम फोन आये कि ये क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ जो आज तमाम सरकारी विभागों में जो खेल कोटा के पद रिक्त हैं उनको भरने की बात कही जा रही है। मान्यवर, आप एक उसमें मेरिट बना दें। और एक अभियान चलाकर उन पदों को भरें कि कौन इण्डिया खेला है कौन यू०पी० खेला है। मान्यवर, आज आप आरक्षित पदों का बैकलाग पूरा कर रहे हैं। इसी तरह से खेल कोटा के पदों को भी उसके बैकलाग को अभियान चलाकर पूरा किया जाना चाहिए।

मान्यवर, खेल में आरक्षण की बात करके आप किसी एक जाति बिरादरी को संदेश देना चाहते हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम इसलिए नहीं आये हैं कि केवल हर चीज में स्वार्थ और राजनीति हम देखें। आखिर कहीं तो हमारी जवाबदेही होगी। अगर उस सचिव ने यह फैसला लिया है तो वह निश्चित रूप से जितना भी गम्भीर अपराध हो सकता है वह उसका अपराधी है। और वह पत्रावली भी सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए ताकि वास्तविकता यह देख सकें। अभी प्रमोद जी ने जितनी सजायें तजवीज की हैं वह सजायें उनको मिलनी चाहिए। कहीं यह फैसला मुख्य मंत्री के निर्देशों पर तो नहीं हो रहा है? मान्यवर, 28 तारीख को एक नीतिगत फैसला सदन के बाहर हो गया। और फिर यह

कहा गया कि हमने खेल सचिव को निलम्बित कर दिया 31 तारीख को तो इस सदन का क्या मतलब है। मान्यवर, सरकार के फैसले लेने का उस फैसले को लागू करने का और यह नीतिगत फैसला निरस्त करने का यह सब काम सदन के बाहर होगा? सदन में छोटी-छोटी बातों की जानकारी कराने के लिए प्रदेश के तमाम मुख्य मंत्री आकर इंटरवीन करते थे, हस्तक्षेप करते थे और सदन में घोषणा करते थे जो प्रस्ताव उनका होता था। मान्यवर, आज जो यह फैसला हुआ उससे पूरे प्रदेश का सर शर्म से देश के आगे झुक गया। आज हम प्रोत्साहित करते हैं खेल के लिए ताकि हम दुनिया में एक स्थान बना सकें अब उसमें भी राजनीति शुरू हुई इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए इसको औचित्य के रूप में स्वीकार करें ताकि इस पर चर्चा हो सके।

श्री वसीम अहमद

मान्यवर, 27 तारीख को खेल बजट का प्रस्ताव आया था। मान्यवर, पहले जो सरकार रही है और यह जो मिलीजुली सरकार है यह खिलाड़ियों को खत्म करना चाहती है। मान्यवर, यह मामला मेरे संज्ञान में आया था और 27 तारीख को मैंने सदन में इसे उठाया था। मैने कहा था कि खेल में आरक्षण, मैंने कहा था कि किसी पागलपन से कैसे सरकार ने कर दिया इस तरह की हरकत किया है कि इसमें यह आरक्षण किया जा रहा है। मान्यवर, भाजपा पहली सरकार ने 30 रुपया फीस लगा दिया 30 रुपया साल में फीस लगा करती थी और अब सरकार 60 रुपया महीने फीस लगा दिया कि तब ग्राउण्ड में जा पायेंगे तो इस तरह के नापाक इरादे लेकर यह सरकार काम कर रही है। यह कहा गया कि इस सरकार को यह 29 तारीख की रात को मालूम होता है और मुख्यमंत्री कहती हैं कि उसको सस्पेन्ड कर दिया है लेकिन मैंने 27 तारीख को यह सवाल उठाया था लेकिन सरकार को ध्यान देने का मौका नहीं है मान्यवर, सदन का मजाक उड़ाने का काम किया जाता है। इनको पढ़ा नहीं जाता है, यह सरकार पढ़ने का काम नहीं करती है इसलिये जो दोषी हैं, मैं समझता हूँ कि यह सरकार दोषी है। मान्यवर, 14 तारीख को एक अध्यादेश जारी किया गया है कि बैडमिन्टन हाल में जाने वाले खिलाड़ी 300 रुपया देगें तब जाकर वह खेल पायेंगे। मान्यवर, 30 रुपये साल की फीस को भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था और इस सरकार ने खिलाड़ियों को खत्म करने के लिए अब कह दिया कि 50 रुपया 60 रुपया एक माह में लिये जायेंगे तो इस तरह की क्रूर मजाक खिलाड़ियों के साथ किया जा रहा है। इसलिये मेरे औचित्य के सवाल पर माननीय तिवारी जी ने, माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न रखा है इस पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करा लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने नियम 300 की सूचना में खेल संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में स्वयं कहा है कि उन्होंने उस अध्यादेश को वापिस ले लिया, बधाई भी दे दिया। इसमें मान्यवर, वैसे सदन में ऐसा कोई विषय है भी नहीं जो मान्यवर, आपकी पीठ के संज्ञान में हो इसलिए सदन की कार्यवाही को रेगुलेट करने और इन्फोर्स करने के लिए यह बाधक नहीं है इसलिये यह नियम 300 में ग्राह्य नहीं है।

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अधिष्ठाता जी यह नीतिगत मामला था और यह सभी जानते है कि कोई आई०ए०एस० अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वह कोई ऐसा शासनादेश जारी कर दे। यह कह कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। यह बहुत बड़ा षडयंत्र रहा है, षडयंत्र था, उसको बड़े हल्के तरीके से सरकार ने लिया है। श्री प्रमोद कुमार द्वारा सिर्फ इतनी मांग है कि केवल संस्पेंड कर देना काफी नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि खराब की है, जो जहर खिलाड़ियों में नहीं था उसको खिलाड़ियों तक पहुंचाया है। ऐसे व्यक्ति को केवल सस्पेंड कर देना ही काफी नहीं है। 27 तारीख की कार्यवाही में विधायक महोदय ने जो बात कही है आरक्षण के बारे में उस पर 27 तारीख को ही कार्यवाही हो जानी चाहिए थी परन्तु 28 तारीख को भी कार्यवाही नहीं हुई। 29 तारीख को कार्यवाही उस वक्त हुई जब पूरे देश में एक बवाला खड़ा हो गया, अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा मामला बहुत आगे पहुंच गया। पढ़े लिखे लोग हों, साफ सुथरे लोग हों यह हर जगह लड़ने वाले लोग न हो सभी ने इस पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बड़े गुस्से में आकर यह घोषणा कर दी वह सस्पेंड कर दिया गया। हाईकोर्ट में न जाने कितने ऐसे फैसले हैं कि ससपेंशन इज नो पनिशमेंट उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए थी। हमारी सरकार को यह नहीं मालूम कि अदालतों के आदेश क्या हुए हैं। ससपेंशन इज नो पनिशमेंट। मुख्यमंत्री की यह घोषणा कि उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है यह मात्र लोगों को धोखा देना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि यह काम जल्दी नहीं हो सका इसमें सरकार दोषी है, अधिकारी दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है लेकिन अगर सरकार अपने माथे से इस दोष को हटाना चाहती है तो प्रमोद कुमार ने एक बात कही है और कहने के बाद सिर्फ इतना जानना चाहा है। शेर ने एक आदमी को खा लिया उसके बाद उसकी हिम्मत बढ़ गयी इसी प्रकार उस अधिकारी ने उसने एक वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ मंत्री के साथ जिस तरह से बदतमीजी की थी उसके बाद सरकार को चाहिए था कि अपने साथी की इज्जत आबरू की खातिर यह काम पहले ही करती। उसे सस्पेंड के अलावा जेल में डाल देना चाहिए था। सरकार द्वारा प्रेस कांफ्रेस में कहा जाता है कि उस अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे, सरकार उसे दण्ड देना नहीं चाहती है। पहले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं होते थे, अब होने लगे हैं, यह भी हमारी बदनसीबी है कि हमें अपने जमाने में ऐसे राजनेताओं को भी देखना है जहां ऐसे अधिकारी के खिलाफ सिर्फ सस्पेंशन से काम होता हो और प्रेस कांफ्रेस में ससपेंड करने के बाद अधिकारियों को पद और उनकी नियुक्ति चांदी की थाली में रखकर सरकार देती हो, हम इस बात को नहीं मानते कि इसमें कोई नेकनियति है। जिसने पूरे प्रदेश का नाम कलंकित किया है, साम्प्रदायिकता फैलाने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है सरकार उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजने का काम करे वरना हम समझेंगे कि यह षड़यंत्र मुख्यमंत्री की सहमति से किया गया था।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप व्यवस्था दे देंगे तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं आशा यह करता था, संसदीय कार्य मंत्री से कि जब जवाब देने के लिए खड़े होंगे, जिसके बारे में स्वयं सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उसने गुमराह किया। किसको गुमराह किया, सदन को गुमराह किया, किसको गुमराह किया, मंत्रिपरिषद को गुमराह किया, किसको गुमराह किया, सदन को गुमराह किया जिसने सदन को अंधेरे में रखा, मंत्रि-परिषद् को अंधेरे में रखा और मंत्री को अंधेरे में रखकर उत्तर प्रदेश की इज्जत को नीलाम कर दिया और जो बात पूरी दुनिया में मजाक का विषय बनी। ओलम्पिक में आरक्षण नहीं हो रहा है, एशियाड में आरक्षण नहीं हो रहा है, कामनवेल्थ में आरक्षण नहीं हो रहा है, भारतवर्ष की किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतियोगिता में आरक्षण नहीं हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में आरक्षण। यहाँ हमारे मंत्री, वरिष्ठ साथी, योग्य साथी हुकुम सिंह जी बैठे हैं, मैंने उनको भी पढ़ा, देखा, उन्होंने कहा कि पता नहीं यह निर्णय कैसे हो गया, इस पर हम बैठकर विचार विमर्श करेंगे और इसमें परिवर्तन करेंगे। इस निर्णय से मान्यवर, हर आदमी अवाक रह गया कि उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ जा रहा है?

अधिष्ठाता महोदय, आप बहुत पुराने वरिष्ठ और योग्य हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ लोगों को नेतागिरी करने की प्रवृत्ति हो गई है, कुछ अधिकारी बैठकर राजनीति करने लगे हैं, अपने आपको बहुत योग्य समझने लगे हैं, राजनीति करना इनका पेशा हो गया है, इनका अधिकारी हो गया है। मैं तो यह कहता हूँ कि जिनको राजनीति करनी है, बेहतर होगा, कि वह अपने पदों से त्यागपत्र दे दें और चुनाव लड़कर यदि जीत जायें तो आकर हमारे बीच में बैठ जाय और यहाँ आकर राजनीति करें। लेकिन मान्यवर, जाति की राजनीति करना, साम्प्रदायिकता की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, अनुचित, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रमुख सचिव का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उसके लिये संसदीय कार्य मंत्री को कहना चाहिए था कि सदन की जो भावनायें उस अधिकारी के लिये हैं, उसके हिसाब से और कड़ी कार्यवाही करेंगे, जिसने प्रदेश को अपमानित किया है, हम उसका परीक्षण करायेंगे। इसमें यदि मुकदमा लिखाने का कोई आधार बनता है तो वह भी करेंगे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने केवल तकनीकी आधार लिया है। मान्यवर, यह सदन परम्पराओं से चलता है, नियमों से चलता है, यह आपके निर्देशों को आधार मानकर चलता है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप पीठ से यह निर्णय दे सकते हैं। जब कभी सदन के बाहर नीतिगत घोषणायें हुई हैं तो पचीसो बार मेरे राजनैतिक जीवन में यह निर्देश दिया गया है कि सदन के बाहर नीतिगत घोषणा नहीं होनी चाहिये और अगर होती है तो यह नियम 300 में औचित्य बनता है। यह नीतिगत घोषणा सदन के बाहर हुई है। नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है, उसके अन्तर्गत यह आता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप एक काम करें, इस पर आज आप अपनी व्यवस्था न दें। आपने हमें सुन लिया, सरकार को सुन लिया, अपनी व्यवस्था को सुरक्षित कर लें और अध्यक्ष महोदय के कक्ष में बैठ जायें, नेता प्रतिपक्ष को बुला लें, संसदीय कार्य मंत्री को बुला लें, मुख्यमंत्री जी को बुला लें और यदि वह सदन को कुछ बताना चाहें तो उनके विचार जान लें, जब इतना हो जाय तो मैं एक बात पर बल देता हूं। जो लोग कह रहे हैं यदि वह सच है तो इस सदन में कई बार पत्रावलियां मंगाई गई हैं और वह सदन की सम्पत्ति बनी हैं, यहाँ सदन के पटल पर पत्रावलियाँ रखी गई हैं तो आप उस सम्पूर्ण पत्रावली को सदन में रखवा दें, मुझे न दिखायें, आप स्वयं देख लें कि कैसे यह निर्णय लिया गया है, किसने दुस्साहस किया है, उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज करायेंगे? यह संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें। अन्यथा इस निर्णय को आप रोक दें, इस बीच पूरी चर्चा हो जाय। मैं आपकी वरिष्ठता के आधार पर योग्यता के आधार पर कह रहा हूं, आप साहसी भी हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर अभी निर्णय न देकर पूरा सोच विचार करके जो नई परिस्थितियां उभरी हैं, उसके अनुसार विचार करें और मुकदमा चलाये जाने का सरकार से आश्वासन दिलायें। यदि यह आश्वासन नहीं दिया जाता है तो मैं यहीं समझूँगा कि सरकार भी इसमें गुनहगार है और मैं पत्रावली रखने पर पुनः बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

यह पहले से निर्देशित है कि जिस समय सदन चल रहा हो नीतिगत घोषणाएँ सदन में की जाए, परन्तु यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिये इसे अग्राह्य किया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय जब आपने स्वीकार कर लिया है कि नीतिगत विषयों की घोषणा सदन में की जाय, तो ऐसा क्यों किया?

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 300 में नहीं आता है।

स्वीकृत अनुदानों में अधिक व्यय धनराशि के विनियमन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार 20 हजार करोड़ से अधिक पैसा, जो बजट में स्वीकृत हुआ है, उससे अधिक खर्च कर चुकी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इसमें लिखा है कि "अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है।" लेकिन मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो विधान सभा में प्रत्येक वर्ष आय-व्यय स्वीकृत होता है, लेकिन पिछले वर्ष से यह परम्परा सी बन गई है कि जो बजट की सुचिता है और इस सदन की जो प्रभावी प्रक्रिया है, कार्यपालिका उसको नजरअन्दाज कर रही है। दो वर्षों से जो धनराशि स्वीकृत होती है, उससे कहीं ज्यादा धनराशि व्यय कर दी जाती है और मान्यवर स्वार्थपरता यहाँ तक बढ़ गई है कि उस पैसे को जो धनराशि स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय की गई है, उसके विनियमन तक की कार्यवाही नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में स्वीकृत अनुदानों से 20 हजार करोड़ से ज्यादा धनराशि अपव्यय की जा चुकी है। इससे ज्यादा गम्भीर और कोई बात नहीं हो सकती है। मान्यवर, बजट का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अगर कार्यपालिका मनमाने ढंग से खर्च कर देगी। बिना किसी विधाई स्वीकृत के, बिना किसी तकनीकी स्वीकृत के और बिना किसी वित्तीय स्वीकृत के कार्यपालिका व्यय नहीं कर सकती है लेकिन मान्यवर, आज आपसे छिपा नहीं है, पिछले दिनों आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय भी थी, 100 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा बिना किसी वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और विधायी स्वीकृति के उद्यान के ऊपर खर्च कर दिया गया, विधान सभा में प्रस्ताव तक नहीं लाया गया, सामान्य बजट में चर्चा तक नहीं की गयी। लोकतंत्र में अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यय कर दे तो इससे बड़ा कोई संज्ञेय अपराध नहीं हो सकता, अगर सस्कार के खजाने का इस तरह से दुरुपयोग होगा और उस पैसे का विनियमन हो गया तो इस विधान सभा का महत्व नहीं रह जायेगा, बजट की सेनिटरी नहीं रह जायेगी। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं मान्यवर, आप स्वयं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी केवल 5 वर्षों का उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1995-96 में 621 करोड़ 42 लाख रुपया स्वीकृति से अधिक खर्च किया गया, 1996-97 में 711 करोड़ रुपया बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के खर्च किया गया, 1997-98 में 590 करोड़ रुपया तथा 1998-99 में 730 करोड़ रुपया स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय किया गया। वर्ष 1999-2000 तक 8785 करोड़ रुपये स्वीकृत अनुदान से अधिक खर्च किये गये। मान्यवर, मैंने वर्ष 2000 तक के आंकड़े दिये। आज उत्तर प्रदेश में 2 खरब, 27 अरब, 26 करोड़, 43 लाख, 7 हजार 148 रुपये का व्ययाधिक्य किया जा चुका है, विधायी

प्रक्रिया में इसके लिए एक नियम है कि अगर कोई ऐसी अपरिहार्यता आ जाती है कि स्वीकृत अनुदानों से अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है तो यह प्रक्रिया है कि वर्ष के अन्दर ही उस व्ययाधिक्य को विनियमित करने का काम सरकार तत्काल करेगी। लेकिन इस सरकार की स्वेच्छाचरिता पर कोई रोक, अंकुश नहीं है। पैसा खर्च कर लिया लेकिन उसका विनियमन नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट होगा कि इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है। मान्यवर, यहाँ बजट पर चर्चा हो रही है रात के एक-एक बजे तक माननीय सदस्य बैठकर बजट पारित कराते हैं कटौती का प्रस्ताव लाते हैं और यह कहते हैं कि अपव्यय कम हो, फिजूलखर्ची को रोका जाये और वित्तीय स्वीकृतियों के अनुरूप व्यय किया जाये लेकिन निरंकुश कार्यपालिका मनचाहे ढंग से खर्च कर रही है। बजट में पारित कुछ होता है, परिव्यय कुछ होता है। इस सरकार में कार्यपालिका मनचाहे ढंग से परिव्यय करने के लिए स्वतंत्र है। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के लिए इससे चिन्तनीय विषय और कोई नहीं हो सकता। प्रदेश में वित्तीय अनुशासन हो, कानून का राज हो, विधायी स्वीकृतियों के मुताबिक धन खर्च हो। मैं चाहूँगा कि सरकार को निर्देशित करें कि तत्काल जो 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्ययाधिक्य जो पिछले वर्षों में किया गया, सरकार तत्काल इस बजट सत्र के बाद उसका विनियमन कराये क्योंकि यह इल्लीगल खर्च हुआ है जब तक विधायी स्वीकृति नहीं हो जाती है उसे अवैध व्यय माना जायेगा अगर इनका वर्षों तक विनियमन होगा तो रिकार्ड रहेंगे नहीं, नष्ट हो जायेगें और पता नहीं चल पायेगा कि किन-किन मदों में खर्च किया गया। इससे गम्भीर विषय दूसरा नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है कार्यपालिका 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक एक्सेस एक्सपेन्डीचर कर चुकी है। इस स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगना चाहिए। कल कोई नेता सदन की कुर्सी पर बैठ जाये और मनचाहे ढंग से घोषणा कर दे 1000 करोड़ का उद्यान, 500 करोड़ रुपये का एकेडमी बनेगी तो क्या यह विधान सभा अवाक बनी रहेगी?

मान्यवर, क्या एक-एक करोड़ रुपये के हाथी लगायें जायेगें 100-100 करोड़ रुपये के उद्यान बनेगें तो बजट की सेंक्टिटी क्या रह जायेगी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, कानून का राज प्रदेश में कायम हो इसलिए प्रदेश की सच्चाई को स्वीकार करते हुए इस बात को स्वीकारे कि कार्यपालिका निरंकुश हुई है और स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय की गयी है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करिये जिन्होंने बिना किसी अनुमति के धन को खर्च करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता जी, इसी के साथ मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

•कुँवर रेवती रमण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, विद्वान सदस्य अशोक बाजपेयी ने काफी विस्तार से उन नीतियों का हवाला देते हुए एक गम्भीर प्रश्न सदन में उपस्थित किया है। इस पर जब आप व्यवस्था दें तो मैं जरूर चाहूँगा कि यह हल्का फुल्का प्रश्न नहीं है। बीस हजार करोड़ रुपए का विनियमन सरकार ने नहीं किया है। सन् 1983 से लेकर सन् दो हजार तक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। यह गम्भीर प्रश्न है। यह पूरे सदन के लिए गम्भीर प्रश्न है। यह इसलिए गम्भीर है कि यहां जो बजट पेश होता है बजट में जो प्राविधान किया जाता है उसी के अनुसार हमारी तमाम योजनाएं संचालित होती हैं। यहाँ एक परम्परा बन गई है कि कार्यपालिका पर सरकारों का अंकुश धीरे–धीरे खत्म होता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज मनमाने ढंग से तमाम ऐसी योजनाओं पर धन लगा दिया जाता है जिनकी स्वीकृति हमारे सदन से कदाचित ली नहीं जाती है। यह खुलेआम परम्परा बन गई है। संविधान के अनुच्छेद 205 को आप देखें। उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा अन्यथा नहीं।

इसमें स्पष्ट प्राविधान है। यह जो 20 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसका कहीं लेखा जोखा है। न तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में है। यह 20 हजार करोड़ रूपये कहाँ खर्च हुआ। जो धनराशि खर्च हुई उसकी विधान सभा में पुष्टि कराई गई ? कदाचित नहीं। अगर नहीं कराई गई तो इस तरह से हम छूट दे देंगे तो इससे तो इस तरह कार्य करने का बढ़ावा ही मिलेगा। यह गम्भीर प्रश्न है मैं चाहूँगा कि इस पर संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद जब आप अपनी व्यवस्था दें तो उसको सुरक्षित रख लें। सुरक्षित रखने के बाद पूरे तथ्यों पर विचार करने के बाद ही इस पर कोई व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय लोक लेखा समिति के क्षेत्राधिकार का है।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)

जहाँ तक अधिक व्यय का प्रश्न है तो जो भी अनुदान स्वीकृत होती हैं उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी आपत्ति करते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के परीक्षण के बाद वह विषय लोक लेखा समिति के समक्ष रखा जाता है। लोक लेखा समिति उसकी संस्तुति करती है। लोक लेखा समिति विनियमन करने का निर्देश देती है। जिस तरह से अनुच्छेद 205 का उल्लेख किया गया है उसमें यह व्यवस्था है। जो अतिरिक्त धन खर्च होता है उसका विनियमन करने की संविधान में व्यवस्था है। उसका परीक्षण सी०ए०जी० द्वारा किया जाता है। वह रिपोर्ट लोक लेखा समिति के समक्ष रखी जाती है। इसके बाद लोक लेखा समिति अपनी संस्तुति करती है। उसके बाद विनियमन होता है। इसके बाद लोक लेखा समिति अपनी संस्तुति करती है अभी तक यही प्रक्रिया होती है। सदन के समक्ष कोई ऐसी बात नहीं है। यह नियम 300 में ग्राह्य नहीं है।

डा० अशोक बाजपेयी–

संसदीय कार्यमंत्री जी ने विनियमन की प्रक्रिया बताई है। हमने औचित्य के प्रश्न के रूप में यह प्रश्न उठाया कि आपने जो इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय कर लिया बिना वित्तीय स्वीकृति के यह एक वर्ष की बात नहीं निरन्तर की प्रक्रिया बन गई है।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट)

यह कार्य पालिका की आदत बन गई है। बजट में स्वीकृत धन के अतिरिक्त अपने मनमाने ढंग से खर्च कर रहे हैं। जो प्रक्रिया विनयमन की बताई है। मान्यवर, जो कार्य पालिका की निरंकुशता है, वित्तीय अनुशासनहीनता है, बगैर स्वीकृति के अतिरिक्त धनराशि व्यय कर ली जाय। किसी राज्य में वित्तीयअनुशासन कैसे कायम होगा। प्रदेश का जो पूरे वर्ष का बजट बनता है वह सब आर्थिक संसाधनों को देखते हुए कि प्रदेश का राजस्व कितना है, बाह्य सहायता कितनी मिल रही है, इस सब को दृष्टिगत रखते हुए विभागवार बजट बनाया जाता है और आवंटन किया जाता है। लेकिन जब कार्य पालिका ही स्वीकृत बजट के अतिरिक्त बगैर किसी स्वीकृति के धन व्यय कर रही है, अनदेखा करके मनमाने तरीके से कार्य कर रही है, स्वैच्छाचारिता से तो फिर विधायी नियंत्रण क्या रह जायेगा। यह तो जो प्रक्रिया माननीय मंत्री जी बता रहे थे यह विनयमन की प्रक्रिया है कि जो तत्काल व्यय अधिक हुआ है उसको लोक लेखा समिति के सामने ले जायं और उसका सारा लेखा जोखा उसमें रखा जायं कि क्या कारण था, क्यों व्यय अधिक हुआ है। तब इसको वहां से विनयमन के लिये प्रस्ताव कराया जाया। मान्यवर, प्रश्न विनयमन का नहीं है। प्रश्न यह है कि कार्य पालिका जिस तरीके से स्वैच्छाचारिता से व्यय अधिक कर रही है, बिना स्वीकृत के अधिक व्यय हो रहा है, उस पर अंकुश लगाये जाने की बात है। जिससे प्रदेश में वित्तीय अनुशासन कायम हो सकें। प्रदेश में कम से कम कानून का राज बना सकें और कार्य पालिका स्वतंत्र आचरण न कर सके।

श्री अधिष्ठाता–

डा० अशोक बाजपेयी जी को आरम्भ और अन्त में सुना, रेवती रमण सिंह जी व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद यह पाता हूँ कि यह विषय लोक लेखा समिति के अधिकार क्षेत्र का है। इसी के साथ इसको निस्तारित करता हूँ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

श्री महबूब अली की सूचना नियम 300 में थी लेकिन वह नियम–56 के अन्तर्गत सुनी जायेगी। शारदानंद अंचल जी की सूचना को नियम–51 में परिवर्तित कर दिया गया है। श्री इकबाल महमूद की भी सूचना नियम–51 में कर दी गई है। विशम्भर प्रसाद निषाद जी की सूचना भी नियम-51 में कर दी गई है। श्री रामजीत राजभर और डा० विनोद तिवारी की सूचनाएं निरस्त कर दी गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 81 वां प्रतिवेदन +

* श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 81 वां प्रतिवेदन जो गृह, गोपन एवं कारागार विभागों (वर्ष 1986 से 2001) के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 82 वां प्रतिवेदन +

* श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 82 वां प्रतिवेदन जो कृषि एवं लोक निर्माण विभागों (वर्ष 1984 से वर्ष 2000) के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कुछ नहीं है।

लोक निर्माण विभाग मे अवर अभियन्ता सिविल के पदों को कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप के क्रम में कार्यभार ग्रहण कराये जाने विषयक श्री रलेश कुमार तिवारी निवासी जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

* श्री शाचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता सिविल के 476 पदों को कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–28/5/80 का -4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के क्रम में कार्य भार ग्रहण कराये जाने विषयक श्री रलेश कुमार तिवारी निवासी जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पीलीभीत में ग्राम अमरिया में उदयपुर तक की सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री इरशाद मिंया आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री रियाज अहमद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत ग्राम अमरिया से उदयपुर तक की सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री इरशाद मियां तथा श्री मो० ताहिर व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

+ छपी नहीं गयी।

जनपद फिरोजाबाद में नई आबादी अजमेरी गेट की गलियों में सड़क एवं नालियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हादी जावेद आदि की हस्ताक्षरित याचिका +

श्री अजीम भाई–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत नगर की नई आबादी अजमेरी गेट की 30 गलियों में सड़क एवं नालियों के निर्माण कराये जाने विषयक श्री हादी जावेद तथा श्री याकूब मुल्ला जी निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद जालौन में जोल्हूपुर हमीरपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष परमार आदि की हस्ताक्षरित याचिका +

* डा० अरूण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जालौन स्थित जोल्हूपुर (काल्पी) हमीरपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष परमार तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 10 में कुछ नहीं है।

(मद संख्या - 11 में मंत्री जी के अनुपस्थिति होने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह –

मंत्री सदन में नहीं रहते हैं यह कहाँ तक अकेले बोझा ढोयेंगे?

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश सं०–44(1) के अर्न्तगत श्री गोरखनाथ पाण्डेय के तारांकित प्रश्न सं०-1 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में मा० खाद्य एवं रसद मंत्री का शोधन वक्तव्य।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)

श्रीमान आदरणीय महोदय, दिनांक 21-5-2001 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या -1 के सम्बन्ध में श्री रघुबर दयाल वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा ने अतिरिक्त प्रश्न पूछा था कि "मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पेटी डीजल डीलरों की जो दुकानें आवंटित होती हैं क्या उसमें बी०सी०, एस०सी० एवं अन्य वर्ग के लिये आरक्षण की कोई नीति है और दूसरा प्रश्न ये एप्लीकेशन फार्म प्राप्त हुई, क्या आरक्षण कोटा तय कर दिया गया है कि अमुक–अमुक स्थान बी०सी०, एस०सी० का संवर्ण में जायेंगे, क्या इनका संचालन इन आधार पर हो गया है यदि नहीं हुआ तो कब तक करा देंगे?

2— उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, रघुवर दयाल वर्मा जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि पेटी डीजल डीलर के लिए आरक्षण तय है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 30 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और इसके अतिरिक्त होरिजेन्टल आरक्षण की भी व्यवस्था है। इसमें महिलाओं को 20 प्रतिशत, लड़ाई में घायल सैनिक के परिवारों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 08 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी विधवा के लिए 01 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है।

+ छापी नहीं गयी।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

3— उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:–

"अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 02 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत और इसके अतिरिक्त होरिजेन्टल आरक्षण की भी व्यवस्था की गयी है, जिसमें महिलाओं को 20 प्रतिशत, लड़ाई में मारे गये सैनिक परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल हुये सैनिक के परिवार के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक 8 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी पत्नी/विधवा को 05 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों को 02 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

4— मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित मा० सदस्य विधान सभा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न—1 एवं उसका उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या छोटे डीलरों को लाईसेंस देने पर सरकार विचार कर रही है?	1 ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कृषि कार्य की सुविधा के लिये डीजल के फुटकर विक्रेता नियुक्त है तथा शासनादेश संख्या —78/29-7-2001— डी (15)/2000 दिनांक 4 जनवरी, 2001 द्वारा पुनः आवश्यकतानुसार नये पेटी डीजल डीलरों की नियुक्तियाँ भी प्रक्रिया में है। पेट्रोल का लाइसेंस भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मिट्टी तेल के वितरण हेतु थोक विक्रेताओं के अतिरिक्त ब्लाक स्तर पर ब्लाक वितरक,रिटेलर्स तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियुक्त सरकारी सस्ते की उचित दर की दुकानों के माध्यम से मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है।
यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा क्या है?	पेटी डीजल डीलर का लाईसेंस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को लाईसेंस प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। प्रेट्रोल पम्प का लाईसेंस भारत सरकार एवं सम्बन्धित तेल कम्पनी से दिया जाता है। मिट्टी तेल के थोक विक्रेता का लाईसेंस भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का लाइसेन्स राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है जिसके माध्यम से मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 +

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

(व्यवधान)।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को नियम– 56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री अम्बिका चौधरी, डा० अशोक बाजपेयी, श्री शिवपाल सिंह, श्री बलराम यादव, श्री ओम प्रकाश की है दूसरी सूचना मोहम्मद रिजवान की है। तीसरी सूचना श्री रामगोविन्द चौधरी की है, चौथी सूचना श्री रामजीत राजभर की है पांचवी सूचना श्री रामविशुन आजाद की है छठी सूचना डा० शिवप्रताप यादव की है।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचनाएं

विशेष उल्लेख में श्री बंशीधर राज, श्री महबूब अली तथा श्री ब्रहमाशंकर त्रिपाठी, श्री राधेश्याम सिंह, श्री महबूब अली तथा श्रीकिरन पाल सिंह आदि की सूचनाएं हैं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले नियम 56 की पहली सूचना को ले रहा हूँ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे नियम–56 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की जिस घटना के सम्बन्ध में मैंने जो पहली सूचना दी है, उसको संक्षेप में आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। श्रीमन् यूँ तो पूरा प्रदेश सरकार के रवैये के कारण आतंक में जी रहा है लेकिन विशेषकर ददुआ का आतंक साधारण आतंक नहीं है। ददुआ ने कोई एक अपराध ऐसा नहीं किया है कि बाराबंकी में तीन लोगों की हत्या कर दी, फैजाबाद में दो लोगों की हत्या कर दी। ददुआ उर्फ श्री शिव कुमार द्वारा अपराध हजारों में किये गये हैं। दो सौ उत्तर प्रदेश की सीमा में और तीन दर्जन मध्य प्रदेश की सीमा में दर्ज है। मान्यवर, ददुआ का आतंक एक संगठित आतंक है और यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि वह अकेले एक अपराधी गिरोह बनाकर लोगों को आतंकित करने का काम नहीं कर रहा है उसको पूरी तरह से मान्यता देने का काम सत्ता पक्ष में बैठे हुए [* * * *] कर रहे हैं।

नोट + दिनांक 9-9-2002 के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

नोट :- [* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, इनकी स्थिति सिर्फ यह नहीं है, जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात के लिए जवानी आधार पर यह नहीं कहना चाहता हूँ। यह नहीं कहना चाहता हूँ कि अमुक अखबार को देख लें और अगर कतरन आधार बनता होता तो आप देख लें उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन उसकी खबर होती है। मान्यवर, जो मुकदमे दर्ज हुए है, बी०एस०पी० की बात हुई, में तो यह सोच रहा था कि शर्म करेंगे लेकिन यह तो शोर मचाने का काम कर रहे हैं तो मुकदमा नम्बर—48 के बारे में बताना चाहता हूँ। आज जाँच कर लीजिये। एक अगस्त को चित्रकूट में मानिकपुर चमरोहा में पुलिस मुठभेड़ में गिरोह के चार सदस्य जो ददुआ गिरोह के थे, मारे गये। उनकी तालाशी हुई तो उनकी जेब से जो रेल का कूपन मिला वह बी०एस०पी० के विधायक का रेल का कूपन था। भागीदारी इतनी होगी, रेल के कूपन में बन्दूक के लाइसेंस में, हथियारों के जखीरे में, उनको शरण देने में, सरकारी संरक्षण देने में सभी तरह से मदद की जा रही है। पूरी तरह से इसकी तफतीश हुई और तफतीश के बाद अपराध संख्या—42/98 में चर्जशीट दाखिल हुई धारा 216 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए। बाकायदा आरोप—पत्र दाखिल हुआ। मान्यवर, बी०एस०पी० विधायक के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ और दूसरी साक्ष्यों 147, 148, 149 तथा 307 के तहत 12/141 की कार्यवाही हुई।

मान्यवर, ददुआ की साख बढ़ते—बढ़ते यहाँ तक पहुँच गयी कि इलाहाबाद में कुँवर रेवती रमण सिंह जी के विरुद्ध ददुआ के भाई को टिकट देकर उसको राजनीतिक मान्यता देने का काम किया गया। अपराधों की जो श्रृंखाल चल रही है उस श्रृंखला के माध्यम से आतंक फैलाने का काम किया जा रहा है मान्यवर, 40-40 राइफलधारी, आयोग के सदस्य के नाम पर, मंत्रिमणडल के सदस्य के नाम पर लोगों के बीच में जाकर यह कहने का काम किया जाता है कि अभी तो एक हत्या हुई है दर्जनों हत्या कर दों हम तुम्हारे साथ है। ददुआ के लोग नारा लगाते हैं कि—मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली छाती पर, लाश मिलेगी घाटी पर। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए वह राजनीति में आने का काम, हत्या करने का काम कर रहें हैं।

मान्यवर, इसकों पकड़ने के लिए बांदा में एस०ओ०जी० की एक टीम बनायी गयी और आपरेशन ददुआ के नाम पर पुलिस ने आपरेशन चलाया। अपनी जान पर खेल कर ददुआ गिरोह का उन्मूलन करने का प्रयास किया। उनको उसका परिणाम यह मिला कि जिन डी० आई० जी० के नेतृत्व में जिस टीम ने तीन दिन तक काम्बिंग की उस डी०आई०जी० का ट्रान्सफर हो गया। एस०पी० का ट्रान्सफर हो गया। उस कप्तान की टीम के सी०ओ०, एस०आई० इंस्पेक्टर का ट्रान्सफर हो गया। इतना ही नहीं दोनों सम्बन्धित विधायकों को 17.6.02 को पत्र के माध्यम से यह बताया गया। कान्सटेबिल—कमल दीक्षित थाना कर्वी, अश्विनी मिश्रा, जगत यादव, देवानंद मिश्रा, वाहिद खान, समर सिंह यादव रामफेर यादव, इरफान, अजय सिंह, राजपाल, लाल बहादुर यादव, अमरनाथ त्रिपाठी, इन लोगों का ट्रान्सफर करके दूरस्थ भेज दिया गया है। उनको जी०आर०पी० में भेज दिया गया या अन्य जगहों पर भेज दिया गया। मान्यवर, इन नामों की एक प्रति मेरे पास है। इसमें मुख्यमंत्री जी के सचिव श्रीकृष्ण जी के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने यह आदेश करके आई०जी० स्थापना को पत्र भी दिया। मान्यवर, 50 करोड़ रुपये ददुआ के आतंक से इस प्रदेश को बचाने में खर्च हो चुके हैं। पूरी तरह से संलिप्त हैं ददुआ के साथी इस कारगुजारी में। संलिप्त लोगों ने पूरी मदद देने का काम किया है। उनका आतंक घटने के बजाय बढ़ रहा है। मान्यवर, आज उस इलाके में चाहे दवा का व्यवसायी हो या कोई और प्रत्येक वर्ग के लोग आतंकित हैं। मान्वर, वहां समाजवादी पार्टी के लोगों पर न सिर्फ उनकी मारपीट की घटनायें उनको आतंकित करने की घटनायें लगातार जारी हैं। यह सरकार 50 करोड़ रु० इस पर खर्च कर चुकी है उस पैसे को पलीता लगाने का काम हुआ है। ददुआ के आतंक को लगातार बढ़ते देने का काम जारी है। अब वह निशाना कुंवर रेवती रमण सिंह जी की तरफ हो गया है। यह हमारे लिये कितने मूल्यवान है इस सदन के लिए कितने मूल्यवान हैं हमारी पार्टी और समाज के लिये कितने मूल्यवान हैं। मैं अलग से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह या किसी माननीय सदस्य पर ऐसी कोई

गंभीर परिस्थिति उपस्थित की जाती है तो वह कितनी गंभीर बात है। कहीं ऐसा कुछ हो जाये कि उनके इर्द-गिर्द छोटी भी घटना हो गयी तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक क्या परिस्थितियां पैदा होगी कितनी भयावह स्थिति पैदा होगी। श्रीमन्, इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आप सरकार को सीधे सीधे निर्देशित करें कि किसी अपराधी के मन्सूबे को वह राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोगी न हों; लोगों को एम०एल०ए०, एम०एल०सी० बनाने में मदद लिये हैं।आप उनकी मदद में लगे हुए हैं बी०एस०पी० की ओर से कोई बहुत बड़ा एवार्ड आप दे सकते हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलकर ददुआ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। लेकिन किसी तरह से आतंक फैलाने की इजाजत इस प्रदेश में नहीं होनी चाहिये। इस प्रश्न पर बल देते हुए इस गंभीर प्रकरण पर चर्चा के माँग करता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जब रक्षक ही भक्षक बन जाये तो प्रदेश का जनजीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। आज प्रश्न ददुआ का नहीं है। 17 करोड़ जनता ने जितने हाथों में बागडोर सौंप कर अपने जीवन की सुरक्षा की कामना करती है ऐसी सरकार के चलते उनका जीवन असुरक्षित हो। उसे सरकारी संरक्षण में उत्तर प्रदेश को एक नया बनने वाले वीरप्पन को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश में दूसरा वीरप्पन पैदा करने का काम किया जा रहा है। आज की वारदातें बढ़ी हैं। विपक्ष के लोगों को जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। इन अपराधियों का कोई चरित्र नहीं होता है। मान्यवर, यह संकेत है कि पता नहीं कब किसका अपहरण हो जाये, सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति का हो जाये। आज वीरप्पन के सामने शरणागत हो गयी है वहां की पूरी सरकार।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी कार्यपालिका पंगु हो गयी है क्योंकि उसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है। सत्ता दल के सांसद और विधायक अपना अभयदान दे रहे हैं। मान्यवर, कौन जिलाधिकारी की हिम्मत है किस पुलिस अधीक्षक की हिम्मत है कि उस ददुवा पर उंगली उठा सके मान्यवर, रेडकार्पेट इसके लिए बिछाई जा रही है। मान्यवर, जो लोग आपरेशन डकैत में ददुआ के आपरेशन में लगे थे उसके लिए एसओजी बनाई गयी थी, एसटीएफ बनाया गया था उससे ददुआ आपरेशन हो रहा था। तो यह बात ठीक नही लगी और सत्तादल के विधायकों ने एक फरमान आदेश जारी करा दिया कितमान एसओजी और एसटीएफ में लगे सिपाहियों को जीआरपी में भेज दिया जाय और तत्काल उस पर सचिव मुख्यमंत्री के आदेश जारी हुए और ददुआ के रास्ते में आने वाले बाधक पुलिस कर्मियों को बहुत दूर भेज दिया गया। मान्यवर, जिलाधिकारी बांदा का एक पत्र आपकी जानकारी के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। जगन्नाथ सिंह, जिलाधिकारी का पत्र है, जिलाधिकारी निवास चित्रकूट सितम्बर 23, 2000 का इसमें हैं–प्रिय महोदय, श्री विवेक अग्रवाल, संवाददाता यू०एन०आई० जनपद चित्रकूट द्वारा समाचारपत्रों की कतरन सहित अपना प्रार्थनापत्र दिनांक 20-9-2000 अनुरोध के साथ दिया है कि मा० सांसद, बांदा [* * *] द्वारा उन्हें जान से मार डालने तथा उन्हें व उनके भाई श्री अजय अग्रवाल, संवाददाता राष्ट्रीय सहारा को ददुवा से उठवाकर बोटी-बोटी करवा देने की धमकी दी गयी है। इस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रार्थी को तथा उसके निवास पर यथोचित सुरक्षा व्यवस्था देने तथा प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही करने संबंधी निर्देश दिये गये थे। परन्तु पूर्व दृष्टांतों एवं घटनाओं के परिदृश्य श्री अग्रवाल अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। माननीय सांसद बांदा [* * *] का दस्यु ददुवा से संबंध सर्वविदित है। श्री विवेक अग्रवाल तथा अजय अग्रवाल एक प्रतिष्ठित व्यापारी एवं पेट्रोल पम्प के मालिक भी हैं ऐसी दशा में इनको डरना व असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक है। अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री विवेक अग्रवाल व उनके भाई का प्रार्थना पत्र संलग्नानुसार प्रेषित करते हुए उन्हें गनर की सुविधा उपलब्ध करायी जाने के संबंध में संस्तुति की जाती है। संलग्नक–प्रार्थना-पत्र, समाचार पत्रों की कतरन सहित।

नोट _ [* **] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, प्रमुख सचिव गृह को जिलाधिकारी बांदा ने यह पत्र लिखा है। मान्यवर, जहाँ इस तरह से खुले रूप से संरक्षण प्राप्त है। मैंने अभी एक पत्र का उल्लेख किया है। मान्यवर, ददुआ के भाई को टिकट देकर कुँवर साहब के विरोध में लड़ाया गया। ददुआ का भाई लड़ा उसके रास्ते में कोई बाधा आ गयी। मान्यवर, उससे पूरा जनपद आतंकित है। एक दिन पैसा बांटने के लिए तमाम बड़े बड़े डकैत पैसा बांटने जा रहे थे जो अपहरण के माध्यम से कमाया था पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई एक आदमी मारा गया। लेकिन उस बेचारे पुलिस अधीक्षक ने जिसने ददुआ के खिलाफ मुठभेड़ की हिम्मत की थी उसके तत्काल हटा दिया गया। आज जिस तरह से 50 करोड़ से अधिक ददुआ आपरेशन पर खर्च हो चुका है किस मुँह से सत्तादल के लोग कहते हैं कि हमारे दल मे हम अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे। इसी ददुआ के भाई को करछना से चुनाव लड़ाने का काम किया गया है, आतंक के बल पर, रायफलों के साये में चुनाव लड़ाने का काम किया गया है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में डकैतों को टिकट देकर सत्ता पर काबिज कराना चाहती है। मान्यवर, अगर इस तरह से होगा तो हम इस प्रदेश की 17 करोड़ जनता को सुरक्षा देने का काम कैसे कर जायेंगे। मैं एक जानकारी आप के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ददुआ के पुत्र के विवाह के समय मंत्री विधायकों के गनरों ने जमकर फाईरिंग की। मंत्री जी बैटे रहे सांसद बैठे रहे। पुत्र की खुशी में ददुआ भी मौजूद था और धड़ाधड़ फायरिंग हुई हजारो राउण्ड फायरिंग हुई उनसे कैसे पुलिस बोले?

उसके सांसद बैठे थे, विधायक बैठे थे और सारी कार्बाइन जो मंत्रियों की सुरक्षा के लिए थी ददुआ का वैभव बढ़ाने के लिए ददुआ की मौजूदगी में एक नहीं हजारों राउण्ड फायर हुए। मान्यवर, कैसे पुलिस बल उसका सफाया कर सकता है जहां सरकार का संरक्षण हो सारे मंत्री ददुआ का समर्थन कर रहे हों। ददुआ कोई सामान्य डकैत नहीं है। दो सौ से ज्यादा अपराध ददुआ कर चुका है। बाकी मुकदमें लोगों में हिम्मत नहीं है कि अदालत में पंजीकृत करायें। पिछले 15 सालों से वह टाप लिस्ट में है, दो लाख का इनाम है उस पर।

बहुजन समाज पार्टी के सांसदों विधायकों की जानकारी है कि ददुआ इस समय क्या कर रहा है आज उसका डिनर कहां है, उसका लंच कहाँ है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हो रही है कि आपरेशंन ददुआ चलायेंगे और दोनों सरकारें मिलकर ददुआ का सफाया करेंगे अगर सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखायी और ददुआ का सफाया न किया तो वह दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक नया वीरप्पन पैदा हो जायेगा। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों चाहे विपक्ष के हों उस बहसी के हाथों में अगर किसी सदस्य का खून लग गया तो कोई सुरक्षित नहीं होगा। यह किसी के नहीं होते। इससे ज्यादा कोई गंभीर विषय नहीं हो सकता। कुंवर रेवती रमण सिंह की जान को खतरा है वह लोगों को खुलेआम दहसत पैदा कर रहा है, आतंक के साये में प्रदेश जी रहा है। कुंवर साहब अपने क्षेत्र में दौड़ा नहीं कर सकते, इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है। कुंवर साहब शान्ति प्रिय व्यक्ति हैं अहिंसा में उनका विश्वास है। ददुआ की सारी फौज लगाने के बाद भी जब उसका भाई बाल कुमार नहीं जीत पाया तो कुवंर साहब के जीवन को खतरा पैदा कर दिया है। इससे ज्यादा गंभीर विषय और कोई नहीं हो सकता। आज सारे नियमों को निलंबित करके इस पर चर्चा करायें। इस पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिये हैं। यह सरकार स्वतः कोई कदम नहीं उठायेगी इसलिए पीठ से आग्रह करूंगा कि ददुआ के सफाये के लिए सरकार को निर्देशित करें। अगर चाहते हों कि प्रदेश भयमुक्त बने, प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो तो मंत्री जी आगे बढ़कर कुछ करने का निर्णय लें। जनता की कसौटी पर जो दामन में काले दाग लगे हैं उनको धोकर पवित्र होने का काम करें, क्योंकि ददुआ के बल पर आपकी सरकार बनने वाली नहीं है।

(घोर व्यवधान)

ददू प्रसाद–

मान्यवर, इस सदन की सर्वमान्य परंपरा है कि नाम लेकर जो माननीय व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं जबाब देने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकते [×××] इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनके ऊपर की गयी अक्षिपात्यक की टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए। माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी इस सदन को बतायें कि बाल कुमार पटेल के ऊपर कितने केस दर्ज हैं उन्होंने कितने लोगों का मर्डर किया है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैंने या डा० अशोक बाजपेयी ने किसी का नाम नहीं लिया। ददुआ का नाम लिया है।

(सत्ता पक्ष से टोकाटाकी पर व्यवधान)

श्री आर० के० सिंह पटेल–

[×××] का नाम लिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने व अशोक बाजपेयी ने किसी पर आक्षेप नहीं लगाया है। अगर ददुआ का नाम लेने से मेरे मित्र आहत हुये हैं तो मैं उनसे कहूँगा।

(पुनः दोनों पक्षों से टोकाटाकी पर व्यवधान)

श्री ददू प्रसाद–

जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिये। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि एक दूसरे को सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। सुनने के बाद उत्तर दिया करें।

श्री ददू प्रसाद–

[×××] का नाम लिया गया है। यह अनुचित है।

(पुनः टोकाटाकी पर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी सन्दर्भ में नाम लिया गया है। डकैतों का नाम लेंगे, डकैतों के संरक्षकों का नाम लेंगे।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी पर व्यवधान)

श्री आर० के० सिंह पटेल–

अधिष्ठाता महोदय, [×××] ददुआ का भाई है। यह सच है लेकिन माननीय चौधरी साहब ने उल्लेख किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसकी क्राइम हिस्टरी मंगा ली जाय, यदि सिंगल क्राइम भी हो तो [×××] दोषी है और अगर बाल कुमार पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तो बाल कुमार ददुआ का भाई हो सकता है। जो लोग ददुआ के बिरादरी हो सकते हैं, लेकिन वह सब डकैत नहीं हो सकते। यह आरोप जो लगाया जा रहा है, वह झूठा लगाया जा रहा है।[1]

(व्यवधान)

नोट–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम 56 के तहत माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो मामला रखा है वह ददुआ डकैत से सम्बन्धित है और ददुआ डकैत के संरक्षकों से सम्बन्धित है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें। अभी इन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, ददुआ का जितना आतंक है उसकी तफ्शील में इस लिये नहीं जाऊंगा क्योंकि अम्बिका चौधरी जी ने और अशोक बाजपेयी जी ने ददुआ के बारे में बताया है। दो सौ मुकदमें उत्तर प्रदेश में, तीन दर्जन मुकदमें इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में हैं, ऐसा डकैत, हत्यारा अपहरण करने वाला, डकैतियाँ डालने वाला, जिसके लिये स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई हो। मान्यवर अगर उसके भाई को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया और यह मानते भी हैं कि हमने एक ऐसे शातिर बदमाश और एक ऐसे कातिल और हत्यारे के सगे भाई को टिकट दिया है। तो मान्यवर, यह बड़े फख्र की बात हो सकती है, इनके लिये। बहुजन समाज पार्टी में जहाँ बहुत से अपराधी है और अगर ददुआ के सगे भाई को कुंवर रेवती रमण सिंह जैसे नेता के खिलाफ अगर बहुजन समाज पार्टी ददुआ जैसे नामी डकैत, हत्या और अपहरण करने वाले के सगे भाई को टिकट देती है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मानसिकता का ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के उस तरीके का भी पता चलता है कि यह किस तरह के अपराधियों के पांवों पर खड़ी हुई पार्टी है। ददुआ का छोटा भाई अगर अपराधी है मान्यवर, यह पुलिस का रिकार्ड है और पुलिस रिकार्ड में अपराधियों के नामों में ददुआ के भाई का भी नाम शामिल है। पहला नाम यह उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का रिकार्ड है, ददुआ का सगा छोटा भाई, पहले नम्बर पर है जिसे बहुजन समाज पार्टी ने कुंवर रेवती रमण सिंह के खिलाफ टिकट दिया था।

(व्यवधान)

* श्री आर० के० सिंह पटेल–

मान्यवर, कोई एक थाने का उल्लेख कर दें जहाँ उसका नाम किसी मुकदमें में दर्ज हो, आल इण्डिया में कोई भी एक थाना बता दें। मान्यवर, जब [x x x] की सरकार थी तो कुर्मी बिरादरी को चुन-चुन कर पाँच सौ कुर्मियों को जेल में ठूँसने का काम किया था, जाति बिरादरी के नाम पर।

(व्यवधान)

श्री आर० के० सिंह पटेल–

एक जाति विशेष को अपराधी मान लेना कहाँ का न्याय है। 1989 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने जनपद चित्रकूट बांदा के एक जाति विशेष के 500 सम्भ्रान्त कुर्मी परिवारों को जेल में डालने का काम किया।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा अपने-अपने आसन से खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, यह डकैत को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री आर० के० सिंह पटेल–

डकैतों को संरक्षण देने वाले बैठे हुये हैं, माफिया डान बैठे हुये हैं।

(शोर/व्यवधान)

नोट–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जो इस सम्मानित सदन का सदस्य नहीं है उसके ऊपर आक्षेपात्मक टिप्पणी नहीं आनी चाहिए, अगर आयी है तो उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। (शोर/व्यवधान)

श्री आर० के० सिंह पटेल–

आपके बीच बैठे हुये सदस्य बिहार की रणवीर सेना के सदस्य है।

(शोर/व्यवधान)

श्री दद्दू प्रसाद–

अधिष्ठाता जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप बैठ जाइये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

माननीय अधिष्ठाता जी बहुजन समाज पार्टी के कुछ सदस्य डकैतों की बड़ी हिमायत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री दद्दू प्रसाद–

हमारी सरकार ने तो इनाम घोषित किया है, संरक्षण तो आप कल इस सदन में दे रहे थे। सदन के अन्दर ही अपराधी को संरक्षण दे रहे थे।

श्री अधिष्ठाता–

श्री दद्दू प्रसाद जी ने जो आपत्ति उठायी है, उसे कार्यवाही में देख लूँगा और उस पर विचार कर लूँगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

माननीय अधिष्ठाता जी, ददुआ डकैत के एजेण्ट्स यहाँ मौजूद हैं और ददुआ डकैत के भाई की जितनी मजबूत वकालत [x x x] कर रहे हैं।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, सीधा आक्षेप है।

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक मा० सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, कृपया उनको सुन लीजिये

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

अधिष्ठाता जी अगर डकैतों को डकैत न कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के एम०एल०ए० बता दें कि क्या कहा जाए। [×××] जो ददुआ डकैत की वकालत कर रहे हैं। उससे सदन का समय बहुत खराब हो चुका है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट–[xxx] यस अंश श्री अधिष्ठता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री दद्दू प्रसाद–

मेरा फिर व्यवस्था का सवाल है।

संसदीय कार्य, वस्त्रोउद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार है लेकिन [×××] की बात करके कि वह डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं उनकी वकालत कर रहे हैं।....

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

किसी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। न इधर के लोगों को न उधर के लोगों को।

श्री कुंवर रेवती रमण इस सदन के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उनसे सम्बन्धित मामला है। उसी बिन्दु पर बोलना चाहिए जो विषय आपने सूचना में दिया है। ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिससे उत्तेजना फैले। विषय तक ही अपने को सीमित रखेंगे। तो ठीक होगा।

श्री दद्दू प्रसाद–

इनको [×××] से क्या आपत्ति है। इनको [×××] से क्या आपत्ति है। जिन पर इनके गुण्डों ने हमला बोला वह आपत्ति है। ददुआ के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी व्यवस्था पर मैंने उत्तर दे दिया। अब सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मुझे खुशी होती अगर संसदीय कार्यमंत्री जी इन डकैतों के खिलाफ इन आतंकियों के खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बात कहते। लेकिन आज मुझे पहली बार संसदीय कार्यमंत्री को जैसा मैं समझता हूँ कि वह सुलझे हुए एक चरित्रवान व्यक्ति हैं लेकिन आज ऐसा रूप उनका देखने को नहीं मिल रहा है। जब वह ऐसे विधायक की हिमायत में खड़े हुए सदस्य जो सफारी सूट पहने हैं। बार-बार बोल रहे हैं क्या इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे कि ददुआ का साथी जो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया उसके पास इन साहब के कूपन निकले थे कि नहीं?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

क्या संसदीय कार्यमंत्री उसकी हिमायत करेंगे जिसने डकैतों के हाथ में कूपन बेचा हो या उनकी मदद करता हो ऐसे के लिए संसदीय कार्यमंत्री खड़े होंगे तो कैसे चलेगा शासन कैसे लोगों की जान और माल की हिफाजत होगी इसलिये सिर्फ कहना नहीं है, आक्षेप नहीं है बल्कि यह सच्चाई है कि [x x x] ददुआ डकैत और उसके भाई को संरक्षण दिया।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, फिर इस तरह से कह रहे हैं हमारे विधायक और सांसद के लिये।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट [x xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ददू प्रसाद–

मान्यवर, इनको ददुआ डकैत से नहीं बहुजन समाज पार्टी के बाल कुमार पटेल से आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये ददू प्रसाद जी। मैं चाहता हूँ कि चर्चा ऐसी चले कि एक दूसरे को सुन लिया जाय।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी आपने कहा कि चर्चा अच्छी चले। आपने चर्चा स्वीकार कर ली। अब मत बदलियेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाये पर वचन न जाये। मान्यवर, अब मत बदलियेगा।

श्री अधिष्ठाता–

यह ग्राह्यता पर सुना जा रहा है। ग्राह्यता पर ही अपनी बात को सीमित रखें। ग्राह्यता के लिये जो अच्छी बातें हों, कही जायं। अनावश्यक रूप से किसी पर आरोप नहीं लगाया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, एक शब्द अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश शासन की यह सारी चिटिठ्याँ हैं, पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मेरे जैसे आदमी से इस बात से खतरा पैदा हो जायेगा। मैंने कहा कि [×××] संसदीय कार्य मंत्री जी को इतना बुरा क्यों लग रहा है। नहीं मान्यवर, [×××]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ कि उसी सीमा में अपनी बात कहें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, मैं तो संरक्षण चाहूँगा। मैंने कोई असंसदीय बात नहीं कही। यह सदन का समय खर्च कर रहे हैं। कल इनके एक साथी ने कहा था कि 24 हजार रुपया प्रति मिनट खर्च होता है। यह सदन का समय खराब कर रहे हैं, अपराधियों की हिमायत करके ददुआ डकैत की हिमायत करके सदन का समय खराब कर रहे हैं। [×××] कैसे रेवती रमण सिंह जी की जान बचेगी? [×××] तो कैसे सदन की कार्यवाही चलेगी? कैसे?

(व्यवधान)

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अपनी बात रखे अभी कई लोगों को अभी बोलना है। ग्राह्यता पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक ने लिखा है विगत तथा वर्तमान में भी इसे राजनीतिक लोगों का समर्थन प्राप्त रहा है। मुख्य राजनीतिक संरक्षण कार्यकर्ताओं में जनपद बांदा, चित्रकूट तथा बहुजन समाज पार्टी के सांसद [×××] करवी एवं मानिकपुर के विधायक क्रमशः आर०के० सिंह पटेल, श्री ददू प्रसाद हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट –[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

इसके अलावा मान्यवर जिलाधिकारी की चिट्ठी को बाजपेयी जी ने पढ़कर सुना दिया है मैं उसको दुबारा नहीं पढ़ूँगा। यह जो मेरे पास फोटो कापी है यह हम लोगों के साथ चुने विधायक हैं आर०के० सिंह पटेल जी, मेरे पास चिट्ठी है, दद्दू प्रसाद.....

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

पढ़कर सुना दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, मैंने [×××]

(व्यवधान)

उसकी हिमायत के लिए मान्यवर, बार-बार व्यवधान किया जा रहा है। बार-बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं। संसदीय कार्यमंत्री ददुवा डकैत की हिमायत कर रहे हैं, इस सरकार में कैसे प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा। इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। [× ××] उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।

(व्यवधान)

यह सरकार अपने को कानून की सरकार कहेगी और संसदीय कार्य मंत्री [×××] उसके भाई की हिमायत में खड़े होंगे।

श्री सुखदेव राजभर–

यह बार-बार ददुआ डकैत की हिमायत की बात कर रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

श्री अधिष्ठाता–

बात आ चुकी है।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जिसकी सरकार का [×××] तो उस विधान सभा में कुंवर रेवती रमण सिंह या विपक्ष में बैठे हुए विधायकों को न्याय नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपने कई बार वाक्य को रिपीट किया इसलिए ग्राह्यता पर बोलें। वह भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। कई बार आपने कहा। एक बार कहना पर्याप्त है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, मैं आपसे अपनी हिफाजत चाहता हूँ। जितनी बार संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए हैं उतनी बार मैंने कहा है । अगर मैंने चार बार कहा तो संसदीय कार्य मंत्री जी पाँच बार ददुआ के हिमायत में खड़े हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्यवाही दिखवा लूँगा। आप ग्राह्यता पर बोलें।

नोट –[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है। यह चिट्ठी में पढ़कर सुना रहा हूँ। इसमे लिखा है कि सानुरोध अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट बनने से पूर्व लगभग दस वर्षों से जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो पुलिस कांस्टेबिल कार्यरत हैं उनके गुण्डा बदमाशों तत्वों और आपराधिक लोगों से अच्छी सांठगांठ है तथा बहुत से कांस्टेबिलस के रिश्ते भी इन्हीं थाना क्षेत्रों में है जिससे गरीबों अनुसूचित जातियों तथा अन्य लोगों को न्याय नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में पुलिस कांस्टेबिल को जोन से बाहर निकाला जाना आवश्यक है। यह चिट्ठी लिखी है। अस्तु आपसे अनुरोध है कि निम्न लिखित पुलिस कांस्टेबिल्स को जोन से बाहर निकालकर जी०आर०पी० एवं अन्य पुलिस सेवाओं में स्थानान्तरित करने की कृपा करें। इस पर आदेश हैं सचिव, मुख्य मंत्री के कि कृपया माननीय विधायक जी के अनुरोध पर विचार कर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय ऐसी अपेक्षा मुख्य मंत्री जी ने की है। यह जो टास्क फोर्स है, यह ददुआ, गुण्डे लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए बनी थी जिसमें लगभग पचास करोड़ रुपया का सरकारी धन खर्च हुआ था। इन कर्मियों को हटाने के लिए दो विधायकों ने मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उन सारे पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया था जो केवल इसी काम के लिए लगाये गये थे।

मान्यवर, एक विधायक का यह पत्र है।

(व्यवधान)

मान्यवर, ददुआ के भाई को उस जगह से टिकट दिया गया जिस क्षेत्र से कुंवर रेवती रमण सिंह जी चुनाव लड़ते थे। मान्यवर, आपने सदन को अच्छी तरह से देखा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के रवैये को भी अच्छी तरह से देखा। आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष, जो मान्यवर, कुख्यात अपराधी है ऐसे डकैतों के लिए, जो लोगों की जान माल लूटने और अपहरण करने के लिए निकलता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बी०एस०पी० ने, कुंवर रेवती रमण सिंह सिर्फ मंत्री ही नहीं रहे हैं, इलाहाबाद के नेता ही नहीं हैं बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत कुछ दिया है, उससे बहुत कुछ मिला है, उनको हराने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए एक डकैत के भाई को टिकट दिया। यह भी कहना चाहूँगा सरकार में बैठे हुए लोग जिम्मेदारी लें, इस समय वीडियो फिल्म बन रही है, जो जमीर वाले हैं वह घर में ले जाकर इसे देखें यह देखें कि किसने वकालत की है।

मान्यवर, हम आपकी पीठ से इंसाफ चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए तो संसदीय कार्यमंत्री खड़े हो जायेंगे लेकिन हमारे लिए तो आप ही हमारे संरक्षक हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री आज डकैत और अपनी पार्टी के लोगों के हिमायती बन गये हैं। एक डकैत के लिए, उसकी हिमायत करने के लिए संसदीय कार्यमंत्री का बार-बार खड़ा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। [×××] आज का दिन संसदीय परम्परा के लिए एक कलंक का दिन है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बार-बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। आपकी बात आ गयी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से यह माँग करता हूँ जो कि सदन में नहीं हैं कि कुं० रेवती रमण सिंह जी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाये जायें। मान्यवर, ददुआ को एक सांस भी जीने का हक नहीं है। उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। ऐसे लोगों की कतई हिमायत नहीं होनी चाहिए। जो डकैत की हिमायत करते हैं उन्हें भी जीने का हक नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से माँग करता हूँ कि वह सदन में कहें कि वह ददुआ डकैत के आचरण को क्या समझती है। हम माँग करते हैं कि जो पुलिस कर्मी विधायक और सांसद के दबाव में हटाये गये हैं उनको अपनी ड्यूटी पर वापस लिया जाय।

नोट- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

श्री शिव पाल सिंह यादव।

(नाम पुकारे जाने पर सदस्य अनुपस्थित थे।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री बलराम यादव जी आपका नाम इस सूची में है क्या आपको कुछ कहना है।

(गाजीपुर सदस्य द्वारा कुछ न कहने पर)

* श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर सवाल है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुं० रेवतीरमण सिंह जी जैसे माननीय सदस्य के लिए ऐसा मसला इस सदन में उठेगा। आज ददुआ पूरे प्रदेश के लिए आतंक का पर्यायवाची बन चुका है। आज जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री सहित उनकी पार्टी के विधायक, उसकी हिमायत कर रहे हैं उससे राजनीतिक परम्पराओं की रक्षा नहीं हो सकती है। कुं० रेवती रमण सिंह जैसे लोग रोज-रोज नहीं पैदा हुआ करते हैं। आज ऐसी शख्सियत को ददुआ के आतंक से उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। मान्यवर, इस सदन में हर साल कई नये जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और कोई-कोई कई साल से इन सदन का सदस्य रहा है। प्रदेश की जनता की सेवा करता रहा है अगर उसे अपनी जान की सुरक्षा की गुहार करनी पड़े तो यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। आज जो इस सदन में देखने को मिला यह बेशर्मी है। आज एक अपराधी व्यक्ति जो पूरे प्रदेश के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है उसकी हिमायत की जा रही है।

और एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी राजनीति देश और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिये रही हो। वह अपनी सुरक्षा की गुहार करता है। इस पीठ से सरकार से जो सरकार दावा करती है कि आतंक का राज खत्म होगा और अपराधी जेल में रहेंगे। आज उस ददुआ के संरक्षण में उसके इशारे पर डी०एम०, एस०पी० का स्थानांतरण किया जाता है। जो अपराधी जेल में हों आज उन्हीं से हम लोगों को खतरा हो। यह बात अपने आप में बहुत ही निन्दनीय और सोचने की बात है। कुंवर रेवती रमण सिंह जी को कुछ हुआ तो उत्तर प्रदेश धू-धू करके जलेगा। कुं० रेवती रमण सिंह मामूली व्यक्ति नहीं है।

मान्यवर, आज सत्तापक्ष में ददुआ को पूरी तरह से संरक्षण है मान्यवर, आज वहाँ उसके इशारे पर ट्रांसफर होते हैं, मान्यवर, वहां उसके इशारे पर पत्ताहिलता है उसके पेशाब का चिराग जलता है। आप इसमें चर्चा करायें। और उस पीठ से निर्देश देने का काम करें। उस पीठ से हमेशा ऐतिहासिक फैसला होने का काम हुआ है। आज जो कुछ हो रहा है सदन में कहीं न कहीं सिर शर्म से झुक गया है। कुंवर रेवती रमण सिंह अपनी सुरक्षा की गुहार करें। तो राजनीतिक जीवन में जीने वाला कैसे काम करेगा? खेत खलिहानों में काम करने वाले की बात कोई कैसे उठा पायेगा?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, कुंवर साहब के जीवन की सुरक्षा के सवाल से सम्बन्धित यह कार्य स्थगन प्रस्ताव हम नियम 56 में लाये हैं। उन्होंने 1986 में सदन में ददुआ के खिलाफ आवाज उठायी थी और उस समय से ही ददुआ उनके जीवन के लिये एक गंभीर खतरा बना हुआ है। मान्यवर, सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिये एक एस्कोर्ट गाड़ी और गार्ड की व्यवस्था की थी। मान्यवर, इलाहाबाद के शासकीय तंत्र ने ददुआ के खिलाफ रिपोर्ट भेजी। मान्यवर, इनकी वह सुरक्षा भी हटा दी गयी। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्यों ने यह मामला उठाया लोगों को धमकी मिली। हम आपसे चाहेंगे कि आप कुंवर जी के जीवन की सुरक्षा के लिये समुचित निर्देश दें। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूँ चित्रकूट के एस०पी० को जिसने बसपा के सांसद और दो विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया कि उनका खुला संरक्षण ददुआ की तरफ है और इससे सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह आरोप पत्र चित्रकूट में न्यायालय में दाखिल हुआ है यह रिपोर्ट है इसको आप देख लीजिये यह सरकारी दस्तावेज है।

मान्यवर, यह पूरा एस०एस०पी० का नोट है यह पूरा दस्तावेज है यह मँगा लीजियेगा और देख लीजियेगा। इसमें यह कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में बसपा के नेताओं का सांसद और दो विधायकों का खुला संरक्षण ददुआ को प्राप्त है। इस प्रकार यह गैंग राजनीतिक गठजोड़ का पूरा लाभ उठाता है और बसपा के सम्बन्धित नेतागण भी गैंग के नाम पर भयादोहन करते हैं तथा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं यह एस०एस०पी० ने लिखा है कि गैंग तो लाभ उठाता ही है हमारे साथी भी उसका लाभ उठाते हैं।

मान्यवर, यह ददुआ है जिसने 16 लोगों का नरसंहार एक साथ किया था आज स्थिति यह है कि चित्रकूट बांदा में व्यापारी पलायन कर रहे हैं। जब से यह सरकार आयी है एस०टी०एफ० हटा ली गयी और उसमें जो लोग लगे थे उनको दूर स्थानान्तरण कर दिया गया पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया। अब वहां लोगों की कोई सुरक्षा नहीं रह गयी है इसलिए वहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है अगर सरकार की तरफ से ऐसे लोगों का संरक्षण होगा तो प्रदेश कैसे चलेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कुंवर रेवती रमण जी की सुरक्षा की जाये और मुख्य बिन्दु यह है कि चित्रकूट जनपद जहाँ के लोग इतने आतंकित हैं, इतने भयाक्रान्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल की व्यवस्था की जाये जहाँ तक मेरी जानकारी है इस सरकार ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। किसी दिन अखबार में सवेरे-सवेरे यह सुर्खियों में होगा कि ददुआ का आत्मसमर्पण सरकार के संरक्षण में कर लिया गया। यह पूरी योजना तैयार कर ली गयी है यह हमारी शंका है क्योंकि पूरा संरक्षण सरकार की तरफ से है उसका भी आपराधिक चरित्र है जिसपर यह बातें उठाई गयी हैं। यह सब सरकारी दस्तावेज में है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी जो इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य है उनकी सुरक्षा और खतरे की आशंका के संदर्भ में और यह संदर्भित करते हुए कि ददुवा गिरोह का आतंक है, हम असुरक्षित है इस चीज के संदर्भ में कोई गम्भीरता प्रतिपक्ष ने नहीं लिया प्रतिपक्ष ने आरोप प्रत्यारोपों में माननीय रेवती रमण जी की सुरक्षा को नगण्य कर दिया।

हर एक चीज की तरफ इशारा कर दिया लेकिन इसको हल्का किया लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय रेवती रमण सिंह जी की इस सदन के सदस्य होने के नाते इसकी पूरी जिम्मेदारी है साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता और सरकार कटिबद्ध है लेकिन जिस तरह से इसको हल्का किया गया उनकी सुरक्षा को चर्चा आरोपों प्रत्यारोपों तक रही और यह आरोप लगाया गया कि यह ददुवा ऐसे गिरोह का है, यह डकैत का सगा भाई है मान्यवर यह पूरी कटिबद्धता है सरकार की कि ऐसे गिरोहों और ऐसे डकैतों को प्रदेश में नहीं रहने दिया जायेगा अभी माननीया मुख्यमंत्री जी ने ईनाम रखा है ददुआ के ऊपर और वह अखबारों में निकला है जिस गिरोह के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता जाहिर किया और ईनाम घोषित किया लेकिन आज सवाल इस चीज का है किसी अपराधी या किसी डकैत को किसी समाज या जाति से जोड़ने का मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा अगर किसी समाज का कोई डकैत हो गया अपराधी हो गया उसको जोड़ा जाये और यह कहा जायेगा कि यह किसी डकैत या अपराधी के परिवार का है। उनके बहन–भाइयों को डकैत माना जाये। मैं समझता हूँ कि यह भी अच्छा नहीं होगा। यहीं पर इसी सदन में माननीय आपके दल के राष्ट्रीय नेता जी ने जब छविराम का मामला उठाया था और कई दिनों तक इस सदन को बाधित किया था कि छविराम के नाम पर उस जाति के लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। आर० के० चौधरी जिन लोगों का संदर्भ लिया, आपने जिसको चाहा ददू प्रसाद को ले लिया। मैंने इतना ही कहा कि संसदीय परम्पराओं की आज अवहेलना हो गयी। अगर नेता प्रतिपक्ष भी कहते कि आप डकैतों का समर्थन कर रहे हैं तो मैं कहता कि यह गलत आरोप है। एक आदमी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो कि इस सदन का सदस्य है। हमारे सदस्य संरक्षण दे रहे हैं, ददुआ गिरोह के बारे में आपने कहा और शंका व्यक्त की गयी कि किसी दिन अपहरण कर लेंगे आपने ने भी 40 40 आदमियों की हत्या का मुकदमा वापस करा लिया और कहा कि लड़ो और पार्लियामेंट के मेम्बर बनों। इससे छविराम गिरोह का क्या सम्बन्ध था इसपर मैं नहीं जाना चहता हूँ। इस तरह के आरोपों को हम नहीं बर्दाशत करेंगे। हम तो कटिबद्ध हैं कि ददुआ गिरोह या जो भी गिरोह प्रफूल्लित हो रहे हैं उनके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है।

इस प्रदेश में ऐसे लोगों को नहीं रहने दिया जायेगा और प्रदेश का अमनचैन कायम रहे यह हमारी प्रतिबद्धता होगी। हर आदमी के संरक्षण की गारंटी होगी। हम तो यहाँ तक करेंगे कि यदि आपके घर में दरवाजा न हो तो दरवाजे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारी सरकार धीरे–धीरे इस कटिबद्धता के साथ कि ददुआ गिरोह को खत्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनाम घोषित किया है। अब सवाल आता है कि माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह को जिनसे खतरा है। अभी एस०ओ०जी० के दरोगा कमल सिंह यादव की बात की जा रही है कि उसका जानबूझकर ट्रांसफर कर दिया गया था। उसने जब इसी सदन में ददू प्रसाद को पटक कर मारा था तब आपने कहा था कि इसका स्थानान्तरण कर दिया जाये। इसने हमारे सदन की लोकतांत्रिक प्रणाली के कार्यों में व्यवधान किया है, उसका ट्रांसफर होना चाहिए और जब ट्रासंफर हो गया तो आप कह रहे हैं कि ददुआ को बचाने के लिए ट्रांसफर कर दिया। चौधरी साहब ने जिनका हवाला दिया है, जिस दरोगा ने 3 लोगों का मर्डर किया और लोग उसको बचाने के लिए कौन कोशिश कर रहा था। जिनके ऊपर 351 का मुकदमा था। उस दरोगा के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आपने अभी सन्दर्भ दिया है। जहाँ तक पुलिस के ट्रासंफर का सवाल है। आप पता लगा लें, जो आवेदन पत्रों को दिखा रहें हैं, माननीय सदस्यों ने खुद माननीय मुख्यमंत्री को संदर्भित किया कि वहाँ 10 साल से सिपाही पड़े हैं, सुरक्षा करने के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिपाहियों को हटाने का काम किया गया।

मान्यवर, एस०ओ०जी० के दरोगा, जिसने इन विधायक को मारा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसने 3 निर्दोष लड़कों एक गुप्ता, एक ब्राहमण और एक पाल समाज का उनको गोली मारी, उसका भी मुकदमा चल रहा है, यदि आप ऐसी हरकतों का सन्दर्भ लेंगे तो मेरा कहना है कि आप ऐसा न करें। ददुआ के भाई के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, आपने कहा हमारे पास लिस्ट है, जब मैंने कहा कि अपराध संख्या आदि बता दो तो नहीं बताया गया।

ददुआ का भाई किसी के खिलाफ चुनाव लड़े, स्वर्गीय फूलन देवी की वहन को चुनाव न लड़ने दिया जाय, स्वर्गीय फूलन देवी को लड़ने न दिया जाय, उसके भाई-बहन को चिन्हित किया जायें तो यह ठीक नहीं है। किसी की बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा, किसी की बेटी ने क्या बिगाड़ा ? ददुआ के खिलाफ आपरेशन चल रहा है, ऐसे गिरोह का सफाया किया जायेगा और जो संरक्षण दिये हैं, उनको भी देखेंगे। वह भागा है, और फरार है, जंगल में है। उसकी बेटी घर पर है, उसकी शादी में न जाय, किसी रस्म में न जायें, माँ की मैयूत में न जायें तो यह ठीक नहीं है। आपने कहा, 100-100 गोलियाँ चली मैं तो कहता हूँ कि यह एक संकुचित दिमाग की बात है, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा न हो, उसको विधान सभा से चुनाव लड़ना आपको खलने लगा, इसलिये कि वहाँ पर गरीबों की आवाज उनके मनोबल को उठाने वाला नहीं था, किसी ने वहाँ जाकर वोटों को डलवाने का काम इस लोकतांत्रिक पद्धति में किया तो वह डकैत है। उसको रोकने की कोशिश की जाय, वह क्षेत्र में न घूमें, उस पर हमले किये जायें, यह सब उचित नहीं है। इस तरह का वातावरण बनाया जायेगा, किसी डकैत के पूरे परिवार को चिन्हित किया जायेगा तो यह सब ठीक नहीं होगा। तमाम ऐसे गिरोह के डकैत हैं, लेकिन उनके परिवार को चिन्हित करके चलेंगे तो यह संकुचित दिमाग की पहचान है। जहाँ तक आपकी सुरक्षा का सवाल है, प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम लोगों ने कहा, राजा साहब भी वहाँ थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि यह गनर–शैडो की डिमान्ड करते हैं, तो उनको दे दीजिये, हम उपलब्ध करायेगें। बाद में मैंने पता किया कि रेवती रमण सिंह को सुरक्षा मिली तो पता लगा कि कोई पत्र नहीं आया लेकिन इनको सुरक्षा की व्यवस्था दी जायेगी, हर सम्मानित सदस्य को जरूरी होगा तो दी जायेगी, किसी को कहीं भी खतरा होगा, उनके सम्मान, इज्जत, सुरक्षा के लिये। इस बात का भी विश्वास होना चाहिए कि लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने और लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक प्रणाली से कोई क्षेत्र में चुनाव लड़ता है और उसे गोलियों, से लाठी–डण्डों से पिटवाया जाय, तो यह न्यायोचित नहीं है। ददुआ पर बहन मायावती जी ने इनाम घोषित किया है, यह इस बात का सबूत है कि हम किसी अपराधी या डकैत के पक्षधर नहीं हैं, हम लोग तो ऐसे लोगों का नाम निकलवाकर उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर मान्यवर, उनके परिवारों को चिन्हित करके, दूसरे के अपराध का बदला उनसे लिया जाय तो यह गलत है, सुश्री मायावती की सरकार कभी किसी परिवार को इस तरह चिन्हित करके उन्हें परेशान करने का काम नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर विधायकों पर जो यह आरोप लगा रहे हैं वह कदापि सहन नहीं किया जाएगा। मान्यवर, ये लगातार झूठा आरोप लगाते रहें और हम खड़े होकर के उसका जबाब भी न दें या स्पष्टीकरण न दें, हमें इतना भी अधिकार नहीं है। हम खड़े होकर के अगर अपनी बात कहें तो यह कोई संसदीय परम्पराओं की अवहेलना नहीं है।

मान्यवर, मैं इस बात पर पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय कुँवर रेवती रमण सिंह जी की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं होगी और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होने जो कहा ददुआ की लड़की की शादी में फायर हो रहे थे तो यह पता लगा लें कि उसकी लड़की की शादी में कौन–कौन गया था, जिन तीन लड़कों की बात यह करते हैं तो उन्हें किसने मारा था, और वह कैसे थे, यह इन्हें अच्छी तरह पता है। माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह वरिष्ठ सदस्य हैं उनके

तमाम आचरणों को हम ग्राह्य करके उन्हें अपने जीवन में लाते हैं। मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार प्रदेश में सुरक्षा के हर दृष्टिकोण से ऐसे डकैतों और गिरोहों का सफाया करने के लिए कटिबद्ध है और मैं फिर से यह कुवंर रेवती रमण सिंह जी को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कटौती नही की जाएगी। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सफारी पहनने वाले संरक्षण दे रहें हैं, तो हम जाकेट पहनने वालों को क्या कहें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, हमने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री सुखदेव राजभर–

अगर एक दलित और गरीब का बेटा सफारी पहनता है तो उनको कड़ुवा लग रहा है। अन्त में मान्यवर, मैं यही कहूँगा कि यह तात्कालिक विषय नही है, यह नियम 56 में भी आता है अतः इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

देखिये मैं एक बात कह दूँ कि यह चर्चा का विषय नहीं है, माननीय रेवती रमण सिंह जी से सम्बन्धित प्रश्न है, इसलिए मैं इनको बोलने का मौका दे रहा हूँ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, करीब ढाई घण्टे से ददुआ पर चर्चा हुई, मान्यवर, मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक डकैत के भाई को कहा कि वह साधू है, मान्यवर, मैं नहीं पूरी विधान सभा क्षेत्र और पूरी मीडिया इस बात की गवाह है कि चुनाव के दरम्यान क्या नारा लगता था बटन दबाओ हाथी पर, नहीं तो गोली खाओ छाती पर और लाश मिलेगी घाटी पर। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रानिक मीडिया में यह बात आयी, ये सारी बातें छपीं। लालजी वर्मा जी कह रहे थे कि मैने छपवा दिया। मैं वहाँ आठ बार से विधायक हूँ और मेरी बिरादरी के केवल 15 हजार वोट हैं 2.5 लाख में। आप कहते हैं कि गरीबों के खिलाफ हैं, उनकी आवाज लाठी से दबा देते हैं। कल इस सदन में ददुआ के भाई बालकुमार के बारे में चर्चा हुई। निबैया गाँव के लोगों ने एफ०आई०आर० करवाया था उसका भाई 40 असलहे लेकर गया था जिन लोगों ने हत्या की थी उनके घर गया था यह कहने कि और हत्या करो, हम देख लेंगे। यह सर्वविदित है। आप किसी जाँच एजेंसी से जाँच करा लें। सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जाये वह जाकर देख ले कि रोज वहाँ गोली चलती है या नहीं।

मान्यवर, रोज फायरिंग होती है। मैं क्या आतंक करूँगा ददू प्रसाद और आर०के० पटेल ददुआ के समर्थन में बोल रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, 23 तारीख को एफ०आई०आर० हुई है वह मैंने और मेरे समर्थको ने नहीं करायी है। भा०ज०पा० के लोगों ने एफ०आई०आर० करवायी है। भा०ज०पा० के जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं ने अखबार में बयान दिया कि उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और आप कहते हो कि बड़ा निर्दोष है; साधु है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। मुकदमा पंजीकृत था वह एक्सपंज कर दिया गया। सुबह एफ०आई०आर० लिखी गयी और 4.00 बजे शाम को उसे एक्सपंज कर दिया गया। आप कहते हैं कि वह साधु हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। 1986 में जब ददुआ ने नरसंहार किया था तो इसी विधान सभा में सवाल उठाया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक स्कौर्ट, दो गनर और शैडो प्रदान किया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, दो गनर को हटा लिया है, मैं चाहता हूँ कि एक शैडो है उसको भी हटा लें।

मैं गाँधीवादी आदमी हूँ, ददुआ और ददुआ के भाई से कोई डर नहीं हैं, सुरक्षा की गुहार नहीं लगा रहा हूँ। मान्यवर, 1986 से लेकर 2002 तक कोई कमी नहीं की गयी। मुझसे यह कहा गया कि 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत देकर सुरक्षाकर्मी रखो, रेवती रमण सिंह इसके लिए नहीं बने हैं। मान्यवर, जाँच करवा लें, मेरे प्रस्ताव को मान लें 10-12 माननीय सदस्यों की सर्वदलीय कमेटी बना लें वह एक हफ्ते जांच करके देख ले। अभी कल उसने क्षेत्र में फायरिंग की है। निबैया गाँव वाले प्रकरण में दो एफ०आई०आर० हुए, एक निबैया गाँव के लोगों ने कराया दूसरा राम सजीवन सिंह तो फतेहपुर के रहने वाले थे। हमारे चुनाव के समय दो–तीन सौ अपराधी क्षेत्र में गये थे, ददुआ भी गया था। ददू प्रसाद जी बैठे हैं, यह भी वहाँ गये थे हमारे क्षेत्र में पैसा बाँटने के लिए यह 5 लाख रुपया लेकर जा रहे थे इनको एस०पी० चित्रकूट ने पकड़ लिया और रुपया ले लिया। इनकी सरकार बनते ही उस एस०पी० को हटा दिया गया।

इतना ही नहीं विश्वकर्मा एस०एस०पी० इलाहाबाद थे उन्होंने सख्ती दिखाई तो यह सरकार बनते ही एस०एस०पी० इलाहाबाद का ट्रांसफर कर दिया गया। हमारी सुरक्षा के लिए मौजूदा एस०एस०पी० ने लिखा डी०एम० ने लिखा उसके बाबजूद सरकार ने कह दिया कि अगर आप सुरक्षा मांगेंगे तो विचार होगा। मैं सदन में ऐलान करता हूँ कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं लेनी है। मेरे पास एक शैडो दे रखा है मैं उसे भी वापस कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि कितनी बड़ी ताकत है। आप कहते हैं कि सबको वोट का अधिकार है। क्या धौस दिखाकर, रायफल के बल पर वोट लेंगे, किसी से जबरदस्ती वोट लेंगे। यह आर० के० सिंह पटेल हर हफ्ते वहाँ जाते हैं यह चित्रकूट के रहने वाले हैं वहाँ प्रचार करने जाते हैं इनको बड़ी पीड़ा हो रही थी। ददू प्रसाद को बड़ी पीड़ा हो रही थी। जो कूपन पकड़े गये थे वह इन्हीं माननीय सदस्य के पकड़े गए थे डी०एम० की रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी, एस०एस०पी० की रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। यह मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

यह सब डी०एम० और एस०एस०पी० ने गृह विभाग को लिखा है। वहाँ के डी०एम०, एस०एस०पी० ने कहा है कि इन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण दो लेकिन इस तरह की बात न करो। आप मेरी सुरक्षा क्या करेंगे मुझे जितने दिन जिन्दा रहना है उतने दिन जिन्दा रहूँगा। आपको मुझे ददुआ से या उसके भाई से मरवाना हो तो मरवा दो उसकी परवाह नहीं है। 1986 से आज तक मेरी सुरक्षा नहीं हटाई गई लेकिन जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी उसी समय आपने मेरी सुरक्षा हटा ली। क्यों हटा ली। आप कह रहें हैं कि मैं गारण्टी लेता हूँ क्या गारण्टी लेंगे। आप चाहते हैं कि आपसे मैं सुरक्षा माँगू आज तक मैंने अन्याय के सामने सर नहीं झुकाया रेवती रमण न झुका सकता है चाहे कोई भी अन्यायी हो न मैं सर झुका सकता हूँ। मैं याचना नहीं कर सकता हूँ। आप सोचते हैं कि आप सुरक्षा हटा लेंगे तो क्या मरवा देंगे। क्या आप लोग सुरक्षित रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण की बात कहने वाला, डकैतों के खिलाफ बात करने वाला आदमी इस सदन में न आने पाए। आर०के० सिंह पटेल को बड़ा ऐतराज हो तो मैं बैठ जाँऊ। आपने तो बड़ा जोर लगाया इस बार तो 15 हजार से हारे, अगली बार फिर लड़ लेना पता लग जाएगा। इलाहाबाद चित्रकूट बाँदा नहीं है। व जब तक मैं जिन्दा हूँ इलाहाबाद को चित्रकूट बाँदा नहीं बनने दूँगा। यह मैं इस सदन में ऐलान करता हूँ। जब तक मैं जिन्दा हूँ इलाहाबाद को चित्रकूट, बांदा नहीं बनने दिया जाएगा। मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ प्रधान मंत्रियों से लड़ा हूँ, मुख्यमंत्रियों से लड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मेरी राजनीतिक लड़ाई होती है गोली की लड़ाई नहीं होती। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी अपराधी से रिश्ता नहीं बनाया है, न मैं किसी को संरक्षण देता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों को आपका संरक्षण हो लेकिन जब सदन में बात उठाई जाए तो मर्यादा का आचरण हो। इस तरह की बात न करें कि आप सफाई में खड़े हो जाएं।

संसदीय कार्यमंत्री जी मैं आपको बता देता हूँ आप तीन दिन हमारे यहाँ घूम लें मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी गाँव में पूछ लें आपको पता लग जाएगा कि किस तरह आतंक का वातावरण है। आप सफाई दे रहे थे कोई एफ०आई०आर दर्ज नहीं है। जो एफ०आई०आर लिखाई गई वह मैंने नहीं लिखाई निवइया वालों ने लिखाई एफ०आइ०आर में लिखाया गया कि 40 लोग रायफल लेकर आए थे। वहां पर बाँदा से चित्रकूट से कहाँ-कहाँ से अपराधी आते हैं। संसदीय कार्यमंत्री सफाई दे रहे थे कि बालकुमार बड़ा साधु है। मैं आपसे पूंछना चाहता हूँ कि क्या किसी राजनीतिज्ञ को, किसी पार्टी के सदस्य को यह अधिकार है 40-40 रायफल और बन्दूक लेकर इस तरह से आतंकित करें, भयाक्रान्त करें। यह सरकार की मन्शा है, संसदीय मर्यादा मानते हैं तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जब किसी की सफाई दें तो उसकी पूरी पृष्ठभूमि देख लें। यहां पर जो बात कही गई वह कोई अनर्गल नहीं कही गई। कोई राजनीति का फायदा लेने के लिये नहीं कही गई है। हम और हमारी पार्टी आपको चुनौती देकर कहते हैं कि अगर आप इस तरह से अपराधियों को बढ़ायेंगे, उनको संरक्षण देंगे तो कुछ दिन बाद इस सदन में राजनेता नहीं आयेंगे। सदन में अपराधी आयेंगे और खुले आम सदन में गोली चलेगी।

मान्यवर, कम से कम इस परम्परा का ध्यान रखिये कि सदन में किस तरह के लोग आयें। किस-किस लोगों को टिकट आप दे रहे हैं। आज उसकी सफाई में विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष को खड़ा होना पड़ा। यह बात ददू प्रसाद और आर०के० सिंह पटेल कहें तो कोई ऐतराज नहीं है लेकिन आपके इस तरह की बात कहने से दुखः भी हुआ है और शर्मिन्दगी भी हुई है। आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप एक भले आदमी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। महज इसलिये आप ऐसी बात कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से चुनाव लड़ाया गया इसलिये वह भला आदमी हो गया। हम लोगों ने जो बात कही तो कह दिया कि बूथ कैपचरिंग करा लेते हैं। शर्म आनी चाहिए। 15 हजार मेरी बिरादरी बूथ कैपचरिंग करा लेती है गांव में? जनता ने मुझे चुना है। मैं आठ बार चुनकर आया हूँ आर० के० सिंह जी। ददुआ मेरे पीछे खड़ा होकर नहीं जिताता था। वहाँ की जनता ने मुझे जिताया है वहां की विषम परिस्थितियों में जीतकर आया हूँ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में गये प्रचार करने के लिये लेकिन मुझे नहीं हरा पाये। एक आध बार को छोड़कर लगातार जीतता रहा हूँ। यह जो गम्भीर प्रश्न एक डकैत के खिलाफ किया है, उससे संबंधित उसके भाई के खिलाफ है जो खुले आम भय और आतंक का वातावरण पैदा कर रहे हैं। इसको आप इतने हल्के ढंग से लेना चाहते हैं तो मैं तो यहीं कहूँगा कि इसका पटाक्षेप कर दें। मैं कोई याचना करने नहीं आया। आप कह रहे हैं कि बाल कुमार बड़ा सीधा आदमी है। मैं सुनता रहा। मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कह चुके थे, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसलिये बोलना पड़ा कि वह अपराधी का भाई है खुद भी अपराध कर रहा है और खुले आम कर रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं आप पता करा लें बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कि वह 1 हजार 5 हजार रुपये लेकर बन्दूक के लाइसेंस बनवाता है। आप क्यों बांदा बनाना चाहते हैं इलाहाबाद को। इलाहाबाद को इलाहाबाद ही रहने दें। वहाँ तमाम महापुरुष पैदा हुए, राजनेता पैदा हुए, वहां की जमीन राजनैतिक जमीन है। वहाँ पर अपराधियों को और अपराधों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। अगर आप यह समझे कि आप उसको बांदा बना देंगे तो आप इससे बड़ी ताकत वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

बात आ गई है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी 4 दिन पहले 150 डकैत मेरे यहाँ पकड़े गये पुलिस ने संगीन जुर्म न लगाकर 116 में रात भर रखा। आखिर वे बाँदा से क्यों आये थे? ददुआ से संबंधित नहीं है तो क्या इनको वहां पर कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे। बाँदा से क्यों बुलाया गया। रायफल और बन्दूक के साथ बुलाया गया।

90

आर० के० सिंह को बड़ा गुरेज है, तो मैं इनकी बात को समझ सकता हूँ लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसको इतने हल्के फुल्के ढंग से लेंगे। अपराधी और अपराधी के भाई को संरक्षण देने के लिये विधान सभा में न खड़ा हुआ करिये, इस तरह। चाहे आपकी पार्टी का कोई सदस्य क्यों न हो।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा नहीं होगी। मैंने नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता के आधार पर अम्बिका चौधरी जी, ओमप्रकाश सिंह जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना ग्राह्यता पर सुनने के बाद, इस विषय को मैं निरस्त करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खाँ–

यह बहुत गंम्भीर मामला है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा नाम लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने एक उल्लेख किया।

श्री अधिष्ठाता–

पीठ से कोई बात हो गई, मैंने इतनी लम्बी देर तक सबको सुना। रेवती रमण जी को इसलिए अनुमति दी गई कि उनके विषय में प्रकरण चला, मैंने कहा चर्चा नहीं है। ग्राह्यता पर सुना जाएगा, ग्राह्यता पर सुना है।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ–

आपका धन्यवाद है, ढाई-तीन घंटे तक सुना है, नाम चर्चा का दें या ग्राह्यता पर कहें, आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यह मामला हल्का नहीं है यह सरकार इतनी संवेदनहीन है कि सदन के सदस्यों की सुरक्षा में कुछ नहीं कर पा रही है, सदन के सदस्यों को सुरक्षा न दे और डकैत को संरक्षण दें, डकैतों की हिमायत करे ददुआ के परिवार में यह शादी करायेंगे, [× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×]

ऐसे मान्यवर रेवती रमण सिंह की सुरक्षा कैसे हो सकती है। मान्यवर हम सरकार से मायूस होकर संसदीय कार्य मंत्री के आचरण से मायूस होकर यह कहते हैं, कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने ददुआ के परिवार के संरक्षक के रूप में बोलने का काम किया है इसलिए मैं आपकी पीठ से न्याय चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूं रेवती रमण सिंह जी की सुरक्षा के बारे में आपके निर्देश क्या हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ददुआ की संरक्षक है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

रेवती रमण सिंह जी ने जो कहा है...

* श्री अम्बिका चौधरी–

एक बात संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही थी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को रखा, रेवती रमण सिंह जी की सुरक्षा के संबंध में सदन ने सुना है संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा माननीय रेवती रमण सिंह जी की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी।

(व्यवधान)

नोट [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* [illegible] ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ–

क्या व्यवस्था की जाएगी?

श्री अधिष्ठाता–

पूरी व्यवस्था की जाएगी।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ–

यह ददुआ डकैत के परिवार की शादी में जाते है

(व्यवधान)–

श्री अम्बिका चौधरी–

दो बाते संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही हैं।

(3 बजकर 20 मिनट)

सबके सुरक्षा की, तो मैं जानना चाहता हूँ, मान्यवर, 1986 में इसी ददुआ के खिलाफ इस सम्मानित सदन में जो संसदीय परम्पराएं रहीं उनकी हिफाजत के लिए उनकी सुरक्षा में जितने सुरक्षा कर्मी लगे थे उनको हटा दिया गया। क्या आप उसको बहाल करने का कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, ददू प्रसाद जी की जब सुरक्षा की बात आयी थी तब भी हम इतनी ही जोर से खड़े हुए थे। मान्यवर, दो बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने दरोगा का नाम लिया लेकिन मैंने नाम नहीं लिया है संसदीय कार्य मंत्री जी ने दरोगा का नाम लिया है उसे आप अपने तक ही सीमित रखें।

(विपक्ष के अनेक सदस्य खड़े हो गये और एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

आपने यादव का नाम लिया। आपने कहा कि जो यादव दरोगा था।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, यादव का नाम जानबूझकर लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण 3 बजकर 22 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 42 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 42 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है। 4 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज नियम–56 की सूचना के माध्यम से माननीय कुंवर रेवती रमण जी की सुरक्षा से सम्बन्धित मामला और उससे उत्पन्न गम्भीर स्थिति को यहाँ रखने का काम किया गया। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जायेगा। मान्यवर, एक सुरक्षा का इंतजाम 1986 से लगातार चला आ रहा है तो संसदीय कार्य मंत्री जी जो पूरा इंतजाम करेंगे तो हम यह जानना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है और जो इंतजाम करेंगे इन दोनों के बीच की बात समझ में नहीं आती है। पूरा इंतजाम में क्या दुगुनी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे या क्या करेंगे वह बता दें? मान्यवर, जिस स्थिति में सदन स्थगित हो गया था उत्तर नहीं आ सका था। इस पर सरकारी दल के लोगों ने भी अपनी बात रखी थी। तो सुरक्षा से उनका क्या तात्पर्य है?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने एक गनर की माँग आपसे की थी और वह व्यक्तिगत तौर पर को थी वह सदन की बात नहीं है उसको दिलाया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ववत कर देंगे?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने इस बात को कहा है कि सदन के बाहर जो बात हुई थी मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ माननीय नेता सदन के समक्ष माननीय रेवती रमण सिंह जी ने एक गनर की अतिरिक्त माँग के लिए कहा था मैं भी वहाँ पर गया था मैंने उनसे कहा था कि आप को जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी एक गनर की व्यवस्था कर दी जायेगी। आपने स्वयं इच्छा जाहिर की थी वह करा दी जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, किसी कक्ष में क्या बात हुई उसका आपने संदर्भ दिया है।

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न है कि पूर्व में जो इनको सुरक्षा व्यवस्था 1986 से जारी थी और अब आप पूरी करने की बात कर रहे हैं तो पूरी से क्या तात्पर्य है। जो पूर्ववत चली आ रही थी क्या उतनी भी करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय कुंवर साहब ने एक अतिरिक्त गनर के बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने कहा कि इसको देने की स्वीकृति शासन द्वारा हो जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में नेता सदन से या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा इसका संज्ञान हम नहीं लेते हैं और यह सदन भी न ले। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुंवर साहब की सुरक्षा से भी आपने पूरा सरोकार व्यक्त किया है और आश्वस्त किया है कि वह सुरक्षा देंगे और सुरक्षा देने के योग्य हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो सुरक्षा व्यवस्था जारी थी क्या वही सुरक्षा व्यवस्था देने की कृपा करेंगे?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अभी एक गनर की व्यवस्था करा दी जायेगी।

* श्री बलराम यादव–

मान्यवर, किस स्तर की सुरक्षा कुंवर साहब को दी जायेगी यह स्पष्ट हो जाय। पूरा सदन बड़ी गम्भीरता से इस पर चर्चा कर चुका है। बहुत चीजों के सम्बन्ध में हम लोगों ने जानना चाहा इस सदन में आज जिस तरह से यह प्रश्न उपस्थित हुआ जिस तरह से चर्चा हुई आज तो हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि जो उस विरोध से संबंधित हैं उन पर पोटा लगाओ जैसे संसद सदस्य वाईको के लिट्टे से संबंध होने के कारण उनको पोटा में गिरफ्तार किया गया। अब सुरक्षा की बात है माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जायेगी। क्या एक गनर इतने बड़े कुख्यात डकैत जिसकी कार्य योजना है कुंवर साहब की हत्या कराने की उसमें क्या करेगा तो इस स्पष्ट मामले में जो सुरक्षा की श्रेणी है–वाई श्रेणी है, जेड प्लस है, जेड है, तो आप किस श्रेणी की सुरक्षा देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रश्न पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक अतिरिक्त गनर की व्यवस्था शासन तुरन्त कर रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो सुरक्षा पहले से चली आ रही थी उसको बहाल कर दें। मान्यवर, कुंवर साहब वरिष्ठतम सदस्य हैं इस सदन को उनकी सुरक्षा के प्रति गम्भीर चिन्ता है आपको भी चिन्ता है। यह दूसरे वाले में जो इससे पहले चल रहा था उस तरफ चिन्ता है कि गोलियाँ कहाँ चली पटाका कहाँ चले कुंवर साहब ने कहा था कि हमको सुरक्षा चाहिए जितनी पूर्ववत् थी दो गनर एक सैडो इसकी निःशुल्क व्यवस्था आप बहाल कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

शासन की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, यह कोई नई नहीं बहुत पुरानी सुरक्षा मिली हुई है यह चूँकि अपने ऊपर इल्जाम लेते हैं, इस सुरक्षा को हटाने के बाद देख रहे हैं किस तरह का माहौल है, किस तरह से लोग अदालतों में मारे जा रहे हैं। इनकी पुरानी सुरक्षा बहाल कर दी जाय तो कोई बड़ा एहसान नहीं होगा हमने पीठ से कहा था कि हमें आपसे भी बहुत से मामलों में संरक्षण मिलता है अगर पूर्ववत् सुरक्षा बहाल कर दी जाय तो अच्छा होगा आप यह पीठ से निर्देश कर दीजिए यह आपका अधिकार है यह आप अपने लिए सुरक्षा नहीं ले रहे हैं यह उन माननीय सदस्यों के लिए जो इस सदन में बैठे हुए हैं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, यह एक वरिष्ठतम सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है। पूर्व में सुरक्षा मिली हुई थी, इसमें कदाचित विवाद का विषय ही नहीं है। कुंवर रेवती रमण सिंह जी इस सदन को महिमामंडित करते हैं इस सदन की धरोहर है। उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि उनकी जान को खतरा है। कम से कम ऐसे लोगों को जो समाज के प्रति समर्पित रहे हैं उनकी चिन्ता को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सुरक्षा का सवाल है। जब किसी आम आदमी को खतरा पैदा हो जाता है सामान्य व्यक्ति सुरक्षा की माँग करता है, उसको भी सुरक्षा दी जाती है। यह तो इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से स्वयं और कांग्रेस के सभी सदस्यों की ओर से अनुरोध करूंगा कि जो पूर्व में सुरक्षा थी आज कुंवर साहब का खतरा बढ़ गया है इसलिए उनकी सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, जो बाल कुमार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और दद्दुआ के भाई हैं। उनके साथ 40 राइफलों का काफिला लगातार चल रहा है उनको संसदीय कार्यमंत्री ने दो गनर दे रखे हैं। यह सूचना जरूरी थी। हम रेवती रमण सिंह के लिए सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आप सीधे-सीधे निर्देशित कर दें कि बाल कुमार के पास तो बहुत सी राइफलें हैं उनका तो बिना सुरक्षा के काम चल जायेगा। कई मंत्रियों के सुरक्षाकर्मियों की राइफलें उनकी पार्टियों में चलने लगती हैं। मैं कहूँगा कि उनकी सुरक्षा की कमी करके वह सुरक्षा रेवती रमण सिंह को दे दी जाये।

(घोर व्यवधान)

श्री घूरा राम–

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन मान्यवर, केवल सुरक्षा की ही बात होती तो सदन का इतना समय बेकार न जाता। मेरा आपसे अनुरोध है कि .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा का विषय नहीं है। ग्राह्यता पर सुनने के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों को सुना गया। माननीय अम्बिका चौधरी ने आखिर में एक बात कही है इस पर संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हों तो कहें वरना मैं अगली सूचना लूँगा।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अभी हमने कहा भी है कि कुंवर रेवती रमण सिंह की सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा। उनके लिए अतिरिक्त गनर की व्यवस्था की जायेगी और जो सुरक्षा उनको पहले से उपलब्ध थी उस पर विचार करेंगे तब तक के लिए अतिरिक्त गनर की व्यवस्था करा दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली सूचना श्री मो० रिजवान की ले रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

एक गनर उन्हें मिला हुआ है, एक और की बात स्वीकार कर ली है। शैडो के लिये कहा है कि विचार करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

अधिष्ठाता महोदय, हम आपसे संरक्षण माँगते हैं, आपकी पीठ से माँगते हैं। यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे वरिष्ठ सदस्य के जीवन की सुरक्षा के लिये यह सरकार अक्षम है। सरकार ने ददुआ के भाई को जितनी सुरक्षा दे रखी है, क्या इतने वरिष्ठ सदस्य उतनी सुरक्षा का भी अधिकार नहीं रखते। आपने तो ददुआ के भाई से भी इनका स्तर गिरा दिया। जितनी एक डकैत को दे रखी है, उतनी सुरक्षा के भी यह काबिल नहीं हैं रेवती रमण सिंह। जितनी सुरक्षा आपने एक डकैत के भाई को दे रखी है, उतनी ही इनको उपलब्ध करा दें, यह निर्देश तो आपकी पीठ से होना चाहिये। यह ऐतिहासिक निर्देश होगा कि एक डकैत के भाई को जितनी सुरक्षा दी गई है, उतनी ही एक विधायक को सुरक्षा दी गई है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका चौधरी ने कहा, यह सही है कि कुँवर रेवती रमण सिंह संसदीय परम्पराओं और इस सदन की एक धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा पूर्ववत बहाल करने की बात है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो गनर की बात स्वीकार कर ली है। पूर्ववत् सुरक्षा के तहत एक शैडो की बात रह गई है, उसके लिये विचार करने की बात कह दी है। कुँवर साहब की सुरक्षा के बारे में सभी सहमत हैं, मैं सोचता हूँ कि इसमें सरकार अनुकूल निर्णय लेगी।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले 2-3 घंटे से सम्पूर्ण सदन सभी बातों को ध्यान से सुन रहा है। मैं यह समझ रहा था कि जब संसदीय कार्य मंत्री बोलने के लिये खड़े होंगे तो वह इस विषय को दो भागों में बाँट देंगे। एक जो सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न है और दूसरा जो विषय लगातार उठा। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, कौन सी बात कही जा रही है कि एक हो गये दो हो गये, एक हो गया, बात यह नहीं है। बात सीधी सादी यह है कि सच्चाई से किसी को इन्कार नहीं हो सकता। यह इलाहाबाद के हैं, मैं भी इलाहाबाद में ही रहता हूँ, जिस समय चुनाव चल रहा था, दुनिया ने सुना था, देखा था और समझा था। ददुआ का भाई जब इनके खिलाफ चुनाव लड़ा तो जितने दिन तक चुनाव चला, हम लोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साँस रोककर यह सोचते रहे कि यह चुनाव शान्तिपूर्वक हो जाय। चुनाव निकल गया, उस चुनाव के दौरान क्या-क्या घटनायें हुई हैं, इसको यहाँ बतायेंगें तो चिन्ता का विषय हो जायेगा। यह तो रेवती रमण सिंह की समाज सेवा थी, लोकप्रियता थी कि विपरीत परिस्थितियों में यह निर्वाचित हो गये। चुनाव परिणाम आ गया, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन आपकी पीठ से आग्रह करता हूँ और संसदीय कार्य मंत्री से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब तक विचार पूरा न हो जाय तब तक इनको जो सुरक्षा पहले से मिली थी, उसको बहाल कर दें, उसके बाद चाहें तो दूसरी रिपोर्ट मँगा लें लेकिन जब तक रिपोर्ट न आ जाय, तब तक जो सुरक्षा लगी थी, वही बहाल कर दी जाय। जब तक आज इस बात की सदन में घोषणा नहीं कर देते, तब तक मेरे जैसे आदमी को शंका हो जायेगी कि आप इस मामले में गंभीर नहीं हैं।

आखिर इस सदन में अपनी बात लाने के लिए और कौन सी तरकीब अपनाऊँ, सारे तथ्य रख दिये, सारी बातें रख दी गई। मान्यवर पहले इस मामले में बात हो जाय, यहाँ पर घोषणा हो जाय इस सम्बन्ध में। एक नए सुरक्षा स्केल की बात होती तो सुरक्षा रिपोर्ट का आना उचित था। जब ददुआ का भाई उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा था, तब तक तो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया थी और जब उसने चुनाव लड़ा, उसके बाद सुरक्षा वापस ले ली गई, यह कहाँ का न्याय है। मैं समझता हूँ कि मेरी इस बात से किसी भी दल चाहे वह भाजपा, बसपा, लोकदल या अन्य कोई भी हो, किसी को इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उनकी पुरानी सुरक्षा व्यवस्था को बहाल कर दिया जाय और जो लोग उनकी सुरक्षा पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगाते हैं तो मुझे मजबूरी में उन पर शक करना पड़ेगा। जब तक इस सम्बन्ध में घोषणा नहीं की जाएगी तब तक यह सदन शान्तिपूर्वक नहीं चल पाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस विषय पर अपनी व्यवस्था अगले 15 मिनट तक के लिए सुरक्षित रखता हूँ। मैं मोहम्मद रिजवान जी की सूचना को सुन लेता हूँ, उसके समाप्त होते ही मैं इस पर व्यवस्था दे दूँगा।

(व्यवधान)

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक ऐसे प्रकरण पर मान्यवर, जिसके बारे में पूरा सदन एक मत और एक राय है और मान्यवर पीठ पर बैठ करके आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, परम्परा की एक धरोहर हैं.....।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में कोई असहमति नहीं है। मैंने अभी यह कहा कि अगली सूचना ले लूँ जब वह समाप्त हो जायेगी तो व्यवस्था दे दूँगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस पर व्यवस्था दे करके ही आगे बढ़ें। मान्यवर, इसमें व्यवस्था देने में आप चाहे जितना समय दें यह आपका अपना विवेक है, लेकिन पहले इस प्रकरण का पटाक्षेप करें, इसके बाद ही दूसरी सूचना लें। यह कार्य स्थगन है और हमने कोई बुद्धि-विलास की चर्चा के लिए, किसी गोष्ठी या कान्फ्रेन्श के लिए हमने यह विषय नहीं रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में अपनी बात बस आधे मिनट में कह देना चाहता हूँ कि कार्य स्थगन और नियम–56 में अन्य सदस्यों ने विचार रख दिये हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि माननीय रेवती रमण सिंह जी की सुरक्षा आवश्यक है।.

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

और उनकी सुरक्षा की हम पूरी व्यवस्था करेंगे। हम सिर्फ एक अनुरोध करना चाहते हैं कि कुँवर साहब के पास 1986 से ददुआ गिरोह के सवाल पर जो सुरक्षा चली आ रही है, उसको पूरा करने के लिए कितनी बढ़ोत्तरी करेंगे यह उन पर छोड़ते हैं लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था चली आ रही है पहले उसे बहाल किये जाने की सदन में घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सदन की कार्यवाही सब सुन ली है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से सम्पर्क किया था। कुँवर साहब की माँग थी कि एक गनर है उसके अतिरिक्त दो गनर और दिया जाय। वह दो गनर शासकीय व्यय पर स्वीकृत हो गये हैं यही उनकी माँग थी। इसके अतिरिक्त कोई बात होगी तो माननीय कुँवर साहब हमसे सम्पर्क कर लेंगे। मैंने आपकी जो इच्छा थी वह मुख्यमंत्री तक पहुँचा दी थी और मुख्यमंत्री जी ने दो गनर शासकीय व्यय पर स्वीकृत कर दिया है, अब तीन गनर हो गये। मैं समझता हूँ कि अब यह प्रकरण समाप्त हो गया, मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी से भी बात कर लिया है। अगली सूचना मोहम्मद रिजवान की है।

श्री मोहम्मद रिजवान–

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सरकार सत्ता में आयी है प्रजातंत्र के ऊपर प्रश्न-चिन्ह् लग गया है यह जो बेमेल सरकार बनी है उसने एक षडयंत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र के गाँव शफीपुर में खेला है यहाँ पर एक विशेष जाति के प्रधान को बचाने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। जिलाधिकारी व पंचायत राज अधिकारी पर दबाव बनाकर प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया है। 29-8-2002 को मेरे विधान सभा क्षेत्र में शफीपुर में एक अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान होना था, उस दिन तारीख लगी हुई थी उसके लिए दो चुनाव अधिकारी नियुक्त किये गये थे वह दोनों अधिकारी नियत समय पर भेजे गये थे लेकिन उनमें से एक अधिकारी पर ब०स०पा० के लोगों ने ऐसा दबाव बनाया कि उसे समय पर नहीं आने दिया और जिलाधिकारी तथा वहाँ के सहायक पंचायत राज अधिकारी दबाव में आ गये और वह जब साढ़े बारह बजे तक नहीं पहुँचे तो उसके बाद लोग आक्रोशित हो गये और बड़े पैमाने पर जाम लगाया गया और पूरे तहसील का जो प्रशासन था वह हिल गया उसके बाद एस०डी०एम० और क्षेत्राधिकारी पुलिस मौके पर पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने गाँव वालों को समझाया कि अभी डी०एम० और सी०डी०ओ० का टेलीफोन आया है और आपका जो इलेक्शन है वह टाल दिया गया है जबकि वहाँ पर गाँव के सारे लोग इकट्ठा हो गये थे। ब०स०पा० के नेता ने जिलाधिकारी पर दबाव बनाकर लोकतंत्र का वहाँ पर गला घोंटने का काम किया। 29-8-2002 को कुन्दरकी ब्लाक और बिलारी ब्लाक की मतदान पार्टी में अरुण कुमार, दिनेश कुमार, शिव कुमार भटनागर सहायक विकास अधिकारी पंचायत राम सेवक भटनागर जो वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचे इस तरह से जो प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया है। यह लोक महत्व का प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें तात्कालिकता नहीं है। जो घटना होनी थी वह हो गई।

श्री सुखदेव राजभर—

यह घटना एक ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का मामला था जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाना था उस दिन चुनाव अधिकारी नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जिलाधिकारी मुरादाबाद से विस्तृत आख्या मांगी गई है कि जब अविश्वास प्रस्ताव की तिथि नियत थी तो अधिकारी क्यों नहीं पहुँचा। किन परिस्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही पूरी नहीं हुई। इसमें रिपोर्ट माँगी है। यह विषय लोक महत्व और तात्कालिक नहीं है। यह एक गाँव का प्रकरण है। इसलिए इसे नियम–56 में अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है।

* श्री राम गोविन्द चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न स्थगन का दिया है वह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। दस अरब 26 करोड़ रुपए जापान सरकार ने उत्तर प्रदेश के बौद्ध धार्मिक स्थानों पर सुविधाओं हेतु सड़कों का निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए पैसा देने का आश्वासन दिया था। वह पैसा अब वह नहीं देंगे। उस पैसे को उन्होंने महाराष्ट्र को दे दिया है। उत्तर प्रदेश से हटाकर। इसका क्या कारण है। जो जापान सरकार के लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने गलत रिपोर्ट सौंपी है, वह रिपोर्ट अतर्कसंगत है, सही नहीं है इसलिए हम उस पर पैसा नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश आर्थिक संकट से यूँ ही गुजर रहा है। पिछले दिनों विश्व बैंक ने पत्र लिखा कि हम जो पैसा आपको दे रहे थे वह नहीं देंगे। जापान सरकार ने पत्र लिखा कि 10 अरब 26 करोड़ रुपये बौद्ध स्थानों को विकसित करने के लिए दे रहे थे वह नहीं देंगे। इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अन्दर बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि जापान सरकार से 10 अरब 26 करोड़ रुपए की सहायता मिल रही है उससे बौद्ध परिपथ का विकास करेंगे, सड़कों का निर्माण होगा, पेयजल की व्यवस्था होगी आवास-गृहों का निर्माण होगा जो पर्यटक आएंगे उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी लेकिन पर्यटन विभाग ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिससे कुशीनगर, पिपरहवां, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, संकिशा, कौशाम्बी को विकसित करने की योजना में अवरोध हो गया व जो बाहर से पर्यटक आते हैं पर्यटकों से उत्तर प्रदेश सरकार को जो बाहर से काफी धन मिलता था विदेशी मुद्रा की आय भी होती थी इससे पर्यटकों के आने में कमी आएगी। कमी होने से विदेशी आमदनी होती थी वह भी नहीं हो पाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह सरकार प्रतिदिन फेल हो रही है। जो जापान विश्व बैंक, थाइलैण्ड, वर्मा आदि जगहों से पैसा आता था व इन बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित करने का काम होना था वह पैसा धीरे-धीरे वापस हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस सरकार में इस प्रदेश में कोई भी आदमी एक पैसा विकास के नाम पर देने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने के सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर—

मान्यवर, चौधरी साहब ने इसको जिस सन्दर्भ में नियम–56 में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम–311 में थी। नियम–56 में परिवर्तित कर दी गई है।

श्री सुखदेव राजभर—

मान्यवर, यह एक प्रकरण को काल्पनिक आधार पर इन्होंने दिया है। इसमें कोई लोक हित का मसला नहीं है। न ही यह तात्कालिक है। एक अखबार के समाचार के आधार पर इसको दिया है। यह 56 में ग्राह्य ही नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल—

अद्यतन स्थिति क्या है, यह बता दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं फिर भी इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। अगली सूचना श्री रामजीत राजभर की है।

श्री रामजीत राजभर–

मान्यवर, बाबा विश्वनाथ की नगरी, गौतमबुद्ध की तपोस्थली सारनाथ वाराणसी में विश्व भर के पर्यटक वहाँ आते रहते हैं लेकिन 10 साल से लगातार दिक्कत हो रही है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से वहाँ के लोगों ने हमेशा सरकार को बताने की कोशिश की है। प्रदूषण मान्यवर,जो सारनाथ क्षेत्र में फैला हुआ है उससे पुरातत्व विभाग का म्यूजियम, भगवान बुद्ध की मूर्ति और मंदिर धूमिल पड़ते जा रहे हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक कई गम्भीर रोगों के शिकार होते चले जा रहे हैं। विदेशी पर्यटक तो यहाँ तक कमप्लेन्ट करते चले आ रहे हैं कि उनको सांस लेने में संकट महसूस होता है। वहाँ की जनता धरना, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को इस बात के लिये बताती रही है लेकिन आज तक सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर शाम को सफेद कपड़ा धोकर हम लोग उस क्षेत्र में सूखने के लिये डाल दें तो सुबह तक वह सफेद कपड़ा काला हो जाता है। गरीब आदमी अगर खाना खाते समय चावल बच जाता है और वह उसको सुबह अपने बच्चों के लिये रख देता है तो वह चावल सुबह तक काला हो जाता है। बागवानी प्रदूषित हो रही है। आम के बगीचे दस साल से फलना बन्द हो गये हैं। मान्यवर, वहाँ पर झुनझुनवाला ऑयल मिल स्थापित है। उसके प्रदूषण से सारा क्षेत्र परेशान है और लोग रोग से ग्रसित हो रहे हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति और मंदिर पुरातत्व विभाग का म्यूजियम उससे धूमिल होते चले आ रहें हैं। मुझे पर्सनल जानकारी है कि झुनझुनवाला ऑयल मिल में कमबस्टिंग सिस्टम ठीक नहीं है। जो कमबेस्टिंग चैम्बर है उसमें जितनी लम्बाई की चिमनी लगनी चाहिए थी नहीं लगी है। वह नियम के खिलाफ बनी है। आज तक वह चिमनी ऐसे जान लेवा हमले उस क्षेत्र में कर रही है। मान्यवर, यह लोक महत्व का सवाल है। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा करवाई जाय और आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि झुनझुनवाला ऑयल मिल जो कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जिससे भगवान बुद्ध के अस्तित्व के ऊपर संकट मंडरा रहा है, उसे तत्काल बन्द कराने का आदेश दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे माँग करता हूँ कि इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहाँ तक सारनाथ, भगवान बुद्ध की तपोभूमि की बात कही गई कि वहाँ पर पर्यटक कम आ रहे हैं। मान्यवर, पर्यटकों के आने का सवाल है, वहाँ निरन्तर पर्यटक आ रहे हैं। 2000 में 82, 987 और 2001 में 2,13,043 पर्यटक वहाँ आये हैं। वहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटकों की जरूर कमी हुई लेकिन मान्यवर, जो एक विश्व शान्ति का माहौल बना है विदेशी पर्यटकों में कमी हुई है ऐसा नहीं है पर्यटक निरन्तर आ रहे हैं। 2002 में 2 लाख पर्यटक सबसे ज्यादा आये हैं। 1999 पें एक लाख पर्यटक आये थे इसलिए पर्यटक तो निरन्तर आ रहे हैं। विदेशी कम आये हैं यह कहना सही नहीं है। यह तात्कालिक प्रभाव का विषय नहीं है इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

श्री रामजीत राजभर और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री राम विशुन आजाद –

मान्यवर, पूरे प्रदेश में पर्यावरण का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। इस सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं चलाई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पर्यावरण का प्रहरी गिद्ध है। पूरे हिन्दुस्तान में, पूरे प्रदेश में इनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। मान्यवर, पुराणों में रामचन्द्र जी ने जटायू को गले से लगाया था और अब इस सरकार के

शासनकाल में गिद्ध की प्रजाति खत्म हो रही है। पुराणों में कहा गया है कि कूर्मावधा जनमानस के भले के लिये हुआ था। कछुए और कच्छप की इस प्रकार में तस्करी हो रही है। घड़ियाल और मगरमच्छ पानी की गंदगी को साफ करते हैं। इन पर किन्हीं न किन्हीं देवी-देवताओं की सवारी भी है। लेकिन इस संवेदनहीन सरकार में घड़ियाल, कछुए और गिद्ध बच नहीं पा रहे हैं। गिद्ध प्रजाति समाप्त होने से पूरे प्रदेश में संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका है।

मान्यवर, ग्रामों में जब कोई जानवर मर जाता है तो उसको साफ करने के लिए गिद्ध काम आते हैं। गिद्धों के न रहने से मरे हुए जानवरों का सड़ा-गला माँस बीमारी पैदा करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। मान्यवर, ब्रिटेन की साइंस पत्रिका के अनुसार वर्ल्ड लाईफ इण्टरनेशनल की अध्ययन-रिपोर्ट में कहा गया है अगर इनको तत्काल नहीं बचाया गया तो दुनिया में 11 प्रतिशत पक्षी की प्रजातियां लुप्त हो जायेंगी। यही नहीं मान्यवर, ज्ञान शंकर मिश्रा जी ने कहा है हमारे देश में आठ प्रजाति के गिद्ध पाये जाते हैं। राजकीय गिद्ध, चमर गिद्ध, लम्बी चोंच वाले गिद्ध, ग्रिफोन गिद्धों में 90% की कमी आयी है पर्यावरण पहरियों की संख्या पिछले एक दशक में घट रही है जो चिन्ता का विषय है। यदि इनकी प्रजाति को नहीं बचाया गया तो मान्यवर, पूरे देश में संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। और फैल भी रहा है। गिद्ध की प्रजाति समाप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में इस सरकार ने अब तक पता नहीं लगाया कि गिद्ध प्रजाति में कौन सी बीमारी थी। अभी मान्यवर, बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने पक्षी वैज्ञानिकों को बुलाया, जाँच की गयी कि गिद्ध प्रजाति क्यों लुप्त हो रही है तो पता लगा गिद्ध को गुर्दे की बीमारी हो रही है। गिद्ध का कलेजा सफेद हो जाता है इसलिए गिद्ध की प्रजाति लुप्त हो रही है। गिद्ध प्रजाति को बचाने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता हो जिस प्रकार आपने घड़ियाल योजना बनायी गयी है उसी प्रकार से गिद्ध प्रजाति को बचाने के लिए गिद्ध प्रजाति योजना चलाई जाये। पर्यावरण के नाम पर कागजों में करोड़ों रुपया खर्च होता रहता है यदि उसको सही रूप से खर्च किया जाये तो संक्रामक बीमारियों पर काबू पाया जा सके। 1990 में सर्वे हुआ उस समय बीस हजार गिद्ध पाये गये 1995 से यह घटते चले गये। आज इनकी संख्या सैकड़ों में है। मात्र ढाई सौ या तीन सौ के आस-पास हैं। आज देखें पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं गिद्ध नहीं दिखायी देता है। इस देश और प्रदेश में गिद्ध नहीं है, इसको लोग शुभ संकेत मानते हैं, और यह नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि जवाब देने से पहले, मैं जानता हूँ कि इसे आप निरस्त कर देंगे, यह गम्भीर समस्या है क्योंकि अगर पर्यावरण सही रहेगा तो हम ठीक रहेंगे आप ठीक रहेंगे। और यदि पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा तो आप और हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रह पायेगा। हम लोग रोगों से ग्रसित हो जायेंगे। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर देने से पहले इस सदन को आश्वस्त कर दें कि गिद्ध प्रजातियों को बचाने के लिए कौन सी योजना लाने जा रहे हैं। मान्यवर, जो ग्रामीण अंचलों शहरों और कस्बों में जानवर मरते हैं उससे सड़ने में बदबू पैदा होती है और तमाम तरह के संक्रामक रोग होते हैं, बीमारी फैलती है। यह अत्यन्त लोक महत्व का और तात्कालिक है, अविलम्बनीय है। इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं सफेद गिद्धों से कहूँगा कि आपको अपना वकील कर लें।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर—

माननीय अवधेश प्रसाद जी ने कारण बता दिया तो स्पष्ट हो गया। मान्यवर, यह सही है कि कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और हम लोग भी इससे चिंन्तित हैं। माननीय राम विशुन आजाद जी की नजर इधर गयी आपकी बड़ी गिद्ध दृष्टि रही। तो यह गिद्ध गायब हो रहे हैं। हम लोग और वन विभाग इसमें लगे हुए हैं कि यह प्रजातियां नष्ट न होने पायें। यह नियम–56 में नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री राम विशुन आजाद—

मान्यवर, पिछली बार भी मैंने यह प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम योजना बनायेंगे। यह सरकार इसके प्रति उदासीन है। अगर आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं तो आप योजना बनायें। सरकार कहती है कि वन विभाग करेगा तो वन विभाग इसमें क्या करेगा? वहाँ स्वयं गलत हो रहा है। आप बतावें कि कैसे इस प्रजाति को नष्ट होने से बचायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अब मैं दूसरी सूचना को ले रहा हूँ।

* डा० शिव प्रताप यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम–56 में अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जैसा कि पूरा सदन जानता है पूरे प्रदेश में सूखे के कारण अकाल की स्थिति है और इस सूखे की हालत में, देवी प्रकोप तो जरूर है, लेकिन इस सरकार की निष्क्रियता और अक्षमता और अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो सदन मे घोषणाएं हुई हैं, जो सूखा राहत के लिए कार्य किये गये वह नहीं हो रहे हैं। सिंचाई मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की कि सिंचाई परियोजना चालू होगी। मान्यवर, हमारे बलरामपुर में 90 प्रतिशत नलकूप चालू हालत में नहीं है। मान्यवर, जो जिला योजना के मंत्री, वन मंत्री गये थे और उनके सम्मुख सम्पूर्ण विधायक, एम०एल०सी० जिला पंचायत के अध्यक्षों ने सभी ने इसको उठाया था कि नलकूप खराब पड़े हैं उनको चालू कराया जाय। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया था नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता को, लेकिन किसी ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया और यह नलकूप चालू नहीं हो पाये हैं। मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र गैंसड़ी में जो नलकूप खराब पड़े हैं उनके संबंध में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मान्यवर, क्षेत्र पंचायत गैसड़ी तहसील तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भदुवा शंकर नगर में स्थित नलकूप संख्या बी०एल०जी० 180, 181, 182, 183, 184 खराब पड़े हैं। यह पांच नलकूप हैं लेकिन यह पांचों खराब पड़े हैं। इसी तरह ग्राम जगदीशपुर में स्थिति बी०एल०जी० 96, ग्राम नयईडीह में स्थित बी०एल०जी० —121, ग्राम सिरसिहहवा में स्थित बी०एल०जी०—161 तथा ग्राम पंचायतों सोनपुर, मठेहना, सड़वा गुलरिहा, चहत्तरखुर्द, डुलहिनडीह, चतुरनगर, बगही सीर, महादेव शिवपुर, रमनगरा, कोइरी, मोतीपुर, कुड़ोहा, बिजुलीया, केवलपुर, गिहेलिया में स्थित नलकूप मोटर की खराबी अथव विद्युत लाइन में खराबी या ट्रान्सफार्मर में खराबी के कारण लगभग 6 माह से बंद पड़े हैं। इसका एक कारण यह है कि वहाँ पर बिजली नहीं पहुंच रही है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से शिकायत करने पर वह कहते हैं कि लाइन ठीक नहीं है। हमने लाइनमैन को ठीक करने के लिए भेज दिया है। इसका खामियाजा किसानो को भुगतना पड़ रहा है। सरकार कहती है कि किसानों को राहत दी जा रही है लेकिन आज किसान सूखे की मार से बेहाल हैं। जो बिजली के खम्भे हैं उनको ठीक करवाने की जरूरत है।

मान्यवर, जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि जो ट्रान्सफार्मर खराब हैं उनको ठीक करवा दिया जाएगा। और जहाँ लगाना है वहाँ लगा दिया जाएगा। लेकिन मान्यवर, आज तक वहाँ पर ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नलकूप आज नहीं चलेंगे तो बड़ा नुकसान होगा यदि बाद में चलेंगे तो तब तक फसल सूख जाएगी। मान्यवर, दूसरी बाद यह है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खंड बलरामपुर की नहरों एवं रजबाहों में टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है जिससे किसानों में जबरदस्त रोष है। जगह-जगह नहर, माइनर को काटा जा रहा है पुलिस विभाग कहता है कि हमारे पास पुलिस बल नहीं है। जबकि पुलिस को गश्त करनी चाहिए। आज दरोगा वसूली में लगे हुए हैं। मान्यवर, मैंने डी०एम० से बात करके थारू गाँव में नलकूप लगाने के लिए मैंने विधायक निधि से 75 हजार रुपये दिये थे। 10—15 दिन हो गये हैं लेकिन वह अभी तक नहीं लगा है। मान्यवर, अगर एक को भी सजा दे दी जाय तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। मान्यवर, जिलाधिकारी की कोई बात नहीं मानता है। कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है इसलिए मैं माँग करता हूं कि सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा चलाई जाये। मान्यवर, वह नलकूप कब तक चलेंगे और टेल तक पानी कब पहुँचेगा?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, नलकूपों की विद्युत आपूर्ति बाधित होने से सिंचाई क्षमता कम होने के संबंध में यह सूचना दी गयी मान्यवर, सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। मान्यवर, हम सिंचाई की क्षमता जो विद्युत विभाग से संचालित हैं हमारे नलकूप चाहे विद्युत दोष हो या मैकैनिकल दोष। 27 अगस्त, 2002 को कुल 15 राजकीय नलकूप बन्द थे इनके विद्युत दोषों को दूर करने के लिए और सुचारु रूप से चलाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि शीघ्र ही उनको ठीक कराया जाये। मान्यवर, यह सूचना अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य व माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। कुछ विशेष उल्लेख की सूचनायें हैं मैं चाहूँगा कि उसमें संक्षेप में बोल लेगें और मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर लूँगा।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री बंशीधर राज–

मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील मोहम्मदी का मुख्यालय है वहाँ 66 के०वी०ए० का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित है। दिनांक 2 तारीख को उपकेन्द्र का कन्ट्रोलरूम पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गया और सारी मशीनें बर्बाद हो गयी। विद्युत की सप्लाई पूर्णतयाः ठप्प हो गयी है। मान्यवर, पूरा नगर अंधकार में डूब गया है। मान्यवर, वहाँ इस भीषण सूखे की स्थिति में नलकूप बन्द हो गये हैं। लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। मशीनों की हालत यह है कि वहाँ 8 ट्राली काम मात्र 2 ट्राली से लिया जा रहा था। मान्यवर, दिनांक 9 तारीख को विद्युत कर्मी जो उस ट्राली को ठीक कर रहा था उसके आग लग गयी और वह झुलस गया। और वह जीवन-मृत्यु की शैय्या पर जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है और शाहजहांपुर अस्पताल में भर्ती है। मान्यवर, जब से घटना हुई थी अगर तत्काल उपचार कर लिया गया होता तो पूरा उपकेन्द्र जलकर नष्ट नहीं होता और पूरी विद्युत आपूर्ति ठप्प नहीं होती। मान्यवर, पूरी-पूरी लम्बी–लम्बी लाइनें हैं वह लाइनें चोरी हो जा रही हैं। और तार कटिंग हो रही है जिसके कारण मई में 10 दिन की सप्लाई बन्द रही, जून में भी यही हालत रही। अधिकारियों से बात की जाती है कि कट्रोल रूम क्यों खराब हो गया है और कब तक टीक होगा। तो जवाब मिलता है कि लगभग एक महीने लगेगा। मान्यवर, वहाँ पर 8 आदमी काम कर रहे थे अगर फायर ब्रिगेड समय में न पहुँचता तो आठों लोग आग की लपटों में झुलस कर जल कर मर गये होते। मान्यवर, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है यह 1954 का बना हुआ उपकेन्द्र है उसकी मशीनों को बदला जाये। मान्यवर, उस उपकेन्द्र को तत्काल संचालित कराया जाये नहीं तो जो थोड़ी बहुत फसल होने वाली है वह कदापि नहीं होगी और पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। मैं इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष –

मैं आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

* श्री महबूब अली –

मान्यवर, मैने एक नियम –311 में दिया था उस लोकमहत्व के विषय को नियम –56 में करने की व्यवस्था आपने दी। मान्यवर, आज प्रदेश में सदन में बैठे सदस्यों और उनके परिवार के लोगों और विपक्ष में रहने वाले पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ सरकार जान लेवा हमले, लूट, डकैती हत्याओं में उनका नाम पंजीकृत कराने, मुकदमों में नाम लिखाने और जेलों में भिजवाने का काम ही सरकार का मुख्य उददेश्य हो गया है। आज मैं किसी दूसरे पर प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर कुछ न कहकर शांति व्यवस्था के नाम पर जो अपराधिक मुकदमें यह सरकार लगा रही है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। मान्यवर, एक मेरे बड़े भाई से संबंधित मामला है। 16-4-02 को मेरे भाई पर जान लेवा हमला हुआ। भाई के थाने में पहुँचने पर 4 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद एफ०आई०आर० कराई गयी। चूँकि मामाला दिन का था इसके बाद 15 दिन तक पुलिस और प्रशासन के कान में जूँ तक नहीं रेगी। मेरे अपने कार्यकर्त्ताओं ने 2 मुल्जिमों को पकड़कर थाने में दिया 30-4-02 को। मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद सरकार का एक वक्तव्य आया कि जो मेरे भाई ने 4 मुल्जिमों के विरूद्ध एफ०आई०आर लिखाई थी उसमें से दो आदमियों का नाम पुलिस ने विवेचना में निकाल दिया और 2 नामजद हैं।

मान्यवर, दूसरी घटना मेरे दूसरे भाई से संबंधित है और मेरे भतीजे से संबंधित है। पिछले छठे महीने की 18 तारीख को रोड पर जहाँ मेरा होटल है कोई वाहन जाता दिखाई दिया तो थाने के उपनिरीक्षक राजावख्श ने और जिलापूर्ति अधिकारी ने गाड़ी को रोका और पेट्रोलियम ऐक्ट के तहत उसका चालान कर दिया। मान्यवर, हम लोग राजनीतिक लोग हैं। मान्यवर, जब हम नहीं रहते हैं, बाहर होते हैं तो हमारे भाई और परिवार के लोग हमारे जाने के बाद छोटे मोटे काम कार्यकर्त्ताओं के जनता के करते हैं। मान्यवर, 18-6-02 को जिलापूर्ति अधिकारी ने गाड़ी पकड़ी उसमें हमारे भाई का नाम 9-8-02 को यह कहकर जोड़ दिया गया है, मान्यवर, सरकार का वक्तव्य आया है कि मोबाइल फोन से मेरे भाई की और उस दारोगा की बात हुई थी जिस दिन वह गाड़ी 16-6-02 को बन्द हुई थी। मान्यवर, क्या मेरा यह अधिकार नहीं है, थाने में कई-कई टेलीफोन करने पड़ते हैं हम करते हैं और नहीं है तो परिवार वाले करते हैं। हमारे भाई के खिलाफ –506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

(इस समय 5 बजे अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

ऐसा नहीं है मामला बहुत गम्भीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित थीं 29 तारीख को मैं भी उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने व्यवस्था दी थी कि किसी भी तरह से किसी भी हालत में झूठे मुकदमें में लोगों को नहीं फसाया जायेगा। यह एफ०आई०आर० मेरे पास है। इस एफ०आई०आर० में जो लिखा गया है उसमें साफ दर्शाया गया है कि माननीया मुख्यमंत्री, लखनऊ के आदेश के द्वारा यह मुकदमा दर्ज किया जाता है। जहाँ यह मामला इतना गंभीर है। मेरा नामिनेशन भी जेल से हुआ है। उस वक्त भी झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था और उस वक्त के डी० एम० ने झूठा मुकदमा दर्ज कर मुझे जेल भेज दिया था। जो आज सरकार के सहयोगी हैं मैं उनके खिलाफ अपनी बात कहूँगा। मैं उच्च न्यायालय में गया। मुकदमें में, उस डी०एम० को पांच हजार रुपये का जुर्माना महबूब अली को दें और रिहा कर दें, यह आदेश हुआ था। उसके बावजूद भी वह जिलाधिकारी आज तक निलम्बित नहीं है और इसके बाद मामला उच्च न्यायालय के विरोध में सुप्रीमकोर्ट में चला गया लेकिन 15-7-2002 को उन्होंने जो रिट दायर की थी वह भी खारिज कर दी गयी लेकिन पांच हजार रुपये का जुर्माना नहीं मिला और डी०एम० को जेल नहीं भेजा गया, जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जहाँ सरकार लम्बी चौड़ी बातें करती है अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त की बात करती है। ऐसी स्थिति में

---

* वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक एम०एल०ए० के भाई के खिलाफ उनके किसी सचिव ने लिख दिया होगा कि विवेचना कर कार्य करें। मेरा अनुरोध है कि क्योंकि यह मामला मुझसे सम्बन्धित है, मेरे परिवार से संबंधित है। यह बहुत अविलम्बनीय है, इस पर चर्चा कराई जाये, उस डी०एम० को ससपेंड किया जाये। इसके साथ ही मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी बातों को गंभीरता से सुना।

श्री अधिष्ठाता–

शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। इसको अस्वीकृत किया जाता है। (मा० सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सुखदेव राजभर–

शासन का ध्यान आकृष्ट हो गया है। तद्नुसार इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह लोक महत्व का सवाल है जो मैं उठाने जा रहा हूँ। यह किसी एक जनपद का नहीं किसी एक तहसील का नहीं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ज्वलंत समस्या है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाषण तो गन्ना पर हम लोगों ने बहुत दिये हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जवंलत समस्या पर आज दो घंटे की चर्चा करा लें। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बन्द होती चली जा रही हैं और कितने ही किसानों का भुगतान बाकी है।

मान्यवर, आज जो मिल के मजदूर हैं, वह भुखमरी के कगार पर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पलायन करने की स्थिति में है। सब लोग भाग रहे हैं। क्योंकि उनकी जीविका बाधित हो रही है। आज चीनी मिल चलाने का, गन्ना मूल्य भुगतान कराने का और गन्ना मजदूरों का वेतन भुगतान कराने के लिये इस सरकार द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किये गये हैं, इसलिये इससे बड़ा लोक महत्व का विषय और हो नहीं सकता। यह अविलम्बनीय भी है। इसमें आपसे चाहूँगा कि चर्चा कराई जाय। मेरा एक ही आपसे निवेदन है, मैं भाषण देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि इस समस्या से अवगत हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान मजदूर इस समस्या से पूरी तरह बेहाल हैं, उसकी सूखी और भूखी निगाहें सरकार की तरफ देख रही हैं, जनप्रतिनिधियों की तरफ देख रही हैं, अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सारे कार्यों को रोककर कम से कम दो घन्टे की चर्चा कराई जाय।

* श्री राधेश्याम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने अति महत्व के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान गन्ना मूल्य न मिलने से भुखमरी की कगार पर पहुँच गये हैं। प्रदेश की 17 चीनी मिलें बंद हैं और इन चीनी मिलों के 7 हजार मजदूर अपने परिवार के साथ भुखमरी की कगार पर पहुँच गये हैं। जो चीनी मिलें बंद हो रही हैं, वह सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंद हो रही हैं। जो मिलें बंद कराने की योजना सरकार के पास विचाराधीन हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल में बंद हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 869 करोड़ 57 लाख गन्ना मूल्य बाकी है, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने मात्र 130 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य की मद में दिया है। आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान परेशान हैं, किसानों को 5-10 हजार कर्जे के लिये जेल में बंद किया जाता है। जो 8 चीनी मिलें बंद हो रही हैं, जिसका मामला शासन के सामने विचाराधीन है, उसमें रामकोला, लक्ष्मीगंज, पिपराइच, देवरिया, बैतालपुर, भटनी, शाहगंज और बुढ़वल हैं। इन आठों मिलों को बंद कराने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है। उसमें से 6 मिलें गोरखपुर मंडल में बंद होने जा रही हैं। हमारा मानना है कि जो बकाया गन्ना मूल्य है, उसका सरकार भुगतान करा दें, चीनी मिल कार्मचारियों का जो वेतन बकाया है, वह सरकार दिलवा दे और जो बंद चीनी मिलें हैं, उनको चलवा दें और जो 8 चीनी मिलों को बंद करने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है, उसके लिये संसदीय कार्य मंत्री जी कहें कि कोई चीनी* मिल बंद नहीं किया जायेगा। यह लोक महत्व का विषय है, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला है। किसान और मजदूर आज असमंजस की स्थिति में जी रहे हैं। जैसा हमारे सदस्य ने कहा हम लोगों ने बहुत पढ़ा भी, लिखा भी, लेकिन काम नहीं हुआ। हम आपसे माँग करना चाहते हैं कि सदन की पूरी कार्यवाही रोककर दो घन्टे की चर्चा कराई जाय, जिससे सभी माननीय सदस्यों के विचार सदन में आ जायें।

श्री अधिष्ठाता

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया और नियम–56 में यह सूचना अस्वीकृत हुई।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

* श्री किरनपाल सिंह

मान्यवर, नियम–56 में यह सूचना मैंने कल दी थी और आज भी दी है। मान्यवर, अभी पिछले दिनों इस प्रदेश के गन्ना मंत्री .....

(व्यवधान)

अभी पिछले हफ्ते मेरठ गए थे मंत्री जी, मान्यवर, प्रेस कान्फ्रेंस करके उन्होंने पत्रकार वार्ता में जब गन्ना के पेमेण्ट का सवाल आया तो उन्होंने साफतौर पर मिल मालिकों की वकालत की, उन्होंने कहा कि चीनी के दाम बहुत कम हैं और मिल के मालिकों की हालत बहुत खस्ता है, मिल मालिक परेशान हैं, चीनी के दाम कहाँ से दिया जाय। उसके दो दिन बाद प्रदेश के गन्ना आयुक्त मेरठ गए उन्होंने भी प्रेस कान्फ्रेंस की, उन्होंने यह तर्क दिया कि मिल मालिकों को गन्ना का पेमेण्ट अधिक देना पड़ता है, जो वर्तमान में चीनी के दाम हैं मार्केट में उसके अनुसार चीनी के दाम का भुगतान किया जाय। मान्यवर, आठ सौ करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है और यह सरकार की जिम्मेदारी हैं, उसके गन्ना मंत्री इस तरह का वक्तव्य देते हैं और फिर कहते हैं कि यदि हमने गन्ना का भुगतान करा दिया तो नेताओं को नेतागिरी करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा, संघर्ष के लिए। आज किसान सूखे से मरा पड़ा है, वह भुखमरी की कगार पर है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है और गन्ना मंत्री कहते हैं कि पेमेण्ट की बात तो होती रहती है। गन्ना मंत्री मिल मालिकों की वकालत कर रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह अविलम्बनीय है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, इससे महत्वपूर्ण और कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का मुद्दा है। इस पर सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराई जाय, यह मैं पुरजोर माँग करता हूँ। .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट)

* श्री जगदम्बिका पाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है। यह पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का प्रश्न है। एक तरफ पूरा उत्तर प्रदेश सूखे से प्रभावित है वहीं किसानों की रिकवरी हो रही है जितनी भी रिकवरी थी उसमें भू-लगान स्थगित हुई है इसके अलावा सभी रिकवरी जारी हैं। मान्यवर, या तो गन्ने की पर्चियों को समायोजित किया जाये या सरकार को 800 करोड़ रुपये के भुगतान की वचनबद्धता को निभाना चाहिए। हममें से 80 प्रतिशत लोग गाँव के रहने वाले हैं और सभी जानते हैं कि किसानों की आय का प्रमुख साधन गन्ना है, गन्ना ही एक कैश क्राप है जिससे वह अपने बेटी के हाथ पीले करता है, अपने बेटे को तालीम दिलाता है तथा बूढ़े बाप का इलाज कराता है। अगर भूले भटके से किसान ने कहीं से भी पैसा लिया है तो उसे ब्याज देना पड़ रहा है। इण्डियन शुगरकेन कण्ट्रोल एक्ट के हिसाब से 15 दिन के अन्दर अगर भुगतान नहीं करेंगे तो 15 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। आज किसानों को मूलधन नहीं मिल रहा है। चाहे वह राज्य की चीनी मिल हो, सहकारी चीनी मिल हो, संघ की चीनी मिल हो या फिर निजी क्षेत्र की चीनी मिल हो, किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। राज्य की 11 चीनी मिलें बंद हो गयीं, 8 प्रस्तावित हैं। अधिष्ठाता जी, इस उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा?

श्री अधिष्ठाता—

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया, नियम-56 में यह सूचना निरस्त की जाती है। अगर सदस्यगण चर्चा कराना चाहते हैं तो दूसरे नियम के तहत लिखकर दे दें।

श्री ब्रम्हा शंकर त्रिपाठी—

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर सरकार का पक्ष आना चाहिए।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शांत रहिये।

(समाजवादी पार्टी के श्री बैजनाथ दुबे, श्री राधेश्याम सिंह, श्री ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, डा० पी० के० राय, श्री बीजू पटनायक, श्री शाकिर अली तथा कांग्रेस पार्टी के श्री प्रदीप माथुर और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के श्री महबूब अली सहित अनेक सदस्य सदन की वेल में आ गये और इस पर एक घण्टे की चर्चा की माँग करने लगे तथा नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग अपने स्थान पर चलें।

(वेल में आये हुये सदस्यों द्वारा वापस न जाने पर)

मैं सदन को 5-45 तक के लिये स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 05 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी)

(5 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय के समापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(विपक्ष के अनेक सदस्य वेल में आ गये)

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस दिन बजट पारित हुआ था उसके बाद आज तक गन्ना किसानों का एक्क पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। जितने अगम्भीर तरीके से माननीय मंत्री जी और गन्ना विभाग के अधिकारियों का बयान आया है। पूरे प्रदेश में इससे महत्वपूर्ण सवाल और कौन हो सकता है। इसलिये इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियमों के तहत आप लिखकर दे दें। इस पर चर्चा करा देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

कल इसको प्राथमिकता पर सुन लें। हम सूचना दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में अन्य सूचना मा० प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, माननीय अजीम भाई, श्री राम करन आर्य, श्री सीताराम निषाद, श्री अवधेश प्रसाद, श्री आनन्द सेन, श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियाँ इस पर कल चर्चा की जाएगी।

जो सूचनायें चयनित नहीं हुई हैं वह हैं राम नरेश यादव, श्री रामजीत राजभर, श्री पारसनाथ यादव, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री अनिल सिंह, श्री राजेन्द्र यादव, श्री राकेश सचान, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री कैलाश यादव, श्री कमाल युसूफ मलिक, श्री प्रभु नारायण सिंह, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री राम करन आर्य, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री सूरज सिंह शाक्य, श्री मानपाल सिंह, श्री अनार सिंह दिवाकर की यह सूचनायें अस्वीकृत की गई।

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये)

श्री कमाल युसूफ मलिक–

मान्यवर, हमारी भी महत्वपूर्ण सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

अब इस सूचना को दुबारा कल दे दें। आज महत्वपूर्ण विभाग का बजट है।

श्री अध्यक्ष–

पारस नाथ जी आप भी कल लिखकर दे दीजियेगा। अजीम भाई आप भी कल फिर दे दीजियेगा।

श्री कमाल युसूफ मलिक–

मान्यवर, हमारे कार्यकर्ता को मारा। चप्पल पर थुकवाकर उसी से चटवाया गया।

श्री अध्यक्ष–

कमाल साहब आप भी कल फिर दे दीजियेगा। कल हो जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष–

कुछ कहना है इस पर।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, यह तो पास होकर गया था इस सदन से। जो संशोधन विधान परिषद् में रखे थे वह स्वीकार किये गये। मेरा अनुरोध है कि इसको पास करा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर विचार रखना चाहते हैं।

(किसी सदस्य ने विचार नहीं रखे)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण, विधेयक, 2002 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 कहा जायगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में, –

(क) "सुविधा" का तात्पर्य सड़क, जल–सम्भरण, सड़क पर रोशनी और विद्युत् प्रदाय, सीवर व्यवस्था, जलोंत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा करकट का संग्रह आदि लोक स्वास्थ्य और शिक्षा, आग बुझाने की सेवायें, सार्वजनिक पार्क और ऐसी अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवाओं या सुविधाओं से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण से है;

(ग) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" का तात्पर्य धारा-4 के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है ;

(घ) "विकासकर्ता" का तात्पर्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म या ऐसी अन्य निजी या सरकारी उपक्रम से है, जो अवसंरचना का अंशतः या पूर्णतः और परिक्षेत्र की अन्य सुविधाओं को विकसित, निर्मित, अभिकल्पित, संगठित, संवर्धित, वित्त पोषित, प्रवर्तित, अनुरक्षित, प्रबन्धन करती है और जो प्राधिकरण द्वारा चयनित और यथास्थिति, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित की जाय ;

(ङ) "विकास क्षेत्र" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा आर्थिक परिक्षेत्र के विकास के लिए अधिसूचित किसी क्षेत्र से है ;

(च) "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" का तात्पर्य विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित विकास के अंशतः या पूर्णतः क्षेत्र से है ;

(छ) "अध्यासी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके अध्यासन में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन हो और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं;

(ज) "अन्तरिती" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से कोई भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं;

(झ) "अवसंरचनात्मक सुविधायें" का तात्पर्य किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा या उपयोगकर्ताओं के किसी विशिष्ट समूह द्वारा विशेष सेवाओं का उपयोग किया जाना जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट सेवायें भी हैं, अर्थात् :–

(एक) विद्युत का उत्पादन और प्रदाय ;

(दो) जल निष्कासन, शोधन और वितरण ;

(तीन) अपशिष्ट जल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन ;

(चार) सफाई और सीवर व्यवस्था प्रणाली ;

(पांच) विमानपत्तन और रेल प्रणाली ;

(छः) सड़कें, पुल, उपरिगामी सेतु ; और

(सात) समान प्रकृति की कोई अन्य लोक सुविधा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय ;

(ञ) शब्द और पदावली "भवन", "विकास", "भवन का परिनिर्माण" और "भूमि" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिए दिए गए हैं।

प्राधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे 'विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण' कहा जाएगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
(घ) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ङ) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(च) कृषि विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(छ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ज) कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(झ) लघु उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ञ) नियोजन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ट) आवास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ठ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वृहत्तर नोएडा	सदस्य

(ड) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा	सदस्य
(ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
(ण) क्षेत्र का मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य–सचिव

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसे सदस्य सहयोजित कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के सन्तोषजनक निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण:– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'सचिव' का तात्पर्य, जहां विभाग में प्रमुख सचिव हैं, वहां पर 'प्रमुख सचिव' से होगा।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) प्राधिकरण की बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, प्राधिकरण में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य नहीं होगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) विकास आयुक्त जो प्रायः भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकरण द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

प्राधिकरण के कर्मधारिवृन्द

5–(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायं, प्राधिकरण उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों और उनकी श्रेणी और पदनाम अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित किसी क्षेत्र का प्रभाव

6–विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित होने वाले किसी क्षेत्र के परिणामस्वरूप —

(क) इस रूप में अधिसूचित ऐसे क्षेत्र में स्थापित इकाइयां समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त राजकोषीय प्रसुविधाओं और छूट की हकदार होंगी;

(ख) ऐसे परिक्षेत्र के अधीन क्षेत्र को औद्योगिक बस्ती समझा जायेगा और विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के क्षेत्र के भीतर पूर्व में घोषित कोई अन्य औद्योगिक बस्ती विघटित हो जाएगी और वह विशेष आर्थिक परिक्षेत्र औद्योगिक बस्ती द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिये समय–समय पर अधिसूचित समस्त लाभ/प्रोत्साहन विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाइयों पर लागू होंगे।

प्राधिकरण के कृत्य

7–(1) प्राधिकरण का कृत्य विकास क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा:–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से भूमि का अर्जन करना ;

(ख) विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना जिसमें तल क्षेत्रफल अनुपात (फ्लोर एरिया रेशिओ), भू–आच्छादन, पर्यावरणीय उपबंधों (हरित क्षेत्र, जल निकास), अग्नि सुरक्षा के उपाय आदि के संबंध में मार्गदर्शन की रूपरेखा भी हो सकती है;

(ग) तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता रिपोर्ट या यथास्थिति किसी परियोजना के, जिसे परिक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझा जाय, लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और ऐसी परियोजना में निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के उपाय करना और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ;

(घ) परिक्षेत्र की अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के किसी भाग या सम्पूर्ण भाग के लिए विकासकर्ता का चयन करना ;

(ङ) सहउद्यम भागीदारों को परियोजना के स्वामित्व के अनुवर्ती अन्तरण सहित विकास क्षेत्र के विभिन्न घटकों के विकास के लिए उपयुक्त सहउद्यम की व्यवस्था में प्रवेश करना ;

(च) अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं और योजनाओं का समयानुकूल कार्यान्वयन हो ;

(छ) प्राधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सेवायें प्रदान कर रहे अभिकरणों और उसके उपभोक्ताओं के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का निपटारा करना;

(ज) अपने पदाभिहित क्षेत्र में विकासकर्ता को यथास्थिति, अपनी किन्हीं या समस्त शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(झ) कोई अन्य कृत्य जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

भूमि के अंतरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की शक्ति

8–प्राधिकरण विकास क्षेत्र में प्राधिकरण के किसी भूमि या भवन को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम या विनियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेंच सकता है,पट्टे पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

प्राधिकरण द्वारा कर का उद्ग्रहण

9–(1) विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे वार्षिक कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के संबंध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार, यथास्थिति, ऐसे स्थल या भवन के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, से है:–

(क) विक्रय की दशा में प्रतिफल की राशि ;

या

(ख) पट्टा की दशा में प्रीमियम की राशि;

या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि।

(2) यदि राज्य सरकार, लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यासी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए उपबन्ध

10-(1) प्राधिकरण अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए विहित की गई हो, लगा सकता है।

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गई हो, वहाँ प्राधिकरण को इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के लिए उपयोक्ता-प्रभार उद्ग्रहण करने का अधिकार होगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा उपयोगिताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपयोक्ता-प्रभार की दरें नियत की जाएंगी, यहाँ तक कि यह एक वार्षिक प्रत्यागम सुनिश्चित करता है जो अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था में किए गए पूंजीगत निवेश पर सोलह प्रतिशत उत्तरवर्ती-कर के प्रत्यागम से अनधिक होगा।

(4) प्राधिकरण उपयोक्ता-प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए :-

(क) पद 'व्यवस्था करना' के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित है;

(ख) पद 'उत्तरवर्ती-कर प्रत्यागम' का तात्पर्य ऐसे शुद्ध प्रत्यागम से है, जो ऐसे आयकर के भुगतान के पश्चात उद्भूत होता है जिसे कुल प्रत्यागम पर देय पाया जाय।

विकासकर्ता के कृत्य

11-(1) विकासकर्ता का कृत्य परिक्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और परिक्षेत्र के संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रशासन की व्यवस्था करना होगा।

(2) सरकार द्वारा किसी विकासकर्ता के इस प्रकार चयन किये जाने के परिणाम- स्वरूप विकास क्षेत्र या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता में निहित होगा और आर्थिक परिक्षेत्र के क्रियान्वयन में प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं होगी:

परन्तु यह कि विकास क्षेत्र के उस भाग, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिए अधिसूचित नहीं है, के लिए प्राधिकरण के पास किसी विकासकर्ता की समस्त शक्तियाँ होंगी:

परन्तु यह और कि किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के किसी भाग, जिसके लिए किसी विकासकर्ता का चयन न किया गया हो, के लिए प्राधिकरण के पास किसी विकासकर्ता की समस्त शक्तियाँ होंगी।

(3) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विकासकर्ता निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा:-

(क) प्राधिकरण द्वारा रेखांकित पर्यावरणीय, फ्लोर एरिया रेसियो (एफ० ए० आर०), भू-आच्छादन, अग्निसुरक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शन के अनुरूप परिक्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना और योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थलों का सीमांकन और विकास करना;

(ख) उस प्रयोजन को, अर्थात् औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या भूखण्ड का उपयोग किया जाएगा;

(ग) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए अवसंरचना की व्यवस्था करना;

(घ) सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ङ) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भूखण्डों का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना;

(च) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना;

(छ) उसके द्वारा, इस निमित्त, स्वयं या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिए विकास, निर्माण, प्रतिष्ठापन, प्रवर्तन, प्रबंध और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अनुरक्षण करना।

भूमि के अन्तरण के संबंध में विकासकर्ता की शक्ति

12–विकासकर्ता विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में प्राधिकरण की किसी भूमि या भवन को ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जिन्हें वह अपनी नियुक्ति को शासित करने वाले निबंधन और शर्तों और विकासकर्ता के रूप में अधिसूचना के अधीन रहते हुए नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेंच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

विकासकर्ता द्वारा फीस का उद्ग्रहण

13–(1) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए विकासकर्ता ऐसे वार्षिक फीस का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए उपबंध

14–(1) विकासकर्ता अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए विहित की गयी हो, लगा सकता है।

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गयी हो, वहां विकासकर्ता को इस प्रकार प्रदान की गयी सेवा के लिए उपयोक्ता-प्रभार उद्ग्रहण करने का अधिकार होगा।

(3) विकासकर्ता उपयोक्ता–प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण:– इस धारा के प्रयोजनों के लिए:–

पद 'व्यवस्था करना' के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित होगा।

पुनर्विलोकन समिति

15–(1) ऐसे मामले में जहाँ विकासकर्ता द्वारा अवसंरचना की व्यवस्था की जानी हो, वहाँ प्रत्येक सेक्टर के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) विकासकर्ता का नाम निर्देशिती;

(ख) विकास आयुक्त;

(ग) इकाइयों/निवासियों/सेवा प्रदानकर्ताओं या अन्य ऐसे हितबद्ध समूह, यदि कोई हों, के प्रतिनिधि।

(2) पुनर्विलोकन समिति, विकासकर्ता और उपभोक्ताओं के मध्य कार्यों और अन्य मामलों का पुनर्विलोकन और विनिश्चय विकासकर्ता के नियुक्ति की शर्तों के अन्तर्गत करेगी।

(3) पुनर्विलोकन समिति, ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर, जैसा आवश्यक समझा जाय, बैठक करेगी।

इकाई अनुमोदन समिति

16–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विकास आयुक्त को या तो सशक्त कर सकती है या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी समिति, जिसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई अनुमोदन समिति कहा जाएगा, का गठन कर सकती है। प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा और समिति में समस्त सम्बन्धित विभागों, यथा– श्रम, पर्यावरण और प्रदूषण, उद्योग, व्यापार-कर, ऊर्जा आदि, के प्रतिनिधि होंगे।

(2) इकाई अनुमोदन समिति, आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर किसी इकाई की स्थापना के लिए, यथास्थिति, आवश्यक स्थानीय और राज्य स्तरीय समाशोधन, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित भी हैं:–

(एक) स्थल के लिए पर्यावरण समाशोधन;

(दो) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ सहमति;

(तीन) कारखाना और ब्वायलर्स निरीक्षणालय की ओर से स्थल समाशोधन;

(चार) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना योजना का अनुमोदन;

(पाँच) परिचालन और संचालन, यदि अपेक्षित हो, के लिए अनुज्ञप्ति;

(छः) मुख्य ब्वायलर्स निरीक्षक की ओर से ब्वायलरों का रजिस्ट्रीकरण;

(सात) ऊर्जा भार का अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो;

(आठ) इस प्रकार अधिसूचित या अपेक्षित कोई अन्य अनुमोदन।

(3) इकाई अनुमोदन समिति, अनुमोदनों और समाशोधनों को त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए अन्य विभागों के ऐसे विशेषज्ञों या प्रतिनिधियों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, को आमंत्रित कर सकती है।

(4) इकाई अनुमोदन समिति, विभिन्न समाशोधनों, अनुमोदनों, अनुज्ञप्तियों या रजिस्ट्रीकरणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगी और उल्लंघन/अननुपालन की दशा में सुसंगत प्रयोज्य विधियों के अनुसार समुचित कार्यवाही करेगी।

(5) इकाई अनुमोदन समिति अपने द्वारा प्रदत्त विभिन्न अनुज्ञप्तियों या अनुमोदनों आदि का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने के लिए किसी अभिकरण की नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे समाशोधनों और अनुज्ञाओं आदि के अनुश्रवण के लिए अपेक्षित किसी सूचना की मांग कर सकती है।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

17–उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 7 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,–

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

18–उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 10, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,–

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति निर्देश समझा जाएगा; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

19–इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र या उसका कोई भाग, यदि वह उत्तर

प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

20–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

21–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्यकलाप के प्रशासन के लिये विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) प्राधिकरण की बैठक बुलाना और बैठक करना, ऐसी बैठक को आयोजित करने के लिये समय और स्थान, बैठक के कार्य का संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्रों के रजिस्टर का प्रपत्र;

(घ) प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस;

(च) किसी अवसंरचनात्मक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले प्रभार;

(छ) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जानी हो।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सम्बन्ध में कतिपय अधिनियमितियों का उपान्तरण

22–विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूची में दी गयी अधिनियमितियाँ या तो प्रवृत्त न रह जाएंगी या ऐसे उपान्तरों के साथ प्रवृत्त होगी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अनुसूची

(धारा 22 देखिए)

अधिनियमितियों की सूची

[1–औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

2–संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947

3–ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970

4–व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

5–कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952

6–कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

7–कारखाना अधिनियम, 1948

8–वायु (प्रदूषण निवारण ओर नियंत्रण) अधिनियम, 1981

9–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

10–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

1–[11] उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948

2–[12] उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

3–[13] उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

[14–भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923

15–उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999

4–[16] उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) ऐक्ट, 1952

17–पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

18–केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड संख्या–22 की अनुसूची में दी गयी अधिनियमितियों की सूची में से अधिनियमित संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17 तथा 18 निकाल दी जाय तथा शेष संख्या 11, 12, 13 तथा 16 को क्रमशः 1, 2, 3, 4 के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए तीन भागों में विभाजित कर हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखंड का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री समर पाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा नियम 103 में प्रस्ताव है। आपसे प्रार्थना है कि उसे बजट से पहले ले लें। वह महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश के विकास से संबंधित प्रस्ताव है। कई दिनों से लम्बित है। बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। इसको ले लें।

श्री अध्यक्ष–

आपके ही दल के मंत्री का बजट है। माननीय समरपाल जी इस समय 6 बजने वाले हैं। 6 बजकर पाँच मिनट पर बजट प्रस्तुत होगा इसलिये आप संक्षेप में कुछ बोलकर इसको प्रस्तुत कर दें। चर्चा जारी रहेगी।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, 10-15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

6 बजकर पाँच मिनट पर समाप्त कर दीजिये। चर्चा जारी रहेगी। जो भाग लेना चाहेगा उसमें ले सकेगा। चर्चा आज समाप्त नहीं होगी।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए उसे तीन भागों में विभाजित कर हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखंड का सृजन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूँ आपने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, पूरे प्रदेश के विकास से जुड़ा सवाल है, मान्यवर आप अच्छी तरह जानते हैं, जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं सब इस बात से विदित हैं कि हमारा प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है, विकास में यह पिछड़ रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति चाहे जो दावा करें लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है यह आर्थिक रूप से कंगाल होने की कगार पर है, स्थिति यह है कि विकास में पिछड़ रहा है, आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, कानून व्यवस्था खराब होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन इसका जो प्रमुख कारण जो है, वह है उत्तर प्रदेश की विशालता। मान्यवर, हिन्दुस्तान के अन्दर विश्व के अन्दर कोई भी ऐसी प्रजातांत्रिक यूनिट नहीं है, जहां इतने बड़े राज्य को संचालित किया जाता हो। इससे बड़ा प्रदेश और कोई नहीं है, इससे बड़ा देश कोई नहीं है, शुरू के चार पांच देशों में हमारा देश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है कुछ देश तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं।

मान्यवर ढाई लाख वर्ग का क्षेत्रफल है, 17 करोड़ की आबादी है विश्व में दूसरा ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो एक जगह से संचालित होता हो। एक जगह बैठकर ढाई लाख लोगों को सक्षम प्रशासन दिया जा सके। प्रदेश इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि यह विशालतम प्रदेश है और प्रशासन सक्षम रूप से प्रशासन करने में सक्षम नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश ऊपर से नीचे आ रहा है। इससे पहले पंजाब के अन्दर हरियाणा और हिमांचल प्रदेश था तीनों संयुक्त थे। जब पंजाब का विभाजन हुआ तो पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश अलग-अलग प्रदेश बन गए। हरियाणा जो हमसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था वह भी आगे निकल गया है वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं लेकिन वहाँ की पर कैपिटा इन्कम ज्यादा है वहां ज्यादा विकास का कार्य हो रहा है उनकी आर्थिक स्थिति हमसे ज्यादा अच्छी है। आज हमारी प्रति व्यक्ति आय 9,323 रुपया है हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 18,625 है और पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 23 हजार 40 है और हमारी प्रति व्यक्ति आय 9 हजार है। हम पिछड़ते जा रहे हैं हमारे सामने पंजाब का विभाजन हुआ वहां की सम्पन्नता बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, इसलिए मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाए इसको चार प्रान्तों में बांट दिया जाए। हरित प्रदेश में जो पश्चिमी जिले उत्तर प्रदेश के हैं वह आ जाएं, पूर्वांचल के जो 27 जिले हैं वह पूर्वांचल प्रदेश के नाम से आ जाएं, जो बुन्देलखंड के सात-आठ जिले हैं इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा मिलाकर बुन्देलखंड प्रान्त बनाया जाए। मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह नई मांग नहीं है 1953 में तीन सदस्यीय आयोग बना था जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। विधान सभा के सदस्यों ने 1997 में मांग रखी थी कि प्रदेश का विभाजन किया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए। जो तीन सदस्यीय आयोग था उसमें फजल अली अध्यक्ष थे, दो सदस्य श्री हृदय नारायण कुदरु और के०एन० पणिकर थे। इन्होंने प्रस्ताव दिया था के०एन० पणिकर ने अलग से प्रस्ताव किया था कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया जाए उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का हिस्सा देने की बात कही गई थी। 1970 में जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई और केन्द्र में भी तो जो उनका घोषणा-पत्र था उसमें छोटे राज्यों की बात कही गयी थी। 1978 में उस समय के प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रदेश को चार-पांच हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव किया था और उनकी जो सीमाएं रखी, उत्तरांचल राज्य का तो गठन हो गया, बुन्देलखंड, पूर्वांचल और हरित प्रदेश यही उसकी बाउन्ड्री थी। लेकिन वह सरकार गिर गयी और चौधरी चरण सिंह जी उसका विभाजन नहीं कर पाये। मान्यवर, प्रदेश के हित से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की जनता वहाँ आन्दोलन कर रही है पिछले चार सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर हरित प्रदेश की आँधी चल रही है। वहाँ पर प्रति व्यक्ति यह मानता है कि जब हरित प्रदेश का निर्माण किया जायेगा तभी उनका विकास संभव हो पायेगा।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमारे प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है। वहाँ के लोग मेहनती हैं और वह अपने खून-पसीने को बहाकर मेहनत करके प्रदेश के खजाने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। सबसे ज्यादा की हिस्सेदारी उनकी है और आज वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के लिए तरस रहा है। वहाँ पर विकास की योजनाएं नहीं हैं। वहाँ की बिजली की हालत बहुत खराब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव में दो या तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है

और उसका कारण यह है कि जितने भी विद्युत उपकेन्द्र हैं वह ओवर लोडेड हो गये हैं और उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, आपने कहा कि पाँच गाँवों के नाम लिखकर दे दें हम विद्युतीकरण करा देंगे। लेकिन हमारे वहाँ पहले से सब विद्युतीकरण हो गया है। जो चालीस साल पहले विद्युतीकरण हुआ था वे सारे उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाने की बात है। उनके पास पैसा नहीं है। आज वहाँ पर तार खंभे टूट गये हैं, ट्रांसफारमर खराब पड़े हैं। सड़कों की हालत आप देख लीजिये। आप कहते हैं कि पहले प्राथमिकता के आधार पर गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा गाँव नहीं है जो न जुड़ा हो। लेकिन उनकी हालत क्या हो रही है। गड्ढे पड़ गये हैं और उसकी मरम्मत के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। मान्यवर, आज हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पैसा नहीं है। वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था को आप देख लीजिये। वहाँ पर मात्र तीन चार महाविद्यालय हैं जबकि बाकी में 19 हैं। एक लाख की आबादी पर 49 स्कूल हैं जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर 62 स्कूल हैं। तो यह सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप सदन के अन्दर घोषणा करते हैं कि पूर्वांचल के विकास के लिए एक सौ पचास करोड़, बुन्देलखंड के लिए पचास करोड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पैसा नहीं है। यह सौतेला व्यवहार हो रहा है इसलिए वहाँ की जनता ने यह मन बनाया है कि हम हरित प्रदेश का निर्माण करायेंगे। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पाँच करोड़ लोगों की आवाज है .....

(शोर)

आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच को लेकर पच्चीस साल से आंदोलन चल रहा है। इलाहाबाद में हाईकोर्ट है और वहाँ से ढाई सौ किलोमीटर दूर लखनऊ पर हाईकोर्ट की बैंच है। इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड और ढाई सौ किलोमीटर दूर लखनऊ के अन्दर भी रेवेन्यू बोर्ड है मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को 6 सौ–7 सौ–8 सौ किमी० हाईकोर्ट के लिए इलाहाबाद आना पड़ता है। लखनऊ में आई०ए०एस०, पी०सी०एस० परीक्षा के सेंटर पड़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को यहाँ आकर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा जारी रहेगी।

(व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री अम्बिका चौधरी, श्री प्रदीप माथुर सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री किरनपाल सिंह–

अब जब अंदर की बात आ ही गयी है तो मुंह खुलने दीजिए। यह नहीं चलेगा कि भाषण भी करेंगे और सरकार में भी रहेंगे।

(व्यवधान)

(श्री किरनपाल सिंह सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये।

देखिए मैंने पहले भी यह अनुरोध किया है कि यह चर्चा समाप्त नहीं की जा रही है, यह आगे भी जारी रहेगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा चर्चा आगे के लिए स्थगित करते ही श्री प्रदीप माथुर, श्री दिनेश सिंह, श्री बीजू पटनायक तथा श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल आदि विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर चर्चा की मांग करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 6 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 6 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 6 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 6 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6.30 बजे तक बढ़ा दिया है।

6 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6.45 बजे तक बढ़ा दिया है।

6 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 7.00 बजे तक बढ़ा दिया है।

7 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन सवा सात (7.15) बजे तक बढ़ा दिया है।

(7 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने आसन से खड़े होकर हरित प्रदेश पर चर्चा कराने की माँग करने लगे जिससे शोर/व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करिये।

(श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री विजेन्द्र सिंह, श्री किरण पाल सिंह एवं श्री प्रदीप माथुर हरित प्रदेश पर चर्चा कराने की माँग करते हुये सदन की बेल में आ गये)

* श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पहले चर्चा होने दीजिये उसके बाद कोई काम होगा।

(शोर/व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

यह दोहरी नीति नहीं चलेगी, पहले चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये। मैं रोज आपकी बात मानता हूँ आप एक दिन मेरी बात नहीं मान रहे हैं।

(शोर/व्यवधान)

(वेल में आये हुये सदस्य वापस चले गये)

मैंने प्रारम्भ में ही निर्देश कर दिया है कि चर्चा जारी रहेगी और जितने माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे सभी को पूरा अवसर मिलेगा, किसी के समय में कोई कटौती नहीं की जायेगी। अभी आपके पास 4 दिन है। एक दिन नहीं हो पायेगा तो दूसरे दिन हो जायेगा, तीसरे दिन हो जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

(व्यवधान/शोर)

कृपया बैठ जाइये। रोज मैं आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूँ। किरण पाल सिंह जी बैठ जाइये। मेरे पास तकनीकी साधन बहुत हैं, अगर मैं चाहूँ तो आपके विरोध के बावजूद भी एक घण्टा समाप्त हो गया है और "हाँ" "न" में मतदान अभी करा सकता हूँ। परन्तु मैं चाहता हूँ कि आप सबकी बात सुनी जाय। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे सुनी जायेगी।

(श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर भी श्री विजेन्द्र सिंह के न बैठने पर)

पहले यह सीख लीजिये कि अध्यक्ष पीठ पर कोई भी बैठा हो, अगर वह खड़ा होता है तो सब बैठ जाते हैं और शांतिपूर्वक उसकी बात सुनते हैं। सभी माननीय सदस्य जो भाग लेना चाहे भाग लें लेकिन समय का अभाव है, महत्वपूर्ण बजट है, अभी बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। आज मैंने नियम-56 की सूचना स्वीकार की विशेष उल्लेख में भी सुना गया, विशेष उल्लेख का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है। मेरे भी धैर्य की सीमा धीरे-धीरे टूट रही है। अगर किसी के अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके सबके सहयोग से सदन चलता है, अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। कोई मेरी व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं है सदन चलाने में। आप लोग शांतिपूर्वक अपनी बात कहें, दूसरे की बात सुनें, समझें तब तो ठीक है रोज-रोज मैं कितनी उदारता प्रकट करूँ। मैंने समरपाल सिंह जी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, बहुत बड़ी गल्ती कर दी।

(व्यवधान जारी)

मुझे नहीं करना चाहिये था लेकिन एक बार पीठ से व्यवस्था दे दी। उस समय मुझे नहीं कहना चाहिये था कि चर्चा प्रारम्भ करा लें। आज महत्वपूर्ण बजट है। कल शून्य प्रहर में जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होगा नियम 300 में एक दो मिनट की बात है उसके बाद इसको ले लिया जाएगा। सबको बोलने का अवसर मिलेगा। उस समय का आप लाभ उठाइये। आप हमारे साथ सहयोग करें।

श्री विजेन्द्र सिंह–

बजट के पहले ही चर्चा करानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस गलती को स्वीकार कर लिया है। रोज आपके पक्ष में गलती करते हैं आज अपने पक्ष में गलती कर दी। कल आपको पूरा समय मिलेगा हमारी बात मान लीजिये। कल पूरा समय रहेगा।

श्री विजेन्द्र सिंह–

हम लोग चुनकर आये हैं। जनता ने विश्वास के साथ भेजा है।

श्री अध्यक्ष–

कोई नामित होकर नहीं आया है।

श्री विजेन्द्र सिंह–

यहाँ नहीं चर्चा करेंगे तो कहाँ करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कल प्रश्नकाल के बाद चर्चा करा लेंगे। आपको चर्चा से रोक नहीं रहे हैं।

श्री विजेन्द्र सिंह–

जो लोग बाहर दूसरी बात करते हैं यहाँ दूसरी बात करते हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

बजट इस चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

मैंने गल्ती कर दी कि चर्चा की बात बजट के पहले मान ली।

* श्री किरन पाल सिंह–

आपसे आग्रह है कि यह भी व्यवस्था दे दें कि जिस दल के माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उस दल के नेता को भी इस पर अपने विचार रखने के लिये कहें। क्योंकि लोग मंत्रिपरिषद् की कुर्सी पर बैठे हैं। दल के नेता के क्या विचार हैं वह आना चाहिए।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी बैठ जायें।

श्री किरन पाल सिंह–

बजट महत्वपूर्ण है लेकिन यह जो नूरा कुश्ती जो हो रही उसके बारे में पता चलना चाहिए।

(इसी मध्य श्री विजेन्द्र सिंह, श्री प्रदीप माथुर, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल व अन्य माननीय सदस्य वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर जाए। मैं अगली मद ले रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान सं०-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) अनुदान सं०-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) अनुदान सं०-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

* लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2, 36, 56, 41, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22, 97, 70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 7 बजकर 25 मिनट)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,46,30,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, यह मेरे लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके समक्ष यह बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे आदर्श स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह से इसी सदन के माध्यम से करोड़ों किसानों को, गरीबों को लाभ पहुँचाया था। मान्यवर, मैं चाहती हूँ कि लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट के द्वारा समाज के हर व्यक्ति को हमारी योजनाओं से लाभ पहुँचाया जाय। उनके होठों पर मुस्कान लाई जाय। मान्यवर, आप जानते है कि किसी भी प्रदेश का, देश का विकास सड़कों के बिना सम्भव नहीं है।

(मेजे थपथपाई गई)

जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की अधिकतर जनता गाँवों में रहती है और अभी भी वह गाँव सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाये हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री भी थे। सदा कहते थे कि अगर इस देश में खुशहाली लाना चाहते हो, अगर खेतों में किसानों को खुशहाल देखना चाहते हो। गाँवों में खुशहाली देखना चाहते हो।

(मेजे थपथपाई गई)

मान्यवर, उन्होंने एक नारा दिया था कि देश की खुशहाली का रास्ता गाँवों के खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। मान्यवर, पिछले दिनों आन्ध्र प्रदेश में विकास के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिस गाँव की कनेक्टिवीटी सड़कों से होती है वहाँ विकास औटोमेटिकली 15 प्रतिशत हो जाता है। मान्यवर, हमने लोक निर्माण विभाग में इसका विशेष ध्यान रखा है कि ग्रामीण मार्गों का सुधार हो। मेरा मानना है कि जो गाँव जुड़े सड़कों से तो किसान जुड़े नगरों से मान्यवर, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के सभी मार्गों की लम्बाई 1,12,822 किलोमीटर है। इसमें राष्ट्रीय मार्ग 4,860 किलोमीटर, राज्य मार्ग 9,609 किलोमीटर, प्रमुख जिला मार्ग 7,305 किलोमीटर और अन्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग 91,048 किलोमीटर है।

(मेंजे थपथपाई गई)

श्री अध्यक्ष–

पढ़कर मत बोलिये।

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

मान्यवर, हमारे यहाँ अधिकतर गाँव अभी भी पक्के मार्गो से नहीं जुड़े हैं। इस बार हमने अपने बजट में गावों को पक्के मार्गो से जोड़ने के लिये विभिन्न योजनाओं में 2300 गाँवों का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि उन गाँवों को जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और पिछड़े लोग रहते हैं, ऐसे गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ा जाय। अम्बेडकर गाँवों को पक्के मार्गो से जोड़ने के लिये 1,797 गावों का लक्ष्य रखा है। इसके लिये 80 करोड़ पचास लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत भी अधिनीत कार्यों को पूरा कराने के लिये 80 करोड़ पचास लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत भी अधिनीत कार्यो को पूरा कराने के लिए 80 करोड़ पचास लाख रुपये का अलग से प्राविधान किया गया है। मान्यवर, आर०आई०डी०एफ० 1997 में शुरू हुई थी।

जिसे पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के नाम से संचालित किया गया था। इसमें नाबार्ड से वित्त पोषण कर मार्गो को जोड़ा जाता है। मान्यवर, इसी को आगे बढ़ाते हुये इसके छः चरणों में कार्य चल रहा है। इस वर्ष इस योजना में अधिनीत कार्यो के लिए दो सौ तीस करोड़ इकतीस लाख उनतालिस हजार के बजट की व्यवस्था है।

(मेजे थपथपाई गई)

इसके साथ ही नये मार्गों एवं पुलों के लिए रुपये तैंतालिस करोड़ पचपन लाख की बजट व्यवस्था इस योजना में है। मान्यवर, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना मुख्य रूप से एक लाख से अधिक आबादी के नगरों में, नगरीय मार्ग के सुधार तथा जल निकासी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए शुरू की गई थी। मान्यवर, इस वर्ष इस योजना में अधिनीत कार्यों के लिए रूपये आठ करोड़ तथा नये कार्यो के लिए रुपये एक करोड़ बजट व्यवस्था प्रस्तावित है अब तक मान्यवर, 45 नगरों में सुधार कार्य कराए जा चुके हैं।

(मेजे थपथपाई गई)

मान्यवर इस राज्य योजना के अन्तर्गत, राज्य सेक्टर में अधिनीत कार्यों के लिए रूपये अट्ठानवे करोड़ चौंतीस लाख पच्चासी हजार तथा नये कार्यों हेतु रुपये बीस करोड़ का प्राविधान इस बजट में किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर रुपये एक सौ अट्ठारह करोड़ चौंतीस लाख पचासी हजार की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, जैसा कि सभी जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इस योजना में भारत सरकार की नीतियों के अनुसार वर्ष 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम तथा वर्ष 2007 तक 500 से 1000 तक आबादी के ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। पहले इस योजना में आपसे सुझाव नहीं लिये जाते थे लेकिन भारत सरकार की गाईड लाइन्स के अनुसार इसमें अब आपके सुझाव भी लिये जायेंगे। मेरा विभाग इस योजना में 56 जनपदों में कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। शेष 14 जिलों में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष रूपये 642 करोड़ की धनराशि इस प्रदेश को प्राप्त हुई थी हमें आशा है इस वर्ष इस योजना में प्रदेश को 1200 करोड़ मिल सकता है ऐसी संभावना है।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, विशेष पैकेज के बारे में बताना चाहूँगी प्रदेश में पैकजों के माध्यम से असंतुलन की स्थिति समाप्त करने के लिए सड़कों तथा पुलों के निर्माण की योजना बनाई गई है। बुन्देलखण्ड के लिए रुपये 33.2760 करोड़, पश्चिमांचल के लिए रुपये 19.5327 करोड़, मध्यांचल के लिए रुपये 17.7169 करोड़ तथा पूर्वांचल के लिए रुपये 26.2773 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहूँगी कि विश्व बैंक परियोजना है, विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गो तथा प्रमुख जिला मार्गो के सुधार का प्रस्ताव है जिसमें 973 कि०मी० महत्त्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण तथा 2574 किलोमीटर लम्बाई में मार्गो के रख–रखाव के लिए स्टेट रोड प्रोजेक्ट–2 योजना के अन्तर्गत 2886 करोड़ रुपये की परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि विश्व बैंक द्वारा निर्माण कार्यो के लिए 80 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 20 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इस वर्ष की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो हेतु 97.66 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है जिसमें 20 करोड़ रुपया नये कार्यो के लिए है।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत इस वर्ष रुपये 116.7517 की धनराशि प्रस्तावित की गई है। मान्यवर सामान्य अनुरक्षण एवं रखाव के लिए रुपये 126.00 करोड़ रुपया प्रस्तावित है जो मुख्य रूप से सड़कों की मरम्मत तथा सुधार में लगाये जायेंगे। राज्य सड़क निधि में विभिन्न कार्यो के लिए 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

(मेजें थपथपाई गई)

आपके सामने एक खुशी की बात रखना चाहती हूं विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं इधर के भी माननीय सदस्यगण बैठे हैं उनको इस बात की खुशी होगी कि चौधरी चरण सिंह जी की याद में चौधरी चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजना प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है। इस योजना में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों में जहां मार्ग ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं उसमें पूरी लम्बाई में पत्थर को कोट देकर मार्गों में सुधार किया जायेगा। इसके लिए इस वर्ष 54.27 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, जिन मार्गों पर बस टैक्सी वाहन अधिक चलते हैं और वे कृषि मण्डी सार्वजनिक मेले, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ऐसे मार्गों का चयन पहले किया जाएगा। और जो मार्ग कस्बों अथवा नगरीय क्षेत्र में आते हैं उनके सुधार हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। पिछले वर्ष में साख सीमा की कमी के कारण जो कार्य अधूरे रह गए थे उन कार्यों के लिए भी इस वर्ष 45.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अन्य श्रेणी के मार्गों के सुधार के लिए 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राज्य मार्ग, प्राथमिक जिला मार्ग और अन्य जिला मार्ग के सम्बन्ध में निवेदन करूंगी कि इसमें 85 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष भवन कार्य की अनेक मदों में उन्तालीस करोड़ ग्यारह लाख का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, प्रदेश में 20 राष्ट्रीय मार्गों की लम्बाई चार हजार आठ सौ साठ किलोमीटर हैं जिसमें से आठ सौ बयासी किमी मार्गों का रख-रखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा शेष तीन हजार नौ सौ अठहत्तर किलोमीटर मार्गों के रख-रखाव तथा मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है जिसके लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

मान्यवर, सूचना तकनीक प्रणाली के माध्यम से विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार करने की योजना तैयार की गयी है। इस योजना में नोडल खण्डों को मुख्यालय से जोड़ने तथा मुख्यालय को शासन स्तर से जोड़ा जायेगा। इसके लिए अलग से एप्लीकेशन साफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है। मान्यवर, कार्यों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और सभी कार्यों में एकान्उटीबिलिटी निर्धारित करने के लिए नियम बनाये गये हैं। इसी क्रम में एक मुख्य अभियंता, पांच अधीक्षण अभियंता, चवालिस अधिशासी अभियंता, बत्तीस सहायक अभियंता तथा अड़सठ अवर अभियंताओं को निलम्बित किया गया है। इस समय चार सौ तिरासी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा आठ सौ दस कार्मिकों के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं। अधिशासी अभियंताओं की अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी की गई है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, ठेकों में अपराधीकरण रोकने के लिए अपराधिक इतिहास वाले पंजीकृत ठेकेदारों के पंजीकरण निरस्त करने तथा अपराधिक इतिहास पाये जाने पर पंजीकरण न करने के निर्देश दिये गये हैं। आवंटित कार्य को किसी अपराधी ठेकेदार द्वारा कार्य कराये जाने पर ठेका निरस्त किये जाने का प्राविधान है। अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति तथा बेरोजगार इंजीनियरों को पंजीकरण के लिए हैसियत तथा जमानत राशि में पचास प्रतिशत की छूट का प्राविधान किया गया है। पारदर्शिता तथा (कामपीटिव बाईगित) बनाये रखने के लिए निविदाओं को कई जगह बेचने तथा प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी। वर्ष 2002–2003 में बयासी सेतुओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है एवं रुपये दो सौ तिहत्तर करोड़ के कार्यभार का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें आर०आई०डी०एफ० योजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं को पूर्ण करने का लक्ष्य भी सम्मिलित है। मान्यवर, राजकीय निर्माण निगम द्वारा गत 26 वर्षों में लगभग रुपये 2531 करोड़ लागत के निर्माण कार्य कराये गये हैं। निगम ने लगभग 9.91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2002–2003 में 260 करोड़ के कार्य कराने का लक्ष्य है। मान्यवर, इस

तरह से मैंने संक्षेप में अपनी पालिसीज जो हमारे विभाग के एचीवेमेंटस है उसको आप लोगों के सामने रखा है। मैंने किसी पर्टीकुलर एरिया को इम्पारटेंस नहीं दी है एक बैलेन्स बनाने की कोशिश की है। मैं पहली बार यहाँ पर बोल रही हूँ और पहली बार बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा। एक अनुरोध मैं और आपसे करना चाहूँगी कि आप जनता के हित में मेरे साथ सहयोग करें और इस बजट को पास कराने में मेरी मदद करें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग....

श्री अध्यक्ष–

यह वाला अभी नहीं प्रस्तुत करना है। लगता है कि आपका ध्यान कहीं और था। यह अनुदान संख्या–59 अभी प्रस्तुत नहीं हुआ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे विनम्रतापूर्वक केवल इतना कहना है ताड़ने वाले गजब की नजर रखते हैं। अगर श्री पाल जी की नजर वहाँ थी तो आपकी नजर कहाँ थी?

श्री अध्यक्ष–

हमारी नजर आपकी तरफ रहती है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखने का अवसर दिया। हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने जब माननीया मंत्री जी यहाँ पर बजट प्रस्तुत कर रहीं थी तो उन्होंने उसे सुनने नहीं दिया। हम इसको बड़ी गंभीरता से सुनना चाहते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मंत्री बजट रखे और विपक्ष भाषण न सुनने दे। इसमें माननीया मंत्री जी अपने विभाग की प्राथमिकताएँ बता रही थीं लेकिन जिस तरह से व्यवधान किया गया इसकी कौन सी आवश्यकता थी।

श्री अध्यक्ष–

मैने ठीक कहा कि आपका ध्यान कहीं और था।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर आपने मान लिया है तो मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम प्रोत्साहन तो दे रहें हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही दिया।

श्री अध्यक्ष–

जब आप बोलेंगे तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन इतना भी प्रोत्साहन न दीजिएगा जितना कि माननीया मंत्री जी को मिला है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर आपका प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो उनका भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं तो लोक निर्माण विभाग के कई कटौती के प्रस्ताव रख चुका हूँ। जब श्री कलराज मिश्र जी लोक निर्माण मंत्री थे तो भी मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जो सुझाव रखेंगे अगर मंत्री जी उन्हें ध्यानपूर्वक, गम्भीरतापूर्वक सुनेंगी तो स्वाभाविक रूप से उनकी परफारमेंस उनके विभाग में मंत्री के रूप में अच्छी होगी। हम लोग जिम्मेदारी के साथ चुनकर आए हैं। हमारे जो सुझाव होंगे वह प्रदेश हित में होगें।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, ने जो लोक निर्माण विभाग के दो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं सेतु निगम और निर्माण निगम तो उन्होंने सेतु निगम का जिक्र नहीं किया, निर्माण निगम के लिए कहा कि इतने पैसे का प्राविधान किया है। मान्यवर, सड़क आवागमन के सबसे महत्वपूर्ण साधन है और सड़कों का महत्व आज से नहीं आदि काल से चला आ रहा है। मान्यवर, 5 हजार वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा खुदाई में टाऊनशिप में सड़कों का निर्माण मिला है। मान्यवर, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में धमनियां संचालित होती है उसी प्रकार सड़कों का हमारे जीवन में महत्व है। मान्यवर, सड़कों की महत्ता अतीत से नहीं है वह आज भी है और भविष्य में आने वाले दिनों में दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती चली जायेगी। सम्राट अशोक ने सड़के बनवायीं चन्द्रगुप्त मौर्य ने बनवायी वह पश्चिमी सीमान्त से पाटलीपुत्र तक। उसके बाद शेरशाह सूरी ने जी०टी० रोड सड़क बनवायी। जो देश की सबसे लम्बी सड़क बनी मान्यवर, दुनिया की सबसे पहली सड़क सूडान में बनी। मान्यवर, जो पक्की सड़कों की निर्माण की शैली शुरू हुई। वह 3 हजार वर्ष पूर्व शुरू हुई। और वह थामस सेण्ट कोर्ट ने शुरूआत की जो आज पी–1, पी–2 पक्की सड़क की टेक्नोलाजी है। मान्यवर, आपने आज कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का काम करेंगी।

मान्यवर, पिछले दिनों यह काम नहीं हुआ है। हम उत्तर भाषण में यह जानना चाहेंगे कि 2 वर्ष से जो जिला योजना बन्द कर दी गयी है जिसमें हम प्राथमिकता तय करते थे और परिव्यय निर्धारित होता है, वह योजना बन्द हो गयी है। जो हमारी आधी अधूरी सड़के पड़ी है उसमें कोई पैसा निर्धारित नहीं हुआ है। मान्यवर, जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मैं पैसा दिया तो इस सरकार के पूर्व मंत्री जो थे उन्होंने अपने राज्य की सरकार का सही पक्ष नहीं रखा। भारत सरकार ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो मानक तय किये गये हैं तो मान्यवर, उसके अनुसार दें। (व्यवधान) उन्होंने उन सड़कों का विवरण जिनका जिला योजना में 28 प्रतिशत काम हो चुका था उन सड़कों का पेश कर दिया।

माननीय मंत्री जी जो लोक निर्माण आपको विरासत में मिला है इस विभाग में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है और इसके बारे में जिक्र भी किया गया है, झूठा है या सच्चा है, तबादला उद्योग बन गया है। आपने इस बार कम से कम तबादले किये हैं इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आप आगे भी ऐसी ही प्रयास करेंगी कि तबादले कम हों। मान्यवर, चाहे लोक निर्माण विभाग की सड़कों की बात हो चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो और चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को जोड़ने की बात हो आपने जो गाईड लाईन्स हैं उनका जिक्र किया। मान्यवर, लखनऊ में 1985 में इण्डियन रोड कांग्रेस की कान्फ्रेन्स हुई थी उसमे लखनऊ प्लान स्वीकार किया गया था 20 वर्षों के लिए और यह तय किया गया था कि प्रदेश में 3 लाख 55 हजार कि०मी० पक्की सड़कें बनायी जायेगी। लेकिन क्या सारी सड़कों को जोड़ दिया गया हैं। मान्यवर, आज 1 लाख 35 हजार 7 सौ कि०मी० सड़कें हैं अगर आप सारे विभागों की सड़कों को जोड़ दिया जाये। आखिर लखनऊ प्लान का क्या हुआ?

मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में 1927 में जैकल समिति बनी थी जिसमें बाम्बे प्लान अडाप्ट हुआ लखनऊ प्लान बना। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में सड़कों की जो लम्बाई है वह 190 कि०मी० प्रति लाख जनसंख्या का है औसत, जबकि राष्ट्रीय औसत 292 किमी० है। यह अन्तर है। हम कितना पीछे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे? आपने कहा कि हम अमरीका जायेंगे और जो विश्व बैंक के हमारे यहां कंट्री डायरेक्टर हैं आप जरूर जाइये, मंत्री जी जाय, मंत्री जी टीम लेकर जायं मंत्री जी अगर उस पर सफल होगीं तो पूरा प्रदेश उनको धन्यवाद देगा। लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं मिस्टर लिम डायरेक्टर इण्डिया कन्ट्री के मैं पूछना चाहता हूँ उस पत्र को हमारे विपक्ष ने पढ़ कर सुनाया, जो प्रदेश के मुख्य सचिव, लोक निर्माण को निदेशक मिस्टर लिम ने लिखा था विश्वबैंक की परियोजनाओं के सम्बन्ध में हमे भरोसा नहीं है कि देने पर विचार करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियां जो है आज उत्तर प्रदेश रोड फेज–2 है उसके लिए 2800/- करोड़ की स्वीकृति के लिए विश्वबैंक विचार कर रहा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया की नीति नहीं बदली, जिस तरह से तबादले चल रहे हैं उसी तरह से तबादला चलता रहा तो 2800 करोड़ रुपया पायेगी नहीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जिला योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस बजट के प्राविधान को देख लीजिए स्टेट एसडी में एक पैसा नहीं रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में एक पैसा नहीं रखा गया है, दीनदयाल योजना में एक पैसा नहीं रखा गया है।

मान्यवर मैंने सारे बजट भाषण को पढ़ा है आप कहाँ से पैसा लायेगी अगर इस प्रदेश की सड़क के निर्माण की बात करेगी तो विश्वबैंक से जो 2800 करोड़ मिलेगा उसी से कर सकती हैं लेकिन वह 2800 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक अगर इस बात से सहमत होगा, अभी तो यह प्रासेस में है आप विचार कर सकती हैं लेकिन निश्चित तौर पर जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं जिसके नाते विश्व बैंक को इण्डिया कन्ट्री के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जिस तरह का पत्र लिखा है अगर इन परियोजनाओं से पैसा लेने की बात कर रहे हैं तो अभी तो यह प्रस्तावित हैं मान्यवर, यह एक चिन्ता का विषय है अगर आप लोक निर्माण मंत्री के रूप में किसी तरह से 2800 करोड़ रुपया हासिल करलें तो एक सफलता होगी। आज उत्तर प्रदेश में जो विकासोन्मुख करने की बात हुई, सड़कों के प्लान की बात हुई। उस योजना को कैसे पूरा करायेंगी? मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं जहां तक उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की बात है उस लोक निर्माण विभाग में मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अभी तो आपको तीन माह ही हुए हैं लेकिन इस लोक निर्माण में इसके पूर्व मंत्री जो थे उस सत्र में आप मौजूद थी, सिंचाई मंत्री के रूप में ओम प्रकाश जी ने उत्तर प्रदेश के इंजीनियर एसोसिएशन में 12 जून, 2002 को कहा था यह तो अंग्रेजों के जमाने से व्यवस्था चली आ रही है साढ़े बारह परसेंट कमीशन का यह तो व्यवस्था का अंग है।

(इस समय 7 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

एक मंत्री अगर इस व्यवस्था को, कमीशन की व्यवस्था को, व्यवस्था का अंग मानता है तो कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा। उसको आप कैसे समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि दाल में नमक के बराबर खाने के खिलाफ मैं नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के इंजीनियर एसोसिएशन में उन्होंने इस बात को कहा कि इंजीनियर्स जो हैं वह दाल में नमक के बराबर खा लें लेकिन यह परंपरा ब्रिटिशकाल से चली आ रही है। मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अगर मंत्री ही किसी बात पर मोहर लगा दें कि यह व्यवस्था का अंग है। तो इस तरह से निश्चित रूप से लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता। आज फैजाबाद में के०एन० राय हैं जिनके पास दो विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मार्च के आखिरी के सप्ताह में पौने दो करोड़ का तारकोल खरीद लिया।

एक सड़क जिस पर 17 लाख का अनुबंध हुआ। एक सड़क के अनुबंध पर उन्होंने चार सड़कों का 40 लाख का अनुबंध करा लिया। मैं इसको आपको तथ्य के साथ भेज दूंगा। आप जांच करा लीजिएगा कि स्थिति क्या है। अगर कार्यवाही करने के लिए आप कह रही हैं तो आज उस स्थिति में जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो शेष पैसा शासन को वापस करना चाहिए लेकिन उस बजट को वापस नहीं किया उस बजट को निकाल लिया गया और खर्च कर लिया गया।

बस्ती में जो पैसा गया जिस तरीके से भ्रष्टाचार वहां चल रहा है तो इस संबंध में आपको ठोस कार्यवाही के लिए आगे आना पड़ेगा। आज पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की साख जिस तरह से गिर रही है आप लगातार कह रही है कि इस विभाग में इस तरीके से काम करेंगे तो उस स्थिति को ठीक करने में दृढ़ संकल्प दिखाना होगा। आपने कहा कि हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम करेंगे उससे पैसा मिलेगा। आपके पास विभाग है आपको मालूम होगा कि साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये मिले। यह पैसा इसलिए दिया गया कि आप उत्तर प्रदेश में सड़कें बनायेंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन्स थी। आपने सन् 2001 में जिला योजना में 315 करोड़ रुपये दे दिये। आप भारत सरकार की गाइडलाइन्स को नहीं मानते। जिला योजना के लिए पैसा नहीं है। आपके कार्यकाल में 350 करोड़ रुपये जिससे सड़कें बनती उसमें से 315 करोड़ रुपये जिला योजना को आधे-पूरे कार्यों के लिए दे दिया। 28 परसेंट से ऊपर जो है उसे प्रधानमंत्री ग्राम राड़क योजना में करेंगे। जो 10 परसेंट है 12 परसेंट है उसको किस योजना में पूरा करेंगे। आज जो बेसिक मिनिमम स्कीम है उसमें आप कितना पैसा रख रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि बजट भाषण में 2001 मार्च से 2002 सितम्बर तक सड़कों के लिये कितना पैसा दिया। बेसिक मिनिमम स्कीम में एक भी पैसा नहीं दिया, इस कारण सड़कें पूरी नहीं हो रही हैं। मैं जानना चाहूँगा, जब आप उत्तर भाषण दें कि वह सड़कें कैसे पूरी होंगी। यह कहा गया कि 28 प्रतिशत तक की सड़कें बेसिक मिनिमम स्कीम में पूरी करेंगे और 28 के ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में करेंगे और 35 करोड़ रुपया फिर आप अधूरे कार्यों में दे रही हैं। इसी तरह राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया था कि एक हजार की आबादी वाले सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लेंगे और 500 तक की जिला योजना में लेंगे, उस घोषणा का क्या हुआ, उस आश्वासन का क्या हुआ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो उसे कम आबादी वाले गॉव है, उनकी सड़कों को जोड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री जी आ गई हैं, वहीं बता देगी। आज यह नई सरकार मायावती जी के नेतृत्व में बनी है, इन्होंने कहा कि हम 10 हजार अम्बेदकर गॉव करेंगे, उसके लिये संसाधन इकट्ठा किये जायेंगे तो वह पैसा अम्देदकर गॉव निर्माण में लगायेंगे। तो जो जिला योजना के छूटे गॉव हैं, उन गॉव के लिये लोक निर्माण विभाग कहॉ से पूरा करेगा, उन गॉवों को नावार्ड 7 में ले लिया, उसका क्या हुआ।

मैं चाहूँगा, कि आप कम से कम फिर से जिला योजना चालू कर दें। जिला योजना में, मैं समझता हूँ कि जिले के सभी सम्मानित विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो अथवा विपक्ष के, हर विधान सभा बाइज सड़कों की प्राथमिकता देते हैं। अब चाहे नावार्ड 7 हो, चाहे नावार्ड 8 हो, सड़कों का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आगे अम्बेदकर ग्राम की प्राथमिकता तय हो सकती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों पर काम नहीं हो रहा है, केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ही कुछ काम हो रहा है, उसमें भी जितने प्रस्ताव आप भेजते हैं, उसके एक चौथाई ही स्वीकृत होता है, इसको अब आप नावार्ड 8 में भेजेगी। पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा हर विधान सभाओं में जिला योजना में सड़कों के प्रस्ताव लिये जाते थे, अब वह कहॉ से लिये जायेंगे। इसी प्रकार मान्यवर, स्टेट एस०एन०डी० में एक भी पैसा नहीं रखा गया। माननीय राजनाथ सिंह ने 80 करोड़ रुपया स्टेट एस०एन०डी० में रखा था, लेकिन वह 80 करोड़ कहॉ खर्च हुआ, हमारे बस्ती और गोरखपुर मंडल में तो एक भी पैसा नहीं गया। मिर्जापुर में अवश्य गया और ज्यादातर काम चुनार में कराया गया। जबकि स्टेट एस०एन०डी० का पैसा पूरे प्रदेश के लिये होता है, यह किसी एक जिले के लिये नहीं होता है।

माननीया मंत्री जी जो काम अब हो रहे हैं, वह वर्टिकल टेन्डर के माध्यम से हो रहे हैं, इसमें बाहर का ठेकेदार जाता है, कोई आपका अंकुश नहीं है, आपकी जो सड़कें बन रही हैं, वह मानक के अनुसार नहीं बन रही हैं, उनकी गुणवत्ता सही नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानक के हिसाब से अच्छी सड़कें बन रही हैं, क्योंकि वह आपसे डेढ़ गुना ज्यादा पैसा उसमें दिया जा रहा है। टेन्डर लेने वाले अभियन्ताओं के नियंत्रण में नहीं हैं, न उनके कार्यो की गुणवत्ता है, यह भारत सरकार का पैसा है।

उनकी टीम आकर के कहीं भी 2-4 जनपदों में प्रधानमंत्री सड़क योजना की जॉच कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इतना पैसा मिलने के बावजूद भी उनकी गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। आज जिस तरह से काम हो रहा है अगर उस पर ठेकेदार पर 2 प्रतिशत पैनाल्टी लगा दी जाय, तो वह ठेकेदार काम छोड़ कर चला जाएगा, तो भी काम पूरा नहीं होगा। आज डी०टी०ओ० में इस प्रदेश के पास वित्तीय संसाधन की कमी है। अगर आप पुलों की बात करें तो कोई भी पुल चाहे तलवारी-टाण्डा पुल हो या अन्य कोई बड़ा पुल हो, का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, घाघरा हो, कहीं पर भी पुलों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता

कृपा करके आप पीठ की ओर सम्बोधित करके अपनी बात करें।

श्री जगदम्बिका पाल –

मान्यवर, चूँकि मंत्री जी को उत्तर देना है, इसलिए मैंने उनकी तरफ सम्बोधन किया , अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि "तेलवारी का तेल जले, पड़ोसी का पेट फूले"।

श्री प्रमोद कुमार

मान्यवर, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, मैं माननीय पाल जी से अनुरोध करूँगा कि वह उधर सम्बोधन न करें, लेकिन आप भी कृपा करके इधर-उधर न देखें।

श्री जगदम्बिका पाल

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि एक महिला होने के नाते उन्होंने कम से कम लोक निर्माण विभाग का मंत्री किसी महिला को बना दिया।

मान्यवर, डी०टी०ओ० में प्रस्ताव भेजने की बात हुई तो आपने डी०टी०ओ० को कितने प्रस्ताव दिए, अब आप कहेंगे कि आप उधर देख रहे हैं माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अपना उत्तर भाषण देना है तो उन्हीं को सम्बोधित करके ही कहेंगे। तो आपने कितने नये पुलों के निर्माण के बारे में प्रस्ताव में कहा? पूर्व मंत्री कलराज मिश्र ने तो यहाँ कहा था कि हम ये-ये प्रस्ताव डी०टी०ओ० को भेज रहे हैं। लुम्बनी-दुद्धी मार्ग जो एक राज्य को, दूसरे राज्य से जोड़ने वाला है, इसको आपने कहा कि हम नेशनल हाईवे करने जा रहे हैं। इसी तरह से सुनौली-बलिया मार्ग की बात है, अगर एक मार्ग बस्ती से सिद्धार्थ नगर चला जाय, या तलवारी-टाण्डा चला जाय, तो वहाँ के लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। इन मांगों को हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश के पास वित्तीय संसाधन नहीं है, तो आप भारत सरकार से बात करके उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कराके, उसको पूरा करने का काम करें। इसी तरह से मान्यवर, आपने कितने रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव किया है? पूर्वांचल पैकेज की बात है तो आपने पूर्वांचल पैकेज में कहा था कि आधा पैसा जिले में लगा आधा पैसा राज्य स्तर पर लगेगा।

सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक तरफ उस लोक निर्माण विभाग के पिछले दिनों के उस भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो एक बनगी है, जिसे आप ठीक करेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो अपराधी किस्म के ठेकेदार हैं उनको ठीक करेंगी, उनके टेण्डर कैंसिल करेंगी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस तरह से प्रदेश के अभियन्ताओं की हत्या का सिलसिला शुरू हुआ है वह गम्भीर चिन्ता का विषय है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन्जीनियर सिद्दीकी की हत्या हुई जिसकी गूंज अभी तक खत्म नहीं हुई, सुल्तानपुर में हत्या हुई, बलिया में हत्या हुई, कानपुर में हत्या हुई इससे लोक निर्माण की क्या प्रवृत्ति दर्शा रही है। अपराधी किस्म के लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि

जो अभियंता फर्जी पेमेण्ट या ठेके नहीं दे रहे हैं उनकी हत्या की जा रही है और उनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। मैं केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कर रहा हूँ आपके प्रमुख अभियन्ता श्री त्रिभुवन राम ने प्रदेश के सचिव लोक निर्माण को तमाम चिट्ठियाँ लिखी हैं जिसमें घटनाओं का जिक्र किया है। 3-8-2001 को लालसिंह सहायक अभियन्ता की हत्या हुई, हरिश्चन्द्र अधिशासी अभियंता की हत्या हुई।

सुल्तानपुर में आज कोई काम करने को तैयार नहीं है, भीड-भाड़ वाले इलाके में लाल सिंह को खींच लिया गया और रिवाल्वर के वट मारा गया, दो घण्टे बन्धक बनाये रखा गया। आज जो घटनायें हो रही हैं, इन्जीनियरों के अपहरण हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। आज इन्जीनियर एसोसियेशन धरना दे रहा है। यह सुल्तानपुर की स्थिति है, फैजाबाद में कल हत्या हुई, इसके पहले भी हुई। लखनऊ, कानपुर, बलिया में हत्यायें हुई। स्थिति यह हो गयी है कि अभियन्ताओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है, उन्हें यह लगता है कि कोई मार देगा, या दुर्व्यवहार करेगा। मंत्री जी आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपको प्रदेश के सृजन की तरफ देखना है, सड़कों पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि सड़कें विकास का द्योतक है। वहीं जो अभियन्ता हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करना है। इन्द्र भूषण की हत्या ठेके को लेकर नहीं हुई उनसे 5 लाख रुपये की माँग की गयी, उस गरीब अभियन्ता ने पैसा नहीं दिया तो उसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गयी। इस हत्या को लेकर प्रदेश के इन्जीनियर आन्दोलित हैं। मान्यवर, तमाम जनपदों में फैजाबाद, गोण्डा, हरदोई, बलिया, कानपुर, लखनऊ में हत्यायें हुई। लखनऊ में मंसूर आलम सिद्दीकी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, एस०एस०मिश्र, राधेश्याम चौधरी, सुशील कुमार, बलरामपुर की हत्या हुई। जहाँ एक तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति को चुस्त-दुरुस्त कर रहे हैं वहीं सरकारी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सुरक्षा नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से उनके लिए कठिनाई होगी। आज लोग सुल्तानपुर से स्थानान्तरण कराकर जा रहे हैं। सुल्तानपुर में कई लोगों ने मुकदमा नहीं लिखाया। यह इन्जीनियरों की स्थिति है।

माननीय मंत्री जी ने ब्रिज कारपोरेशन और निर्माण निगम की बात कही है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ब्रिज कारपोरेशन 40 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे पा रहा है, इसको आप नोट कर लें। सरकार ने जो सेतु निगम को पैसा दिया और उसके सापेक्ष जो काम कराया उस काम की कीमत और जो पैसा दिया उसमें 40 करोड़ रुपये का अन्तर है। उसका हिसाब दे दिया जाये। उसका हिसाब हो जाये तो जो 50 पुल अधूरे पड़े हैं वह पूरे हो जायेंगे और प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सकेगी।.....

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1973 में जब ब्रिज कारपोरेशन का गठन हुआ था उस समय यह ग्लोदल टेंडर कम्पीट करता था पूरी दुनिया में इसका नाम था। बड़े बड़े टेंडर मिल रहे हैं। ब्रिज कारपोरेशन को यह तय करना होगा। ब्रिज कारपोरेशन दो तरह के काम करता है एक डिपाजिट वर्क और दूसरा टेंडर का काम करता है। पिछले दिनों आपने पटना में 185 करोड़ के पुल निर्माण का कार्य लिया। यह खुशी की बात है आपका लोअस्ट टेंडर रहा आपने वहां कहा कि हमें 185 करोड़ रुपये के पुल का कार्य मिला है। किसी पुल को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंक्रीट वर्क का होता है वहाँ पर आपने 4800 रूपये प्रति घन मीटर टेंडर में दिया जिसके कारण आपको पटना का टेंडर मिला।

जब ब्रिज कारपोरेशन टेंडर डालता है तो 4800 रूपये प्रति घटन मीटर के हिसाब से टेंडर डालता है और राज्य सरकार जब आपको कोई काम देती है जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है उसमे आप आठ हजार से नौ हजार प्रति घन मीटर के हिसाब से लेते हैं। यह हो रहा है। इस तरह की धोखाधड़ी करने का काम किया जा रहा है। इस तरह का भ्रष्टाचार कब तक चलेगा। इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। जितने भी राज्य सरकार के पुल बना रहे हैं उसमें आठ हजार से नौ

हजार रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से ले रहे हैं इस तरह से प्रति वर्ष 30-40 करोड़ रुपये अधिक व्यय आप राज्य सरकार के डिपाजिट वर्क पर कर रहे हैं। ब्रिज कारपोरेशन जो काम करता है तो काम के बाद सालों तक उसका सामान रोलर आदि पड़ा रहता हैं इसमें अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत है। जो टेंडर द्वारा आपको काम मिलता है उसमें कितने टेस्ट होते हैं पुलों के निर्माण के बाद लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के जो ब्रिज बनाए जाते हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। आपने मुरादाबाद बाईपास का काम किया है सैकड़ों टेस्ट होंगे। दिल्ली में जो काम किया उसमें सैकड़ों टेस्ट हुए होंगे लेकिन फैजाबाद जिले से जाइए बस्ती हैरैया पुल गिर रहा है। ब्रिज कारपोरेशन आज डिपाजिट वर्क में पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है। पुल टूट रहे हैं उनका रिपेयर करके काम चल रहा है। इस स्थिति को देखना पड़ेगा। टेंडर में आपको मोबलाइजेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ से मशीनरी भेजनी पड़ेगी मैन पावर भेजना पड़ेगा बाद में वापसी पर वही कार्य करना पड़ेगा वापस मंगाने के लिए अतः ज्यादा खर्च होगा। इससे डबल पैरामीटर होगा। आपके यहाँ जो भी अभियन्ता हैं कुछ अच्छे अभियन्ता हैं। ब्रिज कारपोरेशन व निर्माण निगम का गठन क्यों किया गया ताकि इसको कामार्शियल आर्गनाइजेशन की तरह चलाया जाए। जो अभियन्ता अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे। आज आपका दिल्ली में काम हो रहा है मुझे जानकारी है कि यू०पी० के ब्रिज कारपोरेशन को दिल्ली सरकार ब्लैक लिस्ट करने जा रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। वहाँ पर भगवान दास रोड पर धौलापुर फ्लाई ओवर का काम आपने किया लेकिन मानक के अनुरूप काम न करने पर ब्लैक लिस्ट करने की बात हो रही है।

(इस समय 8 बजकर 20 मिनट)

निश्चित तौर से इस पर सोचना होगा। अच्छे अभियन्ताओं को, जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसमें कार्य दिया जाए। जब तक इस तरीके से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ब्रिज कारपोरेशन है आपका कई ब्रिज बनाता है। काफी समय के लिये ब्रिज बने होते हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि जो पुल 10-15 साल के हैं उनमें तमाम कमियाँ आ रही हैं। इसी तरह से आपने निर्माण निगम की बात कही। आज निर्माण निगम का कार्य क्षेत्र सिमट रहा है और इसी कारण वह आज घाटे की ओर जा रहा है। 60 प्रतिशत मैटीरियल खरीदने में और 40 प्रतिशत लेबर का और कन्टिनजेन्सी का होता है। आपने परचेज करने के लिये 3 अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी वह चाहे जिस रेट पर जिस दर पर सामान ले ले। कोई कम्पटीटिव रेट नहीं है। आल इंडिया लेबिल पर आप देखें केन्द्र में किस तरह से होता है वहाँ पर साल भर के लिये आल इंडिया लेबल पर करते हैं और पूरी साल उसी रेट पर खरीददारी करते हैं। आपका निर्माण निगम क्यों नहीं कर सकता है। तीन लोगों की कमेटी बना दी। यह तो तय करना चाहिए था कि उसमें कौन-कौन लोग होंगे?

आज स्थिति यह होती है कि मनमानी दरों पर खरीददारी करते हैं और जो प्रोजेक्ट की कास्ट होती है उससे ज्यादा पैसा लग जाता है फिर आपको कास्ट रिवाइज करनी पड़ती है। सरकार के ऊपर खर्च आता है जिससे वित्तीय संकट पैदा हो रहा है। आप केवल कहते हैं कि मंत्रिमण्डल बन गया, चाय पानी में माना कि 2/4 करोड़ रुपया खर्च हो सकता है लेकिन यह जो करोड़ों रुपये निर्माण कार्यों में खर्च हो रहा है अनियमित तरीके से जिसके चलते वित्तीय संकट से गुजरना पड़ रहा है। आपको इसको बचाने के लिये प्रयास करना चाहिए। उस परिस्थिति को रोकने की कोशिश करनी चाहिए तब ही प्रदेश में विकास हो सकता है निर्माण के कार्य हो सकते हैं। निर्माण निगम में आपको कोई सैलरी नहीं इतनी देनी। लिमिटेड स्टाफ है। ब्रिज कारपोरेशन में आपका अधिक इसमें खर्च होता है। आपका निर्माण निगम आज भी घाटे में चल रहा है। अगर आज इसमें सुधार करने की कोशिश नहीं की गई तो अगले साल हम फिर खड़े होकर आलोचना करेंगे। आपका जो 16 करोड़ का घाटा बताया है उसको यदि आप कम कर सकेंगे तो हम आपको अगले वर्ष बधाई देंगे और यदि कम नहीं होता है तो निश्चित तौर से

हम उसकी आलोचना करेंगे। आज ए०जी० की रिपोर्ट आती है, पैरा आते हैं, उसको समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने की बात है। ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है कि वह निस्तारित नहीं हो पाते? आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहता हूं कि क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिये, उनकी पेंटिंग के लिये अच्छा टाइम मार्च से जून तक का होता है। मेरा कहना है कि आप जब उत्तर भाषण दें तो उस समय यह बतायें कि मार्च से जून में आपने कितना धन इस मद के लिये रिलीज किया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार मार्च से जून तक क्षतिग्रस्त सड़कों या नवीनीकरण के लिये कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ है। मार्च से जून जो अच्छा गर्मियों का समय होता है, उस समय जब पैसा रिलीज नहीं हुआ तो आप अगर सितम्बर अक्टूबर माह में पैसा रिलीज करेंगे तो जाड़े के समय पेंटिंग या नवीनीकरण का कार्य करायेंगे तो उसकी क्वालिटी में सुधार नहीं आयेगा और तारकोल भी अधिक लगेगा। पिछले कुछ वर्षों से जो आर०ई०एस० में पैसा दिया जाता था नहीं दिया जा रहा है। उस पैसे को सीधे दिलवाया जाय। एस०एण्ड डी में पैसा नहीं मिल रहा है जिससे स्थिति यह हो रही है कि काम नहीं हो पा रहा है। हम रोज आने वाले दिनों में शिकायत करते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है जाँच करा लें। आप जाँच टी०ए०सी० से करा देते हैं। उसमें भी इन्हीं के लोग होते हैं। सिंचाई या जल निगम के अधिकारी होते हैं। इसी कारण से कार्यों में गिरावट आ रही है। इससे टी०ए०सी० की जाँच भी प्रभावित होती है। मैं जानना चाहता हूं क्या आपने उस जाँच को टी०ए०सी० को कराने के लिए किया है इसमें कुछ सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और आई०आई०टी के इंजीनियर डाल दें जिस तरह सेलोन अपनी जांच को निष्प्रभावी करा देते हैं और उससे जो गिरावट आ रही है व न आए। सुबह भी बहुत चर्चा हुई बौद्ध परिपथ है इसके लिए 26 करोड़ रुपया जापान द्वारा प्रस्तावित है माननीय मुख्यमंत्री जी जानती है अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं भेजी जिस कारण जापान ने यह तय किया कि 10 अरब 26 करोड़ रुपया वापस ले लिया। बुद्ध को मानने वाले लोग जो हैं उनको बैंकाक से गया जाना पड़ता है उसके लिए हवाई सुविधा है लेकिन जो श्रावस्ती है, सारनाथ, कपिलवस्तु है जो गौतम बुद्ध से जुड़े है, जन्मस्थली है इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, अगर इसको भी इसी तरह से जोड़ दिया जाय तो आमदनी भी बढ़ेगी और सुविधा भी होगी। इसी तरह से जो लोक निर्माण विभाग की परियोजनायें है वर्ड बैंक की परियोजना है प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क परियोजना है उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही हैं इसके लिए उत्तर भाषण में मंत्री जी बतायेंगी। कटौती के प्रस्ताव पर तमाम माननीय सदस्यों के सुझाव आएंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि 59 नाम आए हैं अपने क्षेत्र की समस्या की तरफ दो-दो मिनट में बात रखें।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मान्यवर, हमारी महिला मंत्री जी ने लोक निर्माण का बहुत अच्छा बजट रखा है इससे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा साड़कों का निर्माण होगा। मंत्री जी जब से लोक निर्माण मंत्री बनी हैं तबसे इन्होंने अपने विभाग पर बहुत अंकुश लगाया है। जैसा विपक्ष की तरफ से आ रहा है इन्होंने तबादला उद्योग को बन्द कर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के कुछ कार्य जो पूर्व में अधूरे पड़े हैं जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं उसके संबंध में निवेदन करना चाहती हूं पिछली सरकार में जो जनउपयोगी योजनाओं के अन्तर्गत नावार्ड से सडकों का निर्माण हो रहा था, तीन साल बीत जाने के बाद भी कई सड़कें अधूरी पड़ी हैं वह किन कारणों से पड़ी हैं। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जब तक इस कार्य को पूरा नहीं कराया जाता है तब तक आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र घाघरा नदी के तराई में है। वहाँ पर छोटी बड़ी कई नदियाँ हैं उस नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता है। मान्यवर, सुमली नदी पर अधूरा पुल बना था उसको पूर्ण कराने की आवश्यकता है। सुमली नदी पर बाराबंकी से महमूदाबाद को जोड़ने वाली एक लम्बी सड़क जो 40 किलोमीटर है वह कंकरीट मार्ग से बनकर तैयार हो गयी है। मान्यवर, अगर वहाँ पर चिरैया का पुल बन जाय तो वह बाराबंकी महमूदाबाद और सीतापुर को जोड़ देगा और आवागमन अच्छा हो जायेगा। मान्यवर, तराई का क्षेत्र है बहुत सी सड़कों की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी रिपेयरिंग और जो नयी सड़कों के लिए बजट में प्राविधान किया है बनवाने का कष्ट करें।

मान्यवर, यह भी निवेदन करूंगी कि एक तरफ तो पारदर्शिता के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर कराये जाते हैं वहाँ अनुभव में आया है कि बहुत लो टेन्डर पड़ रहे हैं। जहाँ राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सड़क योजना में 22 लाख की सड़कें बन रही हैं वहीं लोक निर्माण विभाग आठ लाख सात लाख में टेन्डर दे रहे हैं तो इस पर ध्यान दें। जो लो टेन्डर में कार्य हो रहे हैं वह नहीं होने चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगी कि गुणवत्ता के अनुसार सड़के बनें। अंत में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करती हूँ।

श्री शहजिल इस्लाम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे जैसे नये सदस्य को बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय पाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहूँगा कि जनपद बरेली में रामपुर रोड पर घोषित मिनी वाई पास फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जो कि शुरू हो गया था, उसे सेन्ट्रल गर्वमेंट से ग्रान्ट भी मिली थी मगर सरकार ने जानबूझकर उस कार्य को रुकवा दिया है जिससे सिटी में आवागमन में बाधा पड़ रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान फ्लाई ओवर की तरफ आकृष्ट कराना चाहूँगा ताकि जो अधूरे कार्य पड़े हैं उसे पूरा कराया जाय। चुनाव से पूर्व भाजपा और बसपा ने यह कहा था कि गढ्ढा मुक्त सड़कें देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण का एक भी कार्य नहीं हुआ है जबकि शहर विधान सभा में कार्य हुए हैं। चौड़ीकरण के बारे में कहा गया कि चौड़ीकरण करेंगे उसका भी कार्य नहीं हुआ है तो माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बरेली में सड़कें हैं उनकी मरम्मत करायी जाय और अधूरे पुल का निर्माण कराया जाय।

श्री कालीचरण राजभर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, हम आपके आभारी हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीया मंत्री जी द्वारा पेश किये गये महत्वपूर्ण बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने बजट में बहुत ही अच्छे प्राविधानों को रखा है। निर्माण के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है, ग्रामीणों को अच्छी सुविधा देने के लिए नहरों की पटरियों को पक्का कराने का भी प्राविधान किया है। इस बजट में विशेष पैकेज के रूप में बुंदेलखण्ड विकास पैकेज, पश्चिमांचल विकास पैकेज, मध्यांचल विकास पैकेज तथा पूर्वान्चल विकास पैकेज की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान अपने जिले गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ।

मान्यवर, सीतापुर के पास एक नहर बहती है जो जहूराबाद विधान सभा से बहती हुई बलिया के बार्डर तक जाती है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नहर की पटरियों को पक्का कराया जाय। मैं विधायक के साथ-साथ भोजपुरी लोकगीत का रजिस्टर्ड गायक भी हूँ। इस सदन के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए एक गीत गाकर सुनाता हूँ–ये नदियां, ये पर्वत, ये जमीन मत बाटो,

मेरे दिल के कर दो टुकड़े पर प्रतिपक्ष वालों

यह प्यारा सदन मत बाटों।

इसके साथ ही मैं इस बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री विजेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे लोक निर्माण पर जगदम्बिका पाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो जब भी वह घर से बाहर निकलता है तो उसका सामना सबसे पहले जिस किसी भी सरकारी कार्य से होता है तो वह लोक निर्माण विभाग का कार्य होता है। श्री पाल जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी कुशलता के साथ अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं उससे अपने आपको संबंद्ध करता हूँ। इसमें कुछ अपने बिन्दुओं को भी शामिल करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि लोक निर्माण विभाग की मेंटिनेन्स में पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं विभाग के अधिकारी उनको बिल्कुल अंधेरे में रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कार्ययोजना मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत की गयी है उसमें कुछ बिन्दु रह गये हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा पोषित कुछ योजनाएं हैं जिनमें हिस्टोरिकल प्लेस वृन्दावन से हरिद्वार को जोड़ने वाला मार्ग है, ताज महल से दिल्ली को जोड़ने वाला मार्ग है इसको नहीं लिया गया है। इसमें आपसे अपेक्षा है कि इन्हें आप लेंगी और इनका विकास होगा। एक बात और मैं लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूँ। अलीगढ़ डिवीजन में श्री अशोक कुमार अधिशासी अभियन्ता हैं। उन्होंने अलीगढ़ जनपद का बाईपास का निर्माण में काम आने वाला 70 टन तारकोल बेच दिया है। उसकी शिकायत के बाद भी वह वहीं पर स्थापित है।

इसी प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये जिससे जनता के कल्याणकारी कार्यों में भी बाधा उत्पन्न न हो सके। माननीया मुख्यमंत्री जी सौभाग्य से बैठी हुई हैं। मान्यवर, इस सरकार की प्राथमिकता है अम्बेदकर ग्राम्य योजना में सड़कें बनाना, मान्यवर सड़कों का जितना भी विकास हो, हमें शिकवा नहीं है कि अम्बेदकर योजना में चयनित ग्रामों का विकास हो लेकिन सारा पी० डब्लू० डी० का और अन्य मदों का भी बजट उन्हीं में खर्च किया जाये तो जो आधी अधूरी पड़ी सड़के हैं जिला योजना की, 455 आपकी डब्लू० एच० 1,2 स्टेट सेक्टर या पहले जिला योजना की सड़के हैं अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करने की कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

मान्यवर, जो अधूरे कार्य जो पूरे प्रदेश में पड़े हुए हैं उनमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है यदि उनको तत्काल प्रभाव से नहीं बनाया गया और तमाम पैसा अम्बेडकर ग्राम योजना में खर्च किया गया तो जो खर्च कर चुके हैं वह बरबाद हो जायेगा। हम चाहते हैं कि आधी अधूरी पड़ी ही रोड़ों को तत्काल प्रभाव से बनवाया जाना चाहिये। मान्यवर, जनपद अलीगढ़ का रोड मथुरा रिफाइनरी से जाता है वहां तेल के टेंकरों के वाहन गुजरते हैं वह रोड की बहुत दुर्दशा है। जो पुल है वह टूटा पड़ा है माननीया मंत्री जी को लिखकर भी दे चुका हूँ उसका तत्काल निर्माण कराया जाय। मान्यवर आगरा से जी० टी० रोड वाया खैर उस पर हाथरस की ब्रांच निकली है उसका मुख्य पुल टूट चुका है और उसका इस्टीमेट भी यहां आ गया है मैं चाहूँगा कि उस कार्य को इसमें सम्मिलित कर लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारे यहां कई रोड अधूरी पड़ी हैं इसमें डेशपा से संडीला मार्ग है, मगधा से तालनगर मार्ग है यह तमाम मार्ग हैं जो अधूरे पड़े हैं इससे जनता में भ्रम पैदा हो रहा है कि यह सड़कें कभी पूरी होंगी या नहीं। मान्यवर, हमारे यहां आने के बाद लोगों में विश्वास है कि रोड कंस्ट्रक्शन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मान्यवर, जो विश्व बैंक की परियोजना है डास्क योजना है जो आपके विभाग द्वारा संचालित होती हैं उसमें वे अधिकारी विधायकों से सम्पर्क नहीं करते हैं। आप इसमें निदेश दें कि इन योजनाओं के सम्बन्ध में माननीय विधायकों से सम्पर्क वे करेंगे। उससे उच्चकोटि का निर्माण कार्य हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी को मा० मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि जो उन्होंने पश्चिमांचल निधि की योजना बनायी है उसमें जो यह 70 करोड़ की राशि रखी है वह उसकी विशालता को देखते हुए कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिये। मान्यवर, मैंने एक प्रस्ताव आपको दिया हुआ है मा० मंत्री जी, पी० डब्लू० डी० में जितने रोड बनाये गये हैं हजारों गांव उस रोड पर बसे हुए हैं मान्यवर, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो यह अधिकारी चुप बैठे रहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र सिंह–

सड़कें टूट-टूट कर नालियां बन जाती हैं जब वहां पी० डब्लू० डी० की जमीन है तो जो यह अवैधानिक रूप से होता है उसको रोका जाये ताकि पी० डब्लू० डी० और टाउन एरिया की सड़कें न टूटे इसी के साथ मैं माननीय पाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

* डा० यशवन्त सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग जन-जन से जुड़ा हुआ विभाग है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता से जुड़ा हुआ विभाग है और यह सत्य है कि किसी भी प्रदेश के विकास का वहां की सड़कों को देखकर पता चल जाता है। मैं इस बजट के समर्थन में बल देते हुए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने बजट बनाया है मैं माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने पूर्व प्रधान मंत्री स्व० चौधरी चरण सिंह की राह पर चलने का काम किया है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने ग्रामीण मार्ग शुभारम्भ योजना का शुभारम्भ किया था। मान्यवर, गांव की सड़कों की दशा किसी भी माननीय सदस्य से छिपी हुई नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पहले से ही उपेक्षित रहा है। गांव के सड़कों की दशा दयनीय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीया मंत्री जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं आपसे हम सब बहुत उम्मीदें रखते हैं। आपके अभी तक के कार्यकाल से एक ईमानदार मंत्री की छवि उभरकर आई है और आप चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चल रही है इसलिये हम बहुत सी अपेक्षायें रखते हैं। माननीया मंत्री जी, बंहुत सी सड़कें अभी ऐसी हैं जिनमें गड्ढें होने की वजह से सीधे चलना मुश्किल है वह चलने लायक नहीं हैं। माननीया अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर मान्यवर, वहां पर खतौली भीरापुर मार्ग आज ऐसी स्थिति में है कि वहां पर लोगों का आवागमन लगभग रुक गया है इस मार्ग पर एक नहर का पुल है जो पिछले 12 वर्षों से क्षतिग्रस्त है वहां पर बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य सिंचाई विभाग का पी० डब्लू० डी० द्वारा नहीं हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह नहर दशहरा और दीपावली के बीच के समय में बन्द रहती है इस समय में इस पुल का निर्माण कराया जाय।

इस पुल की वहां की जनता को बहुत जरुरत है। माननीया मंत्री जी हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग गंगा खोदर से जुड़ा हुआ है वहां सड़कों की दशा बहुत जर्जर है। वहां आप थोड़ा बहुत ध्यान दें। ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ आप अधिक से अधिक ध्यान दें और कार्य करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री मदन चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक नये सदस्य को बोलने का मौका दिया है। मैं पाल साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपने क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं गाजियाबाद जनपद में गढ़ मुक्तेश्वर से आता हूँ। नेशनल हाइवे एन० एच०–24 हापुड़ से ब्रजघाट गंगा तक अभी एक ही लाइन है। मेरा अनुरोध है कि यह सबसे बिजी रोड है ज्यादातर आवागमन उस रोड पर है उसे अतिशीघ्र ठीक करवाया जाये और उस पर टैक्स न लगाया जाये इस बात को भी ध्यान में रखा जाये। कई पुल व कई सड़कें हमारी सरकार ने बनाने का संकल्प लिया है, यह कार्य जल्दी से जल्दी हो ताकि यह सुविधाएं वहां के लोगों को मिल सकें। एक पुल सलारपुर पलवाड़ा मार्ग के कि०मी० 3 में स्थित किठौर रजवाहे पर क्षतिग्रस्त सेतु का पुनः निर्माण कराना है। उसके लिये अधिशासी अभियन्ता गाजियाबाद ने कई बार प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव में यहां तक लिखा है कि इस मार्ग पर गढ़ मेले का यातायात अधिकतम गुजरता है इसका निर्माण परम आवश्यक है। लेकिन खेद है कि उस प्रस्ताव को सरकार ने लौटा दिया है। और वह प्रस्ताव आज तक मंजूर नहीं हुआ।

मेरा अनुरोध है कि इस पुल को अतिशीघ्र बनवाने का कार्य किया जाये। गढ़ मुक्तेश्वर में गन्ने की बुवाई अधिक होती है अधिकतर सड़कें एक बार बना दी जाती हैं और टूटने के बाद इतना कंकड़ उनमें निकलता है कि आदमी निकल नहीं पाता। मेरा सुझाव है कि नयी सड़कें बनायी जायें यह भी जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उन सड़कों का रख-रखाव करना। जो टूटी हुई सड़कें हैं। उन्हें अतिशीघ्र बनवाने का काम करें। ब्रजघाट पर गंगा का जो पुल है वह बहुत छोटा हो गया है उसको बढ़ाने की बेहद जरूरत है। वहां एक पुल अत्यंत आवश्यक है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वह इस पर शीघ्रता से ध्यान दें। दूसरी ओर विश्व बैंक से कई सड़कें बनवायी गयी हैं। उनमें से जो मुख्य मार्ग नेशनल हाइवे पर एक रोड जाता है एन० एच० 24 से पीर नगर दतियाना वह 6 कि०मी० प्रस्तावित था पांच किलोमीटर बनवाया गया है वह 1 किलोमीटर की कहां हेराफेरी हुई है? एक नेशनल हाइवे बक्स से देवली ढाना सड़क पर यह मार्ग भी 6 कि०मी० के लिये प्रस्तावित था और पाँच कि०मी० बनवाया गया है। उसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। और कई ओवर ब्रिज मैं समझता हूँ कि गढ़ मुक्तेश्वर के कस्बे को जब हम जाते हैं तो एक रेलवे लाइन को पार करना मुश्किल कार्य हो गया

है। उसके लिये मेरी गुजारिश है कि ऐसे पुलों को जहां पर नये नगर को बसाने के लिये प्राधिकरण बनाने की योजना हो उस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मान्यवर, बहुत सारे ऐसे गांव मौजूद हैं जिनको सड़कों से नहीं जोड़ा गया उसमें से एक प्रस्ताव भेजा गया था लोक निर्माण विभाग को, वह गांव सड़क के बिना वंचित है। जो छोटे-छोटे पुल बाढ़ की वजह से नहीं बन पाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनको बनाना बहुत जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग का आग्रह करूँगा। सूची 70 से ऊपर पहुँच गई है। केवल अपने क्षेत्र की बात 2 मिनट में कहेंगे तो सबको अवसर मिल जायेगा। महत्वपूर्ण बजट है, सभी को अवसर मिलना जरूरी है।

* डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सामान्य जीवन में सम्पर्क मार्ग का महत्व है। इसी प्रकार ग्रामोद्योग के विकास, औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादों को मण्डी में लाने के लिये सम्पर्क मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बजट भाषण में 1 हजार से अधिक के ग्रामों के 2005 तक जोड़ने की जो घोषणा की गयी है वह स्वागत योग्य है इसी प्रकार यातायात घनत्व के आधार पर सड़क के उच्चीकरण की योजना, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण की बात कही गयी है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीया मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 25 पर चमारीकला पर सेतु निर्माण पूर्ण हुआ किन्तु मार्ग की सतह पर इतने गडढे तथा ऊँची-नीची सरफेस है। जो मानक के अनुरूप मिट्टी पर रोलर न होने तथा सोलिंग न होने की वजह से है। मेरे क्षेत्र में कालपी का राठ नगर चरखारी होते हुए मध्य प्रदेश से सीधा सम्पर्क होता है उस क्षेत्र की जनता चिकित्सीय एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा गल्ला बेचने कालपी मण्डी में आती है परन्तु बेतवा पर पुल न होने से अत्याधिक परेशानी है और आवागमन प्रभावित होता है अतः आपसे, अनुरोध है कि चिनौट ग्राम जो कदौरा ब्लाक में स्थित है पर बेतवा नदी का पुल शीघ्र निर्माण कराया जाये इससे वेदव्यास की जन्म भूमि कालपी का सीधा सम्पर्क राठ से तथा मध्य प्रदेश से हो जायेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर, इस चिनौठ पुल के बनने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।

मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जोल्हूपुर कालपी से कदौरा होते हुए हमीरपुर मार्ग का पुनर्निमाण कराया जाये। इस मार्ग की खस्ता हालत पूर्व लोक निर्माण मंत्री माननीय ओम प्रकाश जी देख चुके हैं मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीया मंत्री महोदय इस मार्ग का स्वयं अवलोकन कर लें। मेरे कदौरा क्षेत्र की जनता इस सड़क मार्ग की वर्तमान स्थिति के कारण सन् 2002 में भी 18वीं शताब्दी का जीवन जी रही है। कदौरा नगर पंचायत है तथा यह मार्ग पूरे ब्लाक के 150 ग्रामों का एकमात्र सम्पर्क मार्ग है। यह मार्ग स्टेट हाईवे घोषित हो चुका है तथा कालपी जो धार्मिक पौराणिक केन्द्र है उसका चित्रकूट-कलिंजर से एकमात्र सम्पर्क मार्ग है। इस मार्ग पर यातायात की स्थिति 3320 सी० वि० प्रतिदिन तथा टोटल वेहिकल 10,600 प्रतिदिन है। इस क्षेत्र में 100 से अधिक मौरंग घाट हैं जो शासन को प्रतिवर्ष 5-6 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ देते हैं। मैं इस जोल्हूपुर-हमीरपुर मार्ग के उच्चीकरण एवं निर्माण की घोषणा किये जाने हेतु माननीया मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ। इसका प्रस्ताव कि०मी० लाख में मंत्री जी के विचारार्थ दिया जा चुंका है इसके साथ ही मैं गदौरा ब्लाक के एक अन्य मार्ग चन्दरसी मार्ग की मरम्मत का भी अनुरोध करता हूँ। इस मार्ग पर अनेकों अम्बेदकर ग्राम स्थित हैं तथा यह मार्ग बुरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग की मिट्टी पूरी तरह उखड़ चुकी है यदि इसकी तत्काल मरम्मत न करायी गयी तो बहुत ज्यादा खर्च आयेगा। इसी क्षेत्र में हरचन्दपुर से इकौना का मार्ग पिछले 15 वर्षों से आज तक पूर्ण नहीं हुआ है और गिट्टी भी गायब हो गयी है। इस दस्यु प्रभावित बेतवा यमुना बीहड़ पट्टी के ग्रामों से सम्पर्क मार्ग यदि शीघ्र बनाये जायें तो दस्यु समस्या के समाधान में मदद मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, इसी क्रम में यमुना नदी पर पाल घाट पर महेवा ब्लाक को राजपुर क्षेत्र से जोड़ने के लिए पीपों का पुल बनाया गया है किन्तु मेरे क्षेत्र में पाल घाट तक कोई सम्पर्क मार्ग न होने के कारण यह पुल जन-उपयोग में नहीं आ पा रहा है! कृपया इसका सम्पर्क मार्ग बनवाने की कृपा करें। इसी के साथ मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ तथा बजट के पक्ष में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं सबसे पहले लोकदल के साथियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हरित प्रदेश पर अपना समर्थन दिया। मान्यवर, दिल्ली, यू०पी० को जोड़ने वाले मोहन नगर बाई पास एकमात्र पुल है। मैं अनुरोध करूँगा कि वह पुल का निर्माण, फ्लाईओवर बनना है, उसको बनवाने की कृपा करें। इसी के साथ-साथ नेशनल हाईवे-24 को भी जुड़वाने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें मैं अनुरोध करूंगा कि सड़कों की गारन्टी होनी चाहिए, जिस तरह से और चीजों में गारन्टी होती है, उसी प्रकार सड़कों के रखरखाव के लिए ठेकेदारों से गारन्टी ली जानी चाहिये इससे गुणवत्ता में सुधार आयेगा। इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ मोहन नगर बाईपास का पुल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, उसको बनवाने में विशेष ध्यान दिया जाय और जो पैकेज रखा है, पहली बार पश्चिमांचल का उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, इसी के साथ माननीय जगदम्बिका पाल के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री धनंजय सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, पी०डब्लू०डी० द्वारा जो कार्य कराये जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाय और समय-समय पर उनका परीक्षण कराया जाय। इसके लिए टेस्टिंग आडिट सेल की स्ट्रेन्थ बढ़ाने की आवश्यकता है, टेस्टिंग आवर्स की संख्या बढ़ाई मान्यवर, पी०डब्लू०डी० रिसर्च इन्स्टीट्यूट जो लखनऊ में चल रहा है, उसे विस्तृत करने की आवश्यकता है। मान्यवर, 1847 में पी०डब्लू०डी० ने थामस एकेडमिक कालेज की स्थापना की थी, जो आज रुड़की कालेज के रूप में जाना जाता है इसके द्वारा रिसर्च एवं डेवलपमेण्ट के कार्य कराये जाते थे। यह भारत की सर्वप्रथम सिविल इन्जीनियरिंग कालेज है, पी०डब्लू०डी० द्वारा टेण्डरिंग में बहुत धांधली होती है, उसको ठीक किया जाय और पुरानी आयुक्त प्रणाली को पुनः रिवाइज किया जाय ताकि निविदाकर्ताओं को सहूलियत हो। मैं कहना चाहूंगा कि सड़क के किनारे जो बाजारू संस्कृति है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है और इसके लिए नीति निर्धारित करने की व्यवस्था करें। मान्यवर, कब तक हमारे बाईपास बनते रहेंगे। इन बाजारों की वजह से। इसके लिए दण्डनीय कानून बनाने की आवश्यकता है और आज जो भी नए नेशनल हाईवे बनाये जा रहे हैं उसके किसी भी प्रकार के सड़क के किनारे के निर्माण को रोका जाय?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस तरह केन्द्र सरकार की सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री ने देश की तेल कम्पनियों से मिलकर नीति बनाई है कि अब जो भी नये पेट्रोल पम्प बनेंगे वह सड़क से 100 मीटर की दूरी पर बनाये जायेंगे, जो पुराने हैं वह भी 100 मीटर की दूरी पर शिफ्ट कर दिये जायेंगे।

इसी तरह से पी०डब्लू०डी० को वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कोई निर्माण सड़क से 100 मीटर या उससे अधिक दूरी पर बनाये जाये ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना होगा सड़क सिर्फ और सिर्फ आवागमन के लिये है। धन्यवाद

श्री अधिष्ठाता–

धनंजय सिंह जी अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता जी माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूँ। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि, लोक निर्माण विभाग का बजट पेश किया गया, उसमें तमाम अच्छी चीजों के साथ-साथ कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं भी हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, जैसे कि जिला योजना, जिससे सभी एम०एल०ए० को फायदा होता था, इसको पुनः चालू कराया जाय। इसके अलावा तमाम ऐसे अधूरे कार्य पड़े हैं, इनको पूरा कराने की आवश्यकता है। मुख्य सड़कों की जो स्थिति थी आज वहाँ तमाम गढ्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से उन पर चला नहीं जा सकता, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे ठीक कराया जाय। इनको गढ्ढामुक्त करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूँगा कि पश्चिमांचल पैकेज में जो 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है उसे 150 करोड़ रुपये किया जाये। शहरी क्षेत्रों में जो व्यस्त चौराहे हैं उन पर फ्लाई ओवर बनाया जाये। इसी तरह से शहरों में जो रेलवे क्रासिंग हैं जिन पर काफी यातायात रहता है, रेलवे से कोआर्डिनेशन करके रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनवाये जांय जिससे जो यातायात बाधित रहता है और लोगों को घंटों खड़ा रहना पड़ता है, वह समस्या दूर हो सके। अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मथुरा-अलीगढ़ रोड की हालत बहुत खराब है इसलिए उसको बनवाया जाये। यू०पी० ब्रिज कारपोरेशन की तरफ माननीय पाल जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वृन्दावन में यमुना नदी पर महामहिम राज्यपाल श्री मोतीलाल बोरा द्वारा एक पुल का शिलान्यास किया गया था। उस पुल का निर्माण कराया जा रहा था लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वह पुल बनने से पहले ही गिर गया।

श्री अधिष्ठाता–

माथुर जी, अब समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, कुछ बातें कहकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। मथुरा शहर की सड़कों के निर्माण के साथ-साथ नालों का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। कृष्ण जन्म स्थान से होलीगेट होते हुए कृष्णापुरी तक, होलीगेट से पुराने बस स्टैण्ड चौराहे से मसानी चौराहे तक तथा राँची से करनावल गाँव तक सड़क की आवश्कता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ग्राम गोदा आटस पर पिछले 10 साल से पुल टूटा पड़ा है उसे बनवाया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रदीप माथुर जी अब समाप्त करिये, अब जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा। श्री रियाज अहमद जी अपने विचार रखें।

श्री प्रदीप माथुर—[×××]

* श्री रियाज़ अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की चन्द सड़कों के बारे में कुछ बातें रखना चाहूँगा।

(व्यवधान/शोर)

श्री प्रदीप माथुर—[×××]

श्री रियाज़ अहमद–

मान्यवर, कटौती का जो प्रस्ताव पाल साहब ने रखा उसमें उन्होंने तमाम बिन्दुओं को छुआ, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुये जनपद पीलीभीत के अपने विधान सभा क्षेत्र की चन्द समस्याओं की ओर मा० मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भिखारीपुर रतिया मार्ग है जो एक-डेढ़ किलोमीटर का है, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था उसका अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पर है।.....

* श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन् , एक व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्यतया दीर्घाओं का संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन इतनी दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आज के दिन जब सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट रखा जा रहा है एक भी जिम्मेदार अधिकारी प्रमुख सचिव से प्रमुख अभियन्ता तक एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है।

इस बजट को सरकार कितनी गम्भीरता से ले रही है कि लाबी में कोई अधिकारी नोट नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में दीर्घाओं का संज्ञान नहीं लिया जाता।

श्री रियाज अहमद–

हमारे यहां भिखारीपुर-रफियापुर मार्ग लम्बाई एक व दो कि०मी० पीलीभीत–मझौली मार्ग से भिखारी पुर मार्ग लम्बाई एक से दो कि०मी० निसरा-परेवा मार्ग आबादी भाग का उच्चीकरण 500 मीटर, चन्दोई-नुक्कुड़ मार्ग एक से दो कि०मी० न्यूरिया महोक मार्ग से पी०एच०सी० मार्ग एक कि०मी० लिपुलेकभिण्ड मार्ग से गौहर ग्राम मार्ग, अमरिया, उदयपुर मार्ग, सरैनी-तिकुनिया मार्ग, अमरिया-करगैना परेवा वैश्य मार्ग का उच्चीकरण निसरा परेवा मार्ग, करगैना-ढेरम मार्ग, अमरिया-करगैना परेवा वैश्य मार्ग, ढेरमफरीदपुर मार्ग इन मार्गों के मरम्मत की आवश्यकता है। इसी तरह नौगवा रेलवे क्रासिंग पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए व टनकपुर रोड से राजा कालोनी तक सड़क की मरम्मत की जाए। इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। इन शब्दों के साथ मैं श्री जगदम्बिका पाल द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

नोट–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री ओम प्रकाश (ओ०पी० सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए है। मंत्री जी से इस बजट में बहुत सी चीजों का प्राविधान किया है। मंत्री जी ने अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने का प्रयास किया है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल व अन्य पैकेजों के सम्बन्ध में प्रदेश की जनता के कल्याण की योजना बनाई है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मंत्री जी ने विभाग में अपराधीकरण को रोकने के लिए जो प्रयास किया है वह निश्चित रूप से प्रसंशनीय है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गौसेसिंगपुर से बनी तथा हडई मार्ग की मरम्मत की जाए इसी तरह से बिरसिंहपुर से रुपिनपुर मार्ग दियरा से बगीया चौराहा मार्ग की मरम्मत की जाए। व सेमरी बाजार का उच्चीकरण किया जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ दिपरा से चाँदा को जोड़ने का पुल पास हो गया है उसका शासनादेश मात्र होना है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उसको करवाने की कृपा करें। इसी के साथ मैं, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जनहित कारी बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने शाहिद मन्जूर जी को अनुमति दी है।

श्री ओम प्रकाश—[×××]

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा।

श्री ओम प्रकाश—[×××]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपा करके सहयोग करें। आपही के पक्ष के माननीय सदस्य को बोलने के लिये कहा गया था। यह लिखा नहीं जा रहा है, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभी के नाम सूची में हैं। क्रमशः सभी का नम्बर आयेगा। कृपा करके आसन ग्रहण करेंगे तो सुविधा से कार्य का संचालन हो सकेगा।

श्री शाहिद मंजूर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पाल साहब द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने पी०डब्लू०डी० का बजट पढ़ा, मुझे इसके कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया गया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मंत्री जी के पश्चिम के होने के नाते इनसे बहुत उम्मीदें थीं खासतौर से पश्चिम में जो सम्पर्क मार्ग हैं जो देहातों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग हैं उनके सुदृढ़ीकरण की उनके रख-रखाव की बहुत उम्मीद थी लेकिन

नोट–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी ने जोड़ने वाली किसी सड़क को नहीं बताया तहसील और मुख्यालय को जोड़ने वाली किसी सड़क को हमारे क्षेत्र में हो ऐसा उल्लेख मंत्री जी ने नहीं किया है। मान्यवर, कठोर क्षेत्र के अन्तर्गत महत्वपूर्ण मार्ग हैं मेरठ में जिला योजना से कई बार स्वीकृति आई उसमें उम्मीद थी इसमें विशेष अनुदान दिया गया था लेकिन उसमें भी सड़क का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री शाहिद मंजूर–

आर०आई०डी०एफ० 5-6-7 में सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ पिछले साल से पत्थर पड़े हैं सुबह किसान हल लेकर जाता है, उन पत्थरों को चुनता है तब हल चलाता है..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री शाहिद मंजूर–

तो इस सड़क का निर्माण कराया जाए। इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

* श्री भरत सिंह–

मान्यवर, आपने बोलने के लिए अवसर दिया, लोक निर्माण के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, अभी लोक निर्माण मंत्री अनुराधा चौधरी जी ने लोक निर्माण का बजट प्रस्तुत किया है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं कहना चाहता हूँ विभिन्न सरकारों के इतिहास में बहुत लोक निर्माण मंत्री हुए लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने काम शुरु किया है पहली बार उत्तर प्रदेश में कम से कम ट्रांसफर किए हैं।

(मेजें थपथपाई गई .)

पहली बार बहुत ही कम संख्या में स्थानान्तरण हुए है। इसके लिए मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ इन्होंने एक मैसेज दिया। आपके विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री भरत सिंह–

जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के मसीहा चौधरी चरण सिंह ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अमरमणि जी इतने महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा हो रही है बहुत समय हो गया है सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या को रखना चाहते हैं कृपया शन्ति बनाए रखें। सभी सदस्यों से अनुरोध है बार-बार हाथ उठाकर खड़े न हों चर्चा का समय सबको मिलेगा।

श्री भरत सिंह–

चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ.....

(इस समय 9 बजकर 25 मिनट)

ग्राम सड़क सुधार योजना चालू किया है मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ डा० भीमराव अम्बेडकर जो कि दलितों के मसीहा थे, भारत के संविधान के निर्माता थे, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है उनके नाम से अम्बेडकर ग्राम सड़क योजना चालू की गयी है चौधरी चरण सिह के नाम से ग्राम सड़क विकास योजना चालू किये हैं इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

भरत सिंह जी अब आप समाप्त करें।

श्री भरत सिंह–

[×××]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री भरत सिंह–

[×××]

श्री अधिष्ठाता

यह लिखा नहीं जा रहा है। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

माननीय अमरमणि जी इतना महत्वपूर्ण बजट है आपसे अनुरोध है कि गम्भीरता को बनायें रखें।

श्री भरत सिंह– मान्यवर, मैं तो बाहर चला गया था आप ही ने मेरा नाम पुकार लिया। आप हमारे संरक्षक है कृपया बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है कि जो आप बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मत लिखवाइये। मैं लोक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राम किशुन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक निर्माण के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ इतना महत्वपूर्ण बजट और जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, सुझावों को रखने के बजाए शोर शराबा कर रहे हैं तो यह निन्दनीय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूँ।

मान्यवर, में कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र का बहुत योगदान है। वह इसलिए कि वहाँ से 2-2 नेशनल हाइवे गुजरते हैं। जी०टी० रोड नं०-1 और 2 बाइपास मुगल सराय से होकर निकलता है। मंत्री जी आप ने श्री चौधरी चरण सिंह का नाम लिया है लेकिन शायद आपको श्री चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ मालूम नहीं हैं। हम लोग चौधरी चरण सिंह जी को बचपन से जानते हैं। पहले आपके लोग एकमत हो जायें तो

नोट–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ और स्पष्ट हो जाएंगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि चकिया-मुगलसराय जो मार्ग है वह बिहार भी जाता है। केन्द्रीय सरकार उसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव लायी थी। श्री राजनाथ सिंह जी के जमाने में मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कार्य कब प्रारम्भ होगा। और एक बात और वह है कि जो मुगलसराय रेलवे स्टेशन से राम नगर के लिए एक बाइपास है जिसमें पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। उसमें जगह-जगह गड्ढे हैं मैं मांग करता हूँ कि इसको सही कराया जाय। बजट में कहा गया है कि गांव की खुशहाली ही देश का खुशहाली है।

मान्यवर, आज गाँव की सड़कों की बुरी हालत है पहले उनको सही करने का काम होना चाहिए। एक बात और यह है कि जो पड़ाव मार्ग कैली कुराना से मुगलसराय जाता है वहाँ हमारे मंत्री भी गये थे तो एक्स०ईन० कहता है कि वह सड़क बन गयी है। डी०एम० भी वहाँ पर गया और देखा तो पता चला कि वह सड़क नहीं बनी है। एक और बात जनपद चंदौली के बारे में कहना चाहता हूँ कि जनपद चंदौली में पिछली बार भारी वर्षा हो गयी थी। इस कारण से तमाम सड़कें मुपौली से मुगलसराय से कटी हुयी हैं। आने जाने के रास्ते बंद हैं। इसमें आपने आदेश देने का काम नहीं किया। इसके लिए पैसा भी इस बजट में नहीं है। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बाईपास के लिए जिन किसानों ने निःशुल्क जमीनें दी, करोड़ों रुपयों की जमीनें दी उनके लिए सरकार ने उनको पैसा देने का इस बजट में कोई प्रस्ताव नहीं किया है। श्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के विकास में किसान महत्वपूर्ण होता है इसलिए किसान के विकास में, गांव के विकास में धन दिया जाना चाहिए। लेकिन आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है और जो बजट पेश किया है वह बिल्कुल किसान विरोधी है।

अगर इन माननीय मंत्री जी को जरा भी नैतिकता हो चौधरी साहब के आदर्शों का ज्ञान हो तो किसानों के गावों का पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। एक लडाहा अली नगर मार्ग का नवीनीकरण किया जाय।

* श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, माननीया लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके पक्षमें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आज तक बहुत सारे बजट पेश हुए हैं लेकिन जितना सम्यक् और ऐतिहासिक यह बजट है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से और सुरूचिपूर्ण बजट पेश किया है। मान्यवर, प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए सड़कों, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं पुलों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके अन्तर्गत विभाग की मार्ग विकास नीति घोषित की जा चुकी है और नीति के क्रियान्वयन से राज्य में सुचारू परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, कृषि उत्पाद के विपणन की सुचारू व्यवस्था से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान की जा सकेगी। मान्यवर, इन सब चीजों के विकास के लिए यह जरूरी है कि मार्गों की अच्छी व्यवस्था हो। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गयी है जिसमें सभी गांवों को 2005 तक जोड़ने की योजना है तथा शेष सभी गांवों को 2010 तक सर्वऋतु योग्य सड़कों से जोड़ने की योजना है।

मान्यवर, माननीय चौधरी चरण सिंह जी इस प्रदेश के ही नहीं वरन् देश के एक बड़े राष्ट्र नेता हुए हैं जिनका सभी लोग आदर से नाम लेते हैं। मान्यवर, जो हमारी महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं हैं उसमें नहर सेवा मार्गों को पक्का करना। ग्रामीण मार्ग/सेतु संबंधी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाबार्ड वित्त पोषित योजना आर०आई०डी०एफ०–2, इसी तरीके से पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना आर०आई०डी०एफ०–3, इसी तरह से आर०आई०डी०एफ०–4, इसी तरीके आर०आई०डी० एफ०–5 और आर०आई०डी०एफ०–6 व 7 और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना और अम्बेडकर ग्राम विकास योजना। (सम्पर्क मार्गों से संतृप्तिकरण) महत्वपूर्ण योजनाएं प्रदेश में लागू हैं।

मान्यवर, लाखों लोग ऐसे हैं प्रदेश में जिन्होंने कभी विकास की किरण नहीं देखी आज सबकी निगाहें प्रदेश सरकार की तरफ देख रही हैं कि यहाँ अच्छी सड़कें होंगी। हमारे गावों का विकास होगा, हमारा जन-जीवन सामान्य होगा सबके लिए रोजगार होगा ऐसी कल्पना की गयी है। मान्यवर, अभी प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वांचल और मध्य क्षेत्र के लिए विशेष विकास पैकेज की घोषणा की गयी है जिनको जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा। मान्यवर, इसी के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

* श्रीमती गीता सिंह–

मान्यवर, आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, बलरामपुर न सिर्फ हमारे हिन्दुस्तानियों की भावनाओं के विश्वास का शहर है बल्कि यह दुनिया का एक माना हुआ, मान्यताओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा शहर है जिसे बहुत ही खुबसूरत बनाया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ हमारे तमाम देशों से जो विदेशी पर्यटक आते हैं, 10 कि०मी० पर श्रावस्ती स्थित होने से, बौद्ध परिपथ होने से तमाम विदेशी इकोनामी इंडिया को मिलती है उसके बाद भी हमें सरकार से इस सदन में खड़े होकर सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर न केवल हिन्दुस्तानी भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं बल्कि विदेशी जब यह सुनते हैं कि बलरामपुर से संबंधित हूँ तो आप यकीन करें कि वह हाथ चूम लेते हैं वह चाहे जापान के हों, चाहे इन्डोनेशिया के हों, लेकिन आज बलरामपुर की सड़कें बहुत खराब हैं।

मान्यवर, वहाँ किसी बौद्ध भिक्षु ने सोने के सिक्के बिछा दिये थे बौद्ध को स्टेब्लिश करने के लिए और वहाँ पर आप अपने कागज के नोट भी नहीं खर्च कर सकते हैं जिससे दुनिया के नक्शे में बलरामपुर लिख सके और विदेशी मुद्रा बढ़ सके। मान्यवर, हमारे यहाँ कोडरी का ब्रिज 80 प्रतिशत बन चुका है केवल 20 प्रतिशत काम न होने की वजह से वह 12 सालों से इंतजार कर रहा है उसके दो पाये बनने हैं। वह इंतजार कर रहा है किसी मंत्री का जिसमें मानवीय संवेदनाएँ हों जो वहाँ के लोगों की वेदना को महसूस कर सके जहाँ लोगों को 10 कि०मी० की जगह 75 कि०मी० का रास्ता तय करना पड़ता है। बौद्ध परिपथ और बलरामपुर बाईपास को ठीक कराया जाय जहाँ से हिन्दुस्तान का हर बौद्धिस्ट गुजरना चाहता है। मान्यवर, हमारे लिए यह बड़े शर्म की बात है कि उस गौतमबुद्ध को जिसने जाति धर्म, सम्प्रदाय को नहीं माना, जिसने इंसानियत का, शांति का संदेश दिया उसके शहर को देखकर लोग खुश होते हैं लेकिन वहाँ की स्थिति को देखकर हम हिन्दुस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिये मैं दरख्वास्त करती हूँ अपील करती हूँ कि मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं और मान्यताओं के इस शहर को खूबसूरत बनाया जाय। सत्तापक्ष में बैठे लोग इसको हमारा व्यक्तिगत इन्टरेस्ट न समझकर कार्य करें। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री राजपाल सिंह सैनी–

मान्यवर, आपने मुझे लोकनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आभारी हूँ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देता हूँ। मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी के जनपद का ही हूँ और अपने विधानसभा क्षेत्र योजना की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, पुरकाजी से लक्सर रोड वढ़ी वाला तक बहुत खराब है इसको ठीक कराया जाय। दूसरा मोरना जानसठ रोड पर वेहड़ा सादात गाँव से नया गांव, कैडी, गंगदासपुर, निजामपुर-कासोपुर खोला होते हुए बिजनौर जनपद से मिलाने वाली रोड का कार्य लगभग 12 कि०मी० हैं इसे तुरन्त पूरा कराया जाय ये सभी गांव सम्पर्क गांव से नहीं जुड़ पाये हैं और तीसरा, भोक्करहेडी से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजलिसपुर तोकीर ग्राम पंचायत की सड़क अधूरी पड़ी है इसे पूरा कराया जाय और यह क्यों अधूरी पड़ी है इसकी जॉच कराई जाय। मान्यवर, नया सदस्य होने के बाद भी मेरी बात आप लोगों ने शांति से सुनी इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

* श्री विवेक बंसल—

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के बजट पर, आज जब औद्योगिक विकास की बात हो रही है, 21वीं शताब्दी की बात हो रही है मैं अपने को माननीय पाल साहब के कटौती के प्रस्ताव के साथ संबद्ध करता हूँ। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसके महत्व को समझते हुए यह बजट तैयार किया है। मैं कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा और चाहूँगा कि मंत्री जी इसके संदर्भ में ठोस कदम उठायें। मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल हाई-वे की स्कीम जिन जिलों मे है उनमें अलीगढ़ कहीं से नहीं आता।

अलीगढ़ शिक्षा का क्षेत्र है वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। हाई-वे के क्षेत्र में उसका अपना एक मुकाम है उसके बावजूद वहां स्टेट सेक्टर में बाईपास की स्कीम शुरू हुई थी यह 10 लाख रुपये की स्कीम थी। बाद में इसे रोक दिया गया मैं चाहता हूं कि उस अधूरी स्कीम को शुरू किया जाये और नेशनल हाई-वे की स्कीम में लाया जाये। जो नेशनल हाई-वे अलीगढ़ क्षेत्र में है वहां की सड़कों पर पानी आ जाता है वहां सीमेंट के स्रोत किये जायें। एक और चीज वहां एक छोटा उत्तमपुर शहीद मार्ग है। वहां पर एक शहीद मार्ग का निर्माण कराया जाये। हम शहीदों को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छा शहीद मार्ग बनवाया जाये। चौथी बात यह है कि जिन क्षेत्रों को आपने लिया है और जो क्षेत्र छूट गये हैं जो शहर के क्षेत्र रह गये हैं वहां पर चार बाइपास लाइन्स बनवायें। ताकि वहां पर जो ट्रैफिक है वह ठीक तरह से गुजरता रहे। मैं चाहूंगा कि अलीगढ़ को प्राइम मिनिस्टर नेशनल स्प्रेस हाइवे से इनक्लूड किया जाये। अलीगढ़ में अलीगढ़-एटा की रोड जो रोडवेज बस स्टैंड के सामने से गुजरती है उसका निर्माण कराया जाये। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदया अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि उसको भी तवज्जो देते हुए इस स्कीम में लागू किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्रीमती गुलाब देवी—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। महोदय, हमने भारत माता की गोद में आँखें खोली हैं। माता ने हमको जन्म दिया और उस भारत माता की गोद में ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे या कर्मयोगी कृष्ण जैसे यह भाई सुभाष चन्द्र बोस और अन्य जो हमारे वीर हैं उनकी तरह यहां सदन में हमारे भाई बैठे हैं। कहीं न कहीं इनकी बुद्धि में इनकी विद्वता में हमारी माता शक्ति का हाथ रहा है। आज इस प्रदेश की मुखिया भी माता है और इस लोक निर्माण विभाग की मंत्री भी माता के रूप में है। यदि प्रदेश का विकास करना है, और क्षेत्र का विकास करना है तो मातृशक्ति को स्वीकार करना आवश्यक है। अधिष्ठाता महोदय, किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहां की यातायात की व्यवस्था सुगम हो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास यातायात के साधनों पर निर्भर हैं। इस बजट में हमारी माननीया मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से, जैसी वह स्वयं भी सुन्दर खूबसूरत हैं, वैसे ही उन्होंने सुन्दर बजट पेस किया है। कहीं पर भी उन्होंने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जिससे कि हमारे प्रदेश का विकास न हो सके। उन्होंने इस प्रदेश का विकास करने के लिये सम्पर्क मार्ग विकास द्वारा इस प्रकार की योजना बनाई है कि जिन गाँवों की आबादी हजार तक है, उनको 2005 तक पूरा कर दिया जायेगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और ग्रामीण सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद जो शेष गाँव बच जायेगें, उनको 2010 तक जोड़ दिया जायेगा। इतना ही नहीं, इस बजट में यह भी व्यवस्था की गई है कि हमारा यातायात सुलभ हो, उसके लिए जो गढ्ढों से युक्त सड़कें हैं, उनको गढ्ढामुक्त करने की व्यवस्था की गई है, उनके चौड़ीकरण की व्यवस्था की गई है।

महोदय, पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत जो गाँव हमारे एक हजार से ऊपर आबादी वाले हैं, उनके निर्माण के लिये यह व्यवस्था की गई है कि 90 प्रतिशत नाबार्ड के द्वारा ऋण के रूप में लिया जायेगा और 10 प्रतिशत राज्य की संस्थाओं से दिया जायेगा। जिससे आवागमन में सुविधा प्राप्त हो सके। महोदय, अम्बेदकर गाँवों के माध्यम से कहीं न कहीं इस प्रदेश के लिये सड़कों की व्यवस्था की गई है। महोदय, मैं आपके माध्यमसे माननीया मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के कुछ गाँव ऐसे हैं जैसे हुलासनगर-बलकरनपुर वहाँ कुछ रोड 15 साल से लोक निर्माण विभाग की किसी योजना के तहत पत्थर बिछे हुये हैं, दो कोट पत्थर पड़ा है। आप कल्पना कीजिये कि वहाँ से वाहन ले जाने वाले पशुओं की क्या स्थिति होगी? मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पूरे प्रदेश में जहाँ-जहाँ सड़कों पर इस तरह पत्थर पड़े हैं, अपने कल्याणकारी बजट में यह भी व्यवस्था करें कि उन सड़कों पर जल्द से जल्द लेपन निर्माण कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

श्री नारद राय—

मान्यवर, मैं आदरणीय पाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये सबसे पिछड़े इलाके में जाने वाली सड़क लखनऊ-बलिया मार्ग के बारे में माननीया मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सुल्तानपुर तक सड़क बनी हुयी है और सुल्तानपुर से शाहगंज, आजमगढ़, मऊ और बलिया जाने वाली सड़क पर कोई अच्छी गाड़ी लेकर नहीं चल सकता। यह राजमार्ग है और 4 जिलों के इस मार्ग को मैं अविलम्ब बनवाये जाने की माँग करता हूँ। मान्यवर, बलिया जनपद में अनेकों सड़कें जैसे बलिया वामडीह रोड हल्दीपुर सम्पर्क मार्ग ऐसा है, जिस पर गाड़ी से जाने के बजाय पैदल जाया जाय तो जल्दी पहुँच सकते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली सड़क जो जनता पार्टी के जमाने में, जय प्रकाश सेतु जिसका शिलान्यास भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी ने किया था, वर्ष 1978 में, उस पर मांझी में सेतु का शिलान्यास हुआ था, लेकिन आज तक विभाग की लापरवाह सरकार की लापरवाही और अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण यह सेतु अधूरा पड़ा हुआ है। उस सेतु के डी०पी०एम० को पिछले दिनों प्रदेश के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण डी०पी०एम० की हत्या रेलवे स्टेशन पर करने का काम किया गया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर इस तरह से सरेआम इंजीनियर की हत्या होगी, तो कोई भी आदमी जयप्रभा सेतु पर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बलिया विधान सभा के पड़ने वाले वेना करनई मार्ग, जो आज जरजर हो चुका है की तरफ आकर्षित करता हूँ, पिछले 15 साल से उस पर काम नहीं हुआ है। इस पर काम कराया जाय? बलिया सोनौली मार्ग पर, जिस पर विश्व बैंक से अनुबन्ध है, आज तक कार्य नहीं पूरा किया गया है, देवरिया से बलिया तक उस सड़क को बनाने का काम किया जाय। बलिया में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर पिछले सालों से कुछ नहीं किया गया, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि अधिकारियों ने फर्जी बिल दे करके भुगतान कराने का काम किया है, ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने का काम करें। मान्यवर, बलिया हाजीपुर से गाजीपुर तक सड़क बनाने पर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि बलिया से गाजीपुर तक जाने वाली सड़क का निर्माण कराया जाय। मैं मंत्री जी का ध्यान बलिया-गढ़वार नगरा मार्ग की तरफ दिलाना चाहुंगा, इसकी हालत जरजर हो चुकी है इसको ठीक कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

* श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, आपने लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं ज्यादा कुछ न कहकर मान्यवर, 2-3 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आज सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाने वाली हैं या जो योजनाएं चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आज माननीय मंत्री जी ने सदन में जो घोषणा की है कि अधूरे पड़े मार्गो, चाहे वह उन खंडजा स्तर के मार्ग हों उसको हम पूरी तरह से पेटिंग स्तर तक करायेंगे, यह महत्वपूर्ण कदम है। कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50-60 कि०मी० ऐसी सड़क होंगी जो आज 20-25 सालों से खंडजा स्तर का काम हो गया है लेकिन पेंटिंग स्तर तक काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत सड़कों के जाल को उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक पहुंचाने का जो संकल्प है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, आज ठेकेदारी की प्रथा में जो माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, उस पर मैं उनकों बधाई देना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहुंगा कि चाहे हमारे जिले के हों, चाहे दूसरे के जिले के हों, पूरे सदन में ऐसे लोगों को चिन्हित कराया जाय जिससे जो लोग ठेकेदारी करते हैं, दादागिरी करते हैं अधिकारियों को धमकाते हैं, आज मान्यवर, गोण्डा में कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, मेरा कहना है कि इसका कारण क्या है? अभी बलिया की बात आई, कि वहां पर कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता है तो मान्यवर, यह जो सिस्टम है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, ऐसे माफिया चिन्हित होने चाहिए। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। जिससे मैं चुनाव जीता हूँ, वह किसी एक दल से संबंधित थे, पूरे क्षेत्र में अम्बेडकर गाँवों की उन्होंने ठेकेदारी की भोरहा, बनगई में सहित कई अम्बेडकर गाँवों में 50 कि०मी० की सड़कें उनके द्वारा बनवायी गयी, उनमें गडढे हो गये हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि किसने ठेका किया, कौन विधायक था, उनका सदन में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन जो हमारे विरोधी नेता हैं शायद इस बात से परिचित होगें। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ मोती गंज से भलुहई मार्ग पर पुल की आवश्यकता है, पृथ्वीनाथ से लेकर आर्यनगर मार्ग पर बिसुही नदी पर पुल था। वह पुल टूट गया है, पुल टूट जाने से तमाम लोगों के आवागमन का कार्य रूक गया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा, लिखकर भी दे चुका हूँ, इस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगी। आज सदन में जो यह लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बीजू पटनायक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सादात विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ। सैदपुर-देवथनपुर, माझा-रामपुर व चोंचकपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है उसका मरम्मत कराया जाना चाहिए। भीतरी के पास सम्राट अशोक की लाट है, वहाँ पर भीतरी के पास गॉगी नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता है इसके बारे में मैंने पत्र भी लिखा है। यह बौद्ध धर्मस्थल है इसलिए इस पर पुल अवश्य बनाया जाये। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भीमापुर से खिदरीगंज तक रोड क्षतिग्रस्त हो गया है और उचवरी से पोखरा मोड़ तक क्षतिग्रस्त हो गया है उसकी मरम्मत करायी जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अमरमणि

मान्यवर, 10 बज रहे हैं इसलिए चर्चा खत्म की जाय।

(व्यवधान/शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया (–)

मान्यवर, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे जनपद गोण्डा को राजधानी से जोड़ने वाला एक मात्र महत्वपूर्ण जरवल-फरेंदा मार्ग काफी टूट गया है, चलने के लायक नहीं रह गया है। यह केवल साढ़े 5 मीटर चौडा रोड़ है तथा इसका क्रस्ट भी कम हैं मरम्मत कराने के बाद राइडिंग क्वालिटी मैं सुधार नहीं आया इसका चौड़ीकरण कराया जाये और इस पर तत्काल कार्य शुरू कराया जाये। अयोध्या में जब भी धार्मिक मेला और साम्प्रदायिक तनाव होता है तो सारा यातायात राष्ट्रीय मार्ग सं० 28 का। इसी ट्रैफिक नेशनल हाइवे मार्ग से होकर बस्ती की तरफ जाता है। जिससे यह मार्ग पूरी तरह टूट गया है। इसी मार्ग पर जरवल रोड और मैजापुर चीनी मिल पड़ती है, कि०मी० 181 से 234 तक मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है। इसके लिए 1.5 करोड़ का प्राविधान हो। परमपुर गौरीगंज मार्ग 'क' कि०मी० 4 पर एक पैन्टून का पुल बना हुआ है, उसकी वसूली गौरीगंज जिला पंचायत गोण्डा के द्वारा किया जाता है की वसूली तत्काल बंद कराई जाए तथा पुल का प्रान्तीयकरण कराया जाए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उस पुल को पक्का बनवाया जाए। करनैलगंज बेलसर नवाबगंज मार्ग जो अयोध्या तक जाता है तथा राष्ट्रीय मार्ग सं० 28 को जोड़ती है इस पर अयोध्या बंद होने पर पूरा यातायात इसमें जाता है ज्यादा यातायात से टूट गया है चलने योग्य नहीं हैं को मरम्मत कराकर उसको चौड़ा किया जाए। मेरे जनपद में 22 पुल पुराने पड़ गये हैं जिसकी भार वहन क्षमता कम है तथा कमजोर है जिसमें अक्सर दुर्घटनाएं महीने में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनका पक्का निर्माण किया जाए। मेरे गोण्डा जनपद में एक और समस्या है वर्ष 1999-2000 वर्ष 2000-2001 की जिला योजना एवं दीन दयाल योजना के अन्तर्गत जो धनराशि आवंटित थी वह कतिपय कारणों से विभाग में समर्पित कर दी गई थी कोई कार्य नहीं कराया गया है। मैं अनुरोध करूँगा समर्पित धनराशि पुनः न देकर अधूरे काम को पूरा कराया जाए। खुली निविदाओं में माफिया और अपराधी लोग भय दिखाकर कम रेटर निविदा डाल कर टेण्डर हथिया लेते हैं व विभागीय अधिकारी लाचार होकर रह जाते हैं और कोई काम नहीं करा पाते हैं जिसमें विभागीय कार्य प्रभावित होता है मैं अनुरोध करूँगा कि निविदाओं में न्यूनतम दर वाली निविदाओं के स्थान पर सभी निविदाओं का औसत दरें के निकटतम दर वाले निविदा दाता द्वारा स्वीकृत दर के अन्दर वालों को ही कार्य दिया जाये। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सुश्री सन्ध्या कठेरिया–

अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र किसनी, मैनपुरी में आता है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। वहां पर सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है 20 वर्षों से उन पर कोई काम नहीं हुआ है। सारी सड़कें जर्जर हो गई है। उन सड़कों पर पैदल चलने पर जनता को परेशानी होती है मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमारी विधान सभा में कुछ सड़कें वर्ल्ड बैंक की भी अधूरी पड़ी हैं। जैसे बेवर मार्ग जो किसनी होते हुए बावत से इटावा तक एवं कुर्दा तक जाता है। प्रधानमंत्री योजना की सड़कें भी ऐसी पड़ी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुल का निर्माण कुम्हैल के नाम से कराया जाए ताकि जनता जो परेशान है उसकी परेशानी कम हो। कुम्हैल में इसी कारण त्राहि-त्राहि मची है। इस सब कारणों से विधायक को परेशानी होती है इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री हाजी याकूब–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र खरखौदा विधान सभा में आमौड़ा किठोड़ सड़क जो है उसकी हालत जर्जर है। पिछली दो योजनाओं में क्षेत्र का कोई काम नहीं कराया गया। अमौड़ा किठोड़ मार्ग को बनाया जाए। एक रोड खरखौदा कौल भुण्डाली होते हुए समयपुर जाती है वहां पर 10-15 साल से कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उस रोड को बनवाने की कृपा करें। एक दूसरी रोड खरखैदा मोहिउद्दीनपुर होते हुए जाती है वहां गन्ना मिल है चीनी मिल है जिसमें 10-15 साल से कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ उस रोड को बनाया जाये।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 3/4 पुल ऐसे हैं जिनका बनना नितान्त आवश्यक है। एक पुल अल्लीपुर कूडला होते हुए बनाया जाय तो इससे 25 गाँवों को सहूलियत हासिल होगी। इस पुल के बन जाने से जो 25 किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है उसकी जगह एक किलोमीटर चलना होगा। एक मेडिकल कालेज के पीछे गेसूपुर गांव है वहां गेसूपुर में पुल बन जाने से 15 गांवों के लोगों को सहूलियत मिल जायेगी। इसको बनाया जाना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

हाजी याकूब–

मान्यवर, मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि जितने एम० पी०, एम० एल० ए० वहां होते रहे हैं सबने वायदा तो किया लेकिन आज तक एक पुल नहीं बनवाया। मान्यवर, पिछले 20 सालों से खरखौदा क्षेत्र में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं ऐसे उजड़े क्षेत्र से आया हूँ। वहां की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है हमने उनसे वायदा किया है इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी वहां पर पुल और सड़क बनवाने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

हाजी याकूब–

मान्यवर, 20 साल से जो पुल बने हैं उन पर टैक्स लिया जा रहा है। पुल की कीमत पूरी हो गई है लेकिन अभी तक टैक्स पूरा नहीं हो पाया है। अतराडा पुल का टैक्स खत्म कराया जाय मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह 3/4 पुल जिनकी बात मैंने की है, उनका निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

* श्री संजीव दरियावादी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, कानपुर नगर में गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कानपुर नगर में गहरी सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डिप्टी पड़ाव से लेकर भन्नानापुरवा, जरीब चौकी से लेकर झकरकटी चौराहा तक, अफीमकोठी से लेकर जूही पुल तक सीवर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाइन डाली गई। यह सभी सड़कें पी० डब्लू० डी० की हैं। गंगा प्रदूषण इकाई द्वारा सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो गया है लेकिन जो सड़क की कटिंग हो गई है उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। राष्ट्रीयकृत मार्ग है इस पर हजारों ट्रकों का रोज आवागमन रहता है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। रोड के निर्माण के लिये धनराशि पी० डब्लू० डी० को मिल गई है लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं कराया गया है। आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि वे मुख्य अभियन्ता पी० डब्लू० डी० को आदेशित करने का कष्ट करें कि 35 लाख रुपये जो सड़कों के लिये दिया गया है उससे सड़कों का निर्माण करायें। वहां पर जनता आन्दोलित है मान्यवर, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़ने पाय और जनता को आवागमन का सुलभ रास्ता उपलब्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राम लाल अकेला–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, रायबरेली जनपद का नाम हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में आता है। रायबरेली की वह धरती जिसने मुल्क की आजादी के लिये बहुत योगदान दिया, आज विकास के नाम पर पीछे जा रहा है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा। अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि रायबरेली से हैदरगढ़ मार्ग महत्वपूर्ण है 13, 14, 15, 16 कि० मी० मार्ग बहुत दिनों से खराब पड़ा है। इसके लिये 31 लाख 68 हजार का आगणन विभाग में लम्बित है, इसको रिलीज कराने का काम अभी तक नहीं किया गया है। महाराजगंज से बछरावां, बछरावाँ से हैदरगढ़ सेहुआ मार्ग को चौड़ा करना के सम्बन्ध में 10 लाख रुपये दिया गया था लेकिन वह कहाँ चला गया। अभी तक काम नहीं किया गया। ठेकेदारी में कमजोर वर्ग के लोगों को काम देने का काम नहीं किया जायेगा। मान्यवर, कुन्दनगंज से हरदोई मार्ग का निर्माण अति आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री रामलाल अकेला–

मान्यवर, लखनऊ से इलाहाबाद मार्ग जो है यह राजमार्ग है इस पर बछरावाँ में ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है इन्हीं शब्दों के साथ क्षेत्र के विकास के संबंध में सुझाव दिये हैं, मान्यवर, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है इसके अन्तर्गत सड़कें बनाई जाती है 22 लाख रुपया प्रति सड़क पर खर्चा होता है यह सड़कें गांव को जोड़ती हैं जो सड़कें दूसरी बनती हैं जिन पर बड़े-बड़े वाहन चलते हैं इन पर 10-12 लाख की लागत आती है। तो एक सुझाव भारत सरकार को भेजा जाए कि उन सड़कों की लागत से दो कि० मी० सड़क गांव के लिये बन सकती है। यह मेरा सुझाव है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर अभी हमारे माननीय सदस्य अकेला जी कह रहे थे कि सड़कों की कीमत कम करने का प्रस्ताव दिया जाए इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से योजना प्रारम्भ की है। चौधरी चरण सिंह मशहूर-ओ-माहरूफ शख्सियत थे।

(व्यवधान)

मैं किसी के बोलने पर नहीं बोलता हूँ इसलिए आप भी टोका-टाकी न करें। तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। मेरा निहायत अदब से अनुरोध है, गुजारिश है कि मेरी बात को सुन लें। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह बो मशहूर-ओ-माहरूफ शक्सियत थे, जो केवल पालिसी बनाना ही नहीं जानते थे बल्कि एक्जीक्यूट करना जानते थे, परिणाम दिलाना जानते थे लगता था कि उनकी पालिसी सही है। पी०एम० वार्ड का मानक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो मानक निर्धारित किया गया है विशेष रूप से मंत्री जी से अनुरोध है कि उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश की जो सड़क बनाई जाएं, उसमें शर्तें हों कि पांच साल तक ठेकेदार की मेन्टिनेंस की जिम्मेदारी रहेगी। तब हम कह सकते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से सड़क बनेगी। मैं निहायत अदब से गुजारिश करता हूँ कि जो आपके स्पीड ब्रेकर बनते हैं उन पर पुर्नविचार किया जाए। वह गाड़ी ब्रेकर न बन जाएं। दूसरी बात मान्यवर, विशेष रूप से कहना चाहता हूँ जितने हाईवेज हैं उनके किनारे-किनारे मार्केटिंग और कांस्ट्रेक्शन हो रहे हैं उसमें सख्ती से मनाही होनी चाहिए। दोनों तरफ कोई निर्माण न हो वह जगह ग्रीन बेल्ट के लिए हो।

(इस समय 10 बजकर 20 मिनट)

तीसरी बात उन सड़कों का निर्माण बिल्कुल न कराया जाय। जहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था सुचारू रूप से न हो। क्योंकि अगर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होगी तो जो तारकोल की सड़के बनेगी वह टूट जायेंगी और यह नेशनल लास होगा। इनमें पैसा लगता है और यह 6, 8 महीने में ही टूट जाती है। तीसरी बात अपने क्षेत्र की कहकर समाप्त करूंगा। मान्यवर, मैंने करीब दो सौ पत्र लिखे होंगे। लिपोलेक से भिन्ड मार्ग यह तीन राज्यों को कवर करती है। यह लिपोलेक, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, इटावा होते हुए भिंड जाती है। यह सात सौ किलोमीटर लम्बी सड़क है इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर निर्माण कराया जाय। मान्यवर, शाहजहाँपुर तहसील में जलालाबाद का पुल तथा राम गंगा तथा कोलाघाट का पुल यह वहाँ के क्षेत्र की पचासों साल की समस्या रही है। 68 करोड़ की लागत का यह पुल वहाँ के लोगों की बड़ी समस्या रही है। इससे दो लाख लोगों को फायदा होगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं मांग करूंगा कि कोला घाट पर राम गंगा घाट का पुल है उसको अवश्य बनाया जाय। इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र की तरफ और आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

पौने ग्यारह बजे तक यह बजट चलेगा। आपसे अनुरोध है कि समाप्त करें और लोगों को भी बोलना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पी०डब्ल्यू०डी० की हमारे क्षेत्र में घंटाघर से लेकर स्टेशन तक तथा गर्रा फाटक से लेकर बाईपास तक के दो मार्ग बनने आवश्यक है। इसका निर्माण कराया जाय। इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया।

श्री दिनेश सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे अंत में मेरा नम्बर आता है नया विधायक हूँ आपकी कृपा हुई आभार व्यक्त करता हूँ। आज माननीय मंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग का बजट पेश किया है और कटौती का प्रस्ताव उसपर आया है। बजट पास होने की औपचारिकता बाकी है, सिर्फ सुझाव देना चाहता हूँ। खुशी इस बात की है कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम पर पैकेज देने का

आपने काम किया। वे एक महान नेता थे। उनके नाम से एक इतिहास याद आता है। जब ब्लाकों में भ्रष्टाचार को उन्होंने देखा तो पदों को समाप्त कर दिया। मान्यवर, यह कहा गया कि ट्रांसफर बहुत कम किये गये हैं केवल 32 किये गये हैं। भले ही कम किये गये हैं लेकिन इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, हमारे यहाँ एक्जी० इंजीनियर क्लास–1 के हैं, वह छः सालों से वहाँ पर पड़े हैं और लूट खसोट कर रहे हैं। लोक निर्माण का कार्य न कर भ्रष्टाचार निर्माण का कार्य हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, बाढ़ से सड़कें ध्वस्त हो गयी हैं उसके निर्माण में एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर पैकेज की व्यवस्था देने का काम किया है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सिद्ध पीठ पल्टा देवी का मन्दिर है। प्रमुख सचिव महोदय वहाँ पर गये भी थे। कलेक्टर ने लिखा, एम०एल०ए० ने लिखा लेकिन चिल्हिया पल्टा देवी का जर्जर पायलब्रिज.... अभी तक नहीं बनाया गया, उसे शीघ्र बनाया जाय।

मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि जो टेण्डर लिये गये हैं अगर वह टेण्डर समय पर पूरे नहीं किये जाते हैं तो पूरा न करने वाले के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बढ़नी से डुमरियागंज की सड़क जर्जर हालत में है। उसको सही कराया जाय। सिद्धार्थनगर से बढ़नी तक की सड़क टूट गयी है वह घटमिक्स प्लान्ट से बनी थी 05 साल बाद टूट गयी उसको सही कराने की व्यवस्था की जाय। इसमें माननीया मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इसकी विधिवत जांच करा लीजिए। यह कहकर मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री आर०एस० कुशवाहा–

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा.....

(इस बीच श्री छोटे लाल अपनी सीट पर खड़े हो गये।)

श्री छोटे लाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो सूचीबद्ध नाम है उन्हीं को बोलने दिया जाएगा या बिना सूची वालों को भी मौका मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, केवल सूचीबद्ध सदस्यों को ही बोलना है।

श्री आर०एस० कुशवाहा–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने जो यह बजट रखा है यह बहुत अच्छा है। इसमें एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को 2005 तक सड़क से जोड़ने का जो प्रस्ताव रखा है इसके लिए मंत्री जी बधाई की पात्र हैं और जो एक हजार से कम आबादी वाले गांव हैं उसे 2010 तक सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी का ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ।

मान्यवर, निघासन में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय पार्क है। यह हमारे विधानसभा क्षेत्र में हैं। वहाँ पर जाने के लिए लखीमपुर तक का मार्ग जगह-जगह टूटा है। मान्यवर, सीतापुर से लेकर लखीमपुर से लेकर दुधवा तक जो मार्ग टूटा है उसे बनवाने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इसमें डेढ़ घंटे चर्चा के लिए समय दिया है और राज्य सम्पत्ति विभाग का भी बजट है। वह भी एक-डेढ़ घण्टे का होगा तीन घण्टे यह हो गये और कम से कम 15-20 मिनट पाल साहब और मंत्री जी बोलेंगे और एक घण्टा वक्तव्य पढ़ा जाएगा। कुल मिलाकर 5 घंटे हो गये इस तरह तो साढ़े तीन बज जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई है या नहीं लेकिन मेरे घर में है। आपसे अनुरोध है कि इसे अब समाप्त करा दीजिए। यह कितना चलेगा?

श्री अधिष्ठाता–

यह 10.45 बजे तक चलेगा।

श्री आर०एस० कुशवाहा–

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूँ। माननीय तिवारी जी को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र निघासन की ओर ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे यहां कुछ संचित रोडों पर काम होना है–इनमें है ढखेरवा से घाघरा बैराज मार्ग-7 कि०मी०, निघासन से धौरहरा मार्ग 1 कि०मी० तिकोनिया पनवारी मार्ग, तिकोनिया आबादी वाला क्षेत्र 2 कि०मी० तिकोनिया से 2 कि०मी० व 4 कि०मी०, मोतीपुर आबादी वाला क्षेत्र 2 कि०मी०, सिंगाही आबादी 2 कि०मी० व सिंगाही पुल से सिंगाहा, इसी तरह से निघासन-आबादी, पचपेड़ी घाट से–झंडी निघासन मार्ग 6 कि०मी०, निघासन-पलिया मार्ग 10 कि०मी०, खैराना-आबादी, बम्हनपुर-आबादी, नौगंवा-आबादी, मंझगई-आबादी, पलिया-आबादी, पलिया-लखनऊ मार्ग 6 कि०मी०, पलिया–सम्पूर्णानगर 7 कि०मी०, सम्पूर्णानगर–आबादी, पलिया–चन्दन चौकी 2 कि०मी०। मान्यवर, हमारे यहां शारदा नदी है जो रेलवे ब्रिज है वह पूरी तरह से क्षतिग्रास्त हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे क्षेत्र की सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको तत्काल बनवाया जाय। कचेहरी घाट पर 7 कि०मी० का पुल प्रस्तावित है वह पुल शीघ्र बनवाया जाय। इसी के साथ जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूँ।

श्रीमती बीना भारद्वाज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक निर्माण विभाग के बजट 2002–2003 के माननीय जगदम्बिका पाल जी के कटौती प्रस्ताव पर हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी का ध्यान उन सड़कों की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूँ जिनको एक बार बनाकर फिर मरम्मत के लिये उस तरफ नहीं देखा जाता है। अगर सड़कों की मरम्मत समय पर करवा दी जाये तो उनकी हालत ऐसी नहीं होगी जैसी इस समय है। मान्यवर, तिलक-विलासपुर मार्ग जो हमारी विधान सभा क्षेत्र में है। ये दोनों तहसीलों को जोड़ता है बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है उसे अतिशीघ्र मरम्मत करवाया जाय। विलासपुर से अहरों को जाने वाली सड़क जिस पर पूरे सड़क में डेढ़-डेढ़ फीट के गढ्ढे हैं ये सड़क लगभग 16-17 कि०मी० है। जहां पर कई बार सवारियों से भरी बस पलट गयी है कई लोगों की जानें भी चली गयी हैं। मान्यवर, विलासपुर में जो पुल है उसे चौड़ा करवाया जाय। ये पुल उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को जोड़ता है। पुल पतला होने के कारण वहां पर रोज ही घंटों जाम लग जाता है जिससे आवागमन बाधित होता है उसे अति शीघ्र चौड़ा करवाया जाय। इसी के साथ कटौती का प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। जिस तरह हास परिहास युक्त आनन्दमय वातावरण में बजट प्रस्तुत हुआ है उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ। दीनदयाल सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत 9595 कि०मी० सड़क बनाकर 4632 गांव को जोड़कर एक सराहनीय काम किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नगरीय योजना एक सर्वोत्तम कदम है। मैं अपने विधानसभा की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, पयागपुर हुजूरपुर कैसरगंज मार्ग 32 कि०मी० है उस पर लिखा गया था कि गड्ढामुक्त यह सड़क नहीं है अभी भी वह सड़क वैसे ही है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कब उस पर यह लिखा जायेगा कि सड़क गड्ढामुक्त हो गयी। इसके साथ ही साथ 29 कि०मी० से 31 कि०मी० तक इस प्रकार की सड़क है जिसका आज तक पेमेन्ट नहीं किया गया है, किसानों का भुगतान नहीं किया गया है वह कराया जाय। मान्यवर, सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर जिस प्रकार से आवागमन है उसको देखते हुए रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनना चाहिए। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री सुल्तान बेग–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं 2-3 समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मान्यवर, बहेड़ी भिटौरा मार्ग पर शाही से बहेड़ी तक मार्ग बहुत ही खराब हालत में है। मान्यवर, इसके लिए मैंने प्रश्न भी दिया था और लिखित रूप से भी माननीय मंत्री जी को भी दे चुका हूँ। वहाँ गाड़ी तो दूर पैदल भी निकलता व चलना मुश्किल है वहाँ पर 2-2, 3-3 फिट गहरे गड्ढे हैं। इसी तरह से बहेड़ी भिटौरा मार्ग से ग्राम मवई काजियान से कनमन को मार्ग लगभग 10 कि०मी० है इसको मरम्मत कराने की आवश्यकता भी है। बहेड़ी शीशगढ़ मार्ग की मरम्मत होनी बहुत जरूरी है उसकी हालत बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह जो तीनों मार्ग हैं इस पर मैंने सवाल दिया था जिसका जबाव में कहा गया कि पैसे कि व्यवस्था होते ही सड़क की मरम्मत करा दी जायेगी। मान्यवर, पूर्व मंत्री का मेरी विधान सभा में प्रोग्राम लगा था लेकिन रास्ता खराब होने के कारण उनकी गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती थी इसलिए प्रोग्राम को उन्होंने निरस्त कर दिया था और उन्होंने अपने भाषण में [मा० जगदम्बिका पाल जी] कहा था कि मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक सड़क बन नहीं जायेगी लेकिन वह नहीं बनी। मान्यवर, पिछली सरकार ने बराबर यह ढिंढोरा पीटा कि पैसे का अभाव है, मरम्मत नहीं हो रही है। मान्यवर, हमारे यहाँ डीआरडीए व विधायक निधि तथा प्र०सं०प्रो० का करोड़ो रुपया वापस हो गया, वह सरकारी खजाने में वापस चला गया।

(व्यवधान)

मैं बताना चाहता हूँ यह जो तीनों सड़के हैं इन्हीं सड़कों से गन्ना क्रय केन्द्र पन्डेरा जशनपुर, कावर खास, पिपरिया, नागरिक, सोवरती आदि का गन्ना से भी खेड़ा चीनी मिल व गन्ना क्रय केन्द्र पनवड़िया केसर चीनी मिल तथा रमपुरा, लमकन, मेवा बमावनपुर आदि जै० चीनी मिल मीरगंज को गन्ना सप्लाई होता है। इसमें भिरौरा बहेड़ी पर शाही बहेड़ी तक मार्ग इतना अधिक खराब है कि गन्ना ट्रालियों तथा गन्ने से भरे ट्रको के पलटने से सैकड़ों लोगों की जाने जा चुकी हैं। कृपया इस मार्ग को तथा अन्य दोनों मार्गों को पेराई सत्र 2002-2003 प्रारम्भ होने से पूर्व बनवाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव जो मा० जगदम्बिका पाल ने बखूबी रखा है, का पुरजोर समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री चन्द्र देव राम यादव करैली–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीया लोक निर्माण मंत्री ने जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ और मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र जनपद आजमगढ़ से जीतकर आया हूं। जो मुबारकपुर नगरपालिका है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वहां की आबादी करीब एक लाख है। वहाँ गोरखपुर से आने वाले रास्ते में टोन्स नदी का पुल है। वह रास्ता इतना पतला है कि आये दिन वहां दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उस रास्ते को चौड़ा करा दिया जाये और बढ़िया बना दिया जाये ताकि दुर्घटना न हो। चिरैयाकोट सड़क पर मैंसही नदी पर एक पुल है जो कि कभी भी टूट सकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पुल का निर्माण कराया जाये इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री कमलेश कुमार पासवान–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने पूर्वांचल गोरखपुर मानीराम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदया ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा है कि पहली बार सदन में आई हूं पहली बार मंत्री बनी हूं और पहली बार बजट पेश कर रही हूं इसलिए आप लोग साथ दीजिएगा। मैं भी अपनी बात कह रहा हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दीजिएगा। मंत्री महोदया, नहला दहला घाट में एक पुल बनना है पिछले पांच सालों से प्रयासरत हैं लेकिन मान्यवर, बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। अगर उस पुल का निर्माण नहीं हुआ तो वहाँ के हजारों लोगों का आवागमन बाधित होता है पिछले पांच वर्षों में मैंने कई बार प्रयास किया परन्तु पिछली सरकार में किसी ने नहीं सुनी, मंत्री जी मैं भी आपकी तरह पहली बार सदन में आया हूँ और पहली बार बोल रहा हूँ। इसलिए आप इस नये सदस्य मेरे रखे हुये प्रस्ताव पर निश्चित कार्यवाही करेंगी। आपसे ऐसी आशा करता हूँ तथा ज०पा०डी० के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ, अगर उस पुल का निर्माण नहीं करा सकतीं तो ऐसा विधान बना दें कि विधायक निधि से बनवाने का कार्य हो सके।

श्री सुरेन्द्र प्रताप–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हूँ। माननीया मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, हमें प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने जो सड़क निर्माण नीति बनाई थी, जिसके कारण पिछले 5–6 वर्षों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग बने और उसी नीति पर चलते हुये माननीया मंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है। इस बजट में चौधरी चरण सिंह के नाम पर सम्पर्क मार्ग योजना की घोषणा हुई है, सड़क सुधार योजना की घोषणा हुई है। इसका स्वागत करता हूँ । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण सड़क मार्ग योजना, श्यामा प्रसाद मुकर्जी नगरीय योजना पर पैसे का पूरा-पूरा प्राविधान करें। मान्यवर, मैं जौनपुर नगर विधान सभा से चुनकर आया हूँ। हमारे यहाँ गोमती नदी नगर को दो हिस्सों में बांटती है, इस पर एक प्राचीन पुल बना हुआ है, जो मुगल काल का बना हुआ है, इसे शाही पुल भी कहा जाता है। यह पुल अत्यन्त संकरा है और इस पुल पर यातायात का काफी दबाव है, यहां घंटों जाम लगा रहता है। यहां पर 2 लाख की आबादी है और उस मार्ग को पुरातात्विक महत्व का होने के कारण पुरातत्व विभाग ने भारी वाहनों के लिये चलने हेतु रोक दिया है। 1999 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह ने 50 हजार लोगों की एक सभा में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जौनपुर नगर में गोमती नदी पर एक दीनदयाल उपाध्याय सेतु बनाने की घोषणा की थी, उस सभा में आज के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे, उस समय सरकार की ओर से इसके लिये 7 करोड़ का प्राविधान कर दिया गया था परन्तु किन्हीं कारणों से सेतु बन नहीं पाया। मैं माननीया मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस लोक महत्व से जुड़ी हुई समस्या को देखते हुये निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में जौनपुर नगर में गोमती नदी पर एक नये सेतु का शिलान्यास हो जाना चाहिये। इसके अलावा जौनपुर नगर में लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेतु बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लुम्बनी दुद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका चौड़ीकरण पिछले कई वर्षों से इस जिले में हो रहा है, वहाँ आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। मेरा आग्रह है कि इसे शीघ्र पूरा करायें। अधिष्ठाता महोदय, मैं पुनः माननीया मंत्री द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका लिखा नहीं जायेगा, आप समाप्त करें। मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे जनपद महोबा में कबरई कस्बे में मात्र 3 किमी० रोड एक करोड़ 80 लाख की लागत से बन रहा है। उसमें अधिकारियों और ठेकेदारों के द्वारा मिलकर सरकारी धन का दोनों हाथों से दुरुपयोग हो रहा है। पी०डब्लू०डी० के इंजीनियरों ने आई०आई०टी० की रिपोर्ट के बाद भी एग्रीमेंट नहीं किया। आई०आई०टी० के द्वारा डस्ट में चपरा मिलाकर प्रयोग के लिये लिखा लेकिन अधिकारियों के द्वारा केवल डस्ट का एग्रीमेन्ट कराकर प्रस्तावित सड़क की मजबूती बिल्कुल कम हो गयी है। पूरी सड़क रेत पर बनी है।

(बीच में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा बुलवाने की मांग करने तथा टोकाटाकी करने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

वह माननीय सदस्य जिनको पहले बोलने का समय मिल चुका है, वह कृपया इस तरह का आचरण और व्यवहार न करें।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

नेशनल हाई-वे के इंजीनियर्स, अधिशासी अभियन्ता सड़क का पैसा खाये जा रहे हैं। इसमें बहुत भारी घपला है, इसकी आप जाँच करायें। वहाँ जाँच टीम कई बार तिथि निर्धारित होने के बाद भी टीम के सदस्यों के साथ नहीं गई कृपया जाँच टीम को वहां तत्काल जांच कर कार्यवाही करने का आदेश करें। वहाँ सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। बर्बाद किये गये धन की वसूली को दोषियों से कराना सुनिश्चित कराएं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, प्रान्तीय खण्ड पी० डब्लू० डी० कार्यालय, महोबा में खुलेआम लूट मची हुयी है। करोड़ों रुपये साल का वहाँ बंदरबांट किया जा रहा है, अधिशासी अभियन्ता के द्वारा करोड़ों रुपयों के सरकारी धन को लूटा जा रहा है। इसकी जांच कराकर वसूली भी कराना आवश्यक हो।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका लिखा नहीं जायेगा। कृपया समाप्त करें।

श्री मुन्शीलाल गौतम–

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, डा० अम्बेडकर विकास योजना, चौ० चरण सिंह योजना, पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग योजना, यह सम्पर्क मार्ग योजनाएं बनाई गई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में निम्न सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, बुलन्दशहर, अनूपशहर सड़क पर, जुहैड़ पुरा शिवाली, शिकारपुर, बुलन्दशहर सड़क पर, सलीमपुर, चिल्लौन, जटपुरा, मिर्जापुर, शिकारपुर पक्का सड़क पर बैरी अनौना, सुरजावली आदि को गड्ढा मुक्त किया जाये। शिकारपुर से जहाँगीराबाद मार्ग, शिकारपुर से अनुपशहर मार्ग पर रिवाडा, मंगलौर से

शिवाली मार्ग, मंगलौर से खलसिया मार्ग पर पाँच वर्ष से पत्थर बिछा हुआ है, पैदल भी नहीं निकला जाता है। इस सड़कों की मरम्मत कर उसका लेपन कार्य कराया जाय? सलैमपुर से सुरजावली वाया हुर्थला मार्ग पर ऑचरू तक यही मरम्मत करायी जाय। शिकारपुर-खुर्जा मार्ग की मरम्मत कराई जाय। हुर्थला या बनवारीपुर घुघरावली पर नदी के पुल का निर्माण कराया जाय। राजवाहे की पटरी वसैदुआ से फतहपुर पर सड़क का निर्माण कराया जाये। किशनपुर से अगरपुर जोढ से बालक मार्ग का निर्माण कराया जाय। बुलन्दशहर वाया शिकारपुर होता हुआ नरौरा से बदायूँ लखनऊ से जुड़ता है इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाय। अधिकारियों की पंजाब, हरियाणा प्रशिक्षण के लिये भेजने की व्यवस्था की जाय। प्रदेश में सही सड़क बन सकें जो व्यक्ति सड़क पर पानी चलाता है, सड़क में गड्ढा पैदा करता है, सड़क पर मिट्टी खोद कर या पशु बांध कर या मकान या निजी उपयोग में राष्ट्रीय सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है, उसके खिलाफ दण्ड का प्राविधान किया जाय जिससे सड़क की सुरक्षा हो सके। जिस लोक निर्माण अधिकारी के क्षेत्र में सड़क टूटी है, उसने कोई कार्यवाही नहीं की, अगर उसने नियम का पालन नहीं किया तो उसके वेतन से सड़क का निर्माण कराया जाय। मैं इस जन कल्याणकारी बजट का समर्थन करता हूँ धन्यवाद।

श्री अजीम भाई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ मैं आधे मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त कर दूँगा। मान्यवर, मैं तीन सड़कों की मरम्मत के लिये मंत्री जी से अनुरोध करूँगा। ये सड़के हैं–ग्राम शेरपुर जलालपुर, जलालपुर से गढ़ी सोहराम तक, ग्राम खड़रिया से खेरा तक ग्राम खेड़ा गनेशपुर में ग्राम हलपुरा मान्यवर, यह कोई बहुत लम्बी नहीं हैं, कोई एक किमी०, कोई दो किमी० कोई आधा किमी० ही है, इनकी मरम्मत करवा दी जाय?

श्री शैलेन्द्र यादव (ललई)–

मान्यवर, मुझे थोड़ा ज्यादा मौका दीजियेगा। मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ जहाँ से चुने गये व्यक्ति ने कई बार पी० डब्लू० डी० का बजट रखा है, स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव के क्षेत्र से चुनकर मैं आया हूँ, लेकिन मुझे दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि आज वहां की किसी भी सड़क पर पैदल भी नहीं चला जा सकता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पूर्व पी० डब्लू० डी० मंत्री स्व० लक्ष्मी शंकर यादव ने इन सड़कों का निर्माण कराया था, तब से आज तक इनकी मरम्मत नहीं हुई थी, कृपया इनकी मरम्मत करवा दें। मान्यवर, इन तमाम सड़कों का स्टीमेट मैंने स्वयं सचिव साहब से मिलकर के दिया है। इसी के साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नदियां बहती है, दोनों के ऊपर पुल है और दोनों के बीच में पाँच किमी० की दूरी है। और बहुत दिनों से टैक्स की वसूली हो रही है, पुल की कीमत आ चुकी है फिर भी टैक्स वसूला जा रहा है, मैं चाहूँगा कि पथकर वसूली से उसे मुक्त कर दिया जाये। इसी के साथ पीली नदी पर सेतु निगम द्वारा रामपुर में पुल बन रहा है वह 90 प्रतिशत बन गया है लेकिन 6 महीने से उस पर काम रोक दिया गया है, जब 90 प्रतिशत बन गया है तो 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराकर उसका अप्रोच रोड बनाकर उस पर आवागमन शुरु किया जाये। इसी के साथ लुम्बनी-दुद्धी मार्ग, आजमगढ़ लखनऊ बलिया मार्ग तथा सुल्तानपुर मार्ग की दशा बहुत खराब है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इन मार्गों का सुदृढ़ीकरण किया जाये। इसी के साथ मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

स्वामी ओइमवेश–

माननीय अधिष्ठाता जी, राष्ट्रीय लोक दल की मंत्री हैं लेकिन उसके एक भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

श्री जगदीश राणा–

मान्यवर, मैं माननीय पाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद जो उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट विधान सभा क्षेत्र है उसमें फतेहपुर शाकुम्बरी मार्ग जो जिला सेक्टर से बनायी गयी रोड है उसे राष्ट्रीय राज्य मार्ग बनाया जाये। मान्यवर, शाकुम्बरी देवी का स्थान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाय। माजरी से नोगजा पीर तक स्टेट सेक्टर द्वारा मार्ग बनाया जाये। तीसरा मार्ग है बुवका से शाकुम्भरी देवी तक स्टेट सेक्टर से बनाया जाये। इसी के साथ दो पुल भी बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बरोली से जहानपुर मार्ग पर नागदेव नदी का पुल बनाया जाये तथा छुटमलपुर से बहेडा मार्ग पर हिन्डन नदी का पुल है उसको भी बनाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा० विनोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप अपने क्षेत्र की समस्या रखिये।

डा० विनोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जितनी कुशलता और अच्छे ढंग से बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, बिहार के एक पूर्व मुख्य मंत्री जी के उस बयान की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा था कि मैं बिहार की सड़कों को ऐसे देखना चाहता हूँ जैसे हेमा मालिनी के गाल। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह ग्राम सुधार योजना को लाकर के एक अच्छा कार्य किया है। बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री की कल्पना की मा० लोक निर्माण मंत्री उ०प्र० के ग्रामीण अंचलों की सड़कों को साकार रूप इस योजना के अन्तर्गत देंगे।

चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। लोक निर्माण मंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह के नाम पर चौधरी चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजना शुरू की है इस योजना के अन्तर्गत उन सड़कों की मरम्मत की जायेगी जो जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं। उन्हें ठीक किये जाने की बात कही गई है मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं दो तीन मार्गों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चाइना अटैक के समय आसाम बस्ती मार्ग का निर्माण हुआ था। पीलीभीत से खुटार मार्ग है वह राष्ट्रीय मार्ग घोषित हो चुका है। मैं मांग करता हूँ कि उसका चौड़ीकरण किया जाये। पुरनपुर कलीनगर फतेहपुर, सुल्तानपुर मार्ग को चौधरी चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत लिया जाए व विथिपुर गजरौला मार्ग भी बनाने का कष्ट करें इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने एक ऐसी महिला का नाम लिया जो इस सदन की सदस्य नहीं हैं। उनके गाल उन्हें पसन्द आये। सदन यह जानना चाहता है कि हेमामालिनी के बाद किसके गाल उनको अच्छे लगते हैं। यह पता चले क्योंकि जो मंत्री हैं पी०डब्लू०डी० विभाग की वह हेमा मालिनी नहीं हैं तो सदस्य का इशारा किसके गालों की तरफ है। नेता सदन भी महिला हैं और पी०डब्लू०डी० मंत्री भी महिला हैं। इन दोनों में इनका इशारा किसके गालों की तरफ है।

डा० विनोद तिवारी–

मैंने उदाहरण दिया है पूर्व वक्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बिहार की सड़कों को इस तरह बना देना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है वह, वह जाने।

श्री विजय कुमार मिश्रा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पाल साहब के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे समय दिया। मैं भदोही से आता हूँ। यह काशी और प्रयाग के मध्य में है। सन् 1994 में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने उस जिले का शिलान्यास किया था।

श्री अधिष्ठाता–

समस्या के बारे में बता दें।

श्री विजय कुमार मिश्रा–

भदोही कालीन निर्यातक क्षेत्र है। आर्थिक जोन भी घोषित हुआ है लेकिन 2001 में जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तो पी०डब्लू०डी० के अधिशासी अभियन्ता से हमने पूछा था यह जिला पंचायत की कार्यवाही में लिखा हुआ है कि 6 वर्षों में कितनी सड़कें बनी हैं जो पूर्ण हैं कृपया तीन सड़कों का नाम बतायें। उन्होंने कहा नहीं है। पी०डब्लू०डी० कार्यालय जो वहां खोला है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उस पी०डब्लू०डी० क्षेत्र को वहां से हटा दें। वहां पर चेक जेलों में काटा जाता है जिसको मैंने लिखा व उसकी जांच भी चल रही है। वह अधिशासी अभियन्ता हमारे पास दौड़ रहा है कि दो लाख ले लो चार लाख ले लो लेकिन अपनी दरखास्त वापस ले लो। यह फर्जी बेड पर पिछले पाँच वर्षों में 8-10 करोड़ का घपला हुआ है। एक भी सड़क पूरी नहीं है। कौन सी सड़क का निर्माण हुआ है बता दें। हमारे यहाँ जंगीगंध धन तुलसी में डेंगुपुर घाटपार पीपे का पुल बनाना है।

पिछले साल उसका शिलान्यास हुआ सारी सामग्री गिर गई और अभी तक मेरी जानकारी है कि काम भी नहीं शुरू हुआ। लगभग 40 लाख रुपया दिया गया है जबकि इसके लिये 3 करोड़ 48 लाख रुपये का बजट है। अगर माननीय मंत्री जी की कृपा हो जाय तो इसको शीघ्र अतिशीघ्र बनवा दिया जाय। जो कई जनपदों एवम् मध्य प्रदेश को भी जोड़ता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री विजय कुमार मिश्रा–

मान्यवर, इसी के साथ मैं पाल साहब के कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूँ।

श्री राम इकबाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। माननीय लोक निर्माण मंत्री ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में बहुत खूबसूरत बजट पेश किया है। महोदय इस विभाग में जो बहुत दिनों से सुनने में आता है कि यह महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री अधिष्ठाता–

ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र की समस्या रखें।

श्री राम इकबाल–

महोदय, माननीया मंत्री जी ने अपने विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग इस साल न करके एक ईमानदार मंत्री की छवि इस राज्य में निखारी है। हम कहना चाहते हैं कि सीमित संसाधनों में आपने निश्चित ही स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नाम को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से महोदय मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बलिया मड़वार नगरा मार्ग मझवारा तक चौड़ीकरण किया जाय। पचखोरा पूर होते हुए नगरा तक, रसड़ा नगरा मार्ग का रेनुअल और चौड़ीकरण, रतसड़ मड़वार मार्ग से बुढ़ऊ मार्ग रेनुअल, इन्द्रपुर से गढ़मलपुर मार्ग का रेनुअल, चिलकहर से कुरेजी मार्ग का रेनुअल, चिलकहर से हजौली चोमड़ा मार्ग का रेनुअल, रसड़ा नगरा मार्ग से रघुनाथपुर मार्ग का रेनुअल, नगरा से मल्लप मार्ग का रेनुअल, इसारी-सलेमपुर से रसड़ा मार्ग का रेनुअल, जगदरा से खेजुरी तक नहर पटरी का रेनुअल करवाया जाय। इसी तरह से छिब्बी से बरैबोझ, पीपरा से सलेमपुरडिहवाँ मार्ग, पकड़ी से सरपांडो, मेउली से रेकसा, चिलकहर टिकादेवरी मार्ग से भतीही तक, पूर रजबाँध से फूलपुर तक नहर पटरी बनवाई जायं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पंडित दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना जो फिलहाल बन्द चल रही थी उसको फिर से शुरू कराया जाय। जिस तरह से चौधरी साहब ने गांवों के लिये संघर्ष किया आप चौधरी साहब की पार्टी से एम०एल०ए० हैं, मंत्री हैं उनके नाम से कम से कम इस वित्तीय वर्ष में कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था करें। वर्ल्ड बैंक या नाबार्ड से करें। एक एक विधायक के क्षेत्र में 10-10 कि०मी० तक सड़क चौधरी चरण सिंह के नाम पर देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राम इकबाल–

मान्यवर, एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

मंजिलें मिले या न मिलें मुझे इसका गम नहीं

मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवाँ तो है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करता हूँ।

स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, मैंने पर्ची भेजी थी। मेरी पर्ची पहुँची कि नहीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप हमको बोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं, क्या हमारी पर्ची पहुँची कि नहीं?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ओइमवेश जी, दो मिनट में अपनी बात कहिये।

स्वामी ओइमवेश–

मैं आपका आभारी हूँ आपने वहुत जद्दो-जहद के बाद मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ऐसे गरिमामय सदन के अन्दर राष्ट्रीय लोकदल की माननीया मंत्री महोदया ने लोक निर्माण जैसे बजट को पेश करके राष्ट्रीय लोकदल की इज्जत बढ़ाई, उसमें चार चांद लगाये हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश को एक आंख से देखा है कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया है। हर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देकर अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को निराधार कर दिया है। जितनी योजनायें हैं अम्बेडकर योजना लागू करके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना लागू करके, दीन दयाल उपाध्याय योजना चलाकर प्रदेश का विकास करने के लिए सड़कों के निर्माण की घोषणा की है। वहीं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जिनसे करोड़ों-करोड़ों लोगों की भावनायें जुड़ी हैं उनके नाम से योजना चलाकर इस सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर–

शौ के साहदत साहदत के दीवानों से पूछूँगा

मर मिटने की तमन्ना बेदारों से पूछूँगा

ऐ मीनारों तुम्हारी बुलन्दी कुछ भी नहीं,

चौधरी चरण सिंह का पता चाँद और सितारों से पूछूँगा।

अधिष्ठाता महोदय मेरे कुछ सुझाव है पहला सुझाव यह है कि आबादी में सड़कों का जो निर्माण होता है। नालियों का निर्माण सड़कों के दोनों ओर कराया जाए। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आबादी में आर०सी०सी० की सड़क बनाई जाए और सड़कों के दोनों ओर पटरियां हों। उन पर साथ ही साथ मिट्टी भी डलवाई जाए। जब सड़क बनाई जाती है तो किसान परेशान होता है। किसानों को मिट्टी का मुआवजा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

स्वामी ओइमवेश–

सड़कों पर सीमांकन स्टोन लगने चाहिए। मान्यवर, विजय मकसूदन पुल निर्माण की घोषणा मा० मायावती जी की थी। वह अभी तक ऐसे ही पड़ी है। बिजनौर में झालू नइटौर का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। चांदपुर अम्बेहटा का चौड़ीकरण होना चाहिए। छांछटी-बिजनौर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

स्वामी ओइमवेश–

रामपुर नौआबाद के सामने छोइया का पुल बनाना जरूरी है। कम से कम दस ग्रामों का गन्ना उस रास्ते से जा सकता है। इसी के साथ में जो बजट पेश किया गया है उसका अनुमोदन करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

जो नाम शेष रह गये हैं उसमें 23 नाम समाजवादी पार्टी के हैं एक कांग्रेस पार्टी का नाम शेष है 10 भारतीय जनता पार्टी के शेष हैं। दो नाम लोकदल में शेष हैं। बहुजन समाज पार्टी के नौ नाम शेष हैं। समय भी हो रहा है तीन घंटे इस बजट पर हो गये हैं राज्य सम्पत्ति विभाग का भी बजट है, जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाये हैं उसमें अधिकांश वरिष्ठ सदस्य हैं.....।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

अधिष्ठाता जी, क्योंकि बहुत अहम बजट है और मेरे ख्याल से इधर किसी को विदेश नहीं जाना है सबको यहाँ रहना है चलने दीजिये कार्यवाही।

(व्यवधान)

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, इतने लोग बोलने वाले हैं और सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो लोग बोलना चाहते हैं वह अपने सुझाव लिखित रूप में माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, इनको यही बैठकर सुनना पड़ेगा। सत्ता पक्ष को लोगों को क्या जरूरत है इस पर. बोलने की? इधर के सदस्यों को सुन लिया जाय।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूँ। मान्यवर, दो तीन मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त कर दूँगा। मान्यवर एक यह कि जो मार्ग बौद्ध परिपथ के तहत आते हैं जो सारनाथ लुम्बनी तक जाते हैं, पिछली बार भी यह आया था, अरबों रुपया जापान की सरकार ने दिया उससे सड़के बनी थी लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण टांडा का पुल है वह नहीं बन पाया। इसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व० वीर बहादुर जी ने कराया था। टांडा से लालजी वर्मा जी विधायक हैं, मंत्री भी हैं और नेता सदन बहन कुमारी मायावती ने इसी शर्त के साथ चुनाव लड़ा था कि टांडा के लोग, अकबरपुर के लोग चुनाव जीताओं मैं तुम्हारा टांडा का पुल बनवाऊँगी। मान्यवर, यह मेरे बस की बात नहीं है। करोड़ों रुपये का यह पुल है। लालजी वर्मा के बस की बात नहीं है। लेकिन जब गंगा और यमुना एक हो गयी तब भी यह नहीं बन पाया तो क्या होगा। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि टांडा का पुल बनवाया जाय। अगर नहीं बनवा पाते हैं तो मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ मायावती जी इस्तीफा दे दें। माननीय मुख्य मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करता हूँ। क्योंकि इन्होंने जनता से वायदा किया था औऱ अब यह वायदाखिलाफी कर रही हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में लालगंज का पुल है। माननीय मुलायम सिंह जी ने इसे बनवाया था। उन्होंने पैसा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने धन दिया। मैं उन्हें मुबारकवाद देता हूँ दोनों ने मिलकर इसको बनाया था.....।

(इस समय 11 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक गौराघाट का पुल है। इसमें 50-60 लाख रुपयों की और आवश्यकता है। अतः माननीया मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे पूरा करायें। मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूँ वह यह है कि यह जो ठेकेदार होते हैं जब 10 लाख का काम होता है तो उनके द्वारा 8 लाख का टेण्डर डाला जाता है। इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब टेण्डर कम होगा

तो काम निश्चित ही खराब होगा। इसलिए 10 लाख से कम के टेण्डर स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक पुल 20 करोड़ का बन गया है उसमें सिर्फ 12 लाख रुपये की जरूरत है। अतः आपसे अनुरोध है कि यह रुपया देकर उस पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री किरन पाल कश्यप–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अभी जब बजट पेश हुआ। माननीया मंत्री जी महिला हैं, पहली बार चुनाव जीतकर आयी हैं हम लोग भी पहली बार जीतकर आये हैं। वह पढ़ी-लिखी हैं वह अपनी बातों को स्वयं अच्छी तरह से रख सकती हैं। लेकिन जिस तरह का अभद्र व्यवहार सत्ता पक्ष की ओर से सदन में किया गया जानबूझकर जोर-शोर से उस शोर-शराबे में कुछ सुना नहीं गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन की एक गरिमा होती है। जिस गरिमा को आज ठेस लगी है। मान्यवर, हमने अपनी सड़कों की मरम्मत का जो प्रस्ताव बनाकर मंत्री जी के यहाँ पहुँचा दिया है मैं चाहता हूँ कि माननीया मंत्री जी उन प्रस्तावों पर अपनी वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी दे दें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ मेरे यहाँ थानावावन अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर 20 गांवों में सड़क क्षेत्र सम्पर्क नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे करवा दीजिये। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ।

श्री भगवतशरण गंगवार–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए जनपद बरेली की कुछ समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे यहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 है जो हरिद्वार, नजीमाबाद, जहानाबाद, पीलीभीत, बरेली होकर जाता है। इसका जितना भाग उत्तर प्रदेश के अंदर है वह टूटा-फूटा है। हर किसी को आने जाने में दिक्कत होती है। इसको सही कराने की आवश्यकता है जहाँ तक बरेली की बात है। वहां प्रान्तीय खण्ड-1 में बदायूँ बरेली मार्ग में करोड़ों का बजट होने के बाद भी जिले में कार्य नहीं कराया गया है मान्यवर, एक बात और यह है कि बरेली बाईपास सड़क 9 माह पूर्व में 1207.20 लाख का पैसा स्वीकृत है। उसे पूरा करवाने का कष्ट करें। इसी प्रकार जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज व पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के बीच दोहा नदी के कारण करीब 3 लाख लोग प्रभावित होते हैं इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ कि इस पर पुल का निर्माण कराया जाय। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री राम कृष्ण–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं मछरेहटा विधान सभा क्षेत्र, सीतापुर से चुनकर आया हूँ। वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसी से मिला हुआ नैमिषारण है जहाँ हम सभी लोग गये होंगे। वहां सिधौली मिश्रिख रोड है रोड इतना खराब है कि निकलना मुश्किल है। जो संदना कस्बा है वहां इतना कीचड़ भरा हुआ है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। उस मार्ग को बनवाया जाय। मान्यवर, चौरासी कोसीपरिक्रमा है। जो नैमिष मिश्रिख और हरदोई को जाती है शायद उसको बने हजारों वर्ष हो गये हैं उसको पक्का नहीं कराया गया है कई बार प्रस्ताव भी दिये गये हैं उस परिक्रमा मार्ग को पक्का कराया जाय। मान्यवर, जो नैमिष का परिक्रमा मार्ग है जिसका प्रस्ताव है जो शेष भाग है उसको पक्का कराया जाय। मान्यवर, मछरेहटा जलालपुर रोड है, पुल की कई बार घोषणायें की गयी हैं। मा० राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की थी उस पर धन आवंटित किया जाये और उस पुल का शिलान्यास कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप लिखकर के दे दीजियेगा।

श्री राम कृष्ण–

मान्यवर, बहन मायावती जी द्वारा अम्बेडकर ग्राम चयनित किये जाने की घोषणा की गयी है उसकी वजह से हमारे प्रदेश का विकास होगा। जो बहन लोक निर्माण मंत्री और बहन मायावती जी ने मिलकर यह बजट बनाया है उससे प्रदेश का विकास होगा। हमारी लोक निर्माण मंत्री जी इतनी कठोर हैं, उतना मजबूत सड़कें बनेगी। धन्यवाद ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे मा० पाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका शुक्रगुजार हूँ जो हमारी जिला योजनार्थ वह भी छिन ली, अब यह सरकार हमे देगी क्या। पूर्वांचल स्टेट सेक्टर ले लिया। जो पुरानी सड़कें हैं जो राज्य मार्ग हैं [illegible] सड़कें हैं जो टूट गयी हैं जिन पर पैसा नहीं दिया गया है 7-8 साल से वहां पर आजमगढ़–फैजाबाद मार्ग है। कन्धरापुर बाजार कप्तानगंज की बाजार है 5 मिनट बारिश हो जाये तो यह हालत होती है कि उस पर अपनी धान की रोपनी कर सकते हैं। मान्यवर, उसको बनवाने की आज तक व्यवस्था नहीं की गयी उसको बनवा दें। मान्यवर, इसी तरह से बिलरियागंज–आजमगढ़ मार्ग है और बिलरियागंज टाऊन एरिया है बिलरियागंज से पैदल नहीं चल सकते हैं सड़के टूट गयी है उनको धन दें। इसी तरह से आजमगढ़–गोरखपुर मार्ग है जो बिल्कुल टूट गया है अगर आप किसी गाड़ी को ले जायेंगे तो उसका कोई न कोई हिस्सा टूट कर निकल जायेगा इस तरह का राजमार्ग है। जो पुराने मार्ग हैं उनको आप बनवा देने का काम करें। कन्धरापुर से बिन्दवल मार्ग है टूटी सड़के हैं आप कुछ टोकन मनी दे दें तो वही बहुत ज्यादा हो जायेगा उसमें सड़कें बन सकती है। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। मान्यवर, हरदोई जनपद के 74 विधान सभा बिलग्राम में 7 सड़के स्टेट सेक्टर में स्वीकृत हुई थी लेकिन आज 7 साल हो गये हैं और वह पूरी नहीं हो पाई हैं। ये सड़के हैं भ्योढ़ा से भदार, नयागाँव से बम्हरापुर चिल्लौर, लमकन से महितापुर, खरगपुर से तिथिगाँव, खरगपुर से बड़ागाँव खरगपुर से राजा साहब खद्दीपुर, पलिया से बेडीजोर। मान्यवर, इसमें से एक सड़क खरगपुर से खद्दीपुर में 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है वह निरस्त हो गयी है। मान्यवर, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्टेट सेक्टर में होते हुए भी उन पर काम नहीं हुआ जबकि जनता स्टेट सेक्टर में स्वीकृत होने के बाद जानती थी कि यह जरूर बन जायेगी इससे लोगों का विश्वास टूटा जा रहा है। मेरी मांग है कि यह जो स्टेट सेक्टर से 7-8 साल पहले स्वीकृत हुई है उनको इस बजट में पूरा कराने का काम करें। मान्यवर, अम्बेडकर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। 1993-94 में एक गाँव ढकपुरा है वहाँ अनुसूचित जाति के अलावा और कोई नहीं रहता है गाँव के पास नदी पड़ती है 3 फरवरी, 1995 को मैंने नियम 301 में एक सूचना दी थी और वह स्वीकृत भी हो गयी थी। अगर वह पैन्टून पुल से जुड़ जाता है तो सुविधा हो जायेगी। उस गाँव को जोड़ने के लिये पैन्टून ब्रिज बना दिया जाय इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं पाल साहब के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह पी० डब्लू० डी० का बजट एक अहम बजट है। पूरे प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता जो कच्ची सड़कों पर चल रही है वह इस बात के इन्तजार में रहती है कि एक अच्छी सरकार आयेगी जो हमारे गाँव को मेन सड़क से जोड़ देगी। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सम्भल में जितने गाँव हैं वह सबके सब मेन सड़क से जुड़ चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय मुलायम सिंह यादव जी को गया जिन्होंने अपनी और अपने साथियों की सांसद निधि से हमारे यहाँ के मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा। मान्यवर, अभी तो मेन मार्ग ऐसे हैं जिनकी पटरियाँ खराब हो गयीं जिनके ऊपर कई-कई एक्सीडेन्ट हो गये हैं और हजारों लोग मर चुके हैं ये हैं सम्भल–जोयामार्ग, मनौटा–सैदेनगली मार्ग, मनौटा–चौदरपुर मार्ग, सम्भल–हसनपुर मार्ग, सम्भल–मुरादाबाद मार्ग, सम्भल–आदमपुर मार्ग। ये ऐसे मार्ग हैं जहाँ से हमारी सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है। रोड वेज की बसों से उन सब की पटरियां खराब हो गयी हैं। उनका बनना बहुत आवश्यक है। सम्भल जोधा मार्ग जिसकी पटरियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं उनका बनना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात एक शेर के साथ समाप्त करता हूँ।

"गुल फेकें हैं औरों की तरफ, बन के संवर के भी
ए सनम वर अंदाज नजर कुछ तो इधर भी"

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मैं केवल इसलिए बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ कि आप विनम्रतापूर्वक पाल साहब को बोलवा दें। माननीय मंत्री जी ने जो एक शब्द कहा कि जो भी कांट्रेक्टर हैं और ठेकेदार माफिया हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। यह कह कर सिद्ध कर दिया कि हम निर्णय लेने में कठोर हैं। पूरे सदन में नेता प्रतिपक्ष भी हैं एक विकलांग विधायक है। इसने मंत्री जी से आग्रह किया था कि 25 किलोमीटर की सड़क मेरे क्षेत्र में दे दें। तब उन्होंने अपने फूल जैसे हृदय का परिचय दिया है। मैं निवेदन करूँगा कि अपने साथी दिनेश सिंह से कि आरोप लगाने से पहले किसी अभियन्ता के आरोपों को लेकर आप मंत्री जी के चैम्बर में जाकर मिलते, मुलाकात की होती तब आपकी बात न मानी जाती तो आप आरोप लगाते। मैं पाल साहब से अनुरोध करूँगा कि इस कटौती के प्रस्ताव को वापस कर लें। अगर पाल साहब की जगह पर तिवारी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा होता तो वह जरूर इसे वापस ले लेते।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा एक ही मिनट बोलूँगा। अभी आपने कहा कि हेमामालिनी के गाल अब कह रहे हैं जगदम्बिका पाल, मैं कह रहा हूँ कि सब हो गये हैं बेहाल। अब जो भी आप फैसला करें। इतनी जरूर व्यवस्था कर दें कि जो सदस्य न बोल पाये हों वह लिखित दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य बोलने से वंचित रह गये हैं अपना सुझाव लिखित रूप में दे दें मंत्री महोदय उसको संज्ञान में ले लेंगी।

श्री जगदम्बिका पाल जी आप बोलिये।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, घाघरा नदी पर एक पीपे का पुल बना हुआ था और इसी जनवरी में वह पुल पक्का बन गया है। अब पीपे का पुल खाली हो गया है। (सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने की मांग करने तथा आपस में टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पाल जी, आप अपना उत्तर भाषण प्रारम्भ करें। मैं बार-बार आपका नाम पुकार रहा हूँ।

श्री लाल बहादुर यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

इस समय कोई सवाल नहीं, आप कृपया आसन ग्रहण कर लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, आज लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट पर मेरे द्वारा कटौती प्रस्ताव पर इस सदन में अपने आप में एक इतिहास दोहराया है। अभी भी कितने ही माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है, इस पर विचार रखने की और सुझाव देने की। अभी तक इस सम्मानित सदन के लगभग 58 सदस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के बोल चुके हैं। वह इस बात का द्योतक है कि लोक निर्माण विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जो प्रदेश की 17 करोड़ जनता की आवश्यकताओं से सीधा जुड़ा है। चाहे वह खेत खलिहान से अपने उत्पादों को, अनाजों को मंडियों तक लाना चाहे, चाहे कोई भी व्यक्ति शहर तक आना चाहे, गांव-गांव से जुड़ा व्यक्ति किसी मार्ग से जुड़ा हुआ, उसके किसी भी क्षेत्र में वह आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। मैं अपने इन सभी, जितने भी सम्मानित सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं उनका नाम बता दूँ अगर मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं करता, उन्हें धन्यवाद नहीं देता तो उनके साथ नाइन्साफी होगी, जिन्होंने बड़ी ही सारगर्भिता के साथ अपनी बातें रखीं, इनके नाम हैं– श्री कालीदीन राजभर, श्री विजेन्द्र सिंह, श्री भरत सिंह, श्री विजय कुमार मिश्र, श्री राम इकबाल सिंह, डा० विनोद तिवारी, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री वसीम अहमद, श्री राम करन आर्य, श्री मुंशीलाल जी गौतम, श्री अजीम भाई, श्री शैलेन्द्र सिंह यादव (ललई), श्रीमती गुलाब देवी, श्री नारद राय, श्री घनश्याम शुक्ला, श्री बीजू पटनायक, श्री योगेश प्रताप सिंह, श्री हाजी याकूब, श्री विजय दरियावादी, श्री राम लाल अकेला, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री दिनेश सिंह, श्री आर०एस० कुशवाहा, श्रीमती वीना भारद्वाज, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री सुल्तान बेग, श्री चन्द्र देव यादव, श्री कमलेश पासवान, श्री सुरेन्द्र प्रताप, श्री सिद्ध गोपाल साहू, श्री जगदीश सिंह राणा, श्री भगवत शरण गंगवार, श्री अमर जीत सिंह, श्री विश्राम सिंह आदि इन सबका मैं बहुत आभारी हूँ, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हों, इन सब ने अपने सुझाव दिये और प्रस्ताव में चिन्ता व्यक्त की है, चाहे जिला योजना की हों, चाहे राज्य योजना की हो, पिछले कई वर्षों से सड़कें अधूरी पड़ी हैं।

माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगीं तो उत्तर प्रदेश की इन अधूरी पड़ी सड़कों के लिए बजट में प्राविधान करेंगी। पूरे सदन की भावना है कि फिर से जिला योजना को शुरू करना चाहिए। आज इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे आज प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में पुराने जमाने से पायल पुल चलते आ रहे हैं उनको भी बदलने की व्यवस्था मंत्री जी करेंगी। मार्ग विकास नीति बनाई गई थी उसके संदर्भ में अपने उत्तर भाषण में चर्चा करेंगी मान्यवर, सड़कों के निर्माण की बात है, उनके सुदृढ़ीकरण की बात है तो उसके लिए उन्हें डाटा बैंक बनाना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें कम्प्यूटरीकरण करना पड़ेगा। कितना बजट पास किया था कितना इसपे खर्च हुआ, उस काम में तो कम से कम उसमें जबावदेही तय कर सकती हैं, किन अधिकारियों ने उस समय उसे बनाया

था, उसके बाद उस सड़क की कोई जबाव देही नहीं है, उसके लिए अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता की जवाब देही होनी चाहिए। एक-दो जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा अभी सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूँ, तो मैं उनके प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूँ लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार खुद कटौती कर रही हो, उनके प्रस्ताव में, उनके बजट में तो फिर आप जगदम्बिका पाल से क्यों कहेंगे? लगातार यह कटौती जारी है। 1998-99 में मान्यवर, यह जो बजट का प्राविधान का 1465 करोड़ का प्राविधान था और अनुदान हुआ 1384 करोड़ का और व्यय हुआ 1321 करोड़, 37 लाख। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के बजट में कटौती हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग का बजट बढ़ाना चाहते हैं तो सत्तापक्ष के किसी न किसी सदस्य की तरफ से यह आना चाहिए था। लालजी वर्मा जी, अगर माननीय मंत्री जी कलवारी-टाँडा के पुल की घोषणा कर दें तो आप जो भी प्रस्ताव करेंगे इस सदन में वह मैं मान लूंगा। केवल एक पुल की बात कर रहा हूँ जो आपकी आवश्यकता है, मेरी नहीं है। 1999-2000 में 1640 करोड़ और 2001 में 1368 करोड़ रखा गया और आवंटन हुआ 1274 करोड़। यह स्थिति है मान्यवर, निरन्तर घटा है। चाहे नेशनल हाई-वे हो, एम०डी०आर०, ओ०डी०आर० हों चाहे जो सड़कें हों वह हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान किसी भी राज्य की तुलना में कम हैं। 57.3 कि०मी० उत्तर प्रदेश में है, 102 कि०मी० राजस्थान में और 104 कि०मी० प्रति लाख पंजाब में है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं बैठ जाऊँ लेकिन माननीय मंत्री जी संतुष्ट कर देंगी कि जो हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उसके ऊपर ध्यान देकर काम करेंगी।

सुश्री अनुराधा चौधरी–

मान्यवर, लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट डिवेट में जिन्होंने भाग लिया उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जो आज के डिवेट में नहीं बोल पाये हैं वह अपने पत्र के द्वारा अपने सुझाव दे देंगे। मा० पाल जी अपने बजट भाषण में कुछ बिन्दुओं पर बोल रहे थे कुछ ऐसे बिन्दु थे जिन्हें वह समझ नहीं पाये, सुन नहीं पाये उसका मैं क्लीयरीफिकेशन देना चाहती हूँ। आर०ओ०बी० के बारे में कहा था, इस वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्राविधान है। जिला योजना में पिछले वर्ष के अधूरे कार्यों के लिए 80.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं की एस०एन०डी० में रुपये एक सौ इकतालिस करोड़ अट्ठानवे लाख की व्यवस्था है। मार्च, 2002 से जून, 2002 तक सड़कों की मरम्मत हेतु रुपये छियालिस करोड़ (46 करोड़) अवमुक्त किये गये। पटना में ब्रिज कारपोरेशन का काम चल रहा है उसके बारे में अवगत कराना चाहती हूँ कि फाउन्डेशन पियर ही बनाना है इसीलिए उसकी दरें कम हैं डिपाजिट और टेण्डर दोनों पर क्वालिटी कंट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली के सफदरगंज तथा धौलाकुंआ फ्लाई ओवर को समय से खोला जायेगा इसमें हम क्वालिटी में कन्फ्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ब्रिज कारपोरेशन को ब्लैक लिस्टेड करने का कोई सवाल ही नहीं है। सेतु निगम को बी०ओ०टी० योजना के अंतर्गत 217 उपरिगामी सेतुओं, बाईपास की फिजीबिलटी स्टडी कराई गयी है जिसे विभिन्न संस्थाओं से लोन प्राप्त करके बनाने की योजना है। सेतु निगम को हर साल सेतुओं के निर्माण हेतु काम के हिसाब से एलाटमेण्ट दिया जाता है।

जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने मार्गों के सुधार एवं नवीनीकरण की बात कही है उस पर मैं विशेष ध्यान दूंगी और जितने भी माननीय सदस्य यहां है उन्होंने जो स्व० चौधरी चरण सिंह के नाम से जो योजना शुरू की है उसकी उन्होंने प्रशंसा की है इससे मेरा मनोबल बढ़ा है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं श्री पाल जी से अनुरोध करूँगी की वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और एक मत से इसको पारित करें।

श्री अधिष्ठाता–

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर माननीया मंत्री जी जिला योजना की घोषणा कर दें तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूँगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,36,56,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,97,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,46,30,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान
अनुदान सं०-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,86,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि राज्य सम्पत्ति जिसका माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उस पर वे अपना विचार रखें न रखें, वक्तव्य रखें न रखें लेकिन उनके विभाग से सभी सदस्यों का व्यक्तिगत अनुभव है। राज्य सम्पत्ति के वे भवन चाहे वह विधायक निवास हो, दारूलशफा हो, डालीबाग हो, पार्क रोड के आवास हों। आपके यह सब गेस्ट हाउस और विधायक निवास राज्य सम्पत्ति में आते हैं। हम जहाँ रोज सदन में दूसरे विभागों पर सुझाव देते हैं, आलोचना करते हैं, राय देते हैं और जिस विभाग के अन्तर्गत हम अपने जिन भवनों में रहते हैं उनके रख-रखाव की आज क्या स्थिति है। उन भवनों के लिए जो बजट है उसमें कोई कमी नहीं है। उनके रख-रखाव, मरम्मत, रंगाई पुताई, फर्नीचर, फर्निशिंग आदि के लिये जो प्राविधान है अगर देखा जाय तो वह दूसरे राज्यों की तुलना में अच्छा होगा।

अगर यह बजट समय से प्रस्तुत होता तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई बैरियर नहीं होता। सभी लोग अपने विचार रखते और उससे मंत्री जी को रूबरू कराते। कौन इन भवनों का अनुरक्षण कर रहा है? कौन इन्जीनियर है? पार्क रोड, दारूलशफा, डालीबाग आदि जो भी हैं कौन कहां देख रहा है? मैं 22 वर्षों से जन प्रतिनिधि हूं। यहां मेरा अपना सरकारी निवास है डालीबाग में, वहां कौन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर है? कौन जे० ई०, कौन ए०ई० है? मैं कटौती के उसमें नहीं बोल रहा था लेकिन जो बात है उसको बता रहा हूं कि वहां बल्ब, ट्यूब लाइट, बेसिन को ठीक करवाना है तो राज्य सम्पत्ति से नहीं करवाते हैं अपनी जेब के पैसे से ठीक करवाते हैं। बेसिन टूट गया है, पानी की कोई दिक्कत है, लाइट की कोई दिक्कत है। मेहमान आये हैं हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कम्पलेन्ट कर रहे हैं किसी तरफ से उसकी मरम्मत नहीं होती है हम प्राइवेट तौर पर अपने खर्चे से उस काम को कराते हैं। आप किराया बढ़ाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उस निवास में खाने की कीमत बढ़ रही है और खाने की क्वालिटी घट रही है जबकि आप सब्सीडी रेट पर खाना दे रहे हैं, क्रोकरी दे रहे हैं, वेटर दे रहे हैं फिर भी अन्य प्रदेशों की तुलना में आपके यहां खाना महंगा है। अन्य जगहों पर 25 रुपये है आपके यहां 35 रुपये है। दो वक्त यदि लगातार आदमी खाना खा ले तो उसकी तबियत खराब हो जायेगी। आपके यहां किराया बढ़ाते जा रहे हैं और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आपका किराया दिल्ली के होटलों से भी महंगा हो गया है। आपने 450 रुपये प्रतिदिन किराया कर दिया है। अगर कोई भूतपुर्व सदस्य तीन दिन

से अधिक रहता है तो उसको 450 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होता है। जब इन भवनों का निर्माण हुआ होगा कांग्रेस के समय में हुआ होगा तो हमने कभी यह नहीं सोचा होगा कि ऐसी भी सरकार आयेगी जब जिन भवनों में अधिकारी रहते हैं किसी शासकीय कार्य से, जन प्रतिनिधि रहते हों, वहां होटल की दर से किराया लिया जायेगा। हम होटल में इतना किराया देंगे तो हमको कितनी सुविधा मिलेगी। आपके यहां कमरें में टी०वी० नहीं है। अगर कोई सायं को समाचार सुनना चाहता है तो जहां पर गनर, ड्राइवर और बाकी स्टाफ बैठता है वहां पर बैठकर आप समाचार सुन सकते हैं। मान्यवर, आज सार्वजनिक जीवन में कौन समाचार नहीं सुनना चाहता है। आप एक टेलीविजन का प्राविधान नहीं कर सकते हैं और किराया बढ़ाते जा रहे हैं। आज टेलीविजन एक मूलभूत आवश्यकता हो गई है। कोई लग्जरी की बात नहीं है। विधायकों के निवास का किसी दिन निरीक्षण कर लें किसी दिन दारुलशफा ए ब्लाक दारुलशफा बी ब्लाक चले जाएं। जिस तरह से क्षेत्र की जनता का दबाव बढ़ रहा है, पहले जब विधायक होते थे तो कोई एक आध महीने में क्षेत्र से आ जाता था, जब क्षेत्र में विधायक जाते थे उनसे लोग मिल लेते थे लेकिन आज स्थिति दूसरी है रोज आज जनपद से 100-50 लोग चले आते हैं और विधायक से खाने की, रहने की अपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि किराया भी विधायक दे। अब विधायक निवास में डेढ़ कमरे में वह स्वयं रहे या जनता को रखे। तो मेरी मांग है कि एक डेढ़ कमरे का फ्लैट न देकर दो-दो फ्लैट दिए जाएं।

(व्यवधान)

इसमें मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन दें। गैर लोगों को आवंटित किया जा रहा है अगर यह प्रक्रिया रही तो विधायक बहुत ढूंढने पर भी वहां नहीं मिलेंगे वहां और लोगों को आवंटन हो रहे हैं। जिसको पूरे देश में विधायक निवास से जाना जाता है वहां दूसरे लोग रह रहे हैं, जिनको अनुमन्य नहीं है वह पता नहीं कैसे आवंटन करा लेते हैं। वह दारुल शफा, ओ०सी०आर, डालीबाग जितने भवन हैं बहुखंडी हैं उसमें विधायकों को ही आवंटित किया जाना चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

वहां इस तरह से कार्य लोग करते है कि सारी बदनामी विधायकों के सिर आती है दूसरे जो वहां रहने वाले लोग हैं कहां क्या हो रहा है इसका कुछ नहीं, साारी बदनामी के लिए क्या सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। हमारे माननीय सदस्य दिनेश सिंह जी ने कहा पार्क रोड पर वह रहते हैं उन्हें कक्ष का आवंटन हुआ लेकिन शौचालय में दरवाजा नही है सात बार पत्र लिख चुके हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। पानी की स्थिति इतनी खराब है इस सदन में जब पहले किसी दिन पानी दस मिनट लेट हो जाता था तो प्रश्न प्रहर शून्य प्रहर नहीं होता था। क्योंकि विधायकों को आने में देर हो जाती थी। तो विधायकों को देर न होने पाए पानी आता था यह कहा जाता था कि जब पहले 425 विधायक थे अब 403 विधायक हैं इनको जब सरकार बिजली पानी मुहैया नहीं करा पा रही है तो पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली पानी कैसे मुहैया करायेंगी पानी की दारुलशफा, पार्क रोड, सब जगह दिक्कत हो रही है। सार्वजनिक जीवन जीने वाले हम लोग हैं कुछ लोग जाकर खाना बनाते होंगे देर रात तक सदन चलता है रात में बिजली उपलब्ध नहीं होगी पानी उपलब्ध नहीं होगा और सुबह उठकर नोटिस लगाने के लिए औचित्य का प्रश्न लगाने के लिए विधायक को उठना पड़ेगा एक बात और कहना चाहता हूं कि अपोजिशन का अपना महत्व होता है। जिस प्रकार से नेता सदन का महत्व सदन में होता है उसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष होते हैं। यह संसदीय परम्पराएं हैं कि नेता प्रतिपक्ष को भी मंत्री का दर्जा दिया जाता है लेकिन आज क्या हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के पास मकान नहीं है तो इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। मुरादाबाद के विधायक यह कह रहे हैं कि हमारे पास भी मकान नहीं है। तो क्यों नहीं यह सुनिश्चित किया जाता है कि जब विधायक जीतकर आये तो उसे पन्द्रह दिन के भीतर या एक महीने के अन्दर मकान आवंटित करा दिया जाय। जब तक उसे मकान नहीं मिलेगा तब तक वह कैसे

अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेगा। मान्यवर, आज जो मेंटीनेंस में एक्जी० इंजी० ए०ई और जे०ई० वर्षों से एक ही जगह पर जमे हैं क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन गयी हैं जो लोक निर्माण विभाग का बजट है यह लाखों करोड़ों का बजट है और मार्च के महीने में आखिर में पूरा काम किया दिखा देते हैं। उसी समय मकानों की रंगाई पुताई, रख रखाव का काम किया जाता है। कितना पैसा आपने खर्च किया, नयी योजनाओं में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अनुरक्षण में कितना खर्च किया यह सब इसमें नहीं है। इस सबसे ज्यादा बेईमानी मेंटीनेन्स विभाग में हो रही है। किसी का बिस्तर टूट गया है, किसी का दरवाजा टूटा है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाये जाने पर)

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की पीड़ा को कह रहा हूँ। आप लाल बत्ती जला रहे हैं तो मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी था उनको मैं रख रहा हूँ। मान्यवर, विगत दस वर्षों में राज्य सम्पत्ति विभाग के बजट पर चर्चा नहीं हुई है। मान्यवर, यह सीधे माननीय सदस्यों से जुड़ा हुआ है और इस पर चर्चा नहीं होती है। अबकी बार इसमें चर्चा हो रही है अगर आज भी इसमें चर्चा नहीं होती तो यह निरर्थक हो जाता। इस जिन बिन्दुओं की तरफ माननीय पाल साहब से ध्यान दिलाया है मैं उनके कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए उनका समर्थन करता हूँ और थोड़े से बिन्दु रखना चाहता हूँ।.... श्रीमन् इस सदन में जो बातें सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार हो चुकी हैं। एक बार नहीं बल्कि इसकी पूर्ववर्ती सरकारों में भी इन बातों को रखा गया। यह विभाग आम तौर पर मुख्यमंत्री के साथ सम्बद्ध होता है। मुख्यमंत्री के साथ सम्बद्ध होने के कारण उनको उस विभाग के लिए कम समय मिल पाता है। अगर एक आवास का आवंटन भी होना है तो वह मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होकर गुजरता है। यह नहीं है कि वह सचिव या प्रमुख सचिव कर दे। और इसीलिए आज राज्य सम्पत्ति विभाग की स्थिति दयनीय है। यह विभाग पहले भी मुख्यमंत्रियों के पास रहा है, जिनके पास भी रहा है उन लोगों ने इसके सुधारने के बारे में चर्चा तो बहुत की लेकिन सैद्धान्तिक रूप में कुछ नहीं किया।

मान्यवर, विधायक को पेंशन नियमावली के अंतर्गत एक विधायक निवास आवंटित होना चाहिए। इसमें पानी, बिजली मुफ्त होती है और यह आवास लखनऊ में ही आवंटित किये जाते हैं। मान्यवर, आज आवंटित होने वाले आवासों की स्थिति यह है कि आज की तारीख में फरवरी में चुनाव हुए और आज सितम्बर है लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधायकों में से 8 विधायकों को सरकारी आवास आवंटित नहीं हो पाए हैं। इनमें श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी नेता विरोधी दल, जो भी हैं, और मान्यवर, दारूलशफा और रायल होटल के जो आवास हैं उनमें कई ऐसे हैं जहाँ पर एक शौचालय है। विधायक के क्षेत्र के लोगों के आ जाने पर कई तरह की दिक्कत हो जाती है। इस कारण से विधायक को आने में देर हो जाती है। विधायक निवास इतना छोटा है कि अगर उसके क्षेत्र से लोग आ जायें तो कहाँ वे रहें और कहाँ उसके सुरक्षा गार्ड और कहाँ वह स्वयं रहे। कई-कई बार तो मिलने वाले अपनी पत्नियों के साथ आ जाते हैं इससे बड़ी दिक्कत होती है मैं चाहता हूँ कि कम से विधायकों को अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लायक सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। कभी-कभी कोई मिलने वाले ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ आते हैं और जब मैं कभी उनसे स्टेशन या और कहीं मिलता हूँ तो उनके साथ और किसी को देखता हूँ पूछने पर पता चलता है कि वह उनकी पत्नी हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर यह उनकी पत्नी है तो वह पहले वाली कौन थीं। मैंने कहा भाभी कहां है तो कहा कि यही हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी आंखे क्या धोखा खा रही है? मान्यवर, जो इस सभा का सदस्य है उसकी जो दयनीय स्थिति है वह बता दूं एक तो वह सदस्य होने पर विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है और विशिष्ट स्थिति हो जाती है और उस प्रतिनिधि को इस दयनीय स्थिति में रहना होता है जिसकी कल्पना उसकी गरिमा के हिसाब से नहीं कर सकते। अब परिवार के लोग आ गये यह विधायक जी के पिता है, बहनोई हैं, साले हैं।

मान्यवर, कुप्रबन्ध के चलते इस पर ध्यान न दिये जाने के चलते यह दुर्व्यवस्था है जो बात सिद्धांत रूप में इस सदन में स्वीकार की जा चुकी है। रायल होटल के छोटे ब्लाकों में रहने वाले विधायकों को दो आवास एक विधायक को दिया जाये। इसी तरह से पार्क रोड में कमरे बड़े हैं लेकिन जिसको चौथी मंजिल पर आवंटित है अगर वह ब्लड प्रेशर का मरीज हैं तो उसके यहां आने-जाने वाले लोगों की स्थिति क्या होती होगी कमरों में सीलन है आज-चार-चार दिन तक पार्क रोड के आवासों पर पानी नहीं आ रहा है। दारुलशफा के आवासों में जो पानी आ रहा है वह गन्दला पानी आता है। पार्क रोड में कैन्टिन है नहीं। बहुखण्डीय मंत्री आवास में कैण्टिन नहीं है। दारुलशफा की कैण्टिन में चाय-खाना इतना महंगा है कि अब लोग वहां खाना नहीं पसन्द करते। जो यह दुर्व्यवस्था है यह क्यों है? जब किसी एक श्रेणी के लिए एक तरह का भवन चिन्हित होना चाहिए तो उसमे पसन्द और नापसन्द का ख्याल किया जायेगा? मान्यवर, नेता विरोधी दल जी के आवास की बात माननीय पाल जी ने कही उनका आवास नहीं है यह ध्यान दिलाया। सरकार को शर्म आ रही है कि नहीं मुझे आ रही है। मान्यवर, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए और विक्रमादित्य मार्ग का बंगला आवंटित हुआ तो पहले सईदुल हसन साहब को उपयुक्त बंगला दे दिया तब उसका पजेशन लिया। माननीय आजम साहब 13 माल एवन्यू में थे 1995 में जिस तरीके से उनका सामान फेंका गया, तस्वीर फेंकी गयी उसके बाद उनके विधायक रहते कोई आवास 1995 में नहीं दिया गया। दूसरी बार विधायक चुनकर आये तो नेता विरोधी दल के नाते एक छोटा टुकड़ा भी आवंटित नहीं किया गया। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को अवगत कराया है आपकी कैबिनेट में जितने बड़े लोग है उसमें हमारे नेता विरोधी दल की हैसियत बड़ी है छोटी नहीं है। प्रोटोकाल में माननीय मुख्यमंत्री के बाद माननीय नेता विरोधी दल का स्थान आता है। मान्यवर, बार-बार कहा जाता है कि उनके आवास को इधर मार्क किया जायेगा कि यह नेता विरोधी दल का आवास है और बार-बार बदलना न पड़े। तो आप कुछ तो व्यवस्था करें।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट)

और उस आवास में जो नेता विरोधी दल होगा वह रहेगा नहीं रहेगा तो हट जायेगा। आज तक इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि राज्य सम्पत्ति विभाग का इतना बड़ा अमला एक आवास नेता विरोधी दल के लिये चिन्हित नहीं कर पाया है इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। यह सराकर का दिमागी दिवालियापन है। संसदीय परम्परा में इस लोक तंत्र में अगर यह होने लगा तब तो यह लोकतंत्र चलेगा ही नहीं। आप आवास नहीं देना चाहते तो आजम खाँ की हैसियत आवास देने या न देने से नहीं बनेगी वह तो सूफी आदमी हैं। आपके सुविधा देने से उनकी हैसियत नहीं बढ़ेगी उनको वह सम्मान देना चाहिए अगर आप नहीं देते हैं तो इस परम्परा को कलंकित और अपमानित कर रहे हैं।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसके पूर्व भी इस सदन में यह एक विधेयक ले आये उससे सभी विधायक प्रभावित थे अगर उत्तर प्रदेश सरकार का एक अधिकारी डाली बाग में या स्टेट गेस्ट हाउस में एक कमरा चाहता है तो उसको दिया जायेगा तो उसको दिया जायेगा 25 रुपये में और अगर विधायक को उसको कहीं कोई विशेष अतिथि आ जाय और अगर वह लेने जायेगा तो उसको दिया जायेगा 450 रु० में तो यह कौन सा कानून है यह विधान सभा सबसे महत्वपूर्ण है और अगर कोई इस विधान सभा का अंग है तो वह विधायक हैं। हमसे यह विधान सभा है सदस्य विधान सभा नहीं होंगे तो भवन से यह विधान सभा नहीं होगी। पं० जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि भारत सिर्फ इसकी भौगोलिक सीमाओं के कारण नहीं है यह भारतवासियों के कारण है इसका अभिप्राय होता है कि उस पार और इस पार बैठे हुए सदस्य अगर हैं तो विधान सभा है। और इस विधान सभा परिसर में गाड़ी खड़ी करने के लिये नहीं है और नीली बत्ती लेकर अगर कोई कुत्ता, खुजली कुत्ता आ जाये तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर विधायक का पिता आ जाये तो वह नहीं आ सकता। मान्यवर, कुत्ता आता है नीली बत्ती में मान्यवर, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो साढ़े चार सौ रु० एक विधायक को

देना पड़ता है, वह न देना पड़े, आज मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि जब इसका उत्तर देने के लिये खड़े हो तो इसकी घोषणा करें कि इसी सत्र में इस कानून को बदल देने का काम करेंगे और जो अधिकारियों के लिये नियम है, गेस्ट हाउस में नियम है अतिथि के लिये तो 10 रु० से ज्यादा उसका किराया नहीं होना चाहिए यह मेरा अनुरोध है। विधायक निवासों में जो दूसरी संस्थाओं का आवंटन है यह आवंटन नहीं होना चाहिए। विधायक निवासों में संस्थाओं के नाम पर आवंटन, किसी आयोग के नाम पर आवंटन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए और अगर हो तो आवंटन में भेद भाव नहीं किया जाना चाहिए कि अमुक का रंग पीला है तो नो, गोरा है तो पास, यह नहीं होना चाहिए। एक तरह से नियम बनाइये, एक तरह के नियमों को संचालित कीजिए।

मैं दो-एक बातें और कहना चाहता हूँ कि विधायक निवासों में रख-रखाव की जो स्थिति है गद्दे नहीं हैं, कुर्सियां नहीं हैं, बाल्टी नहीं है, बिजली है तो बल्ब नहीं हैं। कम से कम जितना और जो आप दे रहे हैं उसकी एक न्यूनतम व्यवस्था तो कीजिए। हालत क्या है लोग कहते हैं 12 साल से परचेज नहीं हुआ। फर्नीचर परचेज नहीं हुआ इससे ज्यादा दुःखद परिस्थिति और क्या हो सकती है। महिला सदस्य यहाँ बैठी हैं कह रही हैं कि गीजर की परेशानी हो रही है। सर्दियां आने वाली है। इनको टी० वी० चाहिए गैरेज चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जब विधायक निवास बने थे तब किसी-किसी जिले में विधायक के पास गाड़ी हुआ करती थी। आज शायद ही कोई ऐसा विधायक हो जिसके पास गाड़ी न हो, तो गैरेज की अब आवश्यकता है। इन चीजों का कैसे इन्तजाम हो इसकी कोशिश करें। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय सबसे नया बना बहुखण्डी आवास का भवन है जिसका हाल यह है कि दरवाजे पर कुछ मार दिया जाये तो चौखट निकल कर बाहर आ जायेगी उस एंगिल के पीछे जिस तरह से सीमेन्ट आदि झड़ रही है, वह विधायकों के सिर पर गिर रही है। यह स्थिति है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे भी लोगों ने बांट लिया हो उत्तरांचल बना। उत्तर प्रदेश से अलग दिल्ली में गेस्ट हाउस की बिल्डिंग थी जिसमें मंत्रियों को रहने की बात थी। कैसे दोनों राज्यों के परस्पर परिसम्पत्तियों के बंटवारे में यू० पी० निवास दे दिया गया। आज मैं जोर दे करके यह बात कहना चाहता हूँ कि नैनीताल में भी बुकिंग का इन्तजाम वैसा ही होना चाहिए जैसा कि इससे पूर्व हुआ करता था। मान्यवर, विधान भवन के मुख्य भवन में जो लिफ्ट है। विधान भवन के मुख्य भवन में जो लिफ्ट नं० 2 है उसमें कितनी हेरा-फेरी हुई है, मैं नहीं जानता लेकिन इसकी गति आज घटकर 1/3 रह गयी है। इतना धीमी यह लिफ्ट चलती है जितना किसी अस्पताल की स्ट्रेचर लिफ्ट् नहीं चलती। सबसे धीमी लिफ्ट अस्पतालों में मरीजों को ले जाने वाली लिफ्ट् को माना जाता है ताकि मरीज हिल न जाये। उससे भी सड़ियल स्पीड में यह लिफ्ट् चल रही है जबकि नई होने के कारण इसे तेज चलना चाहिए। पहले इसकी स्पीड 1.5 थी जो अब केवल 0.5 है। इस लिफ्ट में इन्शुलेशन होना चाहिए और सीधा मैटेलिक कान्टेक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी छोटे शार्ट सर्किट से यहां भयावह दुर्घटना हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विधान भवन के मुख्य भवन में लाखों रुपये का विद्युत पैनल सड़ रहा है। अन्तिम बात कहकर आज के अपने इस विचार को समाप्त करूंगा जो यहां पर 20-20, 25-25 साल से वर्कचार्ज और दैनिक वेतन भोगी के रूप में कर्मचारी रखे गये हैं उनके विनियमितीकरण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जो सबसे निचली श्रेणी के लोग हैं उनको हर हाल में आप नियमित करने की कृपा करें यह मैं कहना चाहता हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव पर इस दृष्टि से बल देना चाहता हूं कि संयोग से आज राज्य सम्पत्ति विभाग के बजट पर चर्चा हुई है तो इस चर्चा से यह उम्मीद है कि बन्द हुये कान खुल सकेंगे और माननीय मंत्री जी तकनीकी जवाब के बजाये संवेदनशील होकर इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर सकेंगे इस गरज से मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी के कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बहुत विस्तार से इन्होंने सारी बातें कह दीं मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। हमारे तमाम सदस्य बम्बई जाते हैं। कलकत्ता में यू०पी० भवन है, दिल्ली में यू०पी० भवन है और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की जमीन है जिसका शिलान्यास हो चुका है लेकिन वहां पर यू०पी० भवन जो बनना चाहिए था वह अभी तक नहीं बन रहा है मैं समझता हूं कि आज ये स्थिति हो गयी है बम्बई को किसी के लोग रहते हैं अन्य आवश्यकतायें होती है लोग बम्बई जाते हैं, वहां दिक्कत होती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो उसमें यह अवश्य बता दें कि हम बम्बई में उत्तर प्रदेश भवन के निर्माण को कब शुरू करेंगे जिससे विधायकों और अधिकारियों को रहने की सुविधा हो।

जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जबकि जो आवंटन हो रहे थे, उत्तरांचल बनने के बाद जो यहां पर सचिवालय कालोनी है उनके 82 आवंटन हुए हैं लेकिन उस समय किसी भी अल्पसंख्यक को नहीं दिया गया। अब बसपा की सरकार आ गयी है और मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आज तक भी अल्पसंख्यकों को आवंटन नहीं हुआ है यह अत्यन्त गम्भीर बात है। यह संदेश नहीं जाना चाहिए चाहे अल्पसंख्यक हों हिन्दू कर्मचारी हों मकान के आवंटन में आप कोई भेद-भाव करें यह कोई ठीक बात नहीं है।

पार्क रोड पर विधायक रह रहे हैं वहां सुबह दो घण्टे और शाम को दो घण्टे पानी आता है। वहां टैंकर से पानी दिया जाता है इसमें आप उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश में सभी चुन करके आने वाले हमारे माननीय जन प्रतिनिधिगण, जो विधान मण्डल दल में माननीय सदस्य के रूप में आते हैं और साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण तथा यहां पर जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी है, उनके रहने की व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग करता है। मान्यवर, यही नहीं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकगण, हमारे माननीय मंत्रीगण समय-समय पर प्रदेश के बाहर भी जाते हैं उसके लिए भी दिल्ली में, कलकत्ता में मान्यवर, अतिथिगृह की व्यवस्था की गई है और बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए भी उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर लखनऊ में अतिथिगृह बनाकर बाहर से आने वाले मेहमानों का सम्मान किया जाता है। अभी माननीय वरिष्ठ साथी जगदम्बिका पाल जी ने अपेक्षा की है कि मुम्बई में अतिथिगृह बनाने की, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर जमीन खरीद ली गई है और पी०सी०एफ० से भवन निर्माण के लिए भी वार्ता चल रही है। उनका प्रस्ताव आया है, वित्त विभाग को गया था उसने क्वेरी किया था उनकी क्वेरी का जवाब भी आ गई है और उसे पुनः वित्त विभाग में भेजगा जा रहा है। मान्यवर, मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द, अतिथिगृह साकार रूप ले लें। मैं आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि यहां जवाहर भवन, इन्दिरा भवन और पूरे सचिवालय भवन की व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग करता है, अनुरक्षण का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। लोक निर्माण विभाग अनुरक्षण का काम करता है और राज्य सम्पत्ति विभाग यहां पर माननीय सदस्यों के आवंटन, खाने-पीने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था कराने का काम करता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा, संक्षेप में हमारे माननीय सदस्यों ने जो अपेक्षा की है उसके अनुरूप अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सम्पत्ति ने सात अतिथिगृह बनाकर के इसी तरह से सात विधायक निवास, 52 आवासीय कालोनी, 10 आवासीय कार्यालय भवन और 211 सरकारी वाहनों के माध्यम से राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश के इस मुख्यालय में हमेशा गतिमान रहता है। इसी क्रम में मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ का जो राज्य अतिथिगृह मीराबाई मार्ग पर स्थित है, 55 कक्ष का और विशिष्ट अतिथिगृह डालीबाग 56 कक्ष और

अति विशिष्ट अतिथिगृह 34 कक्ष और गौतम पल्ली का अतिथि गृह-8 कक्ष का और दिल्ली का 77 कक्ष का है इन सभी अतिथि गृहों के माध्यमों से समय-समय पर जो हमारे माननीय सदस्य हैं, लखनऊ या प्रदेश के बाहर भी जाते रहते हैं उन्हीं के लिए यह राज्य सम्पत्ति विभाग ने यह व्यवस्था की है। यहां पर विधायक निवास के अलावा भी हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी हैं उनके लिए भी आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इस तरह से कुल 6788 आवासीय व्यवस्था के माध्यम से लोगों को समय-समय पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है, मान्यवर, इसी क्रम में .....

(व्यवधान)

एक सदस्य–

विधायकों की समस्या पर बताइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अभी हमारे वरिष्ठ साथी भाई अम्बिका चौधरी जी ने कुछ समस्याओं की ओर इंगित किया है। इस संबंध में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि अभी यहां पर राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों और भवनों का अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग से होता है और यही नहीं भूतपूर्व विधायकों को अतिथिगृहों में 7 दिनों तक रुकने तक 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यह सुविधा दी जाती है। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने दारुलशफा में छोटे आवास के प्रति चिन्ता जाहिर की है और वह चिन्ता जो आपकी है, वह चिन्ता हमारी भी है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति है वह विचार कर रही है, मामला विचाराधीन है।

श्री अम्बिका चौधरी–

कौन सी समिति है मंत्री जी उसका नाम बता दें तथा उसमें कौन-कौन से लोग सदस्य है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी और विचार चल रहा है, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी खुद चिन्तित हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो छोटे आवास हैं।...

(व्यवधान/शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मंत्री जी, आप अपनी जानकारी सुधार लीजिए कोई समिति नहीं बनी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसी क्रम में दारुलशफा में पानी पीने की समस्या के प्रति कुछ माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। (व्यवधान/शोर) जल व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए नये ट्यूबवेल की व्यवस्था करा दी गयी है। आपके माध्यम से...

(व्यवधान के मध्य)

जो माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाए हैं कि सदस्यों को भवन आवंटित नहीं हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को भवन आवंटित हो चुके हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैंने पूर्व में अनुरोध किया था कि मंत्री जी टेक्नीकल उत्तर न दें। यह सदन एक परिवार है। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैंने अभी कहा था कि मंत्री जी टेक्नीकल उत्तर नहीं देंगे। लेकिन जो उत्तर वह दे रहे हैं वह लिखा-पढ़ी की बात ही कर रहे हैं। जिन समस्याओं की ओर जिक्र किया गया था उनका कोई हल हो तो बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सभी माननीय सदस्यों को भवन आवंटित हो चुके हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय सदस्य माता प्रसाद पाण्डेय व जगराम को भवन आवंटित नही हुए हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह मिथ्या आरोप है कि इन सदस्यों को भवन नहीं मिला है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मंत्री जी में जरा भी संवेदनशीलता नहीं है यह गैर जिम्मेदारी का बयान दे रहे हैं। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

(मंत्री के कथन से असंतुष्ट होकर श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल के सदस्यों सहित तथा विपक्ष के अन्य सभी सदस्य भी सदन का त्यागकर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जो सदन का सामना नहीं कर सकते हैं वह भागने के लिए मजबूर हो गए। माता प्रसाद पाण्डेय को पूर्व में बहुखण्डी मंत्री आवास में भवन आवंटित हुआ था। बाद में उनके अनुरोध पर उनको ओ०सी०आर० में भवन आवंटित कर दिया गया। जो आरोप लगाया गया है वह बेबुनियाद है। इसी तरह जगराम को ओ०सी०आर० में भवन आवंटित हो चुका है। इस सदन के सभी सदस्यों को भवन आवंटित हो चुके हैं। अभी विरोधी दल के लोगों ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष को भवन नहीं आवंटित हुआ मैं कह देना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल को एक नहीं दो दो भवन आवंटित हुए हैं।

मान्यवर, लेकिन वह अपनी जिद पर उन भवनों में नहीं जाना चाहते हैं। वह तो ताजमहल की खोज में हैं। [× ××] वाला महल चाहते हैं। दो-दो भवन उनको मान्यवर आवंटित किये गये हैं। एक उनको गोमती नगर में और दूसरा उनको माल एवेन्यू में आवंटित हुआ लेकिन वे उन दोनों भवनों में जाने के लिए राजी नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि यह पूरे उत्तर प्रदेश के सभी माननीय सदस्यों के हितों से जुड़ा है, सचिवालय प्रशासन और अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको पास कराने में सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। मान्यवर, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा था वे भी भाग गये हैं और साथ ही साथ विरोधी दल के लोग भी भाग गये हैं। इसका सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको सर्व सम्मति से पास होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,86,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को सूचना दे रहा हूं।

नोट–[× ××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 3 सितम्बर, 2002 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1—दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं तथा नियम 56 के अन्तर्गत केवल दो सूचनायें ली जायं।

2—दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को प्रश्नकाल एवं नियम 301 की सूचनाओं के उपरान्त नियम 103 के अन्तर्गत श्री समरपाल सिंह व अन्य सदस्यगण; विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा की मद रखी जाय :—

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए उसे तीन भागों में विभाजित कर हरित प्रदेश पूर्वान्चल प्रदेश एवं बुन्देलखंण्ड का सृजन किया जाय।"

3—दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को पूर्व निर्धारित उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 के स्थान पर उत्तर प्रदेश गोवध निंवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण की मदें वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व रखी जायं।

4—डा० राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना "बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति" पर आधे घटें की चर्चा दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को रखी जाए।

5—विधान सभा के वर्तमान सत्र का शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रखा जाय।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–[श्री सुखदेव राजभर–]

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता ने सदन को दी है, से सदन सहमत है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मत से स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 72 सूचनाएं प्राप्त हुई :–

पहली सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजूकेशन प्रशिक्षित अध्यापकों को समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है जो तत्कालीन उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, आजमगढ़ द्वारा आरक्षित पदों पर सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है जो नगर पंचायतों, परिषदों, निगमों, जिला पंचायतों एवं सभासदों के अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री उदय राज, श्री रामलाल अकेला की है जो समाज कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा दो उपनिदेशकों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने एवं निलंबित किये जाने की संस्तुति के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवी सूचना डा० राधामोहन दास अग्रवाल एवं श्री देव नारायण की गोरखपुर बी०आर०डी० मेडिकल कालेज में विवाद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है जो उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद/यूनानी फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है जो जनपद आगरा की भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए पूर्व घोषित पोइया घाट पर बैराज बनाये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री संजय गर्ग एवं श्री महबूब अली की है जो प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता एवं अधोमानक स्तर की औषधियों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण निदेशालय द्वारा न किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नौवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की है जो जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज में लोन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना डा० विनोद तिवारी, श्री श्याम देव राय चौधरी की है जो जनपद महामायानगर (हाथरस) में पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी न रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की है जो जनपद गाजीपुर की तहसील जमानिया में सार्वजनिक उपयोग की जमीन को दबंगों पर कब्जा किए जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

बारहवीं सूचना चौ० बाबू लाल की है जो जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में खनकता में 33/11 सब स्टेशन चालू कराये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तेरहवीं सूचना श्री रमेश कान्त लवानिया की है जो जनपद आगरा की खैरागढ़ नगर पंचायत व जगेनर में बिजली आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौदहवीं सूचना श्री शारदानन्द अचल की है जो जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पन्द्रहवीं सूचना श्री राकेश सचान की है जो जनपद कानपुर के घाटमपुर नगरपालिका में प्रस्तावित ओवर हेड टैंक के निर्माण के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सोलहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की है जो जनपद लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित माधव सेवा आश्रम के पास के दुकानदारों को पुनः बसाये जाने के संबंध में हैं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सत्रहवीं सूचना श्री इकबाल महमूद की है जो विधान सभा सदस्यों को आवास विकास विभाग द्वारा एक-एक लाख रुपया जमा कराने के बाद भी भवन निर्माण हेतु जमीन न उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

अटठ्रहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है जो जनपद आजमगढ़ की बीसवीं वाहिनी पी०ए०सी० द्वारा किसानों की जमीन जबरन कब्जा करने एवं उसका मुआवजा न दिए जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

उन्नीसवीं सूचना श्री रामविशुन आजाद की है जो जनपद गोण्डा के मनकापुर में विधायक निधि द्वारा स्वीकृत कार्य न कराये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। बीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की है जो जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तगत ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

इक्कीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की है जो सांसद एवं विधायक निधि द्वारा स्वीकृत जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र का कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा काम न करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

बाइसवीं सूचना श्री पारस नाथ यादव की है जो जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूँ की ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में चकबन्दी पुनः शुरू कराये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तेइसवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की है जो जनपद उन्नाव की नगरपालिका शुक्लागंज में विद्युत आपूर्ति नियमित न होने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौबीसवीं सूचना श्री बलराम यादव की है जो जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र पंचायत कोयलसा के अंतर्गत बुढ़पुर में 132 के०वी० सब स्टेशन का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पच्चीसवीं सूचना श्री प्रभु दयाल की है जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतनमान दिये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छब्बीसवीं सूचना श्री डा० वकार अहमद शाह की है जो परिवार कल्याण विभाग द्वारा नसबन्दी आपरेशन कैम्प ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित करने से पूर्व आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सत्ताईसवीं सूचना श्री अनिल वर्मा की है जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पद पर परीक्षा लिये जाने एवं उनकी नियुक्ति किये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

अट्ठाइसवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की है जो जनपद आगरा के थाना चन्दपा के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

उन्तीसवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है जो जनपद हरदोई से दुर्गागंज तक चलने वाली परिवहन निगम की बस को बिलग्राम तक चलाये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तीसवीं सूचना श्री कोविद कुमार सिंह की है जो जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में गुर्रा नदी पर मुंडी घाट तथा कठिना नदी पर कटिया घाट पर पुल निर्माण के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

इकतीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की है जो जनपद गाजियाबाद के सिम्भावली शुगर मिल में प्रदूषित रासायनिक पानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

बत्तीसवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की है जो जनपद गाजीपुर में सैदपुर देवचन्दपुर रामपुर माझा, नारी-पचदेवरा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तैंतीसवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की है जो जनपद गाजीपुर के जहूराबाद में बरेसर से सिऊरी अगहट तक मार्ग पिच कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौंतीसवीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की है जो जनपद गाजीपुर की नगर पंचायत जंगीपुर में सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

पैंतीसवीं सूचना श्री सिद्धगोपाल साहू की है जो पावर कारपोरेशन कार्यालय, जनपद महोबा के सैकड़ों गांवों में विद्युत उपभोक्ताओं के शोषण एवं अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

छत्तीसवीं सूचना श्री योगेश प्रताप सिंह की है जो जिला गोण्डा के करनैलगंज में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

सैतीसवीं सूचना श्रीमती उषा वर्मा की है जो जनपद शाहजहांपुर के थाना आल्हागंज में श्री ब्रह्मदयाल बाजपेयी की पुत्री की हत्या करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

अड़तीसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह की है जो जनपद गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान गीता वाटिका, गोरखपुर में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा की जा रही अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की जांच के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

उन्तालीसवीं सूचना श्री अजीम भाई की है जो जनपद फिरोजाबाद में ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चालीसवीं सूचना श्री आर० के० चौधरी की है जो जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज के विकास खण्ड गोसाईगंज के अंतर्गत ग्राम गौरियाकला के पास गोमती नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

इक्तालीसवीं सूचना श्री घूरा राम की है जो जनपद बलिया में खण्ड विकास अधिकारियों की कमी को देखते हुए जिले के अन्य अधिकारियों से खण्ड विकास अधिकारी का काम कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बयालीसवीं सूचना श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी की है जो जनपद भदोही के नारायणपुर रजबहा में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तैतालीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है जो जनपद शाहजहांपुर के नवसृजित ब्लाक मदनापुर का निर्माण एवं चालू कराये जाने के संबंध मे है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :–

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री रामजीत राजभर, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री प्रमोद कुमार, श्री समरपाल सिंह, श्री धनन्जय सिंह, श्री कैलाश चौरसिया, डा० शिव प्रताप यादव, डा० कौशल किशोर, श्री रघुराज प्रताप सिंह, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री शकिर अली, श्री किरन पाल सिंह, डा० राम बाबू हरित, श्री बैजनाथ दुबे, श्री कौशल किशोर, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री शिप तपस्या पासवान, श्री वसीम अहमद, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री राधेश्याम सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा० वकार अहमद शाह, ठा० तेजपाल सिंह, श्रीमती अरुणा तोमर एवं श्री रामकरन आर्य।

प्रदेश में बढ़ते अपराधों के कारण कानून व्यवस्था की खराब स्थिति विषयक श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई और जंगल राज कायम है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है तथा कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण है। प्रदेश में विगत 1-5-02 से 15-8-02 तक की अवधि में प्रमुख अपराधों यथा डकैती, लूट, रोड़ होल्डअप, हत्या, बलात्कार, बलवा, फिरौती के लिये अपहरण, दलित उत्पीड़न तथा अन्य भारतीय दण्ड विधान के अपराधों में विगत वर्षों की इसी अवधि की तुलना में कमी आई है।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर की घटना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि थाना सहजनवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कटका में दिनांक 26-8-02 को उपेन्द्र सिंह एवं विनीत सिंह के सामने गणेश निषाद द्वारा थूकने के प्रतिक्रिया स्वरूप दिनांक 27-8-02 को मार पीट हुई। इस घटना में राम सुभग पुत्र रुपई निषाद की मौके पर मृत्यु हो गई तथा रूदल पुत्र गोलई प्रसाद की मृत्यु अस्पताल में जाते समय हो गई। इस घटना में निषाद समुदाय के 14 व्यक्ति घायल हुये हैं, जिनमें से 6 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। इस संबंध में थाना सहजनवां पर मु०अ०सं० 321/302 धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया। नामजद व्यक्तियों में से 5 के गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 5 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 82/83 सी०आर०पी०सी की कार्यवाही की गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। स्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है।

जनपद जालौन झांसी में अपहरण हत्या की घटनाओं में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई है। अतः यह कहना कि जनपद जालौन, झांसी में अपहरण तथा हत्याओं की बाढ़ आ गई है, सही नहीं है। जनपद बांदा के शहर के हनुमानगढ़ी में शिव प्रसाद गुप्ता की हत्या के संबंध में थाना कोतवाली नगर, बांदा पर मु०अ०सं० 492/2002 धारा 302, 504, 506 भादंवि बनाम राजू उर्फ दलजीत सिंह व बउवा सिंह पुत्रगण रुस्तम सिंह, निवासी मो० कटरा, थाना कोतवाली नगर, बांदा पंजीकृत है। जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। थाना पैलानी के ग्राम सांडी उपरोस के डेरा को ठाकुर सामन्तों द्वारा खाली कराया गया की घटना की जांच कराये जाने पर घटना सही नहीं पायी गई। ग्राम पडेरी में पालों के ऊपर उत्पीड़न जारी है के संबंध में जांच कराये जाने पर पाल बिरादरी का कोई उत्पीडन होना सही पाया गया है।

चित्रकूट जनपद के ऋषीकुमार पहाड़िया के अपहरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट की आख्या के अनुसार दिनांक 19-7-02 को ऋषीकुमार पहाड़िया पुत्र सूरज प्रसाद थाना कर्वी का अपहरण कर लिया गया था। इसके उपरान्त दिनांक 20-7-02 को उसकी लाश ग्राम हथवारा के खेत में मिली। इस पर थाना कर्वी पर मु०अ०सं० 202/2002 धारा 364/302 भांदवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना 7 अभियुक्त प्रकाश में आये। जिसमें से तीन अभियुक्तों के जेल भेजा जा चुका है। अभियोग में प्रकाश में आये शेष अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। अभियोग में प्रकाश में आये शेष अभियुक्तों के विरूद्ध अभियुक्तों के प्रयास जारी है। न्यायालय से संबंधित कार्यवाही भी की जा रही है।]

इलाहाबाद के जाजमऊ क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

ऊर्जा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)—

माननीय डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर ने जनपद इलाहाबाद

[वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।]

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

[इलाहाबाद के फाफामऊ में निर्माणाधीन नये 33 के०वी० उपकेन्द्र को शीघ्र चालू कराने के लिये अनुरोध किया है।

फाफामऊ में नये 33 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण प्रगति पर है। इस उपकेन्द्र के लिये 33 के०वी० लाइन का निर्माण लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। उपकेन्द्र के लिये स्विच यार्ड में सभी स्ट्रक्चर खड़े कर दिये गये हैं। लाइन के निर्माण में रेलवे क्रासिंग पड़ रही है जिस की स्वीकृति डिवीजनल इंजीनियर, रेलवे मण्डल, लखनऊ से प्राप्त करने के लिये अनुरोध किया गया है। स्वीकृति के प्राप्त होने पर लाइन का निर्माण पूर्ण हो सकेगा।

उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।]

श्री अधिष्ठाता—मद संख्या 22 से मद संख्या 26 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये हैं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा की मलिन बस्तियों में सीवर लाइन एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ० राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया जो पढ़ा हुआ माना गया।]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)

[डॉ० राम बाबू हरित ने नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निम्न सूचना प्रस्तुत की है :–

"उ०प्र० शहरी क्षेत्रों में अबादी का काफी घनत्व है यहां पर काफी महंगी जमीन होने के कारण ज्यादातर मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग मलिन बस्तियों में निवास करता है, जनपद आगरा में ही वर्तमान में लगभग 300 मलिन बस्तियाँ हैं इसी प्रकार हर जनपदों में मलिन बस्तियों की भरमार है, ज्यादातर लोग कच्चे मकानों तथा कम स्थान पर गुजर बसर कर रहे हैं। प्रदेश की मलिन बस्तियों में कहीं भी सीवर लाइन न पड़ी होने से जनता को शौच के लिए खुले स्थानों पर जाना पड़ता है। जिससे सर्वत्र गन्दगी का वातावरण व्याप्त रहता है। सार्वजनिक शौचालय की उचित तरह सफाई न होने देखभाल न होने के कारण कम लोग ही इनका उपयोग कर पाते हैं। अतः आज प्रदेश के शहरों को साफ सुथरा रखने हेतु सभी मलिन बस्तियों में विश्व बैंक से धन की व्यवस्था कर विशेष रूप से आगरा जनपद सहित अन्य जनपदों में तत्काल सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था करायें"।

प्रदेश के नगरों विशेष रूप से आगरा नगर निगम की मलिन बस्तियों में सीवर व्यवस्था का निर्माण किये जाने की बात है यह समस्या का एक मात्र समाधान नहीं है। सीवर की आवश्यकता क्षेत्र विशेष की आवश्यकता पर मूलरूप से आधारित होती है। जिसके आधार पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार स्थानीय निकाय योजना बनाकर क्रियान्वित करते है। अनाधिकृत रूप से बसी हुई कालोनियों में सीवर स्वच्छता तथा पेयजल आदि का अभाव होना स्वाभाविक है।

आगरा में जल निगम द्वारा कुछ क्षेत्रों में टी०टी० जेड योजना के अन्तर्गत सीवर लाइनें डालने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य नागर विकास अभिकरण विभाग के अन्तर्गत जिला नगरीय विकास अधिकरण द्वारा भी शहर की मलिन बस्तियों में विकास कार्य चलाये जाते है। शहर की मलिन बस्तियों के अन्तर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध धनराशि से अपने स्तर पर मलिन बस्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए उपलब्ध धनराशि के दृष्टिगत प्राथमिकताओं का निर्धारण कर शासी निकायों अनुमोदनोपरान्त विभिन्न कार्य कराये जाते हैं। जिला नगरीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत आगरा शहर में 252 मलि बस्तियाँ हैं। इन मलिन बस्तियों में जला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामुदायिक विकास समितियों के प्रस्तावों पर गत वर्षों में कुल 15 मलिन बस्तियों में पृथक-पृथक 15 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त स्वच्छकार विमुक्ति योजनान्तर्गत आगरा शहर में 12939 शौचालय बनाये गये है। इस वर्ष में भी भारत सरकार से उपलब्ध धनराशि के आधार पर जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा सामुदायिक विकास समितियों से प्राप्त प्रस्तावो पर सभी निकाय में विचार कर अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए मलिन बस्तियों विकास के करायें जायेंगे, जिनमें मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों व सीवर निर्माण के साथ-साथ स्वच्छकार विमुक्ति योजनान्तर्गत शौचालयों के निर्माण के कार्य भी शासी निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सम्मिलित होंगे।

प्रदेश के शहरों को साफ-सुथरा रखने हेतु सभी मलिन बस्तियों में विश्व बैंक से धन की व्यवस्था कर सीवर डालने की कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-114 के अन्तर्गत नालियों और जल निस्तारण निर्माण कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों (जिनमें मलिन बस्तियां भी सम्मिलित हैं) नाबदानों, मूत्रालयों तथा ऐसी अन्य सुविधाओं का निर्माण, उसका संधारण और उसकी सफाई नगर निगम के कर्तव्यों व दायित्वों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने स्वयं के राजस्व, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्रदेश सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा रिवाल्विंग फण्ड (राज्य सरकार) से प्राप्त होने वाली धनराशि से अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए किया जाना होता है।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र व तहसील करनैलगंज के ग्राम बहुवन मदार मांझा में घाघरा नदी के भीषण कटान से उत्पन्न स्थिति पर श्री योगेश प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य।

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री– (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में करनैलगंज, जनपद गोण्डा के ग्राम सभा बहुवन मदार मांझा तहसील करनैलगंज में बमबम पुरवा व महंगीपुरवा में घाघरा नदी द्वारा किये जा रहे कटान आदि का उल्लेख किया गया है।

अवगत कराना है कि ग्राम सभा बहुवन मदार मांझा तहसील करनैलगंज, गोण्डा में घाघरा नदी के बांये तट पर पड़ता है। इस ग्राम सभा के दो टोले बम्भनपुरवा तथा महंगीपुर घाघरा नदी की कटान से प्रभावित हो रहे हैं। यह दोनों टोले घाघरा नदी के फ्लड प्लेन जोन में पड़ते हैं। फ्लड प्लेन जोन में बसे ग्रामों को नदी की कटान/बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने की सिंचाई विभाग की नीति नहीं है।]

जनपद चन्दौली में स्थापित राजकीय महाविद्यालय, धानापुर (चन्दौली) में कतिपय विषयों में अध्यापकों की कमी को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–

श्री सुखदेव राजभर–

[मा० सदस्य द्वारा जनपद–चन्दौली में स्थापित शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर (चन्दौली) में कतिपय विषयों के अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ने का उल्लेख करते हुए उक्त महाविद्यालय में अध्यापकों की पूर्ति कराये जाने की मांग की गयी है।

2—शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, चन्दौली की स्थापना वर्ष 1979 में कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा इतिहास विषयों में की गयी और कालान्तर में वर्ष 1997 में उक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति विज्ञान तथा गणित विषयों की कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु पदों का सृजन किया गया। कला संकाय के अन्तर्गत उक्त विषयों में प्रश्नगत महाविद्यालय को दिनांक 1-7-95 से स्थायी सम्बद्धता तथा विज्ञान संकाय के 05 विषयों में अस्थायी सम्बद्धता दिनांक 7-2001 से आगामी 03 वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तारित है।

[illegible]

3—महाविद्यालय में कला संकायान्तर्गत 07 विषयों के सापेक्ष वर्तमान में 04 विषयों (हिन्दी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र) तथा विज्ञान संकायान्तर्गत 05 विषयों के सापेक्ष एक विषय गणित में प्रवक्ता का पद रिक्त है। उल्लेखनीय है कि राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। प्रदेश में स्थापित राजकीय महाविद्यालय में लगभग 250 प्रवक्ता सम्प्रति रिक्त चल रहे हैं और उक्त रिक्तियों के सापेक्ष सीधी भर्ती द्वारा तैनाती किये जाने हेतु चयन कराये जाने के लिए 222 प्रवक्ता पदों की रिक्तियों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। प्रश्नगत महाविद्यालय में हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं गणित विषयों के रिक्त पदों पर तैनाती हेतु सम्प्रति कोई प्रवक्ता अतिरिक्त रूप में उपलब्ध नहीं है। लोक सेवा आयोग से अधियाचित पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर (चन्दौली) में रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती की जायेगी।]

जनपद सिद्धार्थ नगर में इटवा तहसील के एस०डी०एम० द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच विषयक श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य विधान सभा श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा दिनांक 28-8-2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई लोक महत्व की सूचना जो जनपद सिद्धार्थ नगर के इटवा तहसील के एस०डी०एम० द्वारा राजस्व नियमों के उल्लंघन करने, मनमाने ढंग से साधारण जनता को लूटने व उत्पीड़न करने तथा अवैध कमाई से मण्डल मुख्यालय पर करीब 50 लाख रुपये का मकान बनवाए जाने विषयक है, पर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की आख्या प्राप्त की गई।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर की सूचना के अनुसार तहसील इटवा का ग्राम–सेमरा वर्तमान समय में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। ग्राम का गाटा सं०-116 खतौनी एवं भू- चित्र में रास्ता अंकित है। उस रास्ते में श्री झिन्नन पुत्र नाजिर ग्रामवासी द्वारा छप्पर डालकर जानवर बाँधा जाता था। उक्त छप्पर के पीछे की भूमि अताउल्लाह की थी, जिनके द्वारा विगत वर्षों से उक्त रास्ते के भूखण्ड को खाली कराने हेतु विभिन्न स्तरों पर आवेदन पत्र दिया जा रहा था तथा उस जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद भी श्री झिन्नन द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार, इटवा द्वारा उक्त अतिक्रमण पुलिस सहयोग से दिनांक 10-8-2002 को हटवा दिया गया। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के पश्चात श्री झिन्नन द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप उप जिलाधिकारी, इटवा द्वारा थानाध्यक्ष को दिनांक 21-8-2002 को यह लिखित आदेश दिया गया कि अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध धारा-447 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर कार्यवाही करें।

थानाध्यक्ष, इटवा द्वारा श्री झिन्नन पुत्र नाजिर को धारा-151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार कर दिनांक 24-8-2002 को उप जिलाधिकारी, इटवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्री झिन्नन पुत्र नाजिर द्वारा या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-8-2002 को जमानत प्रार्थना पत्र या बन्धपत्र न दिये जाने के कारण उसे जनपद कारागार बस्ती में निरुद्ध किये जाने हेतु भेज दिया गया और बाद में अगली तिथि 2-9-2002 नियत की गई। इसी मध्य दिनांक 26-8-2002 को श्री झिन्नन के अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र के साथ उपस्थित हुए जिस पर उप जिलाधिकारी, इटवा द्वारा दिनांक 27-8-2002 की तिथि नियत की गई और उसी तिथि को जमानत स्वीकृत कर जनपद कारागार बस्ती को परवाना रिहाई जारी कर दिया गया।

नोट :— यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उप जिलाधिकारी, इटवा द्वारा सामान्य जनता को उत्पीड़ित किये जाने एवं अवैध कमाई किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि उप जिलाधिकारी, इटवा श्री शिव पूजन, तहसील इटवा में दिनांक 24-5-1999 से कार्यरत हैं और उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है, जो बस्ती जनपद मुख्यालय पर मकान बनवाकर रहता है। उप जिलाधिकारी के नाम कोई भवन या भूमि नहीं है।]

प्रदेश की भोजपुरी भाषा को भाषा का दर्जा दिये जाने के संबंध में श्री शारदानंद अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

[भोजपुरी एक स्वतंत्र भाषा न होकर एक क्षेत्रीय बोली के रूप में हिन्दी भाषा का ही एक अभिन्न अंग है। चूंकि हिन्दी संविधान की आठवीं अनुसूची में पहले से ही सम्मिलित है, अतएव, भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यदि ऐसा किया जाता है, तो अन्य क्षेत्रीय बोलियों द्वारा इसी प्रकार की मांग की जा सकती है।]

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नियमों की अनदेखी कर विद्यालयों में छात्रों की संख्या से अधिक शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्ध गोपाल साहू द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या-27 को स्थगित किया जाता है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुराज प्रताप सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

[जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के अंतर्गत आने वाले गांव चौपई, सरायभवानी, गोई, सरखेलपुर आदि गांवों में 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प के मानक से संतृप्त हैं। इन गाँवों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र०	ग्राम का नाम	कोड सं०	1991 की जनसंख्या	मानक के अनुसार हैण्डपम्प की आवश्यकता	अधिष्ठापित हैण्डपम्प की संख्या
1	चौपई	570	984	06	18
2	सरायभवानी	556	447	03	04
3	गोई	571	1276	08	16
4	सरखेलपुर	553	2193	25	38

इस प्रकार उपरोक्त गांवों में पर्याप्त संख्या में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके हैं। मानक के अनुसार जनपद–प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त गांव पेयजल से पूर्णतया संतृप्त हैं।]

जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगपुरा कोटवारी आदि सड़कों के सैपन एवं पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या-29 स्थगित की जाती है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-30 से मद संख्या-35 तक के वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गए)

जनपद सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के थानाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारियों तथा भू-माफियाओं के साथ मिलकर जालसाजी करके भूमि पर कब्जे किए जाने में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सर्जय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री—(श्री सुखदेव राजभर)—

[उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अवगत कराया है कि श्रीमती कांती देवी पत्नी स्व० हरद्वारी निवासी मोहल्ला शंकरपुरी कालोनी, थाना कोतवाली से अपने खसरा नं० 343 दरामिलखाना में रकबई 0.072 हैक्टे० बैरून परगना तहसील व जिला सहारनपुर जो बराबर 1000 वर्गगज की होती है, को थाना कोतवाली देहात को दान में दिया है। खसरा नं० 344, 345 से पुलिस विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है एवं न ही दिनांक 18-8-2002 को कोई मैटेरियल डालकर निर्माण आदि किया गया है, जो दीवार टूटी हुई है, वह पहले से बारिश के कारण टूटी है। कोई निर्माण उक्त भूमि पर नहीं किया जा रहा है, दान की गयी भूमि पर जो निर्माण किया जायेगा। वह अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा। ट्रस्ट के प्रबन्धक श्री रामकिशन गुप्ता आदि को पुलिस विभाग सहारनपुर की तरफ से कोई खतरा नहीं है, यदि अन्य किसी से खतरा उत्पन्न होता है तो समय से आवश्यक एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में इस प्रकार की कोई बात नही है।]

कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।]

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

[उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में वर्तमान में कुल 1578 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 1188 कर्मचारी डिपो पर, 354 कर्मचारी जलपान गृहों में एवं 36 कर्मचारी मुख्यालय पर तैनात हैं। राज्य कर्मचारियों को उनकी दैनिक उपयोग की वस्तुएं बिक्री केन्द्र स्थापित करके बाजार दर की अपेक्षा सस्ती दर पर सुलभ कराने तथा उनके कार्यालय प्रांगण में जलपानगृह स्थापित कर बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर जलपान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 187 डिपो/विस्तार पटल तथा 27 जलपानगृह प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित किए जा रहे हैं।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के समस्त कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने विषयक अधिशासी निदेशक, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के प्रस्ताव का विभाग स्तर पर सम्यक् परीक्षण किया गया और परीक्षणोंपरान्त विभागीय संस्तुति सहित पत्रावली प्रथमतः शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग दिनांक 25 मई, 2001 को उनकी सहमति हेतु प्रेषित की गई थी। इस संदर्भ में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को निगम के कार्य-कलापों की समीक्षा बैठक कराई गई। उक्त समीक्षा बैठक में निगम के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान देने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह पाया गया कि अभी निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि निगम इस वित्तीय भार को वहन कर पाये।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निगम की आय का मुख्य स्त्रोत राज्य कर्मचारियों को कल्याण निगम के माध्यम से बिक्री किए जाने वाले दोपहिया वाहनों का व्यापार ही है। दोपहिया वाहनों के व्यापार से निगम को प्राप्त होने वाली आय का लगभग 45 प्रतिशत इसी मद से प्राप्त होता है। दोपहिया वाहनों पर व्यापार कर की छूट शासन द्वारा प्रदान की जाती है जो वर्ष 1985 से दिनांक 01-05-1998 से दिनांक 30-11-1998 की अवधि को छोड़कर निरन्तर दी जाती रही है।

वर्ष 1998 में यह सुविधा बन्द हो जाने के कारण निगम की संचित हानि काफी अधिक हो गई थी। वर्ष 1998-99 में निगम की कुल संचित हानि रु० 236.79 लाख रही और यह घाटा वर्ष 1999-2000 में बढ़कर रु० 246.89 लाख तक पहुँच गया था जिसकी वजह से दिनांक 10-12-2001 जो तत्कालीन मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा की गई समीक्षा बैठक में निगम कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। वर्तमान समय में दिनांक 01-04-2002 से दोपहिया वाहनों पर व्यापार कर की छूट की सुविधा पुनः समाप्त कर दी गई है जिससे निगम में पुनः घाटा होना प्रारम्भ हो गया है। चूंकि निगम हानि पर है और पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कर्मचारियों को वेतनमान तथा एरियर भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, अतएव पंचम वेतनमान आयोग की संस्तुति के अनुरूप नया वेतनमान लागू करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि निगम लाभ की स्थिति में नहीं आ जाता।

जलपानगृहों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों का शत-प्रतिशत व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाता है और जलपानगृह बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलाये जा रहे हैं। इन तथ्यों के दृष्टिगत अधिशासी निदेशक, उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम ने केवल जलपानगृह कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के जलपान गृहों की भांति पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नया वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है। उक्त प्रस्ताव अभी परीक्षणाधीन है।]

जनपद फैजाबाद के सरस्वतीपुरम में सामूहिक नरसंहार से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सेन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

[प्रश्नगत सूचना में मा० सदस्य द्वारा मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि नगर फैजाबाद के सरस्वतीपुरम में सामूहिक नरसंहार की हृदय विदारक घटना दिनांक 7-8-2002 को घटने के परिणाम स्वरूप सारे नगर में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। इस लोमहर्षक घटना में एक साथ एक ही परिवार के 6 लोगों की नृशंस हत्या से सारे नगरवासी सहमें हुए हैं और अभी तक लोग भय और आतंक के साये में जी रहे है। पुलिस प्रशासन दुःसाहसिक घटना के किसी भी अभियुक्त पर न तो हाथ डाल पायी है और न ही घटना का पर्दाफाश कर पायी है।

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि दिनांक 7/8-8-2002 की रात्रि में फैजाबाद नगर के अन्तर्गत मोहल्ला सरस्वतीपुरम में कुछ अज्ञात बदमाशों ने श्री बसंन कुमार सिंह के घर में घुसकर श्री विधाता प्रसाद सिंह व उनकी एक वर्षीय बच्ची प्रिया को मार डाला तथा पांच अन्य व्यक्तियों क्रमशः बसंत कुमार सिंह, जय प्रकाश सिंह, राजकरन, अन्जू सिंह व राहुल को चोट पहुँचाकर घायल करके घर का सामान लूट ले गये। घायलों में से अन्जू सिंह व राजकरन की मृत्यु जिला चिकित्सालय में तथा बसंत कुमार सिंह व जयप्रकाश सिंह की मृत्यु उपचार हेतु लखनऊ पहुँचने पर हो गयी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर फैजाबाद में मु०अ०सं० 1708/2002 अन्तर्गत धारा 396 भा०द०वि० पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। इस घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधिकारियों की

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टीमें बनाकर प्रदेश के कतिपय जनपदों एवं प्रदेश के बाहर भी सूचनाओं का संकलन करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। घटना से पूर्व सतर्कता न बरतने व लापरवाही प्रदर्शित करने के कारण प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, फैजाबाद श्री सतीश कुमार सिंह को बाराबंकी के लिए स्थानान्तरित किया गया एवं चौकी इंचार्ज, देवकाली, श्री प्रेमशंकर दीक्षित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद रायबरेली को पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत रखे जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

[श्री मयंकेश्वर शरण सिंह एवं श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अंतर्गत "जनपद रायबरेली को पूर्वान्चल विकास निधि के अंतर्गत रखे जाने के संबंध में" सूचना दी गई है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि पूर्वान्चल विकास निधि की स्थापना दिनांक 27-12-1990 को की गई थी। तत्समय प्रदेश के पूर्वान्चल में स्थित 19 जनपदों को पूर्वान्चल विकास निधि में निम्नलिखित आधार पर सम्मिलित किया गया था :–

"प्रदेश के पूर्वान्चल में स्थित जनपदों में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं तथा पिछड़ेपन को कम करने हेतु ली जाने वाली विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण इस निधि द्वारा किया जायेगा, जिससे प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित जनपदों का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके और प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति उनके आर्थिक विकास में गति आ सके। निधि से ऐसी योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी जो प्रदेश में तो कार्यरत नहीं हैं परन्तु इस क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं पिछड़ेपन को कम करने हेतु आवश्यक हैं तथा जिन्हें सामान्य रूप से जिला प्लान अथवा राज्य प्लान में लिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र के अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के सम्बन्ध में अनेकों योजनायें उदाहरणतः लघु सिंचाई आदि जो केन्द्र सरकार तथा राज्य शासन के वित्तीय पोषण के पश्चात भी पूरी तौर से पोषित नहीं हो पा रही है उन योजनाओं को पूरा करने हेतु जो धनराशि की आवश्यकता होगी वह निधि द्वारा दी जायेगी। इस निधि से वे योजनायें ली जायेंगी जो जनपद योजना में महत्वपूर्ण हैं तथा योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते समय सड़क निर्माण से संबंधित योजनाओं को अंतिम प्राथमिकता दी जायेगी।"

तत्पश्चात उपर्युक्त आधार पर उच्चादेश से दो अन्य जनपद यथा-फतेहपुर एवं बाराबंकी को सम्मिलित किया गया है। जनपद रायबरेली को उपर्युक्त आधार पर पूर्वान्चल विकास निधि में सम्मिलित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।]

गाजीपुर सदर में नगरपालिका परिषद, गाजीपुर के अन्तर्गत पेयजल की समस्या को देखते हुए पम्पों की स्थापना के संबंध में श्री उमाशंकर कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)—

[श्री उमाशंकर कुशवाहा, मा० सदस्य ने नियम-51 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की है :—

मेरी विधान सभा में नगर पालिका परिषद गाजीपुर है। नगरपालिका की आबादी लगभग 160000 के आस-पास है। जब कि जलापूर्ति हेतु पम्प मात्र दो हैं। जिससे नगर में जलापूर्ति स्थिति हमेशा भयावह रहती है। अतः नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में पेयजल की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति हेतु 8 पम्पों का निर्माण कराकर जलापूर्ति की समस्या दूर की जाये।

उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-7 के अन्तर्गत जलापूर्ति उपलब्ध कराना नगर पालिका का कर्तव्य है। स्थानीय निकाय को प्रश्नगत कार्य को अपने

नोट–[ ] का अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसाधनों तथा 11वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की संस्तुति से संक्रमित की जाने वाली धनराशि से ही कराया जाना होगा। वे इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित रिवाल्विंग कोष से ब्याजमुक्त ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में हैण्डपम्पों के रिबोर एवं मरम्मत हेतु रु० 41.45 लाख तथा ट्यूबेल रिबोर हेतु रु० 24.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है, जिसे जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना अनुमोदित कर व्यय किया जायेगा।]

जनपद आगरा के थाना–एतमाद्दौला के अन्तर्गत हनुमान नगर व सुशील नगर के बीच यमुना ब्रिज स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पैदल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोउद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)—

[इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि आगरा पूर्वी विधान सभा के अन्तर्गत यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म समाप्त होते ही एक तरफ हनुमान नगर है तथा दूसरी तरफ सुशील नगर है। मा० विधायक जी के अपेक्षानुसार इस स्थान पर हनुमान नगर व सुशील नगर के बीच रेलवे लाइन पार करने हेतु रेलवे फाटक व पुल बनाया जाना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सुशील नगर का यातायात रेलवे लाइन के नीचे बने पक्के मार्ग से होकर यमुना ब्रिज स्टेशन व हनुमान नगर की ओर जाता है, जिसपर ट्रक आदि सहित पूरा यातायात गुजर रहा है व इस मार्ग से होकर सुशील नगर व हनुमान नगर के बीच की दूरी लगभग 02 किमी० है। मा० विधायक द्वारा रेल फाटक युक्त मार्ग अथवा पैदल पुल की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। हनुमान नगर व सुशील नगर को जोड़ते हुए रेल फाटक युक्त मार्ग अथवा पैदल पुल के निर्माण हेतु आगरा-टुण्डला रेलवे लाइन के ब्राडगेज के 8 ट्रैक पार करने होंगे तथा हाई टेन्शन विद्युत लाईन होने के कारण यह कार्य तकनीकी दृष्टि से उ०प्र० सरकार/लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० द्वारा निर्माण किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। अतः फिलहाल उपरोक्तानुसार सुशील नगर व हनुमान नगर के मध्य समुचित वैकल्पिक मार्ग एवं पुल होने के कारण रेल फाटक युक्त मार्ग व पैदल पुल की आवश्यकता इस स्थान पर प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में वांछित कार्यवाही रेल विभाग भारत सरकार द्वारा की जा सकती है।]

जनपद उन्नाव में हिलौली–करदहां व धन्दाखेड़ा मार्ग का निर्माण न कराये जाने एवं फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-36 स्थगित की जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-37 तथा 38 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली कुन्डा स्थित सुभाषनगर में श्री राजेश्वर पाण्डेय की हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं पुलिस दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोउद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)—

[पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री त्रिलोचन प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री लालता प्रसाद, निवासी मऊ द्वारा थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ में अपने भाई राजेश्वर उर्फ मुन्ना की हत्या हो जाने के

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में दाखिल की गई लिखित सूचना के आधार पर मु०अ०सं०-125/2002 धारा 302 भा०द०वि० बनाम अज्ञात दिनांक 30-7-2002 को थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ में पंजीकृत हुआ है। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री लल्लन शर्मा थाना कुण्डा द्वारा की जा रही है। अभी तक अभियोग का अनावरण नहीं हुआ है। अपराध/अभियोग के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कुण्डा/प्रभारी निरीक्षक कुण्डा को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

जहां तक जनपद प्रतापगढ़ में अपराधों की बाढ़ एवं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि विगत 3 माह में जनपद में अपराधों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है तथा अब तक की विवेचना से अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है।]

जनपद खीरी के ग्राम गोविन्द नगर व खजुरिया से ग्राम सम्पूर्णानगर तक शारदा नदी की कटान से हुई भीषण तबाही के सम्बन्ध में श्री आर०एस० कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

[मा० आर०एस० कुशवाहा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28-8-2002 को जनपद खीरी में विधान सभा क्षेत्र निघासन के ग्राम गोविन्द नगर व खजुरिया से ग्राम सम्पूर्णानगर के पास जनपद पीलीभीत के बार्डर पर शारदा नदी की बाढ़ से कटान, हजारा थाना कट कर नदी में चले जाना, नदी कटान से सम्पूर्णानगर स्थित सहकारी चीनी मिल को खतरा पैदा होने की सूचना देते हुए नदी में ठोकर लगाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शारदा नदी की कटान से सुरक्षा हेतु कटान रोकने की परियोजनायें सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई थीं परन्तु वहाँ जुलाई, 2002 में शारदा नदी में आई बाढ़ के उपरान्त शारदा नदी की धारा प्रश्नगत स्थलों से काफी दूर हट गई है। यहां तक की हजारा में शारदा नदी कटान स्थल से 800 मीटर दूर हट कर बहने लगी है। अतः प्रश्नगत ग्रामों के पास ठोकर बनाने की आवश्यकता नहीं है।]

जनपद बाराबंकी के बदो सराय चौराहे पर दलित महिला एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या-39 को मैं स्थगित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या-40 लगायत मद संख्या-43 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

जनपद जौनपुर में तहसील मड़ियाहूँ के ग्राम फत्तुपुर का बन्दोबस्ती नक्शा गायब होने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

[श्री पारसनाथ यादव, मा० सदस्य विधान सभा ने दिनांक 28-8-2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया है कि जनपद-जौनपुर की तहसील-मड़ियाहूँ के ग्राम-फत्तुपुर का बन्दोबस्ती नक्शा गायब हो गया है। ग्राम की चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ किया गया है, किन्तु नक्शा के

नोट—[ ] बंद अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभाव में चकबन्दी की प्रक्रिया रोक दी गयी है। जिला प्रशासन द्वारा पट्टों की पैमाइश एवं कब्जा दिलाने की कार्य तेजी से किया जा रहा है। बगैर सही गाटा संख्या या नम्बर का पता नहीं चल पाता। बगैर नक्शे की पैमाइश एवं कब्जा से गांव के किसानों की भूमि जो उनके नाम से है और पचासों वर्षों से उनके कब्जे में है, पट्टेदारों को दिया जा रहा है। झगड़ा पैदा किया जा रहा है। धन की उगाही की जा रही है। किसानों में असन्तोष एवं अक्रोश है। जिला प्रशासन नक्शा नहीं उपलब्ध करा रहा है। अतः बगैर नक्शा की पैमाइश एवं कब्जा का कार्य स्थगित करने तथा विवाद को समाप्त करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत सन्दर्भ में चकबन्दी आयुक्त से आख्या प्राप्त की गयी। चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त आख्या दिनांक 2-9-2002 के अनुसार प्रश्नगत मामले में स्थिति इस प्रकार है कि उक्त ग्राम का बन्दोबस्ती नक्शा आंशिक रूप से फटा है, जिससे चकबन्दी प्रक्रियायें आंशिक रूप से बाधित हैं। ग्राम में कुल 17 कृषि आवंटी हैं, जिसमें से 8 आवंटियों का मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा था। शेष 9 आवंटी अपनी भूमि पर काबिज नहीं थे, किन्तु उनके आवंटित स्थल नक्शे पर सुरक्षित थे और नक्शे से पैमाइश की जा सकती थी, लिहाजा पैमाइश ग्राम प्रधान एवं समस्त आवंटी एवं समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में कराकर वास्तविक स्थल पर कब्जा दिला दिया गया है और मौके पर कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक ग्राम में चकबन्दी कार्य बाधित होने का प्रश्न है, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर द्वारा राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ से नक्शा प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया गया। मा० राजस्व परिषद् द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, जौनपुर के माध्यम से नक्शे की मांग की जाय, इन निर्देशों के अनुपालन में निदेशालय के पत्र दिनांक 29-8-2002 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी जौनपुर को निर्देश दिये गये हैं कि जिलाधिकारी, जौनपुर के माध्यम से राजस्व परिषद् को अनुरोध पत्र भिजवाकर नक्शा प्राप्त किया जाय तथा नक्शा प्राप्त करने के पश्चात् अवरूद्ध चकबन्दी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय ताकि उक्त ग्राम में सुगमता पूर्वक चकबन्दी प्रक्रिया सम्पन्न हो सके।]

जनपद गोण्डा बलरामपुर के एफ०सी०आई० सम्पूर्ण रोजगार योजना का गेहूँ एवं गल्ला व्यापारी को बेच दिये जाने के संबंध में श्री घनश्याम शुक्ला द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

[जनपद बलरामपुर, गोण्डा के सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का उठान, वितरण का कार्य उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी, गोण्डा से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30 जून, 2002 को जनपद स्तर पर यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि नवीन मण्डी स्थल, गोण्डा में श्री महावीर इंटरप्राइजेज ने अपने व्यापार स्थल पर मण्डी परिषद् से सटे राज्य भण्डारागार निगम से लाकर चार ट्रक गेहूं रातो-रात 50 किलोग्राम क्षमता वाले सरकारी बोरों को खाली करके 100 किलोग्राम के बोरों में अवैध व्यापार के लिए भरा गया है। जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा श्री महावीर इंटरप्राइजेज, जिसके प्रोपराइटर श्री विकास जैन, निवासी-रानीबाजार, गोण्डा हैं, के व्यापार स्थल की जांच हेतु एक संयुक्त जांच दल गठित किया गया। इस जांच दल द्वारा जांच करने पर 50 किलोग्राम क्षमता के 1620 खाली बोरे पाए गए, इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम क्षमता के 841 बोरे गेहूँ से भरे पाए गए। मण्डी परिसर में पाए गए 841 बोरों में से मात्र 290 बोरे मण्डी अभिलेख में दर्ज थे, शेष 551 बोरों की मण्डी अभिलेख में न तो कोई प्रविष्टि पाई गई और न ही अन्य ही अभिलेख मिले, जिनके आधार पर उनकी वैधता मौके पर प्रमाणित होती। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त अतिरिक्त भण्डारित खाद्यान्न एवं 50 किलोग्राम के खाली बोरे राज्य भण्डारागार निगम से अवैध

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ढंग से प्राप्त करके अवैध व्यापार के लिए रखे गये थे। संयुक्त जांच दल की जांच में प्रथम दृष्टया यह विदित हुआ कि यह गेहूँ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का था, जिसे सरकारी क्रय केन्द्र पर बेचने की योजना मण्डी निरीक्षक तथा व्यापारी द्वारा बनाई गई थी। इस अनियमितता के प्रकाश में आने पर दोषी व्यापारी को सभापति, मण्डी परिषद् ने पंजीकरण निरस्त हेतु नोटिस जारी कर दिया है तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को परिवहन नियमों के अंतर्गत ट्रासंपोर्टर के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त मण्डी निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निदेशक, मण्डी परिषद् से अनुरोध भी किया गया है। जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उक्त अनियमितताओं के संबंध में दोषी व्यापारी/संबंधित विभागों के कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30 जून, 2002 को रात साढ़े नौ बजे जनपद गोण्डा में मोहल्ला रानी बाजार बदह क्षेत्र चौकी बड़ा गाँव सदर, गोण्डा में धारा 408, 409 तथा 120 बी के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नत्था राम वर्मा, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, गोण्डा द्वारा श्री विकास जैन, प्रोपराइटर महावीर इंटरप्राइजेज, मोहल्ला रानी बाजार, थाना कोतवाली गोण्डा द्वारा राज्य भण्डारागार निगम, गोण्डा के कर्मचारी/अधिकारी (नाम एवं पता अज्ञात) के विरुद्ध दर्ज कराई गई, जिसमें 1620 खाली बोरे सरकारी व 841 कुन्तल 100 किलोग्राम के भरे बोरों की बरामदगी दर्ज कराई गई।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30 जून, 2002 को रात साढ़े नौ बजे जनपद गोण्डा में मोहल्ला रानी बाजार बहद क्षेत्र चौकी बड़ा गाँव सदर, गोण्डा में धारा 400, 409 तथा 120वीं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नत्था राम वर्मा, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, गोण्डा द्वारा श्री विकास जैन, प्रोपराइटर महावीर इंटरप्राइजेज, मोहल्ला— रानी बाजार, थाना कोतवाली गोण्डा द्वारा राज्र मण्डारागार निगम, गोण्डा के कर्मचारी/अधिकारी (नाम एवं पता अज्ञात) के विरुद्ध दर्ज कराई गई, जिसमें 120 खाली बोरे सरकारी व 841 कुन्तल 100 किलोग्राम के भरे बोरों की बरामदगी दर्ज कराई गई।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० के ठेकेदार के नाम का उल्लेख नहीं है। दिनांक 30 जून, 2002 को गोण्डा मण्डी में पकड़ा गया उक्त गेहूँ व बोरे श्री विकास जैन, प्रोपराइटर, महावीर इंटरप्राइजेज के पक्ष में न्यायालय जे०एम० प्रथम, गोण्डा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2002 को रिलीज करने के आदेश पारित किए गए हैं। सम्प्रति प्रकरण जे० एम० प्रथम, गोण्डा के न्यायालय में विचाराधीन है।]

जनपद झांसी के मऊरानीपुर में जल विहार मेला में विद्युत व्यवस्था सही किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद झांसी के अन्तर्गत मऊरानीपुर टाउन में जीर्णशीर्ण तार बदलने के लिए विद्युत भण्डार खण्ड से तार एवं अन्य सामग्री प्राप्त की जा रही है। सामग्री प्राप्त हो जाने पर नये तार लगाने की कार्यवाही माह सितम्बर, 2002 तक सम्पन्न कर दी जाएगी। वर्तमान समय में 66/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मऊरानीपुर, जिसकी क्षमता (5+8) एम०वी०ए० है, अतिभारित है। इस उपकेन्द्र की क्षमता (5+8) एम०वी०ए० से बढ़ाकर (8+8) एम०वी०ए० किए जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन हेतु सक्षम तकनीकी समिति को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी समिति द्वारा क्षमता वृद्धि के उक्त प्रस्तार के विचार योग्य एवं स्वीकार्य योग्य पाए जाने के उपरान्त इस पर लगे 5 एम०वी०ए० ट्रांसफार्मर के स्थान पर 8 एम०वी०ए० का ट्रासंफार्मर लगाया जायेगा जिससे उपकेन्द्र पर कुल स्थापित क्षमता (5+8) एम०वी०ए० से बढ़कर (8+8) एम०वी०ए० हो जायेगी। क्षमता वृद्धि के उपरान्त मऊरानीपुर की विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान सम्भव हो जायेगा।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा के थाना अछनेरा में मृतक राकेश पुत्र बच्चू सिंह के परिवार वालों को उत्पीड़ित करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया]

[वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा दि० 28-8-2002 को मा० विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी कि जनपद आगरा के कस्बा व थाना अछनेरा में एक जैन समाज के मन्दिर में महात्मा द्वारा अपने प्रवचन में कहा गया कि इस मन्दिर की मूर्तियाँ 200-300 वर्ष पुरानी हैं एवं बेशकीमती हैं। दिनांक 17/18-8-2002 की रात को उक्त मन्दिर से मूर्तियों की चोरी हो गयी तथा अज्ञात नाम से रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है कि दिनांक 18-8-2002 को रविवार के दिन उक्त कस्बे के राकेश पुत्र बच्चू सिंह के घर पर किसी के कहने पर पुलिस द्वारा जाकर बच्चों एवं महिलाओं को अपशब्द कह कर उन्हें अपमानित किया गया था। जिससे राकेश एवं भरत सिंह के परिवार के अछनेरा में प्रतिष्ठित परिवार होने के कारण राकेश को बहुत ही बुरा लगा और उक्त ग्लानि के कारण राकेश द्वारा दि० 20-8-2002 को दीवानी कचहेरी पर कोई जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया तथा अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक के परिवार को पुलिस द्वारा एक लाख रुपये देने का वायदा किया गया है और उक्त सदमे से ही पीड़ित राकेश के मित्र राजू पुत्र हाकिम सिंह निवासी थाना-मलपुरा द्वारा भी आत्मग्लानि के कारण कि उसके दोस्त की मृत्यु हो गयी है, दिनांक 23-8-2002 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली गयी। पुलिस द्वारा धमकी देकर दो नवयुवकों को इस तरह मौत के घाट उतार दिये जाने के कारण कस्बा अछनेरा में तथा इलाके में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है तथा जनता आन्दोलित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें कि उक्त बेइज्जती तथा गाली-गलौज हेतु कौन-कौन पुलिस कर्मी दोषी हैं। यह मानवाधिकार हनन का प्रश्न है अतः दोषियों के विरुद्ध धारा 302 का मुकदमा अंकित कराकर कार्यवाही की जाए तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतक के परिवार वालों को एक लाख रुपये देने के किये गये वायदे को पूर्ण कराया जाए और मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपया सरकार से दिलाये जाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

2—वरिष्ठ पुलिस अक्षीक्षक, आगरा से प्राप्त आख्या अनुसार दिनांक 17/18-8-2002 की रात्रि में किसी समय उपरोक्त अंकित दिगम्बर जैन मन्दिर के ग्रिल व दरवाजे के ताले काट कर अज्ञात चोरों द्वारा मन्दिर में रखी सफेद व काले मार्बल की 09 मूर्तियां चोरी कर ली गयीं। भगवान महावीर की एक मूर्ति के ऊपर चाँदी का छत्र जिस पर सोने का पानी चढ़ा था भी चोरी हुई है। उक्त घटना के संबंध में थाना अछनेरा पर मु०अ०सं०–298/02 धारा 457/380 भा०द०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रचलित है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड यूनिट को बुलाकर फिंगर प्रिन्ट व अन्य साक्ष्य एकत्रित किये गये। घटनास्थल पर मौजूद जैन समाज व अन्य व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ माह पूर्व प्रवचन हेतु पधारे जैन मुनि श्री ज्ञान सागर जी महराज द्वारा उक्त मन्दिर में स्थापित एक मूर्ति को लगभग दो हजार वर्ष पुराना बताया गया था। प्रथमदृष्टया पूछताछ से ही यह ज्ञात हुआ कि दि० 17-8-2002 को सायंकाल उक्त कस्बे के किसी स्थान पर राकेश पुत्र बच्चू सिंह, भाना, दिनेश मिर्जापुरियां, लाखन, राजू आदि द्वारा किसी मूर्ति को बिकवाने के संबंध में भी वार्ता हुई थी। घटना की रात्रि करीब एक डेढ़ बजे दीपक उर्फ मुन्ना पुत्र श्री बैजनाथ गोयल जिसका घर मन्दिर के ठीक सामने है द्वारा मन्दिर के सामने अपने चेहरों को छिपाये चार-पांच युवकों को देखा गया था। उनमें से कुर्ता पायजामा व दो-तीन युवक पैंट शर्ट पहने हुए थे।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3—प्रारम्भिक पूछताछ से राकेश का नाम संदिग्ध रूप में आने पर हेड कां० (प्रो०) श्री शिवराम सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों को उसके आवास पर बुलाने हेतु भेजे जाने पर उसके परिवार जन मौजूद मिले थे परन्तु वह मौजूद नहीं मिला। छानबीन व तलाशी से उसके घर से चोरी संबंधी कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करने पर कोई भी मौजूद नहीं मिला। दिनांक 19-8-2002 को सायं किसी पी०सी०ओ० से राकेश द्वारा थाना अछनेरा प्रभारी निरीक्षक से बात करने का प्रयास किया गया और उसकी बात नियुक्त आरक्षी श्री महाबीर सिंह से हुई। राकेश ने बताया कि वह दिनांक 20-8-2002 को थाने पर पहुंच जायेगा किन्तु दिनांक 20-8-2002 को थाने पर नियत तिथि पर नहीं पहुंचा।

4—दिनांक 20-8-2002 को सायंकाल राकेश द्वारा आगरा कचेहरी प्रांगण में किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और उसे उपचारार्थ अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो जाने का तथ्य जानकारी में आया दि० 21-8-2002 को मृतक के शव का अन्त्य परीक्षण कराये जाने पर मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हुआ और विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु सुरक्षित रखा गया। पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक के शव का परिजनों द्वारा उसी दिन दाह संस्कार कर दिया गया। मृतक राकेश की जेब से एक हस्तलिखित सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें प्रथमतः पुलिस के प्रति किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। प्रकरण की गहन छानबीन से मृतक राकेश अथवा उसके किसी परिजन को मूर्ति चोरी प्रकरण में थाना अछनेरा पर नहीं बुलाया गया था। सुसाइड नोट हस्तलेख मिलान एवं विसरा परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।

5—अन्य व्यक्ति राजू, नि० थाना मलपुरा, आगरा की कथित आत्महत्या के बारे में प्रथमतः यह तथ्य पाये गये हैं कि दिनांक 22-8-2002 को उसके द्वारा अपने गांव जारूआ कटरा जाते समय उसकी मुलाकात मृतक राकेश के साले से ग्राम-मलपुरा नहर पर हुई जो उस समय अपनी बहन (पत्नी मृतक राकेश) के घर पर जा रहा था। उक्त मुलाकात अवधि में उद्विग्नता की स्थिति में राजू द्वारा कोई कीटनाशक अथवा जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया गया (राजू द्वारा अस्पताल में उपचार के मध्य दम तोड़ दिया गया उक्त आत्महत्या का मूर्ति चोरी प्रकरण से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध अब तक की छानबीन से होना नहीं पाया गया है।

जनपदीय अथवा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के स्तर से मृतक राकेश के परिवार को एक लाख रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने का आश्वासन दिये जाने के तथ्य की जांच में पुष्टि नहीं हुई है। मूर्ति चोरी की घटना की विवेचना तथा राकेश की कथित आत्महत्या की घटना की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के माध्यम से सघनता से करायी जा रही है। विवेचना प्रचलित है।]

श्री अधिष्ठाता—

चूँकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं मद सं०-44 को निरस्त करता हूँ।

चूँकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं मद सं०-45 को निरस्त करता हूँ।

चूँकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं मद सं०-46 को निरस्त करता हूँ।

अब हम उठते हैं। दिनांक 4-9-2002 को पुनः 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 1 बजकर 05 मिनट पर 4 सितम्बर, 2002 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 3 सि[illegible], 2002

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र०स०-52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (वर्ष 1994-95)

क्र०सं०		मण्डल/जनपद	स्वीकृत पद	भरे गये पद
1		2	3	4
1	मेरठ	1—मेरठ	137	107
		2—बुलन्दशहर	17	17
		3—गाजियाबाद	170	137
		योगः—	332	261
2	सहारनपुर	1—सहारनपुर	142	110
		2—मुजफ्फर नगर	199	145
		योगः—	341	255
3	आगरा	1—आगरा	31	28
		2—फिरोजाबाद	25	20
		3—मैनपुरी	14	14
		4—एटा	34	34
		5—मथुरा	79	61
		6—अलीगढ़	169	132
		योगः—	355	289
4	बरेली	1—बरेली	161	125
		2—बदायूँ	39	30
		3—शाहजहाँपुर	28	26
		4—पीलीभीत	105	81
		योगः—	333	259
5	इलाहाबाद	1—इलाहाबाद	257	162
		2—फतेहपुर	61	36
		3—प्रतापगढ़	43	31
		योगः—	361	229

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2	3	4
6	वाराणसी	1—वाराणसी	205	110
		2—गाजीपुर	31	24
		3—जौनपुर	65	50
		योगः—	301	184
7	मिर्जापुर	1—मिर्जापुर	97	74
		2—भदोही/संतरविदासनगर	—	—
		3—सोनभद्र	29	23
		योगः—	120	97
8	लखनऊ	1—लखनऊ	30	23
		2—सीतापुर	226	176
		3—रायबरेली	16	11
		4—लखीमपुरखीरी	166	125
		5—उन्नाव	160	122
		6—हरदोई	142	96
		योगः—	740	553
9	गोरखपुर	1—गोरखपुर	62	48
		2—देवरिया/पडरौना	151	121
		3—महराजगंज	06	05
		योगः—	219	174
10	बस्ती	1—बस्ती	177	140
		2—सिद्धार्थनगर	180	140
		3—संतकबीरनगर	—	—
		योगः—	357	280
11	फैजाबाद	1—फैजाबाद	200	140
		2—अम्बेदकरनगर	—	—
		3—बाराबंकी	148	108
		4—सुल्तानपुर	43	35
		योगः—	391	283

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2	3	4
12	देवीपाटन	1—गोण्डा	125	92
		2—बहराइच	240	104
		3—श्रावस्ती	—	—
		4—बलरामपुर	—	—
		योगः—	365	196
13	मुरादाबाद	1—मुरादाबाद	246	181
		2—रामपुर	113	88
		3—बिजनौर	193	149
		योगः—	552	418
14	कानपुर	1—कानपुर नगर	122	90
		2—कानपुर देहात	232	175
		3—इटावा	189	151
		4—फर्रूखाबाद	197	196
		5—औरैया	—	—
		योगः—	740	612
15	झांसी	1—झांसी	08	08
		2—जालौन	26	17
		3—ललितपुर	20	16
		योगः—	54	41
16	चित्रकूटधाम	1—चित्रकूटधाम	—	—
		2—बांदा	69	35
		3—महोबा	—	—
		4—हमीरपुर	77	62
		योगः—	146	97
17	आजमगढ़	1—आजमगढ़	152	152
		2—बलिया	97	74
		3—मऊ	27	21
		योगः—	276	247
		महायोगः—	5989	4473

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 3 विधान सभा-28-7-2003-(745)-813-(कम्प्यूटर/आफसेट)।